# इंजीनियरिंग, प्रापण और निर्माण )ईपीसी (मोड

# पर

# एप्रोच रोड और आरई दीवार सहित इच्छामति नदी )एनडब्ल्यू-44) के पार

# स्वरूपनगर, (पश्चिम बंगाल (में सिंगल लेन पुल

# के डिजाइन और निर्माण

# के लिए

# निविदा।

**निविदा संख्या IWAI/KOL/NW-44(इच्छामति नदी)/स्वरूप नगर पुल**


## भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

ए-13, सेक्टर-1, नोएडा-201301 (उत्तर प्रदेश)

ईमेल: mt.iwai@nic.in; vcdialani.iwai@nic.in

वेबसाइट: https://www.iwai.nic.in & https://eprocure.gov.in/eprocure/app


**फरवरी** 2024

## अस्वीकरण

1. यह निविदा दस्तावेज भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) द्वारा संभावित बोलीदाताओं या किसी अन्य व्यक्ति के लिए न तो कोई समझौता है और न ही कोई प्रस्ताव है। इस निविदा दस्तावेज का उद्देश्य इच्छुक पक्षों को ऐसी जानकारी प्रदान करना है जो इस निविदा के अनुसार अपनी बोली तैयार करने में उनके लिए उपयोगी हो सकती है।

2. आईडब्ल्यूएआई इस निविदा दस्तावेज में दी गई जानकारी की सटीकता, विश्वसनीयता या पूर्णता के बारे में कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं देता है और इस निविदा दस्तावेज को पढ़ने या इसका उपयोग करने वाले प्रत्येक पक्ष की विशेष आवश्यकताओं पर विचार करना आईडब्ल्यूएआई के लिए संभव नहीं है। इस निविदा दस्तावेज में ऐसे कथन शामिल हैं, जो आईडब्ल्यूएआई द्वारा कार्यों के संबंध में की गई विभिन्न धारणाओं और आकलनों को दर्शाते हैं। ऐसी धारणाएँ, आकलन और कथन प्रत्येक बोलीदाता के लिए आवश्यक होनेवाली सभी जानकारियों को शामिल करने का दावा नहीं करते हैं। प्रत्येक संभावित बोलीदाता को अपनी स्वयं की जाँच और विश्लेषण करते हुए इस निविदा दस्तावेज में दी गई जानकारी की सटीकता, विश्वसनीयता और पूर्णता की जाँच करनी चाहिए और उचित स्रोतों से स्वतंत्र सलाह लेनी चाहिए।

3. आईडब्ल्यूएआई का किसी भी कानून (संविदा, अपकृत्य के कानून सहित) के अंतर्गत, इक्विटी, प्रतिपूर्ति या अन्यायपूर्ण संवर्धन के सिद्धांतों या अन्यथा होनेवाले किसी भी हानि, व्यय या क्षति के साथ-साथ इस निविदा दस्तावेज में निहित किसी भी चीज के संबंध में उत्पन्न होने या झेली जाने वाली अथवा इस निविदा दस्तावेज का हिस्सा माने जाने वाले किसी भी मामले, कार्य सौंपे जाने, आईडब्ल्यूएआई या उनके कर्मचारियों, किसी भी सलाहकार या कार्य सौंपने के लिए चयन प्रक्रिया से किसी भी तरह से उत्पन्न होने वाली जानकारी और किसी भी अन्य जानकारी के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी हानि के लिए किसी भी संभावित कंपनी/फर्म/कंसोटियम या किसी अन्य व्यक्ति के प्रति कोई दायित्व नहीं रहेगा। इसके अलावा आईडब्ल्यूएआई किसी भी तरह से ऐसी किसी क्षति का भी उत्तरदायी नहीं होगा, चाहे वह आईडब्ल्यूएआई लापरवाही के कारण हो या अन्यथा,फले ही वह इस निविदा दस्तावेज में निहित किसी भी कथन पर किसी भी बोलीदाता की निर्भरता से उत्पन्न हुई हो।

4. बोलियाँ प्राप्त करने में होनेवाली किसी भी देरी के लिए आईडब्ल्यूएआई जिम्मेदार नहीं होगा। इस निविदा दस्तावेज़ के जारी होने का अर्थ यह नहीं है कि आईडब्ल्यूएआई किसी बोलीदाता का चयन करने या सफल बोलीदाता को कार्यों के लिए नियुक्त करने के लिए बाध्य है, )जैसा भी मामला हो( और आईडब्ल्यूएआई किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताए इस निविदा दस्तावेज़ के जवाब में प्रस्तुत की गई किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। आईडब्ल्यूएआई बोली जमा करने वाले सभी लोगों को सूचित करते हुए किसी भी स्तर पर प्रक्रिया को रोकने या वापस लेने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

5. यहाँ दी गई जानकारी सांविधिक आवश्यकताओं का संपूर्ण विवरण नहीं है और इसे कानून का पूर्ण या आधिकारिक विवरण नहीं माना जाना चाहिए। आईडब्ल्यूएआई यहाँ व्यक्त कानून की किसी भी व्याख्या या राय की सटीकता या अन्यथा के लिए कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है।

6. आईडब्ल्यूएआई इस निविदा दस्तावेज के किसी भी या सभी प्रावधानों को बदलने/सुधारने/संशोधित करने का अपने पास अधिकार सुरक्षित रखता है। निविदा दस्तावेज/संशोधित निविदा दस्तावेज में किए जानेवाले ऐसे संशोधन

आईडब्ल्यूएआई के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल और वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

## विषय-सूची


**अस्वीकरण** ..... 2

**खंड-I: ई-निविदा आमंत्रण नोटिस** ..... **6**

**खंड-II: बोलीदाताओं के लिए निर्देश (आईटीबी)** ..... **9**

**1. पृष्ठभूमि** ..... **10**

**2. प्रस्तावना** ..... **10**

**3. बोलीदाता पात्रता मानदंड** ..... **10**

**4. बोली-पूर्व बैठक** ..... 11

**5. स्पष्टीकरण और परिशिष्ट** ..... 12

**6. बोलियों की तैयारी** ..... 12

**6.2 निविदा शुल्क** ..... 13

**6.3 बैंक शोधन क्षमता** ..... 13

**6.4 कर** ..... 13

**6.5 मुद्रा** ..... 13

**6.6 भाषा** ..... 13

**6.7 बोली वैधता** ..... 14

**6.8 बोलियों की संख्या** ..... 14

**6.9 जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम द्वारा बोली** ..... 14

**7. हितों का टकराव** ..... 15

**8. बोलीदाता द्वारा पावती** ..... 17

**9. बोलियों के ई-प्रस्तुतिकरण के लिए दिशानिर्देश** ..... 17

**10. बोलियों का प्रस्तुतीकरण** ..... 20

**11. बोली प्रस्तुत करने की तिथि का विस्तार** ..... 22

**12. विलम्बित प्रस्ताव** ..... 22

**13. नियोक्ता की देयता** ..... 23

**14. बोलियों का संशोधन/प्रतिस्थापन/वापसी** ..... 23

**15. बोली खोलना और मूल्यांकन प्रक्रिया** ..... 23

**16. अर्हता मानदंड और बोली मूल्यांकन** ..... 24

**17. संविदा प्रदान करना** ..... 26

**18. दस्तावेज़ और कॉपीराइट का स्वामित्व** ..... 26

**19. उपकरण, मानव और सामग्री जुटाना** ..... 26

**खंड-III: डेटा शीट** ..... 28

**खंड-IV: तकनीकी बोली मानक प्रपत्र** ..... 32

**प्रपत्र 4क: बोली पत्र** ..... 33

**प्रपत्र 4ख: पात्र परियोजनाएँ** ..... 35

**प्रपत्र 4ग: बोली लगाने वाले का औसत वार्षिक कारोबार** ..... 37

**प्रपत्र 4घ: पॉवर ऑफ अटॉर्नी** ..... 38

**प्रपत्र 4ङ: बोली लगाने वाले द्वारा घोषणा** ..... 40

**प्रपत्र 4च: बोली लगाने वाले की जानकारी प्रपत्र** ..... 41

**प्रपत्र 4छ: बोली लगाने वाले द्वारा बोली-पूर्व पूछताछ के लिए प्रारूप** ..... 42

**प्रपत्र 4ज: कानूनी क्षमता का विवरण** ..... 43

**प्रपत्र 4झ: जेवी/कंसोर्टियम के प्रमुख सदस्य के लिए पॉवर ऑफ अटॉर्नी** ..... 44

**प्रपत्र 4ञ: संयुक्त बोली करार** ..... 46

**प्रपत्र 4ट: चालू समनुदेशन की सूची** ..... 51

**प्रपत्र 4ठ: बोली क्षमता** ..... 52

**प्रपत्र 4म: प्रमुख कर्मियों की सूची** ..... 53

**खंड-V: वित्तीय बोली मानक प्रपत्र** ..... 54

**प्रपत्र वित्त-1: वित्तीय बोली प्रस्तुतीकरण प्रपत्र** ..... 55

**प्रपत्र वित्त-2: मात्रा का बिल** ..... 56

**वित्त बोली-2.1: मात्रा का बिल** .....

**खंड-VI: संदर्भ शर्तें** ..... 57

**1. परियोजना के बारे में पृष्ठभूमि और संक्षिप्त विवरण** ..... 58

**2. उद्देश्य** ..... 58

**3. कार्य-क्षेत्र** ..... 58

4. साइट संगठन..... 59

5. पर्यवेक्षण और निगरानी ..... 59

6. समयसीमा और मील के पत्थर ..... 59

7. गुणवत्ता नियंत्रण..... 60

8. भुगतान..... ..... 60

9. संविदा मूल्य भार .....60

10. भुगतान अनुसूची और चरण .....61

खंड-VII: संविदा की सामान्य शर्तें ..... 63

खंड-VII: संविदा की विशेष शर्तें (एससीसी)..... 129

खंड-IX: परिशिष्ट..... 134

परिशिष्ट-I: निष्पादन प्रतिभूति के लिए बैंक गारंटी प्रपत्र..... 135

परिशिष्ट-II: करार प्रपत्र ..... 137

परिशिष्ट-III: बैंक खाते का विवरण..... 139

परिशिष्ट-IV: बैंक प्रमाणन ..... 140

परिशिष्ट-V: निविदा स्वीकृति पत्र ..... 141

परिशिष्ट-VI: अखंडता करार ..... 142

परिशिष्ट-VII: बोली प्रतिभूति घोषणा ..... 147

# खंड-I: ई-निविदा आमंत्रण नोटिस

**भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण**

**(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)**

**ए-13, सेक्टर-1, नोएडा-201301 (उत्तर प्रदेश)**

**टेलीफोन (0120) 2474093: फैक्स (0120)2522969**

ईमेल: mt.iwai@nic.in; vcdialani.iwai@nic.in

वेबसइट: https://www.iwai.nic.in और https://eprocure.gov.in/eprocure/app

## निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा संख्या IWAI/KOL/NW-44(इच्छामति नदी)/स्वरूप नगर पुल

**क) प्रस्तावना:**

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) दो कवर प्रणालियों (कवर-I: तकनीकी बोली और कवर-II: वितीय बोली) में "ईपीसी मोड पर एप्रोच रोड और आरई वॉल सहित इच्छामति नदी (एनडब्ल्यू-44) के पार स्वरूपनगर (पश्चिम बंगाल) में सिंगल लेन पुल के डिजाइन और निर्माण" के लिए **प्रतिष्ठित और पंजीकृत संविदाकारों/कंपनियों/फर्मों** से ऑनलाइन निविदाएं/बोलियां आमंत्रित करता है।

| राज्य | उत्तर-पश्चिमी | काम का नाम | अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में) | पूरा होने की अवधि | दोष दायित्व अवधि |
|---|---|---|---|---|---|
| पश्चिम बंगाल | राष्ट्रीय जलमार्ग-44 | ईपीसी मोड पर पश्चिम बंगाल राज्य में एप्रोच रोड और आरई वॉल सहित इच्छामति नदी (राज-44) पर स्वरूपनगर (पश्चिम बंगाल) में एकल लेन पुल का निर्माण। | 17.00 (जीएसटी @ 18% सहित) | 9 माह | 01 वर्ष |

**ख) महत्वपूर्ण डाटा शीट:**

इच्छुक पक्ष https://eprocure.gov.in/eprocure/appand और आईडब्ल्यूएआई की वेबसाइट “www.iwai.nic.in” से ऑनलाइन निविदा दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं और निविदा दस्तावेज की लागत के रूप में 18% जीएसटी सहित 2,950/- रुपये (केवल दो हजार पांच सौ रुपये) का भुगतान आईडब्ल्यूएआई कोष में जमा कर सकते हैं। हालाँकि, निर्माण कार्य संविदा/ईपीसी निविदाओं में एमएसएमई छूट की अनुमति नहीं है।

| | |
|---|---|
| दस्तावेज़ डाउनलोड आरंभ होने की तिथि | 06.02.2024-17.00 बजे से |
| बोली-पूर्व पूछताछ प्रस्तुत करने की तिथि | 11.02.2024-17.00 बजे तक |
| बोली-पूर्व बैठक | 13.02.2024-15.00 बजे तक |
| बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि | 21.02.2024-15.30 बजे तक |
| बोली खोलने की तिथि | 22.02.2024-15.30 बजे तक |
| निविदा दस्तावेज़ की लागत | 2,950 रुपये (18% जीएसटी सहित) |

| | |
|---|---|
| अनुमानित लागत | 14.41 करोड़ रुपये (18% जीएसटी को छोड़कर) |
| अनुमान के 2% पर प्रतिभूति जमा राशि | 28,81,356 रुपये |

**ग) कार्य-क्षेत्र:**

"ईपीसी मोड पर एप्रोच रोड और आरई वॉल सहित इच्छामति नदी (एनडब्ल्यू-44) के पार स्वरूपनगर, (पश्चिम बंगाल) में सिंगल लेन ब्रिज का डिजाइन और निर्माण"। कार्य-क्षेत्र विस्तृत इस निविदा दस्तावेज के खंड-VI में वर्णित है।

**घ) चयन का तरीका:**

बोलीदाताओं का चयन लागत आधारित चयन-एल-1 (सीबीएस) और इस निविदा दस्तावेज में वणत अन्य प्रक्रियाओं के अंतर्गत किया जाएगा।

**ङ) स्पष्टीकरण:**

निविदा दस्तावेज पर स्पष्टीकरण/प्रश्न, यदि कोई हो, तो उसे निम्नलिखित पते से प्राप्त किया जा सकता है:

**सदस्य (तकनीकी)**
**भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण**
**ए-13, सेक्टर-1, नोएडा-201301**
**दूरभाष: (0120) 2543931**
**ईमेल: mt@iwai.gov.in**

च) आईडब्ल्यूएआई का बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है और इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

**सदस्य (तकनीकी)**
**आईडब्ल्यूएआई, नोएडा**

# खंड-II: बोलीदाताओं के लिए निर्देश (आईटीबी)

## 1. पृष्ठभूमि

1.1 भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है। आईडब्ल्यूएआई की स्थापना 1986 में देश के अन्तर्देशीय जलमार्गों को विकसित और विनियमित करने के जनादेश के साथ की गई थी, जिन्हें मुख्य रूप से राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया था। मार्च, 2016 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 द्वारा मौजूदा पांच राष्ट्रीय जलमार्गों के अलावा 106 नए राष्ट्रीय जलमार्गों की घोषणा की है।

1.2 अन्तर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) में परिवहन का सबसे किफायती, विश्वसनीय, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल रूप बनाने की क्षमता है। विश्वसनीय मार्गाधिकार पर चलने वाले आधुनिक अन्तर्देशीय जलमार्ग जलयानों द्वारा उपयोग के लिए विकसित किए जाने पर, यह रेल और सड़क बुनियादी ढांचे में निवेश की जरूरतों को कम कर सकता है, तटीय राज्यों में अधिक पूरकताओं को बढ़ावा दे सकता है, अंतर-क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ा सकता है और अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि के माध्यम से, संपूर्ण अर्थव्यवस्था और भारत की वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धा के लाभ के लिए परिवहन लागत को काफी कम कर सकता है।

## 2. प्रस्तावना

2.1 नियोक्ता आईटीबी के खंड-II के अंतर्गत धारा 15 और धारा 16 में निर्दिष्ट चयन पद्धति के अनुसार एक फर्म/संगठन ("चार्टर/संविदाकार") का चयन करेगा।

2.2 समनुदेशन/कार्य का नाम खंड-III: बोली आंकड़ा पत्रक में दिया गया है। समनुदेशन/कार्य का विस्तृत दायरा खंड-VI: संदर्भ शर्तें (टीओआर) में बताया गया है।

2.3 बोलियां प्रस्तुत करने की दिनांक, समय और पता खंड-III: बोली आंकड़ा पत्रक में दिया गया है।

2.4 बोलीदाता अपनी बोलियों की तैयारी और प्रस्तुत करने से जुड़ी सभी लागतों को वहन करेगा।

2.5 नियोक्ता किसी भी बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और वह बोलीदाता के प्रति कोई दायित्व वहन किए बिना, संविदा प्रदान करने से पहले किसी भी समय निविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

## 3. बोलीदाता पात्रता मानदंड

बोलीदाताओं का निम्नलिखित पूर्व-अर्हता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है:

3.1 बोली लगाने वाली वह फर्म हो सकती है जो एक निजी संस्था है, एक सरकारी स्वामित्व वाली संस्था है। बोलीदाता जो नियोक्ता के देश में सरकारी स्वामित्व वाली इकाई हैं, केवल तभी भाग ले सकते हैं जब वे यह स्थापित कर सकें कि वे (i) वाणिज्यिक कानून के तहत काम करते हैं और (ii) नियोक्ता की आश्रित एजेंसियां नहीं हैं।

3.2 बोलीदाता को आईटीबी की धारा 16.1 में उल्लिखित समान कार्य अनुभव के अर्हता मानदंडों को पूरा करना होगा। बोलीदाता को पक्ष (पार्टी) के नाम, ऑर्डर मूल्य, कार्य-क्षेत्र का दायरा/घटकों का विवरण, ऑर्डर में निर्धारित पूर्णता अवधि और वास्तविक पूर्णता अवधि के विवरण के साथ अपने द्वारा निष्पादित ऑर्डर के मूल्य को इंगित करना होगा। ग्राहक द्वारा प्रदान किए गए कार्य-पूर्णता प्रमाणपत्र में आरंभ दिनांक, पूर्णता की दिनांक और बोलीदाता द्वारा निष्पादित कार्य के मूल्य का उल्लेख होना आवश्यक है। यदि कार्य बोलीदाता द्वारा जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम में किया गया था, तो इसे जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के सदस्यों के बीच हिस्सेदारी के दावे को प्रमाणित करने के लिए जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम समझौते के साथ कुल संविदा मूल्य के बारे में ग्राहक प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। यदि कार्य बोलीदाता द्वारा उप-संविदाकार के रूप में किया गया था, तो बोलीदाता को मुख्य

संविदाकार द्वारा उसे दिए गए समान कार्य-पूर्णता प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करना होगा और वह मुख्य संविदाकार के नियोक्ता/ग्राहक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा।

3.3 कार्य आदेश/स्वीकृति पत्र/कार्य करार-पत्र की प्रति अकेले खंड III डाटा शीट में परिभाषित समान कार्य को निष्पादित करने के लिए बोलीदाताओं के दावे के लिए पर्याप्त नहीं होगी। ग्राहक से उसके लेटर हेड पर कार्य-पूर्णता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

3.4 पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को समाप्त पिछले तीन (03) वर्षों के दौरान औसत वार्षिक कारोबार आईटीबी के खंड 16.1.2 में उल्लिखित होना चाहिए। बोलीदाता सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित पिछले तीन वर्षों के लिए फर्म का वित्तीय कारोबार प्रदान करेंगे।

3.5 कोई भी इकाई जिसे केंद्र सरकार, किसी भी राज्य सरकार, एक सांविधिक नियोक्ता या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, या अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण एजेंसी (विश्व बैंक, एडीबी, जेआईसीए आदि), जैसा भी मामला हो, द्वारा किसी भी परियोजना में भाग लेने से रोक दिया गया है, और बोली प्रस्तुत करने की दिनांक को बार मौजूद है, बोली प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं होगी।

3.6 बोलीदाता की मूल कंपनी/अनुषंगी/सहयोगी कंपनी के समान कार्य अनुभव पर विचार नहीं किया जाएगा।

3.7 बोलीदाता को पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी समझौते पर निष्पादन करने में विफल नहीं होना चाहिए, जैसाकि एक मध्यस्थ या न्यायिक नियोक्ता द्वारा जुर्माना लगाने या बोलीदाता के खिलाफ न्यायिक घोषणा या मध्यस्थता पंचाट लगाने से स्पष्ट है, न ही किसी परियोजना या करार से निष्कासित किया गया है और न ही ऐसे बोलीदाता द्वारा उल्लंघन के लिए कोई करार समाप्त किया गया है। तथापि, इस संबंध में तथ्यों को छिपाना अथवा बोलीदाता द्वारा अनुपालन न करना मौजूदा कानून के अंतर्गत दंडनीय होगा और यदि विवर्जन अथवा निरर्हता अथवा आदेश का अनुपालन न किए जाने से संबंधित सूचना नियोक्ता के संज्ञान में लाई जाती है तो संविदा की वर्तिता के दौरान भी बाद के चरण में भी कार्य को रद्द अथवा समाप्त किया जा सकेगा।

3.8 बोलीदाता को निम्नलिखित का भी उल्लेख करना होगा:

3.8.1 बोलीदाता के पास कार्यों के सफल निष्पादन के लिए पर्याप्त संसाधन होने चाहिए तथा उसका वित्तीय रूप से सक्षम होना आवश्यक है। बोलीदाता को भारत के किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से खंड-III: बोली आंकड़ा पत्रक में दर्शायी गयी न्यूनतम राशि के लिए शोध क्षमता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

3.8.2 बोलीदाता आयकर निर्धारिती होगा और तदनुसार बोलीदाता को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए दायर आयकर रिटर्न (आईटीआर) की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

**4. बोली-पूर्व बैठक**

बोली-पूर्व बैठक खंड III-बोली आंकड़ा पत्रक में उल्लिखित दिनांक और समय के अनुसार आयोजित की जाएगी। बोली-पूर्व बैठक में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाताओं को इसके संबंध में नियोक्ता को लिखित रूप से और ईमेल द्वारा पहले से सूचित किया जाना चाहिए। बोली-पूर्व बैठक में भाग लेने के लिए चुने गए प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या प्रति बोलीदाता दो से अधिक नहीं होगी। बोली-पूर्व बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को अपने संगठन के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक प्राधिकरण पत्र साथ रखना चाहिए, जो प्रतिनिधियों को संबंधित बोलीदाता की ओर से बोली-पूर्व बैठक में भाग लेने की अनुमति देता है।

बोली-पूर्व बैठक के दौरान, बोलीदाता स्पष्टीकरण मांगने और नियोक्ता द्वारा विचार के लिए सुझाव देने के लिए

स्वतंत्र होंगे। नियोक्ता स्पष्टीकरण और ऐसी अन्य जानकारी प्रदान करने का प्रयास करेगा, जिसे वह अपने विवेक से निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए उपयुक्त समझे।

**5. स्पष्टीकरण और परिशिष्ट**

5.1 बोलीदाता बोली प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक से पहले खंड-III: बोली आंकड़ा पत्रक में दर्शाए गए दिनों/दिनांकों तक दस्तावेज़ के किसी भी खंड पर स्पष्टीकरण पाने का अनुरोध कर सकते हैं। स्पष्टीकरण के लिए कोई भी अनुरोध लिखित रूप में या खंड-III: बोली आंकड़ा पत्रक में दर्शाए गए नियोक्ता के पते पर ई-मेल द्वारा भेजा जाना चाहिए। यदि स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की समय सीमा के बाद नियोक्ता द्वारा ऐसा अनुरोध प्राप्त होता है, तो स्पष्टीकरण के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोलीदाता अपने स्पष्टीकरण/प्रश्न प्रपत्र 4च, खंड IV में निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकते हैं।

5.2 नियोक्ता आईडब्ल्यूएआई की वेबसाइट और ई-प्रापण पोर्टल पर प्रकाशित किये जानेवाले किसी भी संशोधन के साथ बोलीदाताओं द्वारा उठाए गए प्रश्नों (प्रश्न के स्पष्टीकरण सहित, लेकिन प्रश्न के स्रोत की पहचान किए बिना) का उत्तर देगा।

i. बोलियाँ प्रस्तुत करने से पहले किसी भी समय, नियोक्ता एक परिशिष्ट/शुद्धिपत्र (संशोधन) जारी करके निविदा दस्तावेज़ में संशोधन कर सकता है। दस्तावेज़ में संशोधन/स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, https://eprocure.gov.in/eprocure/appand और आईडब्ल्यूएआई की वेबसाइट "www.iwai.nic.in" पर उपलब्ध होगा। बोली में भाग लेने वाले सभी बोलीदाताओं को प्रत्येक ऐसे संशोधन/स्पष्टीकरण के बारे में सूचित और अद्यतन रखा गया माना जाएगा जो समय-समय पर उपरोक्त वेबसाइट पर पोस्ट किया जाता है।

**6. बोलियों की तैयारी**

बोलीदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि बोली तैयार करते समय, वे निविदा दस्तावेज में शामिल दस्तावेजों की विस्तार से जांच करें। अपेक्षित जानकारी प्रदान करने में भौतिक कमियों के परिणामस्वरूप बोलीदाता की बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।

बोलीदाताओं को नीचे उल्लिखित आवश्यकताओं का पालन करना होगा:

**6.1 बयाना राशि जमा (ईएमडी)**

6.1.1 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) के साथ पंजीकृत फर्मों को बोली प्रतिभूति जमा करने से छूट दी गई है।

6.1.2 बोलीदाताओं (एमएसई के अलावा) को यह स्वीकार करते हुए बोली प्रतिभूति घोषणा पर हस्ताक्षर करना चाहिए कि यदि वे बोली की वैधता अवधि अथवा बाद में बोली अवधि के विस्तार, यदि कोई हो, आदि के दौरान अपनी बोलियों को वापस लेते हैं अथवा संशोधित करते हैं तो उन्हें इस निविदा के खंड-III में विनिदष्ट समय के लिए निलंबित कर दिया जाएगा

6.1.3 बोली-प्रतिभूति घोषणा के साथ नहीं की गई बोलियों को गैर-उत्तरदायी के रूप में अस्वीकार कर दिया जाएगा।

6.1.4 बोली प्रतिभूति घोषणा का प्रारूप परिशिष्ट-VII में दिया गया है।

6.1.5 बोलीदाता आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से 28,81,356/- रुपये की बोली प्रतिभूति राशि निम्नलिखित बैंक खाते में प्रस्तुत करेंगे:

| | | | |
|---|---|---|---|
| (i) | बैंक खाते का नाम | : | आईडब्ल्यूएआई फंड |
| (ii) | बैंक का नाम और पता | : | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेक्टर-15, नोएडा |
| (iii) | बैंक खाता संख्या | : | 513202050000007 |
| (iv) | आईएफएससी | : | UBIN0551325 |

**6.2 निविदा शुल्क**

सभी बोलीदाताओं को आरटीजीएस के माध्यम से डाटा शीट, खंड-III के खंड-8 में उल्लिखित निविदा दस्तावेज की लागत का भुगतान करना आवश्यक है। तथापि, कार्य संविदा/ईपीसी निविदाओं में एमएसएमई छूट की अनुमति नहीं है। निविदा दस्तावेज की लागत अप्रतिदेय है।

बोलीदाता आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से प्राधिकरण के निम्नलिखित नामित बैंक खाते में 2,950/- रुपये (हजार नौ सौ पचास रुपये केवल) (जीएसटी @ 18% सहित) की राशि के लिए निविदा दस्तावेज की लागत के लिए ऑनलाइन भुगतान करेंगे और ई-प्रोक्योरमेंट साइट में ऑनलाइन भुगतान रसीद अपलोड करेंगे।

| | | | |
|---|---|---|---|
| (i) | बैंक खाते का नाम | : | आईडब्ल्यूएआई फंड |
| (ii) | बैंक का नाम और पता | : | पंजाब नेशनल बैंक, सेक्टर-18, नोएडा |
| (iii) | बैंक खाता संख्या | : | 3702000100833867 |
| (iv) | आईएफएससी | : | PUNB0370200 |

**6.3 बैंक शोधन क्षमता**

सभी बोलीदाता खंड III डाटा शीट में उल्लिखित राशि के लिए भारत में एक राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से बैंक शोधन क्षमता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे।

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत ऋण शोधन प्रमाणपत्र बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होगा। **यदि बोलीदाता इस मानदंड का पालन नहीं करता है, तो उसकी** बोलियों को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा और आगे मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

**6.4 कर**

बोलीदाता सभी प्रकार के करों की प्रयोज्यता से पूरी तरह परिचित होंगे और ऐसे सभी कर, जैसाकि बोली प्रस्तुत करने की दिनांक को प्रचलित है, को बोलीदाता द्वारा वित्तीय प्रस्ताव में उल्लिखित शर्तों के साथ शामिल किया जाना चाहिए, जीएसटी को छोड़कर, जिसे प्रपत्र वित्त-2 के अनुसार बोलीदाता द्वारा अलग से उद्धृत किया जाएगा। यह ध्यान दिया जा सकता है कि बोलीदाता को जीएसटी में पंजीकृत होना होगा और उसी का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। जीएसटी और अन्य सभी प्रासंगिक कर भुगतान के समय मौजूदा नियमों और विनियमों के अनुसार होंगे।

**6.5 मुद्रा**

बोलीदाता अपने समनुदेशन/नौकरी की कीमत भारतीय रुपये में व्यक्त करेंगे।

**6.6 भाषा**

बोली और साथ ही बोलीदाताओं और नियोक्ता के बीच आदान-प्रदान किए जाने वाले सभी-संबंधित पत्राचार अंग्रेजी भाषा में और इस निविदा दस्तावेज में संलग्न प्रारूपों के अनुसार ही होंगे। नियोक्ता केवल उन्हीं बोलियों का मूल्यांकन करेगा जो निर्दिष्ट प्रारूपों में प्राप्त हुई हैं और सभी प्रकार से पूर्ण हैं। बोलीदाता द्वारा अपनी

बोली के साथ या बाद में, नियोक्ता के किसी प्रश्न/स्पष्टीकरण के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत किया जाने वाला कोई भी सहायक दस्तावेज अंग्रेजी में होगा और यदि इनमें से कोई भी दस्तावेज किसी अन्य भाषा में है, तो उसके साथ सभी प्रासंगिक अनुच्छेदों का अंग्रेजी में सटीक अनुवाद संलग्न होना आवश्यक है और ऐसे मामले में, बोली की व्याख्या के सभी प्रयोजनों के लिए, अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य होगा।

**6.7 बोली वैधता**

खंड-III: डेटा शीट इंगित करती है कि बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत बोलियां जमा करने की दिनांक के बाद कितने समय तक वैध रहनी चाहिए। इस अवधि के दौरान, बोलीदाता बोली में नामित व्यावसायिक स्टाफ की उपलब्धता बनाए रखेंगे और वित्तीय बोली में सेवाओं के लिए उद्धृत राशि भी अपरिवर्तित रहेगी। नियोक्ता इस अवधि के भीतर, यदि कोई हो, बातचीत को पूरा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। हालांकि, नियोक्ता बोलीदाताओं से उनकी बोलियों की वैधता अवधि बढ़ाने का अनुरोध कर सकता है। बोलीदाता जो इस तरह के विस्तार के लिए सहमत हैं, वे पुष्टि करेंगे कि वे बोली में प्रस्तावित पेशेवर कर्मचारियों की उपलब्धता बनाए रखेंगे और उनकी वित्तीय बोली अपरिवर्तित रहेगी। इसके अलावा, बोली की वैधता के विस्तार की अपनी पुष्टि में, बोलीदाता प्रतिस्थापन में नए स्टाफ प्रस्तुत कर सकते हैं, जिस पर संविदा अवार्ड के लिए अंतिम मूल्यांकन में विचार किया जाएगा। बोलीदाताओं को बोलियों की वैधता बढ़ाने से इनकार करने का अधिकार है और ऐसे बोलीदाताओं की बोलियों, जो अपनी बोलियों की वैधता का विस्तार नहीं करते हैं, पर आगे मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

**6.8 बोलियों की संख्या**

एक बोलीदाता केवल एक इकाई के रूप में एक बोली प्रस्तुत कर सकता है। यदि कोई बोलीदाता एक से अधिक बोली प्रस्तुत करता है या उसमें भाग लेता है, तो बोलीदाता के आवेदन को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

**6.9 जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम द्वारा बोली**

6.9.1 दो या अधिक फर्मों के बीच जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम बनाया जा सकता है तथा यह अधिकतम तीन फर्मों तक सीमित है।–

6.9.2 जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम में प्रमुख सदस्य की साझेदारी का हिस्सा सबसे अधिक होना चाहिए।

6.9.3 यदि बोलीदाता दो सदस्यों का जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम है, तो दूसरे सदस्य का न्यूनतम हिस्सा 25% होगा। यदि बोलीदाता तीन सदस्यों का जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम है, तो दूसरे और तीसरे सदस्य का न्यूनतम हिस्सा 15% होगा, जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के सभी सदस्यों का कुल हिस्सा 100% होगा।

6.9.4 संघटक फर्मों के बीच संविदा के लिए विशिष्ट रूप से एक जॉइंट वैंचर करार होगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उनके बीच कार्य के निष्पादन के लिए वित्तीय और तकनीकी दोनों प्रकार की जिम्मेदारियों के प्रस्तावित वितरण का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा। बोलीदाता को निम्नलिखित में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा:

6.9.4.1 इस निविदा दस्तावेज़ में उल्लिखित आवश्यकताओं के अनुसार मौजूदा संयुक्त उद्यम समझौते (यदि कोई हो) की एक प्रति

6.9.4.2 बोली प्रस्तुत करते समय 100/- रुपए के नोटरीकृत स्टाम्प पेपर पर "जेवी/कंसोर्टियम बनाने के इरादे" का दस्तावेजी प्रमाण। तथापि, सफल बोलीदाता को आशय-पत्र जारी करने के बाद और करार पर हस्ताक्षर करने से पहले इस निविदा दस्तावेज में उल्लिखित अपेक्षाओं के अनुसार जॉइंट वैंचर करार की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

जेवी/कंसोर्टियम के सदस्य एक कंपनी को निगमित करेंगे और परियोजना को निष्पादित करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों (उनकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में) के तहत पंजीकृत करेंगे, यदि जेवी/कंसोर्टियम को सौंपा गया हो।

जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम करार करने के आशय-पत्र में कम से कम निम्नलिखित बातें शामिल होनी चाहिए:

- प्रमुख साझेदार का नाम
- ऊपर उल्लिखित खंड 6.9.3 का पालन करने वाले जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम सदस्यों की हिस्सेदारी का स्पष्ट रूप से उल्लिखित प्रतिशत।
- "सभी साझेदार संविदा की शर्तों के अनुसार, संविदा के निष्पादन के लिए संयुक्त और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

6.9.5 लीड साझेदार के प्राधिकार का प्रमाण विधिवत नोटरीकृत पॉवर ऑफ अटॉर्नी प्रस्तुत करके किया जाएगा, जिस पर जेवी/कंसोर्टियम के सभी भागीदारों/सदस्यों के कानूनी रूप से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

6.9.6 लीड साझेदार को देनदारियों को वहन करने और जॉइंट वैंचर के भागीदारों की ओर से निर्देश प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया जाएगा, चाहे संयुक्त रूप से या अलग-अलग, और संविदा का संपूर्ण निष्पादन (भुगतान सहित) विशेष रूप से प्रभारी-साझेदार के माध्यम से किया जाएगा। उक्त प्राधिकार की एक प्रति इस बोली में प्रस्तुत की जाएगी।

6.9.7 किसी भी साझेदार द्वारा संविदा के अपने हिस्से के निष्पादन में चूक की स्थिति में, प्रमुख साझेदार द्वारा या प्रमुख साझेदार के चूककर्ता होने की स्थिति में, शेष जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के प्रभारी साझेदार के रूप में नामित साझेदार द्वारा 30 दिनों के भीतर नियोक्ता को इसकी सूचना दी जाएगी। प्रभारी साझेदार उक्त नोटिस के 60 दिनों के भीतर, संविदा के उस हिस्से के निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ता को स्वीकार्य किसी अन्य समान रूप से सक्षम पक्ष को चूककर्ता साझेदार का काम सौंप देगा, जैसाकि बोली के समय परिकल्पित है। उपरोक्त प्रावधानों का पालन करने में विफलता संविदा की शर्तों के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा संविदाकार को कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाएगी। यदि अर्हता को मंजूरी देने वाले संचार में इस प्रकार परिभाषित प्रमुख साझेदार चूक करता है, तो इसे संविदाकार की चूक माना जाएगा और नियोक्ता संविदा की शर्तों के अंतर्गत कार्रवाई करेगा।

6.9.8 उपर्युक्त उप-खण्ड 6.9.7 में उल्लिखित अनुसार नियोक्ता को स्वीकार्य किसी अन्य समान रूप से सक्षम पक्ष को चूककर्ता साझेदार की जिम्मेदारियां सौंपने की अनुमति के बावजूद, जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के सभी साझेदार संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों के निष्पादन और/या कार्यों के संतोषजनक समापन के लिए पूर्ण और अविभाजित जिम्मेदारी बनाए रखेंगे।

6.9.9 प्रस्तुत बोली में आईटीबी के खंड 10.1 के अंतर्गत निर्धारित आवश्यकता के अनुसार जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के प्रत्येक सदस्य की सभी प्रासंगिक जानकारी शामिल होगी।

6.9.10 प्रमुख सदस्य के पास जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम में कि ऊपर के खंड 6.9.3 में निर्धारित हिस्सेदारी होनी चाहिए और उसे खंड IV: प्रपत्र 4झ में दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रस्तावित जिम्मेदारियों को स्पष्ट करना चाहिए। हालांकि, जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के सदस्यों को संयुक्त रूप से आईटीबी के खंड 16.1 में निर्धारित समग्र अर्हता मानदंडों को पूरा करना होगा।

6.9.11 जॉइंट वैंचर की स्थिरता के लिए, संविदा के मानक रूप के खंड 12 को देखें।

**7. हितों का टकराव**

7.1 नियोक्ता चाहता है कि चयनित बोलीदाता ("संविदाकार") पेशेवर, उद्देश्यपूर्ण और निष्पक्ष सलाह प्रदान करे और हमेशा नियोक्ता के हितों को सर्वोपरि रखे, अन्य समनुदेशन/कार्य या अपने स्वयं के कॉर्पोरेट हितों के साथ टकराव से सख्ती से बचें और भविष्य के काम के लिए किसी भी विचार के बिना कार्य करता है।

7.2 पूर्वोक्त की व्यापकता पर बिना किसी सीमा के, नीचे दी गई किसी भी परिस्थिति में बोलीदाताओं और उनके किसी भी सहयोगी को हितों के टकराव में माना जाएगा और उन्हें भर्ती नहीं किया जाएगा:

**(क) परस्पर विरोधी गतिविधियाँ:** एक फर्म या उसके किसी भी सहयोगी जो नियोक्ता द्वारा किसी परियोजना के लिए डिजाइन और निर्माण समनुदेशन/नौकरी के अलावा सामान, कार्य या समनुदेशन/नौकरी प्रदान करने कर रहे हैं, उन्हें उन सामान, कार्यों या समनुदेशन/नौकरियों से संबंधित डिजाइन और निर्माण समनुदेशन/नौकरी प्रदान करने से अयोग्य घोषित किया जाएगा। इसके विपरीत, एक फर्म या उसके किसी भी सहयोगी को जिसे किसी परियोजना की तैयारी या कार्यान्वयन के लिए डिजाइन और निर्माण समनुदेशन/नौकरी प्रदान करने के लिए काम पर रखा गया है, और उसके किसी भी सहयोगी को बाद में डिजाइन के अलावा सामान या कार्य या समनुदेशन/नौकरी प्रदान करने से अयोग्य घोषित किया जाएगा और इस तरह की तैयारी या कार्यान्वयन के लिए फर्मों के डिजाइन और निर्माण समनुदेशन/नौकरी से सीधे संबंधित है। इस पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए, डिजाइन और बिल्ड समनुदेशन/कार्य के अलावा अन्य समनुदेशन/नौकरी को एक औसत दर्जे का भौतिक आउटपुट के रूप में परिभाषित किया गया है; उदाहरण के लिए, सर्वेक्षण, अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग, हवाई फोटोग्राफी, उपग्रह ड्राइंग आदि।

**(ख) परस्पर विरोधी समनुदेशन/कार्य:** एक संविदाकार {उसके कार्मिक और उप-संविदाकार(ओं) सहित} या उसके किसी भी सहयोगी को किसी भी समनुदेशन/नौकरी के लिए नहीं लगाया जाएगा जो इसकी प्रकृति से संविदाकार के किसी अन्य समनुदेशन/नौकरी में हो जिसे उसी के लिए निष्पादित किया जाना है या किसी अन्य नियोक्ता के लिए, उदाहरण के लिए एक बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए इंजीनियरिंग डिजाइन तैयार करने के लिए काम पर रखा गया संविदाकार उसी के लिए एक स्वतंत्र पर्यावरणीय मूल्यांकन तैयार करने के लिए नहीं लगाया जाएगा परियोजना और सार्वजनिक संपत्ति के निजीकरण में एक नियोक्ता की सहायता करने वाला एक संविदाकार ऐसी परिसंपत्तियों के खरीदारों को प्रापण या सलाह नहीं देगा।

**(ग) टकराव पूर्ण संबंध:** किसी संविदाकार (उसके कार्मिकों और उप-संविदाकारों सहित) का नियोक्ता के स्टाफ के किसी सदस्य के साथ व्यावसायिक या पारिवारिक संबंध होना, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से (i) समनुदेशन/कार्य के संदर्भ शर्तों की तैयारी (ii) ऐसे समनुदेशन/कार्य के लिए चयन प्रक्रिया या (iii) संविदा का पर्यवेक्षण संविदाकार को तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि इस संबंध से उत्पन्न विवाद को चयन प्रक्रिया और संविदा के निष्पादन के दौरान नियोक्ता को स्वीकार्य तरीके से हल नहीं कर लिया जाता है।

7.3 संविदाकारों का दायित्व है कि वे वास्तविक या संभावित टकराव की ऐसी किसी भी स्थिति का खुलासा करें जो उनके नियोक्ता के सर्वोत्तम हित की सेवा करने की उनकी क्षमता को प्रभावित करती है, या जिसे उचित रूप से ऐसा प्रभाव माना जा सकता है। ऐसा कोई भी खुलासा तकनीकी प्रस्ताव के मानक रूपों के अनुसार किया जाएगा। यदि संविदाकार उक्त स्थितियों का खुलासा करने में विफल रहता है और यदि नियोक्ता को किसी भी समय ऐसी किसी भी स्थिति के बारे में पता चलता है, तो बोली प्रक्रिया के दौरान संविदाकार को अयोग्य घोषित किया जा सकता है या समनुदेशन के निष्पादन के दौरान उसके संविदा को समाप्त किया जा सकता है।

7.4 नियोक्ता की कोई भी एजेंसी या मौजूदा कर्मचारी अपने मंत्रालयों, विभागों या एजेंसियों के अंतर्गत संविदाकार के

रूप में काम नहीं करेंगे। यदि संविदाकार खुद या उसके किसी कर्मचारी या प्रतिनिधि को ऐसा व्यक्ति पाया जाता है, जिसने सेवानिवृत्ति से ठीक पहले आईडब्ल्यूएआई के अंतर्गत प्रथम श्रेणी का पद संभाला है और ऐसी सेवानिवृत्ति के एक (1) वर्ष के भीतर आईडब्ल्यूएआई या अध्यक्ष की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना संविदाकार के रूप में या सार्वजनिक कार्यों के निष्पादन के संबंध में या ऐसे संविदाकार के कर्मचारी के रूप में रोजगार स्वीकार कर लिया है, तो संविदा रद्द किया जा सकता है।

**8. बोलीदाता द्वारा पावती**

यह माना जाएगा कि प्रस्ताव प्रस्तुत करके बोलीदाता ने:-

8.1 इस निविदा की पूर्ण एवं सावधानीपूर्वक जांच की है;

8.2 नियोक्ता से सभी प्रासंगिक जानकारी प्राप्त की है;

8.3 प्रतिस्पर्धी बोली प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक सभी मामलों और आवश्यक जानकारी के बारे में अन्य बातों के साथ-साथ स्थल पर प्रचलित अन्य स्थितियों से स्वयं को पूर्णत परिचित कराने सहित इस संबंध में खुद को संतुष्ट किया।

8.4 उपर्युक्त खंड 5.2 के संदर्भ में वेबसाइट पर डाले गए किसी भी संशोधन/स्पष्टीकरण के बारे में स्वयं को अद्यतन करें।

8.5 यह स्वीकार किया है कि इसमें हितों का टकराव नहीं है; और

8.6 इस निविदा दस्तावेज में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत अपने द्वारा दिए गए वचन से बाध्य होने पर सहमत है।

**9. बोलियों के ई-प्रस्तुतिकरण हेतु दिशानिर्देश**

9.1 बोलियां ई-प्रापण के लिए केंद्रीय सार्वजनिक प्रापण पोर्टल https://eprocure.gov.in/eprocure/app के माध्यम से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

9.2 ई-निविदा के लिए वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) रखना और ई-प्रापण/ई-निविदा पोर्टल पर संविदाकारों/बोलीदाताओं का नामांकन/पंजीकरण एक पूर्वापेक्षा है।

9.3 बोलीदाता https://eprocure.gov.in/eprocure/app विकल्प का उपयोग करके ई-प्रोक्योरमेंट साइट पर नामांकन करें जो होम पेज पोर्टल पर उपलब्ध है "यहाँ नामांकन करें"। नामांकन निःशुल्क है। नामांकन/पंजीकरण के दौरान, बोलीदाताओं को वैध ई-मेल आईडी सहित सही/सच्ची जानकारी प्रदान करनी चाहिए। सभी पत्राचार सीधे संविदाकारों/बोलीदाताओं के साथ प्रदान की गई ईमेल आईडी के माध्यम से किए जाएंगे।

9.4 बोलीदाताओं को नामांकन/पंजीकरण के दौरान चुने गए अपने यूजर आईडी/पासवर्ड के माध्यम से साइट पर लॉगिन करना होगा।

9.5 फिर SIFY/TCS/नोड/ई-मुद्रा या ई-टोकन/स्मार्ट कार्ड पर सीसीए इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्रमाणन नियोक्ता द्वारा जारी डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (हस्ताक्षर कुंजी उपयोग के साथ कक्षा-II या श्रेणी-III प्रमाणपत्र) पंजीकृत होना चाहिए।

9.6 बोलीदाता द्वारा केवल पंजीकृत डीएससी का उपयोग किया जाना चाहिए और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

9.7 बोलीदाता साइट पर प्रकाशित निविदाओं को पढ़ सकता है और आवश्यक निविदा दस्तावेज/अनुसूचियां डाउनलोड कर सकता है जिसमें बोलीदाता रुचि रखता है।

9.8 निविदा दस्तावेज/अनुसूचियां डाउनलोड करने/प्राप्त करने के बाद, बोलीदाता को सावधानीपूर्वक उनकी जांच करनी चाहिए और फिर पूछे गए दस्तावेजों को प्रस्तुत करना चाहिए।

9.9 यदि कोई स्पष्टीकरण है, तो यह निविदा साइट के माध्यम से या खंड-III: डेटा शीट में निर्दिष्ट संपर्क विवरण के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है। बोलीदाता को ऑनलाइन बोलियां प्रस्तुत करने से पहले प्रकाशित अनुशिष्ट/शुद्धिपत्र को भी ध्यान में रखना चाहिए।

9.10 फिर बोलीदाता नामांकन/पंजीकरण के दौरान चुने गए यूजर आईडी/पासवर्ड देकर और फिर डीएससी तक पहुंचने के लिए ई-टोकन/स्मार्ट कार्ड का पासवर्ड देकर सुरक्षित लॉग इन के माध्यम से साइट में लॉग इन कर सकता है।

9.11 बोलीदाता खोज विकल्प का उपयोग करके उस निविदा का चयन करता है जिसमें वह रुचि रखता है और फिर उसे 'मेरे पसंदीदा' फ़ोल्डर में ले जाता है।

9.12 पसंदीदा के फ़ोल्डर से, वह इंगित किए गए सभी विवरणों को देखने के लिए निविदा का चयन करता है।

9.13 यह माना जाता है कि बोलीदाता ने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले सभी नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है। बोलीदाता को निविदा अनुसूची के माध्यम से अपेक्षित दस्तावेजों को अपलोड करना चाहिए; अन्यथा, बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

9.14 बोलीदाता, अग्रिम रूप से, निविदा दस्तावेज/अनुसूची में दर्शाए गए अनुसार प्रस्तुत किए जाने वाले बोली दस्तावेजों को तैयार कर लेना चाहिए और आम तौर पर, वे सामान्य पीडीएफ/एक्सएलएस/आरएआर/जेपीजी प्रारूपों में हो सकते हैं। यदि एक से अधिक दस्तावेज़ हैं, तो उन्हें एक साथ जोड़ा जा सकता है और अनुरोधित प्रारूप में प्रदान किया जा सकता है जैसाकि खंड-III: डेटा शीट में निर्दिष्ट है। ऑनलाइन अपलोड किया जाने वाला प्रत्येक दस्तावेज़ 2 एमबी से कम होना चाहिए। यदि कोई दस्तावेज़ 2 एमबी से अधिक है, तो इसे ज़िप/आरएआर के माध्यम से कम किया जा सकता है और यदि अनुमति हो तो इसे अपलोड किया जा सकता है।

9.15 बोलीदाता माई स्पेस विकल्प के तहत प्रमाणपत्र, वार्षिक रिपोर्ट विवरण आदि जैसे दस्तावेजों को अग्रिम रूप से अपडेट कर सकते हैं और इन्हें निविदा आवश्यकताओं के अनुसार चुना जा सकता है और फिर बोली प्रस्तुत करने के दौरान बोली दस्तावेजों के साथ भेजा जा सकता है। यह बोली जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बोलियों के अपलोड समय को कम करके इसे तेज कर देगा।

9.16 बोलीदाता को निविदा दस्तावेज की लागत (निविदा शुल्क)/प्रतिभूति जमा राशि प्रस्तुत करनी चाहिए।

9.17 खंड III में निर्दिष्ट राशि के लिए: डाटा शीट। मूल भुगतान लिखतों को व्यक्तिगत रूप से पोस्ट/कूरियर किया जाना चाहिए ताकि इस निविदा दस्तावेज में उल्लिखित नियत दिनांक के भीतर नियोक्ता तक पहुंचा जा सके। उपकरण की स्कैन की गई प्रति को प्रस्ताव के हिस्से के रूप में अपलोड किया जाना चाहिए।

9.18 ऑनलाइन बोलियां जमा करते समय, बोलीदाता को नियम और शर्तों को स्वीकार करना चाहिए और बोली पैकेट जमा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए।

9.19 बोलीदाता को लागू निविदा शुल्क का भुगतान करने के लिए ऑफ़लाइन भुगतान विकल्प का चयन करना होगा और उपकरणों का विवरण दर्ज करना होगा।

9.20 डीडी/भौतिक रूप से भेजे गए किसी अन्य स्वीकृत लिखत का विवरण स्कैन की गई प्रति में उपलब्ध विवरण और बोली प्रस्तुत करने के समय के दौरान दर्ज किए गए डेटा के साथ मेल खाना चाहिए। अन्यथा प्रस्तुत बोली स्वीकार्य नहीं होगी।

9.21 बोलीदाता को डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने होंगे और संकेत के अनुसार एक-एक करके आवश्यक बोली दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। बोलीदाताओं को यह नोट करना चाहिए कि बोलियों को डाउनलोड करने और उनके प्रस्तावों को अपलोड करने के लिए डीएससी का उपयोग करने का कार्य इस बात की पुष्टि माना जाएगा कि उन्होंने बिना किसी अपवाद के संविदा की शर्तों सहित बोली दस्तावेज के सभी खंडों और पृष्ठों को पढ़ लिया है और पूरे दस्तावेज को समझ लिया है और निविदा आवश्यकताओं की आवश्यकताओं के बारे में स्पष्ट हैं।

9.22 बोलीदाता को कवर सामग्री में दर्शाई गई आवश्यक प्रासंगिक फाइलों को अपलोड करना होगा। किसी भी अप्रासंगिक फाइल के मामले में, बोली स्वचालित रूप से अस्वीकार कर दी जाएगी।

9.23 यदि मूल्य बोली प्रारूप BoQ_xxxx.xls जैसी स्प्रेड शीट फ़ाइल में प्रदान किया गया है, तो प्रस्तावित दरों को केवल आवंटित स्थान में दर्ज किया जाना चाहिए और संबंधित कॉलम भरने के बाद अपलोड किया जाना चाहिए। मूल्य बोली/बीओक्यू टेम्पलेट को बोलीदाता द्वारा संशोधित/प्रतिस्थापित नहीं किया जाना चाहिए; अन्यथा प्रस्तुत बोली इस निविदा के लिए अस्वीकार कर दी जाएगी।

9.24 बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय (सर्वर सिस्टम घड़ी के अनुसार) से काफी पहले निविदा आमंत्रण प्राधिकारी (टीआईए) को ऑनलाइन ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से बोलियां प्रस्तुत करें। टीआईए को किसी भी प्रकार की देरी या ग्यारहवें घंटे में बोलीदाताओं द्वारा बोलियों के ऑनलाइन प्रस्तुत करने के दौरान आने वाली कठिनाइयों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

9.25 बोली प्रस्तुत करने के बाद, ई-निविदा प्रणाली द्वारा दी गई पावती संख्या को बोलीदाता द्वारा मुद्रित किया जाना चाहिए और विशेष निविदा के लिए बोली के ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए साक्ष्य के रिकॉर्ड के रूप में रखा जाना चाहिए और बोली खोलने की दिनांक में भाग लेने के लिए प्रवेश पास के रूप में भी कार्य करेगा।

9.26 बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रस्तुत बोली दस्तावेज वायरस से मुक्त हैं। यदि निविदा खोलने के दौरान वायरस के कारण दस्तावेज नहीं खोले जा सके, तो बोली अस्वीकृत होने की संभावना है या उत्तरदायी है।

9.27 सर्वर साइड में निर्धारित और निविदा स्थल के शीर्ष पर प्रदर्शित समय सेटिंग्स, ई-निविदा प्रणाली में अनुरोध, बोली जमा करने, बोली खोलने आदि की सभी कार्रवाइयों के लिए मान्य होगी। बोली लगाने वालों को बोली प्रस्तुत करते समय इन समय सेटिंग्स का पालन करना चाहिए।

9.28 बोलीदाताओं द्वारा दर्ज किए जा रहे सभी डेटा को डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए पीकेआई एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग करके एन्क्रिप्ट किया जाएगा। दर्ज किया गया डेटा बोली प्रस्तुत करने के दौरान अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा देखने योग्य नहीं होगा और बोली खोलने के समय तक किसी के द्वारा भी देखने योग्य नहीं होगा।

9.29 सर्वर पर अपलोड किया गया कोई भी बोली दस्तावेज़ सिस्टम जनित सममित कुंजी का उपयोग करके सममित एन्क्रिप्शन के अधीन है। इसके अलावा, यह कुंजी खरीदारों/बोली सार्वजनिक कुंजी का उपयोग करके असममित एन्क्रिप्शन के अधीन है। कुल मिलाकर, अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज प्राधिकृत बोली खोलने वालों द्वारा निविदा खोले जाने के बाद ही पठनीय होते हैं।

9.30 बोलियों की गोपनीयता बनाए रखी जाती है क्योंकि सुरक्षित सॉकेट लेयर 128-बिट एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग किया जाता है। संवेदनशील क्षेत्रों का डेटा भंडारण एन्क्रिप्शन किया जाता है।

9.31 बोलीदाता को ऊपरी दाएं कोने पर उपलब्ध सामान्य लॉगआउट विकल्प का उपयोग करके निविदा प्रणाली से लॉगआउट करना चाहिए न कि ब्राउज़र में (X) निकास विकल्प का चयन करके।

9.32 निविदा दस्तावेज और उसमें निहित नियमों और शर्तों से संबंधित किसी भी प्रश्न को निविदा के लिए नियोक्ता को आमंत्रित करने वाले निविदा या निविदा में इंगित संबंधित संपर्क व्यक्ति को संबोधित किया जाना चाहिए।

9.33 ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया से संबंधित कोई भी प्रश्न या सामान्य रूप से सीपीपी पोर्टल से संबंधित प्रश्नों को 24x7 सीपीपी पोर्टल हेल्पडेस्क को निर्देशित किया जा सकता है। हेल्पडेस्क का संपर्क नंबर 1800 233 7315 है।

## 10. बोलियों का प्रस्तुतीकरन

निविदा दस्तावेज और बयाना राशि जमा की लागत के संबंध में मूल लिखतों की हार्ड कॉपी बोली समापन तिथि और समय पर या उससे पहले सदस्य (तकनीकी) के कार्यालय में वितरित की जानी चाहिए। प्रस्तुत बोली के खिलाफ निविदा दस्तावेज शुल्क जैसे मूल भुगतान साधन के बिना प्रस्तुत ऑनलाइन बोलियां स्वचालित रूप से अपात्र हो जाएंगी और उन पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, एमएसई पंजीकृत फर्मों के मामले में, दावे के खिलाफ दस्तावेजी साक्ष्य के साथ प्रतिभूति जमा राशि और निविदा शुल्क के लिए छूट के दावे का पत्र बोली समापन तिथि और समय पर या उससे पहले मुख्य अभियंता (तकनीकी) के कार्यालय में दिया जाना चाहिए।

सभी प्रकार से पूर्ण तकनीकी और वित्तीय बोलियां नीचे दिए गए अनुक्रम के अनुसार प्रस्तुत की जानी चाहिए। बोलियां दो कवर में प्रस्तुत की जानी चाहिए:

### 10.1 लिफाफा-I: तकनीकी बोली

#### 10.1.1 परिशिष्ट-I

क. खंड-III में निर्दिष्ट निविदा शुल्क का प्रमाण: बोली आंकड़ा पत्रक या सहायक दस्तावेजों के साथ छूट का दावा

ख. खंड-III में निर्दिष्ट “बयाना राशि” का प्रमाण या सहायक दस्तावेजों के साथ छूट का दावा

ग. खंड-II खंड-6.1 में निर्दिष्ट “बयाना राशि” का प्रमाण या सहायक दस्तावेजों के साथ छूट का दावा

घ. खंड XI के परिशिष्ट-V के अनुसार बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित निविदा दस्तावेज की स्वीकृति का पत्र

ङ. बोली पत्र (खंड IV: प्रपत्र-4क)

च. बोलीदाता द्वारा कानूनी क्षमता का विवरण (खंड IV: प्रपत्र-4छ)

छ. खंड IV के अनुसार बोलीदाता के अधिकृत व्यक्ति के लिए पावर ऑफ़ अटॉर्नी: प्रपत्र-4घ । इस प्रपत्र के साथ अधिकृत प्रतिनिधि के कंपनी पहचान पत्र या सामान्य पहचान पत्र (पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/मतदाता पहचान पत्र आदि) की प्रति संलग्न होनी चाहिए।

ज. खंड IV के अनुसार जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के प्रमुख सदस्य के लिए पीओए: प्रपत्र 4झ

झ. खंड IV के अनुसार संयुक्त बोली समझौता: प्रपत्र 4ञ

ञ. खंड IV के अनुसार बोलीदाता सूचना पत्रक: प्रपत्र 4च

ट. संगठन की संरचना/स्वामित्व/शेयरधारिता पैटर्न

ठ. बोर्ड का प्रस्ताव, शीर्ष प्रबंधन (बोर्ड के सदस्य) का ब्यौरा, दस्तावेजी साक्ष्य के साथ प्रमुख अधिकारियों का विवरण, संस्था के अंतर्नियम/संगम ज्ञापन

ड. कंपनी का पंजीकरण/निगमन प्रमाणपत्र

ढ. स्पष्टीकरण/प्रश्नों के उत्तर तथा बोली प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक तक जारी सभी परिशिष्ट एवं शुद्धिपत्रों सहित मूल निविदा दस्तावेज, जिस पर बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत मुहर लगी हो तथा हस्ताक्षर किए गए हों।

ध्यानार्थ: यदि बोली साझेदारी फर्म द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो बोली पर उपरोक्त फर्म के सभी साझेदारों, उनके पूरे नाम और वर्तमान व्यावसायिक पते, या फर्म के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले साझेदार द्वारा निविदा पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, ऐसी स्थिति में प्रपत्र 4घ: खंड IV के अनुसार पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न होनी चाहिए। बोली के साथ साझेदारी विलेख की प्रमाणित प्रति और फर्म के सभी साझेदारों के वर्तमान व्यावसायिक पते भी होने चाहिए।

**10.1.2 संलग्नक-II**

क. पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाले पिछले 3 वित्तीय वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट/लेखापरीक्षित तुलन-पत्र

ख. जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र

ग. कंपनी द्वारा पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लिए दाखिल आयकर रिटर्न (आईटीआर)।

घ. कंपनी का पैन कार्ड

ङ. खंड IV: औसत वार्षिक कारोबार के लिए प्रपत्र-4ग

च. ई-भुगतान के माध्यम से लेनदेन के लिए, खंड VIII के परिशिष्ट-IV और V में दिए गए प्रारूप में रद्द किए गए चेक के साथ बैंक खाते का विवरण

छ. खंड IV: बोली क्षमता के लिए प्रपत्र 4ठ

**10.1.3 संलग्नक-III**

विवरण के साथ पूर्ण कंपनी प्रोफाइल की स्कैन की गई कॉपी जैसे:

क. संगठन की पृष्ठभूमि

ख. पिछले सात वर्षों में बोलीदाता द्वारा निष्पादित इसी तरह की परियोजनाओं के लिए ग्राहक पत्र शीर्ष पर कार्य-पूर्णता प्रमाणपत्र की प्रतियां। प्रस्तुत प्रमाणपत्र आईटीबी (बोलीदाता पात्रता मानदंड) के खंड 3 में रखी गई शर्तों का पालन करेंगे। ऐसी पात्र परियोजनाओं को खंड IV के प्रपत्र 4ख में आपूर्ति की जाएगी।

ग. चल रहे कार्य के मामले में मूल्य और स्थिति (जमा करने तक पूरा किया गया%) के साथ कार्य आदेश/करार की प्रतियां खंड IV के प्रपत्र-4K के अनुसार निर्माणाधीन समनुदेशन के प्रमाण के रूप में अलग से प्रस्तुत

की जाएंगी।

घ. वाद इतिहास की सूची प्रदान करें।

**10.1.4 संलग्नक-IV**

क. बोलीदाता विचारार्थ विषय में सूचीबद्ध कार्य-क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए तकनीकी बोली ऑनलाइन प्रस्तुत करेगा जिसमें निम्नलिखित शामिल होने चाहिए:

(i) कार्य के प्रति दृष्टिकोण और अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली, और

(ii) विस्तृत कार्य योजना

**यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि तकनीकी बोली में किसी भी शुल्क या शुल्क का कोई संदर्भ नहीं होगा।**

**10.2 कवर-II: वित्तीय बोली**

प्रपत्र वित्त-2 के अनुसार इस निविदा के साथ प्रदान किए गए एक्सेल प्रारूप (BoQ_XXXXX) में वित्तीय बोली का उपयोग कीमतों/प्रस्ताव को उद्धृत करने के लिए किया जाएगा।

(i) इसमें कार्य को पूरा करने के लिए ली जाने वाली नियत मूल्य संविदा दर शामिल होगी।

(ii) कीमत की गणना करते समय, निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए:

(क) संविदाकार को उपस्कर को इसके वर्तमान स्थान से स्थल तक पहुंचाने और जब कभी आवश्यक हो, उपस्कर को हटाने की लागत वहन करनी होगी। निर्माण प्रचालन के दौरान अन्य सभी आकस्मिक लागत भी बोलीदाता द्वारा वहन की जानी होती है।

(ख) संविदाकारों को इस परियोजना को सौंपे गए अपने कर्मियों के परिवहन/आवास/यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के लिए स्वयं की व्यवस्था करनी होगी ताकि वे विभिन्न कार्यालयों और बैठकों, आंकड़ा संग्रहण, प्रस्तुतियों, क्षेत्र भ्रमण के दौरान सार्वजनिक परामर्श, सचिवीय स्टाफ, उनके वेतन, भत्ते, उपरि व्यय आदि के लिए अन्य स्थानों पर जा सकें।

(ग) संविदा के तहत या किसी अन्य कारण से संविदाकार द्वारा देय सभी शुल्कों, करों, रॉयल्टी और अन्य लेवी को जीएसटी को छोड़कर बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत दरों, कीमतों और कुल बोली मूल्य में शामिल किया जाएगा जो भुगतान के समय मौजूदा नियमों और विनियमों के अनुसार होगा। <u>बोलीदाता द्वारा उद्धृत दरें और मूल्य संविदा की अवधि के लिए तय किए जाएंगे और समायोजन के अधीन नहीं होंगे।</u> हालांकि, कराधान में किसी भी बदलाव को अंतर कर राशि के भुगतान के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। बोली लगाने वाले द्वारा कीमतें पूरी तरह से भारतीय रुपये में उद्धृत की जाएंगी। सभी भुगतान भारतीय रुपये में किए जाएंगे।

10.3 कार्यों की कुल अवधि खंड-III: डाटा शीट में निर्दिष्ट के रूप में किया जाएगा।

10.4 यदि बोलीदाता द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत करने और हार्ड कॉपी में प्रस्तुत किए गए में अंतर है, तो ऑनलाइन प्रस्तुत हार्ड कॉपी प्रबल होगी और मूल्यांकन के लिए उस पर विचार किया जाएगा।

**11. बोली प्रस्तुत करने की तिथि का विस्तार**

बोली प्रस्तुत करने की तिथि का विस्तार नियोक्ता एक परिशिष्ट/शुद्धिपत्र जारी करके और उसे नियोक्ता की

वेबसाइट और ई-प्रापण पोर्टल पर अपलोड करके बोलियां प्रस्तुत करने की तिथि बढ़ा सकता है।

**12. विलम्बित प्रस्ताव**

निर्दिष्ट बोली प्रस्तुत करने की दिनांक या उसके किसी भी विस्तार के बाद नियोक्ता द्वारा प्राप्त प्रस्ताव, खंड 11 के अनुसार, मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा और सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

**13. नियोक्ता की देयता**

बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन बोलियां जमा करने के लिए अंतिम समय की जल्दबाजी से बचें और उन्हें बोली जमा करने की अंतिम दिनांक से पहले ही अपनी बोलियां अपलोड कर देनी चाहिए। नियोक्ता बोलीदाता द्वारा बोलियों को ऑनलाइन जमा करने में किसी भी कारण से हुई विफलता के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यह माना जाएगा कि आईटीबी के खंड-9 के अंतर्गत उल्लिखित बोलियों को ऑनलाइन जमा करने की प्रक्रिया बोलीदाता द्वारा पढ़ और समझ ली गई है। हार्ड कॉपी जमा करना अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, यदि बोलीदाता बोली की हार्ड कॉपी जमा करता है, तो इसे ऑनलाइन बोली जमा करने का विकल्प नहीं माना जाएगा और यदि बोलीदाता किसी कारण से ऑनलाइन बोलियाँ जमा करने में विफल रहता है, तो बोली की हार्ड कॉपी को मूल्यांकन के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।

**14. बोलियों का संशोधन/प्रतिस्थापन/वापसी**

एक बार प्रस्तुत की गई निविदा को ई-प्रोक्योरमेंट मोड के माध्यम से बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पहले बोलीदाताओं द्वारा संशोधित, प्रतिस्थापित या आहरित किया जा सकता है जैसाकि इस निविदा दस्तावेज के एनआईटी में उल्लेख किया गया है।

बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी बोली में संशोधन नहीं किया जाएगा।

**15. बोली खोलने और मूल्यांकन की प्रक्रिया**

15.1 प्रस्ताव खोले जाने के समय से लेकर संविदा दिए जाने तक, बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तावों की जांच, मूल्यांकन, रैंकिंग और संविदा देने की सिफारिश में नियोक्ता को प्रभावित करने का कोई भी प्रयास बोलीदाताओं के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का कारण बन सकता है।

15.2 नियोक्ता एक निविदा मूल्यांकन समिति (टीईसी) का गठन करेगा, जो मूल्यांकन प्रक्रिया को पूरा करेगी।

15.3 ऑनलाइन बोली खोलने का काम दो चरणों में किया जाएगा। सबसे पहले, प्राप्त सभी ऑनलाइन बोलियों की 'तकनीकी बोली' खंड-III: बोली आंकड़ा पत्रक में उल्लिखित दिनांक और समय पर खोली जाएगी। जिन बोलीदाताओं की तकनीकी बोली उत्तरदायी पाई गई है और मूल्यांकन के आधार पर निविदा दस्तावेज़ में निर्धारित मानदंडों को पूरा करती है, उनकी 'वित्तीय बोली' को बाद की दिनांक पर खोला जाएगा, जिसकी सूचना ऐसे बोलीदाताओं को दी जाएगी। यदि बोली प्रस्तुत करने की निर्दिष्ट दिनांक को नियोक्ता के लिए अवकाश घोषित किया जाता है, तो बोलियाँ अगले कार्य दिवस पर नियत समय और स्थान पर खोली जाएँगी। जिन बोलियों के लिए उपरोक्त खंड-14 के अनुसार वापसी की सूचना प्रस्तुत की गई है, उन्हें नहीं खोला जाएगा।

15.4 टीईसी तकनीकी प्रस्तावों का मूल्यांकन टीओआर के प्रति उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर और आईटीबी के खंड-3 और 16 में निर्दिष्ट पात्रता और मूल्यांकन मानदंड, उप-मानदंड लागू करके करेगा। मूल्यांकन के पहले चरण में, यदि कोई प्रस्ताव दोषपूर्ण पाया जाता है या आईटीबी के खंड-3 और 16 में उल्लिखित न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। केवल उत्तरदायी प्रस्तावों को ही मूल्यांकन के लिए

आगे बढ़ाया जाएगा।

15.4.1 यह बोली प्रस्तुत करने की दिनांक और समय तक प्राप्त हो, जिसमें उपरोक्त खंड-11 के अनुसार कोई विस्तार भी शामिल है;

15.4.2 इसके साथ निविदा शुल्क और बयाना राशि जमा 'जैसाकि ऊपर खंड 6.1 और 6.2 में निर्दिष्ट है;

15.4.3 इसे खंड-IV (तकनीकी प्रस्ताव) और खंड-V (वित्तीय प्रस्ताव) में निर्दिष्ट प्रपत्रों में प्राप्त किया गया हो;

15.4.4 कोई शर्त या अर्हता नहीं है

15.5 बोलियों की जाँच, मूल्यांकन और तुलना और बोलीदाताओं की अर्हता में सहायता करने के लिए, नियोक्ता अपने विवेक पर, किसी भी बोलीदाता से अपनी बोली के स्पष्टीकरण के लिए पूछ सकता है, प्रतिक्रिया के लिए उचित समय दे सकता है। तथापि, नियोक्ता अप्रासंगिक पाए जाने पर बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। स्पष्टीकरण के लिए नियोक्ता का अनुरोध और प्रतिक्रिया लिखित रूप में होगी।

15.6 तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं के संबंध में टीईसी की सिफारिश के साथ-साथ वित्तीय बोली खोलने की दिनांक, समय और स्थान ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। तदनुसार, बोलीदाता या उनके प्रतिनिधि, वित्तीय बोलियों के ऑनलाइन उद्घाटन में भाग ले सकते हैं।

15.7 'वित्तीय बोलियों' को ऑनलाइन खोले जाने के समय, तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं के नाम, बोली की कीमतें, प्रत्येक बोली की कुल राशि तथा अन्य ऐसे विवरण जिन्हें नियोक्ता उचित समझे, उसे नियोक्ता द्वारा घोषित किया जाएगा।

15.8 बोलीदाता यदि आवश्यक समझे तो वित्तीय बोली खोलने के लिए अपना प्रतिनिधि भेज सकता है। ऐसे प्रतिनिधि के पास बोलीदाता की ओर से बोली खोले जाने के लिए उपस्थित होने का प्राधिकरण पत्र होना चाहिए।

**16. अर्हता मानदंड और बोली मूल्यांकन**

**16.1 न्यूनतम अर्हता मानदंड**

इस निविदा के लिए अर्हता मानदंड और बोली मूल्यांकन अर्हता प्राप्त करने के लिए, बोलीदाता को नीचे आईटीबी के खंड 16.1.1 से 16.1.3 में निर्धारित प्रत्येक अर्हता मानदंड को पूरा करना होगा। किसी भी अर्हता मानदंड को पूरा न करने पर बोली को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा और ऐसे बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियाँ नहीं खोली जाएँगी।

**16.1.1 <u>अनुभव के लिए अर्हता मानदंड</u>**

बोलीदाता को इसी प्रकार के कार्य का अर्थ है छोटे/बडे पुलों/ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा कर लेना चाहिए। कार्य काफी हद तक पूरा किया जाना चाहिए अर्थात पिछले 7 (सात) वर्षों के दौरान 80% पिछले महीने की अंतिम दिनांक को समाप्त होने वाले महीने की अंतिम दिनांक को समाप्त होने के लिए जिसमें यह निविदा आमंत्रित की गई है, निम्नलिखित में से कोई भी होना चाहिए:

क) तीन (3) इसी प्रकार के कार्य पूरे किए गए जो इस कार्य की अनुमानित लागत के 40% अर्थात् 5.76 करोड़ रुपए से कम न हों अथवा

ख) दो (2) इसी प्रकार के कार्य पूरे किए गए जो इस कार्य की अनुमानित लागत के 50% अर्थात् 7.20 करोड़ रुपए से कम न हों अथवा

ग) एक (1) इसी प्रकार के कार्य पूरे किए गए जो इस कार्य की अनुमानित लागत अर्थात् 11.53 करोड़ रुपए

से कम नहीं हैं।

16.1.2 पिछले 3 वित्तीय वर्षों अर्थात 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए औसत वार्षिक कारोबार के लिए अर्हता मानदंड अर्हता प्राप्त करने के लिए इस कार्य की अनुमानित लागत का कम से कम 30%।

**16.1.3 बोली क्षमता के लिए अर्हता मानदंड**

1) बोलीदाता निविदा दस्तावेज के खंड IV: प्रपत्र 4ठ में निर्धारित प्रारूप के अनुसार बोली क्षमता के लिए पूछे गए विवरण प्रस्तुत करेगा।

2) बोलीदाता की बोली क्षमता इस निविदा में अनुमानित लागत के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए; और

3) यदि बोलीदाता की बोली क्षमता कार्य की अनुमानित लागत से कम है, तो उसकी बोली रद्द कर दी जाएगी और ऐसे बोलीदाता को वित्तीय बोली खोलने के लिए विचार नहीं किया जाएगा, भले ही उसे निविदा दस्तावेज में निर्धारित अन्य मानदंडों में पात्र निर्धारित किया गया हो।

4) जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम की स्थिति में, सभी पार्टियां संयुक्त रूप से बोली क्षमता की अर्हता आवश्यकता को पूरा करेंगी।

यदि कोई बोलीदाता आईटीबी के खंड 3 में निर्धारित पात्रता मानदंडों के साथ-साथ उपर्युक्त न्यूनतम अर्हता मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसकी बोली के तकनीकी मूल्यांकन के लिए आगे की प्रक्रिया नहीं की जाएगी और ऐसी बोलियों को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा।

**16.2 बोली मूल्यांकन**

16.2.1 बोलियों का मूल्यांकन आईटीबी के खंड 3 और 16 में उल्लिखित अर्हता मानदंडों के आधार पर किया जाएगा। यदि कोई बोलीदाता उपर्युक्त अर्हता मानदंडों को पूरा करने में असफल रहता है तो उनकी बोलियों को गैर-प्रतिक्रियात्मक माना जाएगा और ऐसे बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां नहीं खोली जाएंगी।

16.2.2 जो बोली बिना किसी भौतिक विचलन या आरक्षण के निविदा दस्तावेज़ की सभी शर्तों, नियमों और विनिर्देशों के अनुरूप हो ,वह एक पर्याप्त उत्तरदायी बोली होती है। एक भौतिक विचलन या आरक्षण वह होता है:

क) जो किसी भी महत्वपूर्ण तरीके से कार्य के दायरे, गुणवत्ता या निष्पादन को प्रभावित करता है;

ख) जो किसी भी महत्वपूर्ण तरीके से, निविदा दस्तावेज के साथ असंगत, नियोक्ता के अधिकारों या संविदा के अंतर्गत बोलीदाता के दायित्वों को सीमित करता है; या

ग) जिसका सुधार अन्य बोलीदाताओं की प्रतिस्पर्धी स्थिति को अनुचित रूप से प्रभावित करेगा जो काफी हद तक उत्तरदायी बोलियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा, यदि बोलीदाता ने निविदा दस्तावेज़ के खंड V के मात्रा के बिल (बीओक्यू) में सूचीबद्ध कार्य की सभी वस्तुओं को करने की पेशकश नहीं की है, तो बोली को काफी हद तक उत्तरदायी नहीं माना जाएगा।

16.2.3 बोलियों का मूल्यांकन करते समय संविदा के निष्पादन की अवधि में लागू संविदा की शर्तों के मूल्य समायोजन प्रावधानों (यदि कोई हो) के अनुमानित प्रभाव पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

16.2.4 न्यूनतम कीमत वाले बोलीदाता अर्थात् एल-1 का चयन खंड V के बीओक्यू में बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत राशि

के आधार पर किया जाएगा।

16.2.5 यदि बोली, जिसके परिणामस्वरूप सबसे कम मूल्यांकित बोली मूल्य होता है, संविदा के तहत निष्पादित किए जाने वाले कार्य की मदों के अनुमान की तुलना में गंभीर रूप से असंतुलित या फ्रंट लोडेड है, तो बोलीदाता को प्रस्तावित निर्माण विधियों और प्रचालन पद्धति के साथ उन कीमतों की आंतरिक स्थिरता को प्रदर्शित करने के लिए मात्रा के बिल की किसी भी या सभी मदों के लिए विस्तृत मूल्य विश्लेषण प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। मूल्य विश्लेषण के मूल्यांकन के बाद, अनुमानित संविदा भुगतानों की अनुसूची को ध्यान में रखते हुए, असंतुलन को दूर करने के लिए न्यूनतम बोलीदाता के साथ मूल्य पर बातचीत की जा सकती है, किसी भी मात्रात्मक, स्वीकार्य पहलुओं के लिए ठोस तकनीकी और/या वित्तीय आधार पर उपयुक्त समायोजन किया जा सकता है और इस प्रकार नियोक्ता के हितों की रक्षा के लिए बोली पर निर्णय लेने से पहले कीमतों को पर्याप्त स्तर पर लाया जा सकता है।

16.2.6 यदि कार्यों के निष्पादन के दौरान, स्वीकृत संविदा मूल्य के 20% से अधिक राशि का विचलन/परिवर्तन होता है तो प्रभारी अभियंता के लिखित अनुरोध पर संविदाकार निष्पादन बैंक गारंटी के मूल्य में तत्काल वृद्धि करेगा।

**17. संविदा प्रदान करना**

17.1 नियोक्ता चयनित बोलीदाता को एक एलओए जारी करेगा। यह लिए गए निर्णय के बारे में अन्य सभी बोलीदाताओं को भी सूचित कर सकता है (यदि अन्य बोलीदाताओं द्वारा अनुरोध किया गया है)।

17.2 जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के लिए संविदाकार आशय-पत्र जारी होने के 45 दिनों के भीतर निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने सहित खंड VII में संविदा की सामान्य शर्तों में उल्लिखित सभी औपचारिकताओं/पूर्व शर्तों को पूरा करने के बाद संविदा पर हस्ताक्षर करेगा।

एकल इकाई के मामले में, संविदाकार एलओए जारी होने के 28 दिनों के भीतर निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने सहित खंड VII में दी गई संविदा की शर्तों में उल्लिखित सभी औपचारिकताओं/पूर्व-शर्तों को पूरा करने के बाद संविदा पर हस्ताक्षर करेगा।

17.3 सफल बोलीदाता से अपेक्षा की जाती है कि वह खंड III: बोली आंकड़ा पत्रक में निर्दिष्ट स्थान पर समनुदेशन/कार्य शुरू करेगा।

**18. दस्तावेज़ और कॉपीराइट का स्वामित्व**

इसके अलावा संदर्भ शर्तों में इंगित रिपोर्ट और डिलिवरेबल्स की आवश्यकताओं के अलावा, प्राथमिक डेटा सहित सभी डिलिवरेबल्स और अध्ययन आउटपुट को संविदाकार द्वारा नियोक्ता को हार्ड कॉपी और संपादन योग्य सॉफ्ट कॉपी में संकलित, वर्गीकृत और प्रस्तुत किया जाएगा।

अध्ययन आउटपुट नियोक्ता की संपत्ति बने रहेंगे और नियोक्ता की पूर्व लिखित अनुमति के बिना इन संदर्भ शर्तों के तहत इच्छित उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। संविदाकार द्वारा किसी भी डिलिवरेबल्स के मामले में संविदाकार के किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकार ("आईपीआर") अधिकारों से मिलकर, संविदाकार नियोक्ता को ऐसे आईपीआर का उपयोग करने के लिए आवश्यक अपरिवर्तनीय रॉयल्टी-मुक्त लाइसेंस प्रदान करेगा। इसके अलावा, किसी भी संदेह से बचने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि कार्यों के संबंध में प्रदान की गई सेवाओं के दौरान या इसके परिणामस्वरूप विकसित की गई कोई भी बौद्धिक संपदा, नियोक्ता की संपत्ति होगी और रहेगी।

## 19. उपकरण, मानव और सामग्री जुटाना

19.1 मोबिलाइजेशन साइट

संविदाकार साइट पर सभी उपकरण, सामग्री और जनशक्ति जुटाएगा जैसाकि डेटा शीट के खंड 19 में निर्दिष्ट "सड़क पुल" के निर्माण के लिए आवश्यक है।

19.2 मोबिलाइजेशन का समय

संविदाकार पूर्ण क्षमता में कार्य शुरू करने के लिए डाटा शीट के खंड 19 में यथा विनिदष्ट समय-सीमा के भीतर वांछित उपकरण और जनशक्ति जुटाएगा।

# खंड-III: डेटा शीट

**डेटा शीट**

| डाटा शीट का खंड सं. | आईटीबी का संदर्भ | विवरण | निरूपण |
|---|---|---|---|
| 1. | - | नियोक्ता | अध्यक्ष, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई), ए-13, सेक्टर-1, नोएडा-201 301 (उत्तर प्रदेश) |
| 2. | 2.2 | समनुदेशन/कार्य का नाम है | "ईपीसी मोड पर एप्रोच रोड और आरई वॉल सहित इच्छामति नदी (एनडब्ल्यू-**44)** के पार स्वरूपनगर**, (**पश्चिम बंगाल) में सिंगल लेन ब्रिज का डिजाइन और निर्माण" |
| 3. | 2.1 | चयन का तरीका | सीबीएस (लागत आधारित चयन)-एल1 |
| 4. | 2.3 | बोली जमा करने की अंतिम तिथि और समय और पता | **दिनांक:** 21.02.2024<br>**समय:** अधिकतम 1530 बजे (भारतीय समय)<br>**पता:** ऑनलाइन प्रस्तुति<br>सदस्य (तकनीकी),<br>भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई), ए-13, सेक्टर-1, नोएडा-201301 |
| 5. | 4.0 | निविदा-पूर्व बैठक कब आयोजित की जाएगी | **दिनांक:** 13.02.2024<br>**समय:** 1500 बजे<br>**स्थान:** भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, ए-13, सेक्टर-1, नोएडा-201301 |
| 6. | 5.1 | स्पष्टीकरण मांगने की अंतिम तिथि | **दिनांक:** 11.02.2024 से 17.00 बजे तक**;**<br>**इस तिथि के बाद किसी भी प्रश्न पर विचार नहीं किया जाएगा।**<br>ईमेल आईडी: mt.iwai@nic.in ;<br>vcdialani.iwai@nic.in |
| 7. | 6.1 | प्रतिभूति जमा राशि | अनुमानित लागत का 2% अर्थात रुपए 28,81,356/- |
| 8. | 6.2 | निविदा शुल्क | रुपए 2,500/-+जीएसटी@18% (रुपए 2,950/-)<br>आईटीबी खंड 6.2 की खंड II के अनुसार, उपरोक्त के रूप में निविदा शुल्क आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से आईडब्ल्यूएआई फंड में जमा किया जाएगा। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9. | - | अनुमानित लागत | रुपए 14.41 करोड़ (जीएसटी को छोड़कर) |
| 10. | 6.3 | बैंक शोधन क्षमता | इस कार्य की अनुमानित लागत का 40% अर्थात 5,76,27,119/- रुपए |
| 11. | 16.1.2 | औसत वार्षिक कारोबार | इस कार्य की अनुमानित लागत का 30% अर्थात् 4,32,20,340/- रुपए। |
| 12. | 6.7 | बोली वैधता | बोली जमा करने की अंतिम तिथि से 120 दिन |
| 13. | 3.3 | इसी तरह के काम करता है | जैसाकि आईटीबी के खंड 16.1.1 में परिभाषित किया गया है |
| 14. | 6.9 | जेवी/कंसोर्टियम | अनुमत |
| 15. | - | तकनीकी बोली के लिए प्रारूप | प्रपत्र 4क: बोली पत्र |
| | | | प्रपत्र 4ख: योग्य परियोजनाएं |
| | | | प्रपत्र 4ग: औसत वार्षिक कारोबार |
| | | | प्रपत्र 4घ: पॉवर ऑफ अटॉर्नी (बोलीदाता के अधिकृत प्रतिनिधि के लिए) |
| | | | प्रपत्र 4ङ: बोलीदाताओं द्वारा घोषणा |
| | | | प्रपत्र 4च: बोलीदाता सूचना पत्रक |
| | | | प्रपत्र 4छ: बोलीदाताओं द्वारा बोली-पूर्व पूछताछ के लिए प्रारूप |
| | | | प्रपत्र 4ज: कानूनी क्षमता का विवरण |
| | | | प्रपत्र 4झ: जेवी/कंसोर्टियम के प्रमुख सदस्य के लिए पॉवर ऑफ अटॉर्नी |
| | | | प्रपत्र 4ञ: संयुक्त बोली करार |
| | | | प्रपत्र 4ट: चालू समनुदेशन की सूची |
| | | | प्रपत्र 4ठ: बोली क्षमता |
| | | | प्रपत्र 4ड: प्रमुख कार्मिक |
| 16. | 15.3 | बोली खोलने की तिथि | **दिनांक:** 22.02.2024 1530 बजे। |
| 17. | 10.3 | कार्य की कुल अवधि | टीओआर, खंड VI के खंड 6 के अनुसार |
| 18. | 18.3 | कार्य का स्थान | पश्चिम बंगाल में इच्छामती नदी (एनडब्ल्यू-44) पर स्वरूपनगर। |
| 19. | 19.1 | कार्य स्थल | पश्चिम बंगाल में इच्छामती नदी (एनडब्ल्यू-44) पर स्वरूपनगर। |
| | 19.2 | कार्य का समय | डिजाइन और ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि से 15 दिन। |
| 20 | | प्रतिभूति जमा और निष्पादन गारंटी | संविदा राशि का 5% (प्रत्येक) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21. | - | मूल्य वरीयता | चूंकि कार्यक्षेत्र/कार्य की मात्रा का विभाजन अंतर्ग्रस्त कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए व्यवहार्य नहीं है, एमएसई पंजीकृत फर्मों/बोलीदाताओं के लिए मूल्य अधिमान खंड लागू नहीं होगा। |
| 22. | - | मेक इन इंडिया | मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की नीति के अनुसार, "सार्वजनिक प्रापण (मेक इन इंडिया को वरीयता) विषय पर आदेश संख्या पी-45021/2/2017/बीई-II दिनांक 16.09.2020 के प्रावधान संभव सीमा तक लागू होंगे। |

# खंड-IV: तकनीकी बोली मानक प्रपत्र

## प्रपत्र 4क: बोली पत्र

***(बोलीदाता के लेटर-हेड पर प्रस्तुत किया जाएगा)***

सेवा में,

**सदस्य (तकनीकी)**

**भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण,**

**ए-13, सेक्टर-1, नोएडा-201301 (उत्तर प्रदेश)**

विषय: ईपीसी मोड पर एप्रोच रोड और आरई वॉल सहित इच्छामति नदी (एनडब्ल्यू-44) के पार स्वरूपनगर, (पश्चिम बंगाल) में सिंगल लेन ब्रिज के डिजाइन और निर्माण के लिए निविदा।

महोदय,

1. उपर्युक्त कार्यों के लिए निविदा प्रस्तुत करने हेतु सूचना और अनुदेश, संविदा की शर्तें, तकनीकी, सामान्य और विस्तृत विनिर्देश, मात्रा का बिल (बीओक्यू) समझौता और बैंक गारंटी प्रपत्र इत्यादि की जांच करने के बाद, मैं/हम .....(*बोलीदाता का नाम*) इस निविदा दस्तावेज के बीओक्यू में उल्लिखित राशि या संविदा की उक्त शर्तों के अनुसार निर्धारित की गई अन्य राशि के लिए संविदा की उक्त शर्तों, मात्राओं की अनुसूची के अनुरूप निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट कार्यों के निष्पादन के लिए निविदा प्रस्तुत करते हैं।

2. मैं/हम संविदा में सम्मिलित समस्त कार्यों को निविदा में उल्लिखित समय के भीतर पूरा करने और वितरित करने का वचन देते हैं तथा साथ ही निविदा दस्तावेज में उल्लिखित विनिर्देशों, कार्य के दायरे और अनुदेशों के अनुसार सभी प्रकार से कार्य पूरा करने का वचन देते हैं।

3. मैं/हम इस निविदा का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं। मैं/हम बोली प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक से 120 दिनों की अवधि के लिए निविदा को खुला रखने या आईडब्ल्यूएआई द्वारा अपेक्षित विस्तार करने तथा इसकी शर्तों में कोई संशोधन न करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

4. मैं/हम सहमत हैं, यदि मैं/हम पूर्वोक्त के रूप में निविदा की वैधता को खुला रखने में विफल रहता हूं या मैं/हम मेरे/हमारे निविदा के नियमों और शर्तों में कोई संशोधन करते हैं यदि मैं/हम उपरोक्त कार्यों का निष्पादन शुरू करने में विफल रहते हैं, मैं/हम मेरे/हमारे बयाना राशि की जब्ती के लिए उत्तरदायी होंगे, जैसाकि पूर्वोक्त है और आईडब्ल्यूएआई किसी अन्य अधिकार या उपाय पर किसी प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त बयाना राशि को पूरी तरह से जब्त करने के लिए स्वतंत्र होगा अन्यथा उक्त बयाना राशि को आईडब्ल्यूएआई द्वारा प्रतिभूति जमा के हिस्से के रूप में रखा जाएगा ताकि निविदा दस्तावेज में उल्लिखित सभी कार्यों को उसमें निहित या संदर्भित नियमों और शर्तों पर निष्पादित किया जा सके और ऐसे विचलन किए जा सकें जिनका आदेश दिया जा सकता है। यदि यह निविदा स्वीकार की जाती है, तो मैं/हम इस निविदा के सभी नियमों और शर्तों और प्रावधानों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं। बयाना राशि जमा और/या प्रतिभूति जमा पर कोई ब्याज देय नहीं है।

5. मैंने/हमने निविदा में दर्शाई गई निश्चित क्षतिपूर्ति की राशि पर स्वतंत्र रूप से विचार किया है और इस बात से सहमत हैं कि यह समय पर कार्य पूरा न होने की स्थिति में आईडब्ल्यूएआई को होने वाली संभावित हानि का उचित अनुमान है।

6. यदि यह निविदा स्वीकार कर ली जाती है, तो मैं/हम नियोक्ता द्वारा ऐसा करने के लिए कहे जाने पर अपने/अपने खर्च पर निर्धारित प्रारूप में संविदा संविदा निष्पादित करने का वचन देते हैं। जब तक औपचारिक संविदा तैयार और निष्पादित नहीं हो जाता, तब तक यह निविदा और उसमें आपकी लिखित स्वीकृति एक बाध्यकारी संविदा होगी।

7. यदि मेरी/हमारी निविदा स्वीकार कर ली जाती है, तो मैं/हम संविदा के उचित निष्पादन के लिए गंभीर रूप से जिम्मेदार होंगे/हैं। **मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि फर्म को किसी भी सरकार या उसके विभाग या किसी अर्ध-सरकार द्वारा एजेंसी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण एजेंसी प्रतिबंधित या ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।** निविदा/संविदा के किसी भी चरण में आईडब्ल्यूएआई द्वारा ऐसी किसी भी खोज के परिणामस्वरूप फर्म की निरर्हता या संविदा रद्द हो सकता है।

8. मैं/हम समझते हैं कि आप सबसे कम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं और बिना कोई कारण बताए सभी या किसी भी निविदा को अस्वीकार कर सकते हैं।

9. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा पूरी तरह से निविदा दस्तावेज में निहित नियमों, शर्तों, विनिर्देशों आदि के अनुसार है, और यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इसमें पूर्वोक्त दस्तावेजों में कोई विचलन नहीं है।

दिनांक ..................

हस्ताक्षर ....................

नाम ........................

पता .................

की ओर से निविदा पर हस्ताक्षर करने और जमा करने के लिए विधिवत अधिकृत

(फर्म का नाम और पता)

सुश्री,....................................

टेलीफोन नं ................. फैक्स नं .......……..

## प्रपत्र 4ख: पात्र परियोजनाएँ

**बोली की जवाबदेही के लिए प्रारूप (पात्र परियोजनाएं) परियोजना विशिष्ट अनुभव**

*[नीचे दिए गए प्रारूप का उपयोग करके, प्रत्येक समनुदेशन पर जानकारी प्रदान करें जिसके लिए आपकी फर्म, और इस समनुदेशन के लिए प्रत्येक सहयोगी, कानूनी रूप से या तो व्यक्तिगत रूप से एक कॉर्पोरेट इकाई के रूप में या इस समनुदेशन के तहत समान कार्यों को करने के लिए एक जेवी के भीतर प्रमुख कंपनियों में से एक के रूप में अनुबंधित किया गया था।]*

"समान कार्य1" को खंड III में परिभाषित किया गया है: बोली आंकड़ा पत्रक

| क्र.सं. | परियोजना ग्राहक का नाम[2], कार्य का नाम और परियोजना का स्थान | भारतीय रुपए में संविदा मूल्य<br>संतोषजनक पूर्ण समान कार्य का वित्तीय[3] मूल्य | कार्य प्रारंभ की तिथि | निर्धारित समापन तिथि | वास्तविक समापन तिथि | कार्य का विवरण (समान कार्य सहित) | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

**फर्म का नाम : .....**

**अधिकृत हस्ताक्षर : .....**

**टिप्पणियों:**

1. मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए, बोलीदाताओं को प्रतिवर्ष भारतीय रुपए के लिए 7% मुद्रास्फीति और प्रतिवर्ष साधारण विदेशी मुद्रा भागों के लिए 2% मुद्रास्फीति मान लेनी चाहिए।

2. बोलीदाताओं को पिछले सात वर्षों के दौरान निष्पादित आईटीबी के खंड 16.1.1 में परिभाषित समान कार्यों के अधिकतम मूल्य का उल्लेख करना चाहिए (पिछले महीने के अंतिम दिन को समायोजित किया गया जिसमें यह निविदा आमंत्रित की गई है)।

3. विदेशी मुद्रा के मामले में, इसे पहले ऊपर उल्लिखित दर पर बढ़ाया जाना चाहिए और फिर इस प्रकार प्राप्त राशि को पिछले महीने के अंतिम दिन प्रचलित विनिमय दर पर भारतीय रुपए में परिवर्तित किया जाएगा, जिसमें यह निविदा आमंत्रित की गई है।

4. विनिमय दर आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.rbi.org.in/scripts/ReferenceRateArchive.aspx) से ली जानी चाहिए।

5. यदि विचाराधीन मुद्रा के लिए विनिमय दर आरबीआई वेबसाइट (ऊपर उल्लिखित) पर उपलब्ध नहीं है, तो बोलीदाताओं को www.xe.com, www.oanda.com जैसी वेबसाइटों से विनिमय दर उद्धृत करनी होगी, साथ ही बोलीदाताओं द्वारा रूपांतरण के लिए प्रयुक्त विनिमय दर की प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी।

6. यह प्रमाणित करने के लिए कि उक्त कार्य निर्दिष्ट समान कार्यों के अनुरूप है, बोलीदाता द्वारा कोई अतिरिक्त टिप्पणियां/सूचना भी इंगित की जा सकती है, जैसा भी उचित समझा जाए।

कृपया प्रत्येक परियोजना के विवरण को कागज की दो A4 आकार की शीट में सीमित करें। कागज की दो (02) A4 आकार की शीट से अधिक विवरण मूल्यांकन के लिए विचार किया जा सकता है या नहीं।

## प्रपत्र 4ग: बोली लगाने वाले का औसत वार्षिक कारोबार

| क्र.सं. | वित्तीय वर्ष | पिछले तीन वर्षों में बोलीदाता का औसत वार्षिक कारोबार (भारतीय रुपए) |
|---|---|---|
| 1. | 2020-2021 | |
| 2. | 2021-2022 | |
| 3. | 2022-2023 | |
| **औसत वार्षिक कारोबार** | | *[उपरोक्त चित्रों के योग को 3 से विभाजित करने पर इंगित कीजिये]* |

**सांविधिक लेखापरीक्षक से प्रमाणपत्र**

यह प्रमाणित किया जाता है कि *[फर्म का नाम] [पंजीकृत पता]* ने संबंधित वर्षों के खिलाफ ऊपर दिखाए गए भुगतान प्राप्त किए हैं।

**अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम**

**पदनाम:**

**फर्म का नाम:**

**(सांविधिक लेखापरीक्षक के हस्ताक्षर फर्म की मुहर)**

**टिप्पणी**:

- यदि परामर्शदाता के पास सांविधिक लेखापरीक्षक नहीं है, तो वह प्रैक्टिसिंग-सनदी लेखाकार से प्रमाणपत्र प्रदान कर सकता है।
- यह प्रपत्र सीए/सांविधिक लेखापरीक्षक के लेटर हेड पर जमा किया जाएगा

## प्रपत्र 4घ: पॉवर ऑफ अटॉर्नी

(बोलीदाता के अधिकृत प्रतिनिधि के लिए)

***(भारतीय रुपए 100 के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाना है और विधिवत नोटरीकृत किया जाना है)***

इन उपहारों से सभी पुरुषों को जानें, हम, (संगठन का नाम और पंजीकृत कार्यालय का पता) इसके द्वारा श्री/सुश्री का गठन, नामांकन, नियुक्ति और अधिकृत करते हैं..... बेटा/बेटी/पत्नी और वर्तमान में ..... में रह रहे हैं जो वर्तमान में हमारे साथ कार्यरत/बनाए रखा गया है और ..... के पद पर है हमारे सच्चे और वैध वकील के रूप में (इसके बाद **"अधिकृत प्रतिनिधि"** के रूप में संदर्भित), किसी भी व्यक्ति को उप-प्रतिनिधि करने की शक्ति के साथ, हमारे नाम पर और हमारी ओर से, ऐसे सभी कार्यों, कर्मों और चीजों के संबंध में आवश्यक या आवश्यक हैं **"स्वरूपनगर में सिंगल लेन ब्रिज के डिजाइन और निर्माण" के लिए हमारी बोली प्रस्तुत करने के लिए आनुषंगिक, (ख) ईपीसी मोड पर पहुंच मार्ग और आरई वाल सहित इच्छामति नदी (राज-44) के पार (पश्चिम बंगाल) के लिए 1000 किमी की दूरी तय की गई है।** भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण **("नियोक्ता")** के लिए संविदाकार का चयन, जिसमें सभी आवेदनों, बोलियों और अन्य दस्तावेजों और लेखों पर हस्ताक्षर करने और जमा करने, पूर्व-बोली और अन्य सम्मेलनों में भाग लेने और नियोक्ता को जानकारी/प्रतिक्रियाएं प्रदान करने तक सीमित नहीं है, नियोक्ता के समक्ष सभी मामलों में हमारा प्रतिनिधित्व करना, हमारी बोली की स्वीकृति के परिणामस्वरूप सभी अनुबंधों और उपक्रमों पर हस्ताक्षर करना और निष्पादन करना और आम तौर पर सभी मामलों में नियोक्ता के साथ व्यवहार करना। उक्त परियोजना के लिए हमारी बोली से संबंधित या उससे संबंधित या उत्पन्न होने पर और/या नियोक्ता के साथ संविदा में प्रवेश करने तक हमें पंचाट देने पर।

और, हम इस पावर ऑफ अटॉर्नी द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में और उसके अनुसार हमारे उक्त प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधिपूर्वक किए गए या कराए गए सभी कार्यों, कर्मों और चीजों की पुष्टि करने के लिए सहमत हैं और यह कि हमारे उक्त प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा इसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार किए गए सभी कार्य, कर्म और चीजें हमेशा हमारे द्वारा की गई मानी जाएंगी।

**हमने, जिसके साक्ष्य स्वरूप,.....उपर्युक्त प्रमुख ने आज.....दिनांक.....,2023 को यह पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित की है।**

**के लिए .....**
**(हस्ताक्षर, नाम, पदनाम और पता)**

**साक्षी:**

1.....

2.....

**स्वीकृत**

**(अधिवक्ता का हस्ताक्षर, नाम, पदनाम और पता)**

**टिप्पणियाँ:**

1. *पावर ऑफ अटॉर्नी के निष्पादन का तरीका लागू कानून और निष्पादक (कों) के चार्टर दस्तावेजों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, यदि कोई हो, उसके अनुसार होना चाहिए और जब ऐसा आवश्यक हो तो इसे अपेक्षित प्रक्रिया के अनुसार सामान्य मुहर के अंतर्गत लगाया जाना चाहिए।*

2. *जहां भी आवश्यक हो, बोलीदाता को बोलीदाता की ओर से शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए इस पावर ऑफ अटॉर्नी को निष्पादित करने वाले व्यक्ति के पक्ष में चार्टर दस्तावेजों और अन्य दस्तावेजों जैसे संकल्प/पावर ऑफ अटॉर्नी के उद्धरण सत्यापन के लिए प्रस्तुत करना चाहिए।*

3. *विदेशों में निष्पादित और जारी किए गए पॉवर ऑफ अटॉर्नी के लिए, दस्तावेज़ को भारतीय दूतावास द्वारा वैध बनाना होगा और उस अधिकार क्षेत्र में नोटरीकृत करना होगा जहां पॉवर ऑफ अटॉर्नी जारी की जा रही है। तथापि, हेग विधान अभिसमय, 1961 पर हस्ताक्षर करने वाले देशों के बोलीदाताओं द्वारा प्रदान की गई मुख्तारनामा को भारतीय दूतावास द्वारा वैध बनाए जाने की आवश्यकता नहीं है यदि उसके पास अनुरूप एपोस्टिल प्रमाणपत्र है।*

## प्रपत्र 4ङ: बोली लगाने वाले द्वारा घोषणा

**सेवा में,** **दिनांक:.....**

**सदस्य (तकनीकी),**
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण,
ए-13, सेक्टर-1, नोएडा-201301 (उत्तर प्रदेश)

**ध्यानार्थ:** सदस्य (तकनीकी)

**विषय: बोलीदाता से घोषणा**

**निविदा संदर्भ संख्या: .....**

प्रिय महोदय,

यह उपर्युक्त निविदा दस्तावेज़ के संदर्भ में है। हम इसके द्वारा निम्नलिखित घोषणाएँ करते हैं:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | ☐ | आईडब्ल्यूएआई की वेबसाइट और ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल से डाउनलोड किए गए निविदा दस्तावेज में किसी भी रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। |
| 2. | ☐ | मैं/हमें किसी भी सरकारी या अर्ध-सरकारी एजेंसी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा प्रतिबंधित या डीलिस्ट नहीं किया गया है। |
| 3. | ☐ | मैं/हम संविदा की शर्तों के भुगतान की शर्तों को स्वीकार करते हैं |
| 4. | ☐ | मैं/हम इस निविदा दस्तावेज के सभी नियमों एवं शर्तों को स्वीकार करते हैं। |
| 5. | ☐ | आईटीबी के खंड 8 के अनुसार बोलीदाता द्वारा पावती |
| 6. | ☐ | मैं/हम पुष्टि करते हैं कि पिछले 03 वर्षों के दौरान न तो हम असफल हुए हैं और न ही हमें किसी भी परियोजना या समझौते से निष्कासित किया गया है |
| 7. | ☐ | मैं/हम इस निविदा के लिए हमारे द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण के संबंध में किसी भी गलत घोषणा के लिए हमें अयोग्य घोषित करने और मेरी/हमारी निविदा को सरसरी तौर पर अस्वीकार करने के लिए सहमत हूं/हैं। |
| 8. | ☐ | मैं/हम इस बात पर सहमत हैं कि यदि आईडब्ल्यूएआई के संज्ञान में यह बात आती है कि मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/प्रस्तुतियां वास्तविक नहीं हैं, तो हम इस निविदा से अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे तथा भविष्य में आईडब्ल्यूएआई परियोजनाओं में निविदा देने के लिए काली सूची में डाल दिए जाएंगे। |
| 9. | ☐ | मैं/हम पुष्टि करते हैं कि मैंने/हमने सभी संशोधनों/शुद्धिपत्रों/प्रस्तुति-पूर्व प्रश्नों के उत्तर आदि को टिप्पणी कर लिया है/अद्यतन कर लिया है तथा उसे सम्मिलित करते हुए बोली प्रस्तुत की गई है। |

**भवदीय**

**(बोलीदाता के हस्ताक्षर, आधिकारिक मुहर सहित)**

**टिप्पणी:** कृपया उपरोक्त तालिका में उपयुक्त बॉक्स पर निशान लगाएं।

## प्रपत्र 4 च: बोली लगाने वाले की जानकारी प्रपत्र

| |
|---|
| बोलीदाता का नाम:<br>*[पूरा नाम भरें]* |
| बोलीदाता पक्ष का पंजीकरण देश:<br>*[पंजीकरण का देश बताएं]* |
| बोलीदाता के गठन का वर्ष:<br>*[गठन का वर्ष बताएं]* |
| गठन के देश में बोलीदाता का कानूनी पता:<br>*[सड़क/नंबर/कस्बा या शहर/देश अंकित करें]* |
| बोलीदाता के अधिकृत प्रतिनिधि की जानकारी<br>*नाम: [पूरा नाम भरें]*<br>पता: [सड़क/नंबर/कस्बा या शहर/देश अंकित करें]<br>टेलीफोन/फैक्स नंबर: *[देश और शहर कोड सहित टेलीफोन/फैक्स नंबर भरें]*<br>*ई-मेल पता: [ई-मेल पता बताएं]* |
| 1. मूल दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न हैं<br>☐ संस्था के अंतर्नियम (या संविधान या कंसोटियम के समकक्ष दस्तावेज), और/या ऊपर नामित कानूनी इकाई के पंजीकरण दस्तावेज<br>☐ सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम या संस्थान के मामले में, कानूनी और वित्तीय स्वायत्तता, वाणिज्यिक कानून के अनुसार संचालन और आश्रित स्थिति की अनुपस्थिति स्थापित करने वाले दस्तावेज<br>2. इसमें संगठनात्मक चार्ट, निदेशक मंडल की सूची और लाभकारी स्वामित्व शामिल हैं। |

**भवदीय**

**(बोलीदाता के हस्ताक्षर, आधिकारिक मुहर सहित)**

**टिप्पणी:**

यह प्रपत्र अधिकृत प्रतिनिधि के पहचान प्रमाण के साथ दिया जाएगा

## प्रपत्र 4छ: बोली लगाने वाले द्वारा बोली-पूर्व पूछताछ के लिए प्रारूप

(बोलीदाता के लेटर-हेड पर प्रस्तुत किया जाना है)

बोलीदाता का नाम: .....

जमा करने की दिनांक: .....

**बोली-पूर्व प्रश्न**

| क्र.सं. | खंड सं. खण्ड, उपखण्ड सं और पृष्ठ सं 1 | निविदा खंड | सवाल |
|---|---|---|---|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| . | | | |
| . | | | |
| . | | | |
| . | | | |

**भवदीय**

**(बोलीदाता के हस्ताक्षर, आधिकारिक मुहर सहित)**

## प्रपत्र 4ज: कानूनी क्षमता का विवरण

*(बोलीदाता के लेटरहेड पर प्रस्तुत किया जाएगा)*

संदर्भ दिनांक: .....

सेवा,
सदस्य (तकनीकी)
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
ए-13, सेक्टर-1,
नोएडा-201301
(उत्तर प्रदेश)

महोदय,

हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि हम निविदा दस्तावेज में निर्धारित नियमों और शर्तों को पूरा करते हैं।

हम इस बात पर सहमत हुए हैं कि ..... *(व्यक्ति का नाम अंकित करें)* हमारे प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे और जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम की ओर से उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगें।* और उन्हें निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए विधिवत अधिकृत किया गया है। इसके अलावा, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को ऐसे पत्र प्रस्तुत करने और उसे प्रमाणित करने के लिए अपेक्षित शक्तियाँ दी गई हैं। प्रमुख सदस्य/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की सभी कार्रवाइयाँ/प्रतिनिधित्व जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगे।

सधन्यवाद,

भवदीय,

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम)

.....के लिए और ओर से

*कृपया जो लागू न हो उसे काट दें।

## प्रपत्र 4झ: जेवी/कंसोर्टियम के प्रमुख सदस्य के लिए पॉवर ऑफ अटॉर्नी

***(100 रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाना है और विधिवत नोटरीकृत किया जाना है। विदेशों में निष्पादित और जारी किए गए पॉवर ऑफ अटॉर्नी के लिए, दस्तावेज़ को भारतीय दूतावास द्वारा वैध बनाना होगा और उस क्षेत्राधिकार में नोटरीकृत करना होगा जहां जारी किया जा रहा है)***

जबकि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ("नियोक्ता") ने ".....(कार्य का नाम अंकित करें) **(आगे "कार्य" के रूप में संदर्भित)"** के लिए इच्छुक पक्षों से बोलियां आमंत्रित की हैं।

**और**

जबकि,.....,....., और ..... (सामूहिक रूप से "जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम") संयुक्त उद्यम/कंसोटियम के सदस्य होने के नाते परियोजना के संबंध में निविदा दस्तावेज और अन्य संबंधित दस्तावेजों की शर्तों और नियमों के अनुसार परियोजना के लिए बोली लगाने में रुचि रखते हैं, और

जबकि, जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के सदस्यों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने में से किसी एक को प्रमुख सदस्य के रूप में नामित करें, जिसके पास जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम की ओर से परियोजना के लिए जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम की बोली और उसके निष्पादन के संबंध में आवश्यक सभी कार्य, कर्म और चीजें करने के लिए सभी आवश्यक शक्तियां और अधिकार हों।

इसलिये अब इन प्रस्तुतियों से सब लोगों को पता रहे

हम,.....जिसका पंजीकृत कार्यालय ..... में है, मैसर्स .....जिसका पंजीकृत कार्यालय ..... में है और मैसर्स .....जिसका पंजीकृत कार्यालय ..... में है (इसके बाद सामूहिक रूप से "प्रमुखों" के रूप में संदर्भित) एतद्द्वारा मैसर्स .....जिसका पंजीकृत कार्यालय ..... में है, और जो जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के सदस्यों में से एक है, को जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के प्रमुख सदस्य और सच्चे और वैध अटॉर्नी के रूप में (इसके बाद "अटॉर्नी" के रूप में संदर्भित) अपरिवर्तनीय रूप से नामित, नामांकित, गठित, नियुक्त और अधिकृत करते हैं। हम एतद्द्वारा अटॉर्नी को (उप-प्रतिनिधित्व करने की शक्ति के साथ) बोली प्रक्रिया के दौरान जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम और हममें से किसी एक की ओर से सभी व्यवसाय संचालित करने के लिए, और जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम को संविदा दिए जाने की स्थिति में, परियोजना के निष्पादन के दौरान और इस संबंध में, हमारी ओर से और जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम की ओर से ऐसे सभी या कोई भी कार्य, कर्म या चीजें करने के लिए अपरिवर्तनीय रूप से अधिकृत करते हैं जो जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम की पूर्व-अर्हता और परियोजना के लिए इसकी बोली प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक या अपेक्षित या प्रासंगिक हैं, जिसमें सभी बोलियों और अन्य दस्तावेजों और लेखों पर हस्ताक्षर करना और उन्हें प्रस्तुत करना, बोलीदाताओं और अन्य सम्मेलनों में भाग लेना, प्रश्नों का उत्तर देना, सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत करना, जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम की बोली की स्वीकृति के परिणामस्वरूप अनुबंधों और उपक्रमों पर हस्ताक्षर करना और निष्पादित करना और आम तौर पर नियोक्ता और/या किसी अन्य सरकारी एजेंसी या किसी व्यक्ति के साथ ,**"कार्य"** के लिए जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम की बोली के संबंध में जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के सभी व्यवहारों में, उससे संबंधित या उससे उत्पन्न होने वाले सभी मामलों में प्रतिनिधित्व करना शामिल है।

और हम एतद्द्वारा इस पावर ऑफ अटॉर्नी द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में और उसके द्वारा किए गए या करवाए जाने वाले सभी कार्यों, कर्मों और चीजों की पुष्टि और अनुसमर्थन करने के लिए सहमत हैं और इसके द्वारा यह पुष्टि करते हैं और यह कि हमारे अटॉर्नी द्वारा इसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किए गए सभी कार्य, कर्म और चीजें हमेशा हमारे/कंसोटियम द्वारा की गई मानी जाएंगी और कानूनी रूप से हमारे लिए बाध्यकारी होंगी।

जिसके साक्ष्य स्वरूप हम, ऊपर नामित प्रमुखों ने आज, 20 ...की दिनांक को यह पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित की है।

.....के लिए (हस्ताक्षर)

..... (नाम और पदवी)

.....के लिए (हस्ताक्षर)

..... (नाम और पदवी)

.....के लिए (हस्ताक्षर)

..... (नाम और पदवी)

साक्षी:

1.

2.

.....

*(कार्यकारी)*

*(जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के सभी सदस्यों द्वारा निष्पादित किया जाएगा)*

***टिप्पणियाँ:***

- *पावर ऑफ अटॉर्नी के निष्पादन का तरीका लागू कानून और निष्पादकों के चार्टर दस्तावेजों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, यदि कोई हो, उस के अनुसार होना चाहिए और जब ऐसा आवश्यक हो, तो इसे अपेक्षित प्रक्रिया के अनुसार सामान्य मुहर के अंतर्गत लगाया जाना चाहिए।*
- *इसके अलावा, जहां भी आवश्यक हो, बोलीदाता को बोलीदाता की ओर से शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए इस पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित करने वाले व्यक्ति के पक्ष में चार्टर दस्तावेजों और बोर्ड या शेयरधारकों के संकल्प/पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे दस्तावेजों के उद्धरण सत्यापन के लिए प्रस्तुत करना चाहिए।*
- *विदेशों में निष्पादित और जारी किए गए पॉवर ऑफ अटॉर्नी के लिए, दस्तावेज़ को भारतीय दूतावास द्वारा वैध बनाना होगा और उस अधिकार क्षेत्र में नोटरीकृत करना होगा जहां पॉवर ऑफ अटॉर्नी जारी की जा रही है। हालांकि, हेग विधान कन्वेंशन 1961 पर हस्ताक्षर करने वाले देशों के बोलीदाताओं द्वारा प्रदान की गई पॉवर ऑफ अटॉर्नी को भारतीय दूतावास द्वारा वैध बनाने की आवश्यकता नहीं है यदि यह एक अनुरूप एपोस्टिल प्रमाणपत्र रखता है।*

## प्रपत्र 4ञ: संयुक्त बोली करार

***(प्रासंगिक स्टाम्प अधिनियम के अनुसार उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाना और विधिवत नोटरीकृत किया जाना)***

यह संयुक्त बोली करार.....(जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम का नाम अंकित करें) के पक्ष में..20 ,.....के इस .....दिन

1. {..... लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित एक कंपनी} और इसका पंजीकृत कार्यालय ..... में है (इसके बाद इसे **"प्रथम भाग"** के रूप में संदर्भित किया जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती शामिल होंगे)

और

2. {..... लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित एक कंपनी} और इसका पंजीकृत कार्यालय ..... में है (इसके बाद इसे **"द्वितीय भाग"** के रूप में संदर्भित किया जाएगा, इस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती शामिल होंगे)

और

3. {..... लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित एक कंपनी} और इसका पंजीकृत कार्यालय ..... में है (इसके बाद इसे **"तृतीय पक्ष"** के रूप में संदर्भित किया जाएगा, इस अभिव्यक्ति में संदर्भ के प्रतिकूल होने तक इसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती शामिल होंगे)

के बीच किया गया है।

प्रथम, द्वितीय और तृतीय पक्ष के उपर्युक्त पक्षों को सामूहिक रूप से **"पक्ष"** कहा जाता है और प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से **"पक्ष"** कहा जाता है।

जबकि,

(क) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण **(नियोक्ता)** ने अपने अनुरोध द्वारा बोलियां **(बोलियां)** (.....**"निविदा दस्तावेज"** के लिए ..... (समनुदेशन का नाम अंकित करें)" **("कार्य")** आमंत्रित की हैं।

(ख) पक्षों ने निविदा दस्तावेज को पढ़ और समझ लिया है और वे जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के सदस्यों के रूप में परियोजना के लिए संयुक्त रूप से बोली लगाने में रुचि रखते हैं और परियोजना के संबंध में निविदा दस्तावेज और अन्य निविदा दस्तावेजों की शर्तों और नियमों के अनुसार, और

(ग) निविदा दस्तावेज के अंतर्गत यह आवश्यक शर्त है कि जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के सदस्य संयुक्त बोली करार करेंगे तथा उसकी एक प्रति बोली के साथ प्रस्तुत करेंगे।

**अब इस प्रकार सहमति व्यक्त की जाती है:**

1. **परिभाषाएँ और व्याख्याएँ**

इस संविदा में, बड़े अक्षरों में लिखे शब्दों का अर्थ, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निविदा दस्तावेज में दिए गए अर्थ के समान होगा।

**2. जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम**

2.1 ये पक्ष परियोजना के लिए बोली प्रक्रिया में संयुक्त रूप से भाग लेने के उद्देश्य से अपरिवर्तनीय रूप से एक जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम का गठन करते हैं।

2.2. ये पक्ष केवल इस जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के माध्यम से बोली प्रक्रिया में भाग लेने का वचन देते हैं, न कि व्यक्तिगत रूप से और/या इस परियोजना के लिए गठित किसी अन्य जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के माध्यम से, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से या उनके किसी सहयोगी के माध्यम से।

**3. वाचाएं**

सभी पक्ष यह वचन देते हैं कि यदि जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम को चयनित बोलीदाता घोषित किया जाता है और उसे परियोजना प्रदान की जाती है, तो वे भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी का गठन करेंगे, जिसकी सब्सक्राइब्ड और चुकता पूंजी में, चयनित बोलीदाता अर्थात् सभी पक्ष सामूहिक रूप से संविदा अवधि से परे तीन महीने की अवधि के लिए 100% इक्विटी रखेंगे।

4. **पक्षों की भूमिका**

सभी पक्ष नीचे वर्णित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का वचन देते हैं:

(क) प्रथम पक्ष का पक्ष जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम का प्रमुख सदस्य होगा और बोली प्रक्रिया के दौरान और **"कार्य"** के लिए संविदा पर हस्ताक्षर होने तक जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम की ओर से सभी व्यवसाय संचालित करने के लिए सभी पक्षों से पावर ऑफ अटॉर्नी प्राप्त करेगा, जब सभी दायित्व प्रभावी हो जाएंगे;

(ख) दूसरे और तीसरे पक्ष **"कार्य"** के लिए निविदा के अंतर्गत दिए गए कार्य के पूरे दायरे को पूरा करने के लिए यहां दर्ज तरीके से प्रमुख सदस्य की सहायता करेंगे।

(ग) यदि नियोक्ता द्वारा आयोजित बोली प्रक्रिया के अनुसार उन्हें कार्य सौंपा जाता है, तो पक्ष संयुक्त रूप से और अलग-अलग कार्य करने का प्रयास करेंगे, जो कि निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों तथा नियोक्ता और जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के बीच समय-समय पर निष्पादित किए जाने वाले अन्य समझौतों/अनुबंधों/कार्य आदेशों के अनुसार होगा।

**5. संयुक्त और अनेक दायित्व**

दोनों पक्ष परियोजना से संबंधित सभी दायित्वों और देनदारियों के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से जिम्मेदार होने का वचन देते हैं और **"कार्य"** के लिए निविदा दस्तावेज की शर्तों के अनुसार, उसमें निर्धारित समय तक जिम्मेदार रहेंगे।

**6. शेयरधारिता**

6.1 ऐसे चयनित बोलीदाता (जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम) के प्रमुख सदस्य संविदा अवधि के दौरान हर समय पक्षों द्वारा संविदाकार के रूप में काम करने के लिए शामिल किए गए सब्सक्राइब्ड और चुकता पूंजी के .....% (आईटीबी के खंड 6.9.2 के अनुसार) के बराबर इक्विटी रखेंगे। इसके अलावा, कंसोटियम के अन्य सदस्य जिनकी तकनीकी/वित्तीय अर्हता का उपयोग इस निविदा दस्तावेज़ के अंतर्गत अर्हता के उद्देश्य के लिए किया गया है, वे संविदा अवधि के दौरान सब्सक्राइब्ड और चुकता पूंजी में क्रमशः .....% (आईटीबी के खंड 6.9.3 के अनुसार) इक्विटी रखेंगे; बशर्ते कि नियोक्ता अपने एकमात्र और पूर्ण विवेक से जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम सदस्य को संविदाकार

की सब्सक्राइब्ड और चुकता पूंजी में अपनी इक्विटी शेयरहोल्डिंग [पूरी तरह से/आंशिक रूप से] बेचने की अनुमति दे सकता है।

(क) पक्ष यह वचन देते हैं कि वे **"कार्य"** के लिए निविदा में निर्धारित सभी इक्विटी लॉक-इन आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे।

7. **पक्षों का प्रतिनिधित्व**

प्रत्येक पक्ष इस समझौते की दिनांक से अन्य पक्षों को यह सूचित करता है कि:

(क) ऐसा पक्ष विधिवत् संगठित है, वैध रूप से विद्यमान है तथा अपने निगमन के कानूनों के अंतर्गत अच्छी स्थिति में है तथा उसके पास इस संविदा में प्रवेश करने के लिए अपेक्षित सभी शक्तियाँ और प्राधिकार हैं;

(ख) इस समझौते के ऐसे पक्ष द्वारा निष्पादन, वितरण और निष्पादन को सभी आवश्यक और उचित कॉर्पोरेट या सरकारी कार्रवाई द्वारा अधिकृत किया गया है और कंसोटियम सदस्य की ओर से इस समझौते को निष्पादित करने के लिए शक्ति और अधिकार के प्रत्यायोजन के लिए इस समझौते को निष्पादित करने वाले व्यक्ति के पक्ष में चार्टर दस्तावेजों और बोर्ड के प्रस्ताव/पावर ऑफ अटॉर्नी के सारांश की एक प्रति बोली के साथ संलग्न की गई है, और वह अपने सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार नहीं करेगा:

(i) किसी भी सहमति या अनुमोदन की मांग जो पहले से प्राप्त नहीं हुआ हो;

(ii) वर्तमान में प्रभावी और उस पर लागू होने वाले किसी भी लागू कानून का उल्लंघन;

(iii) संस्था के ज्ञापन और अनुच्छेदों, उपनियमों या अन्य लागू संगठनात्मक दस्तावेजों का उल्लंघन;

(iv) किसी मंजूरी, परमिट, रियायत, अनुदान, लाइसेंस या अन्य सरकारी प्राधिकरण, अनुमोदन, निर्णय, आदेश या डिक्री या किसी बंधक समझौते, संविदा या किसी अन्य दस्तावेज का उल्लंघन, जिसका ऐसा पक्षकार, पक्षकार है या जिसके द्वारा ऐसा पक्षकार या उसकी कोई संपत्ति या परिसंपत्तियां बंधी हैं या जो अन्यथा ऐसे पक्षकार पर लागू है; या

(iv) ऐसे पक्ष की संपत्ति में या उस पर कोई ग्रहणाधिकार, बंधक, प्रतिज्ञा, दावा, सुरक्षा हित, शुल्क या ऋणभार या दायित्व बनाना या लगाना, सिवाय उन ऋणों के जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर ऐसे पक्ष की वित्तीय स्थिति या संभावनाओं या व्यवसाय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं, जिससे ऐसे पक्ष को इस समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने से रोका जा सके;

(ग) यह करार ऐसे पक्ष का कानूनी और बाध्यकारी दायित्व है, जो उसके विरुद्ध इसकी शर्तों के अनुसार लागू किया जा सकता है;

(घ) ऐसा कोई मुकदमा लंबित नहीं है या, ऐसा कोई मुकदमा होने की आशंका नहीं है, जिसका वह या उसका कोई सहयोगी पक्षकार हो, जो वर्तमान में इस समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों की पूर्ति में ऐसे पक्ष की वित्तीय स्थिति या संभावनाओं या व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो या डालेगा; तथा

(ङ) ऐसे पक्ष ने निविदा दस्तावेज को पढ़ और समझ लिया है तथा वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से ऊपर दर्ज उद्देश्यों के लिए इस संविदा को निष्पादित कर रहा है;

**8. करार समाप्ति**

यह संविदा आज की दिनांक से प्रभावी होगा और परियोजना के जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम को दिए जाने की स्थिति

में **"कार्य"** के लिए निविदा के अंतर्गत और उसके अनुसार "**कार्य"** पूरा होने तक हर समय पूर्ण शक्ति और प्रभाव में जारी रहेगा। हालाँकि, यदि जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम परियोजना के लिए पूर्व-योग्य नहीं है या परियोजना सोंपने के लिए चयनित नहीं होता है, तो संविदा समाप्त हो जाएगा।

**9. विविध**

9.1 यह संयुक्त बोली करार भारत के कानूनों द्वारा शासित होगा।

9.2 पक्षकार यह स्वीकार करते हैं कि नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना पक्षकारों द्वारा इस संविदा में संशोधन नहीं किया जाएगा।

**10. जिम्मेदारियों का प्रस्तावित वितरण**

इस संविदा के सभी पक्ष इस निविदा दस्तावेज के उद्देश्यों और कार्य की भावना को पूरा करने के लिए निम्नलिखित शेयरधारिता प्रतिशत और तकनीकी एवं वित्तीय जिम्मेदारियों के लिए सहमत हैं।

| **क्र.सं.** | **संयुक्त उद्यम के सदस्य का नाम** | **प्रतिशत हिस्सा** | **तकनीकी जिम्मेदारी** | **वित्तीय जिम्मेदारी** | **टिप्पणियाँ** |
|---|---|---|---|---|---|
| (i) | प्रमुख साझेदार<br>(सदस्य का नाम और पता-1) | | | | |
| (ii) | सदस्य 2<br>(सदस्य का नाम एवं पता-2) | | | | |
| (iii) | सदस्य 3<br>(सदस्य का नाम एवं पता-3) | | | | |

**जिसके साक्ष्य स्वरूप ऊपर वर्णित पक्षों ने ऊपर लिखी गई पहली दिनांक को इस समझौते को निष्पादित और वितरित किया है।**

**हस्ताक्षरित, मुहरबंद और वितरित**

**के लिए और उनकी ओर से** **मुख्य सदस्य के लिए और उनकी ओर से**

(हस्ताक्षर)

(नाम)

(पद का नाम)

(पता)

**हस्ताक्षरित, मुहरबंद और वितरित**

**के लिए और की ओर से** **द्वितीय पक्ष के लिए और की ओर से**

(हस्ताक्षर)

(नाम)

**भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण**

(पद का नाम)

(पता)

**हस्ताक्षरित, मुहरबंद और वितरित**

**के लिए और उसकी ओर से** **तीसरे पक्ष के लिए और उसकी ओर से**

(हस्ताक्षर)

(नाम)

(पद का नाम)

(पता)

इनकी उपस्थिति में:

1) _____

2) _____

**टिप्पणियाँ:**

- *संयुक्त बोली समझौते के निष्पादन का तरीका लागू कानून और निष्पादक(कों) के चार्टर दस्तावेजों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, यदि कोई हो, के अनुसार होना चाहिए और जब ऐसा अपेक्षित हो, तो इसे अपेक्षित प्रक्रिया के अनुसार सामान्य मुहर के अंतर्गत लगाया जाना चाहिए।*
- *इस संयुक्त बोली समझौते के साथ चार्टर दस्तावेजों के अंश तथा जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम सदस्य की ओर से इस समझौते को निष्पादित करने के लिए शक्ति और प्राधिकार के प्रत्यायोजन हेतु इस समझौते को निष्पादित करने वाले व्यक्ति के पक्ष में संकल्प/पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे दस्तावेजों की एक प्रति संलग्न की जानी चाहिए।*
- *विदेशों में निष्पादित और जारी किए गए संयुक्त बोली करार के लिए, दस्तावेज़ को भारतीय दूतावास द्वारा वैध किया जाएगा और उस क्षेत्राधिकार में नोटरीकृत किया जाएगा जहां पॉवर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित की गई है।*

## प्रपत्र 4ट: चालू समनुदेशन की सूची

***(बोलीदाता के लेटर हेड पर प्रस्तुत की जानी है)***

| क्र.सं. | ग्राहक का पूरा डाक पता और प्रभारी अधिकारी का नाम | काम का विवरण | संविदा का कुल मूल्य | बोली प्रस्तुत करने की तिथि से पिछले महीने की अंतिम तिथि तक पूर्ण किये गये कार्य का मूल्य | बोली प्रस्तुत करने की तिथि से पिछले महीने की अंतिम तिथि तक कार्य का बकाया/शेष मूल्य | कार्य शुरू करने की दिनांक | निर्धारित समापन अवधि | आज की तिथि तक औसत पूर्णता | पूरा होने की अपेक्षित तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

**भवदीय**

**(अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर)**

## प्रपत्र 4ठ: बोली क्षमता

***(बोलीदाता के लेटर हेड पर प्रस्तुत की जानी है)***

| पात्रता और अर्हता मानदंड | अनुपालन आवश्यकताएँ | | | | प्रस्तुत करने की आवश्यकताओं पर दस्तावेज़ीकरण |
|---|---|---|---|---|---|
| | एकल इकाई | जॉइंट वैंचर (मौजूदा या इरादा) | | | |
| | | सदस्य 1 | सदस्य 2 | सदस्य 3 | |
| उपलब्ध बोली क्षमता निविदा के लिए रखे गए कार्य की अनुमानित लागत के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए | | | | | प्रपत्र 4ग और प्रपत्र 4ट |

**बोली क्षमता= [(A*N*2)-B],**

**जहां**

**A** = पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी एक वर्ष में निष्पादित कार्यों का अधिकतम मूल्य पूरा होने के साथ-साथ चल रहे कार्यों को ध्यान में रखते हुए। पूरे किए गए कार्यों के मूल्य को 7% प्रति वर्ष की साधारण दर से बढ़ाकर वर्तमान लागत स्तर तक लाया जाएगा।

**B** = मौजूदा प्रतिबद्धताओं और चल रहे कार्यों का मूल्य जो काम पूरा होने की अवधि के दौरान पूरा किया जाना है जिसके लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं।

**N** =जिन कार्यों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं, उन्हें पूरा करने के लिए निर्धारित वर्षों की संख्या. नं (ग) जिन कार्यों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

**भवदीय**

**(अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर)**

## प्रपत्र 4ङ: प्रमुख कर्मियों की सूची

| क्र. सं. | पद/भूमिका | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | साइट प्रभारी/प्रबंधक | |
| 2 | संरचनात्मक डिजाइन अभियंता | |
| 3 | निर्माण अभियंता | |
| 4 | विद्युत अभियंता | |
| 5 | सर्वेक्षक | |
| 6 | पर्यवेक्षक और अन्य तकनीकी कर्मी | |
| 7 | मजदूर | |

टिप्पणी:

प्रमुख कर्मियों की सूची केवल अस्थायी और सांकेतिक है। बोलीदाता निविदा दस्तावेज में परिभाषित कार्यक्षेत्र के अनुसार कार्यों के लिए अपेक्षित मुख्य व्यक्तिगत प्रस्ताव कर सकता है।

संविदा की अवधि के दौरान यदि आवश्यकता होती है, तो बोलीदाता को ईआईसी से पूर्व लिखित अनुमोदन के साथ प्रमुख कर्मियों को बदलने/बदलने की अनुमति दी जाती है।

# खंड-V: वित्तीय बोली मानक प्रपत्र

## प्रपत्र वित्त-1: वित्तीय बोली प्रस्तुतीकरण प्रपत्र

*[स्थान, दिनांक]*

सेवा में,

*[नाम और नियोक्ता का पता]*

प्रिय महोदय,

हम, अधो हस्ताक्षरकर्ता, आपके दिनांक *[दिनांक अंकित करें]* के निविदा आमंत्रण नोटिस और हमारी तकनीकी बोली के अनुसार *[समनुदेशन/कार्य का शीर्षक अंकित करें]* के लिए चार्टरिंग सेवाएं प्रदान करने की पेशकश करते हैं। हमारी संलग्न वित्तीय बोली ..... *[शब्दों और आंकड़ों में राशि अंकित करें]* की राशि के लिए है। यह राशि माल और सेवा कर (जीएसटी) *[राशि शब्दों और आंकड़ों में अंकित करें]* को छोड़कर सभी प्रकार के करों सहित है। हम स्वीकार करते हैं कि निविदा हमारे द्वारा उद्धृत मूल मूल्य पर सौंपी जाएगी। हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि वित्तीय बोली बिना किसी शर्त के है और हम स्वीकार करते हैं कि वित्तीय बोली से जुड़ी किसी भी शर्त के परिणामस्वरूप हमारी वित्तीय बोली/पूरी बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

हमारी वित्तीय बोली, संविदा वार्ताओं (यदि कोई हो) के परिणामस्वरूप होने वाले संशोधनों के अधीन, धारा में उल्लिखित बोली की वैधता अवधि की समाप्ति तक, अर्थात् ..... खंड में दर्शाई गई दिनांक से पहले, हमारे लिए बाध्यकारी होगी।

हम समझते हैं कि आप प्राप्त की गई किसी भी बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

**सादर,**

**अधिकृत हस्ताक्षर [पूर्ण एवं आद्याक्षर]:**

**हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम : .....**

**फर्म का नाम : .....**

**प्रपत्र वित्त-2: मात्रा का बिल**

| |
|---|
| **निविदा आमंत्रित प्राधिकरण: भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई)** |
| **कार्य का नाम: ईपीसी मोड पर एप्रोच रोड और आरई वॉल सहित इच्छामति नदी (एनडब्ल्यू-44) के पार स्वरूपनगर, (पश्चिम बंगाल) में सिंगल लेन ब्रिज का डिजाइन और निर्माण।** |
| **संविदा सं.:** IWAI/KOL/NW-44(इच्छामति नदी)/स्वरूपनगर पुल |
| **बोलीदाता/बोली लगाने वाली फर्म/कंपनी का नाम: ……..** |

| **क्र.सं.** | **मद का विवरण** | **मात्रा** | **इकाइयों** | **(*) बोली लगाने वाले द्वारा दर्ज किए जाने वाले जीएसटी रहित बोली मूल्य आंकड़ा में** | **जीएसटी रहित कुल राशि (रुपए)** | **जीएसटी सहित शब्द में कुल राशि @ 18% (रुपए)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ईपीसी मोड पर एप्रोच रोड और आरई वॉल सहित इच्छामति नदी (एनडब्ल्यू-44) के पार स्वरूपनगर, (डब्ल्यूबी) में सिंगल लेन ब्रिज का डिजाइन और निर्माण, (पुल आयाम 40 मीटर x 4.5 मीटर) के साथ-साथ एप्रोच रोड आकार 120 मीटर और 150 मीटर, जिसमें सभी सामग्री, श्रम, मिट्टी परीक्षण, ढेर भार परीक्षण, ढेर अखंडता परीक्षण, मौजूदा बांस पुल की शिफ्टिंग और मौजूदा संरचना का निराकरण शामिल है, आईआईटी/एनआईटी अथवा उपयुक्त एजेंसियों द्वारा डिजाइनों और प्रमाणन की पुनरीक्षा करना और स्वीकृति के लिए आईडब्ल्यूएआई को प्रस्तुत करना। | 1.00 | एकमुश्त राशि | | | |
| आंकड़ों में कुल | | | | | | |
| उद्धृत दर-शब्दों में | | | | | | |

*टिप्पणी: बोलीदाता ईआईसी के वास्तविक माप और प्रमाणन के आधार पर मासिक भुगतान प्राप्त करने के लिए संलग्न वित्त बोली-2.1 में बीओक्यू (ऑनलाइन) की मद दरों को भी उद्धृत करेगा।

**अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता**

**नाम :**

**पदनाम :**

**फर्म का नाम :**

**पता :**

# खंड-VI: संदर्भ शर्तें (टीओआर)

## भाग I: कार्य-क्षेत्र विस्तृत

### 1. परियोजना के बारे में पृष्ठभूमि और संक्षिप्त विवरण

1.1 भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का एक सांविधिक निकाय है। आईडब्ल्यूएआई की स्थापना 1986 में शिपिंग और नेविगेशन के उद्देश्यों के लिए अन्तर्देशीय जलमार्गों को विकसित और विनियमित करने के जनादेश के साथ की गई थी। अप्रैल 2016 में, भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 द्वारा मौजूदा पांच राष्ट्रीय जलमार्गों के अलावा 106 नए राष्ट्रीय जलमार्गों की घोषणा की है। ये नए राष्ट्रीय जलमार्ग विकास/विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की तैयारी के विभिन्न चरणों में हैं।

1.2 अन्तर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) को परिवहन का सबसे किफायती, विश्वसनीय, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल रूप बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विश्वसनीय मार्गाधिकार पर चलने वाले आधुनिक अन्तर्देशीय जलमार्ग जलयानों द्वारा उपयोग के लिए विकसित किए जाने पर, यह रेल और सड़क बुनियादी ढांचे में निवेश की जरूरतों को कम कर सकता है, तटीय राज्यों में अधिक पूरकताओं को बढ़ावा दे सकता है, अंतर-क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ा सकता है और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि के माध्यम से, संपूर्ण अर्थव्यवस्था और भारत की वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धा के लाभ के लिए समग्र रसद लागत को काफी कम कर सकता है।

### 2. उद्देश्य

2.1 नियोक्ता (आईडब्ल्यूएआई) की आवश्यकताएं हैं कि संविदाकार **ईपीसी मोड पर एप्रोच रोड और आरई वॉल सहित इच्छामति नदी (एनडब्ल्यू-44) के पार स्वरूपनगर, (पश्चिम बंगाल) में सिंगल लेन ब्रिज के डिजाइन निर्माण का काम करेगा,** जिसमें इस निविदा दस्तावेज में उल्लिखित कार्यों के सभी संबद्ध मदों के साथ 40 मीटर x 4.5 मीटर का पुल आयाम होगा। कार्य-क्षेत्र में डिजाइन, पुनरीक्षण, सभी सामग्रियों की आपूर्ति, सीमेंट, इस्पात, श्रमिक, मृदा परीक्षण, ढेर भार परीक्षण, ढेर अखंडता परीक्षण, मौजूदा बांस पुल का स्थानांतरण और मौजूदा संरचना को नष्ट करना, डिजाइनों का पुनरीक्षण, आईआईटी/एनआईटी या उपयुक्त एजेंसियों द्वारा प्रमाणन और परियोजना के सभी सुरक्षा उपायों के साथ निर्माण गतिविधियों के शुरू होने से पहले स्वीकृति के लिए आईडब्ल्यूएआई को प्रस्तुत करना शामिल है। इस प्रयोजन के लिए, संविदाकार वास्तविक स्थिति की तुलना में प्रस्तुत आंकड़ों की सटीकता के बारे में खुद को संतुष्ट/सत्यापित करने के लिए सभी आवश्यक दायर परीक्षण और सर्वेक्षण करेगा। कार्य के निष्पादन के दौरान वास्तविक साइट की स्थिति और यहां इंगित किए गए लोगों के बीच किसी भी भिन्नता के लिए किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

2.2 संविदाकार की समग्र जिम्मेदारी में इस परियोजना को अवधारणा से लेकर कमीशनिंग तक समय अनुसूची, गुणवत्ता मानकों का पालन करना और बिना समय और लागत में वृद्धि के लिए आवश्यक सभी कार्य शामिल होंगे। संविदाकार को प्रभारी अभियंता (ईआईसी) और उनकी प्रतिनियुक्त टीम के साथ निकट समन्वय में काम करना होगा और सभी प्रमुख निर्णय उनके परामर्श से लिए जाएंगे।

### 3. कार्य-क्षेत्र

3.1 नियोक्ता की आवश्यकताएं हैं कि **संविदाकार इस निविदा दस्तावेज में उल्लिखित कार्यों के सभी संबद्ध मदों के साथ-साथ ईपीसी मोड पर एप्रोच रोड और आरई वॉल सहित इच्छामति नदी (एनडब्ल्यू-44) के पार स्वरूपनगर,** (पश्चिम बंगाल) में सिंगल लेन ब्रिज के डिजाइन निर्माण का काम करेगा, जिसमें 40 मीटर x 4.5 मीटर का पुल आयाम होगा। कार्य-क्षेत्र में डिजाइन, पुनरीक्षण, सभी सामग्रियों की आपूर्ति, सीमेंट, इस्पात, श्रमिक, मृदा परीक्षण,

ढेर भार परीक्षण, ढेर अखंडता परीक्षण, मौजूदा बांस पुल का स्थानांतरण और मौजूदा संरचना को नष्ट करना, डिजाइनों का पुनरीक्षण, आईआईटी/एनआईटी या उपयुक्त एजेंसियों द्वारा प्रमाणन और परियोजना के सभी सुरक्षा उपायों के साथ निर्माण गतिविधियों के शुरू होने से पहले स्वीकृति के लिए आईडब्ल्यूएआई को प्रस्तुत करना शामिल है। नवंबर 2023 में तैयार डीपीआर के आधार पर जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता द्वारा प्राप्त सांकेतिक मात्रा संदर्भ के लिए नीचे दी गई है। तथापि, बोलीदाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह बिल-ऑफ क्वांटिटीज में उल्लिखित कार्यक्षेत्र, डिजाइन मानदंड, विनिर्देशों और नक्शों के अनुसार दरों को उद्धृत करने से पहले फील्ड अध्ययन करेगा और मूल्यांकन करेगा।

**3.2** इस प्रयोजन के लिए**,** निविदाकर्ता वास्तविक स्थिति की तुलना में प्रस्तुत आंकड़ों की सटीकता के बारे में खुद को संतुष्ट/सत्यापित करने के लिए सभी आवश्यक क्षेत्र परीक्षण और सर्वेक्षण करेगा। निविदाकर्ता निविदा प्रस्तुत करने से पहले भी ऐसे सर्वेक्षण और जांच कर सकता है। वास्तविक साइट की स्थिति और विषय कार्य के निष्पादन के दौरान यहां इंगित किए गए लोगों के बीच किसी भी भिन्नता के लिए कोई भी दावा नहीं किया जाएगा।

**<u>मात्राओं की अनुसूची</u>**

पुल के डिजाइन और निर्माण से पहले मिट्टी की जांच की जानी चाहिए।

## 4. <u>साइट संगठन</u>

संविदाकार इस निविदा दस्तावेज के कार्य-क्षेत्र के अंतर्गत सभी कार्यों के निष्पादन में पर्याप्त अनुभव रखने वाले सुयोग्य कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त करेगा। यदि संविदा की अवधि के दौरान काम की प्रगति असंतोषजनक पाई जाती है, तो संविदाकार ईआईसी की संतुष्टि के अनुसार और नियोक्ता को अतिरिक्त लागत के बिना, प्रस्तावित कार्य की संतोषजनक प्रगति और समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर्मियों/संसाधनों को तुरंत जुटाएगा।

## 5. <u>पर्यवेक्षण और निगरानी</u>

प्रभारी अभियंता अथवा उनके प्रतिनिधि द्वारा निगरानी की जाएगी। पर्यवेक्षण और निगरानी संविदाकार को संविदा के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए राहत नहीं देगी।

## 6. <u>समयसीमा और मील के पत्थर</u>

### 6.1 समयसीमा

(i) संविदाकार को काम सौंपने के बाद संविदा करार करना होगा जो नियोक्ता और सफल बोलीदाता के बीच समय-समय पर आदान-प्रदान किए गए सभी पत्राचार और नियमों और शर्तों का गठन करेगा।

(ii) संविदा को परस्पर सहमत निबंधन एवं शर्तों पर संविदाकार की आवश्यकता और संतोषजनक निष्पादन के अनुसार उपयुक्त अवधि के लिए आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

### 6.2 मील का पत्थर

(i) संविदाकार को अविभाज्य/मद कार्यों अथवा कार्यों के भाग के प्रारंभ के लिए लिखित स्थल आदेश के माध्यम से अनुदेश दिया जाएगा। इस तरह के काम या काम लिखित आदेश के आवेदन की दिनांक से 20 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा।

(ii) संविदाकार 2 दिनों के भीतर पूरा होने के बाद सामग्री/व्यवस्था के प्लेसमेंट को लिखित रूप में सूचित करेगा ताकि ईआईसी इसके निरीक्षण की व्यवस्था कर सके। ईआईसी या उनके प्रतिनिधि तुरंत निरीक्षण करेंगे और तदनुसार

एक प्रमाणपत्र दाखिल करेंगे।

(iii) संविदाकार लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यों के निष्पादन के दौरान सभी आवश्यक साधनों को अपनाना सुनिश्चित करेगा। यदि संविदाकार निर्धारित समय के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहता है, तो ईआईसी अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा समय-समय पर दिए गए विनिर्देशों और निर्देशों के अनुसार, जीसीसी के खंड 812 में यथा परिभाषित परिनिर्धारित हानि होगी।

**7. <u>गुणवत्ता नियंत्रण</u>**

संविदाकार ईआईसी के अनुमोदन के लिए, कार्यों के 15 दिन पहले, कार्यों के निष्पादन के लिए गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली के लिए अपने विस्तृत प्रस्ताव तैयार करेगा और प्रस्तुत करेगा। ईआईसी की प्रणाली की लिखित स्वीकृति काम शुरू होने से पहले प्राप्त की जाएगी और संविदाकार द्वारा ईआईसी की लिखित अनुमति के बिना प्रणाली में बदलाव नहीं किया जाएगा।

गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली में अन्य बातों के साथ-साथ स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा:

क) गुणवत्ता नियंत्रण के लिए जिम्मेदार संविदाकार के कर्मी;

ख) उपयोग की जा रही सामग्री के प्रकार की निगरानी और निर्धारण की विधि;

ग) यह निर्धारित करने की विधि कि सामग्री कार्यों के लिए उपयुक्त है या नहीं; और

घ) किए जा रहे सभी कार्यों के लिए ईआईसी या उसके प्रतिनिधि से अनुमोदन प्राप्त करने की प्रणाली।

**8. <u>भुगतान</u>**

(i) संविदा के तहत देय कुल संविदा मूल्य स्वीकृति पत्र में निर्धारित किया जाएगा और उसके बाद इस संविदा का हिस्सा बन जाएगा और यहां शर्तों के अनुसार भुगतान किया जाएगा। उद्धृत मूल्य में नियोक्ता द्वारा संविदाकार को भुगतान किए जाने वाले सभी प्रभार पूरी तरह से शामिल होंगे।

(ii) संविदाकार को विधिवत निरीक्षण के बाद ईआईसी अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा जारी मापों/प्रमाणपत्रों के आधार पर किए गए वास्तविक कार्य के लिए भुगतान प्राप्त होगा।

(iii) प्रत्येक मद के लिए भुगतान ईआईसी अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा कार्य निष्पादन के दौरान अथवा कार्य पूरा होने पर निरीक्षण एवं सत्यापन के बाद किया जाएगा। भुगतान पात्रता के लिए कवर करने से पहले सभी छिपी हुई वस्तुओं को ईआईसी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

(iv) संविदाकार द्वारा निष्पादित वास्तविक कार्य पर मासिक रनिंग एकाउंट बिल (आरए बिल) प्रस्तुत करेगा। संविदाकार को ईआईसी द्वारा सत्यापन और प्रमाणन के बाद प्रस्तुत मासिक आरए बिलों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

(v) कुल संविदा मूल्य निश्चित होगा और संविदा की पूरी अवधि के दौरान कोई भी वृद्धि/समायोजन नहीं होगा।

**9. <u>संविदा मूल्य भार</u>**

इस करार के लिए संविदा मूल्य *******रुपए है।

परियोजना के निर्माण के विभिन्न चरणों के लिए संविदा मूल्य का अनुपात नीचे निर्दिष्ट के रूप में होगा:

| **भारिता** |
|---|

| मद | भारिता संविदा मूल्य के प्रतिशत में भारिता | भुगतान के लिए चरण | विशेष मद के लिए प्रतिशत भारिता (कॉलम 2) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| संरचनात्मक इस्पात, मुख्य अवधि और आरई दीवार और पहुंच मार्ग कार्य सहित पुल। | **100** | **<u>क्लास-बी लोडिंग का सिंगल लेन ब्रिज</u>** | |
| | | (1) मृदा परीक्षण, डिजाइन और सरकारी संस्थान से पुनरीक्षण के साथ ड्राइंग प्रस्तुत करना | 10 |
| | | (2) नींव: रिटर्न वॉल, एबटमेंट, पियर्स के लिए नींव सहित नींव का काम पूरा होने पर | 26.77 |
| | | (3) उप-संरचना: एबटमेंट, रिटर्न वॉल, पियर्स, पियर कैप, एबटमेंट कैप के पूरा होने पर | 7.27 |
| | | (4) सुपर-स्ट्रक्चर: बेयरिंग, स्टील स्ट्रक्चर वर्क, डेक स्लैब, एक्सपेंशन जॉइंट, रेलिंग और वियरिंग कोर्स सहित सभी तरह से सुपर-स्ट्रक्चर के पूरा होने पर | 16.58 |
| | | (5) दृष्टिकोण (आरई दीवारों, पृथ्वी भरने, सड़क कार्य, रेलिंग, सड़क फर्नीचर और सड़क सुरक्षा कार्यों सहित) | 33.19 |
| | | (6) संरक्षण और अन्य कार्य | 1.19 |
| | | (7) परीक्षण और हैंडओवर | 5 |
| | | **योग:** | **100** |

**10. <u>भुगतान अनुसूची और चरण</u>**

मासिक भुगतान पर संविदाकार द्वारा की गई प्रगति के आधार पर, कार्य की पूरी की गई मद के समग्र भार (नीचे तालिका के अनुसार) को ध्यान में रखते हुए और प्रभारी अभियंता (अर्थात निदेशक, आईडब्ल्यूएआई, कोलकाता) द्वारा विधिवत निरीक्षण और प्रमाणन के बाद विचार किया जाएगा।

| प्रमुख शीर्ष | भारिता | भुगतान अनुसूची और चरण |
|---|---|---|
| पुल | | |
| (1) सरकारी संस्थान से पुनरीक्षण के साथ डिजाइन और ड्राइंग प्रस्तुति; श्रमिकों, सामग्री, उपकरणों का जुटाना। | 10.00 | पुनरीक्षित डिजाइन और ड्राइंग प्रस्तुत करने पर |
| (2) नींव रिटर्न वॉल, एबटमेंट, पियर्स के लिए नींव सहित नींव का काम पूरा होने पर। | 26.77 | 1. पुल के हिस्से के ढेर/कुएं/खुली नींव के पूरा होने पर 16.77%<br>2. पुल के हिस्से की पाइल कैप/वेल कैप के पूरा होने पर 10% |

| | | |
|---|---|---|
| (3) उप-संरचना: एबटमेंट, रिटर्न वॉल, पियर्स, पियर कैप, एबटमेंट कैप के पूरा होने पर | 7.27 | 1. पियर कैप का 4.27% पूरा होना<br>2. एबटमेंट कैप का 3.00% पूरा होना |
| (4) सुपर-स्ट्रक्चर: बेयरिंग, स्टील स्ट्रक्चर वर्क, डेक स्लैब, एक्सपेंशन जॉइंट, रेलिंग और वियरिंग कोर्स सहित सभी तरह से सुपर-स्ट्रक्चर के पूरा होने पर। | 16.59 | 1. स्थल पर प्राप्त एमएस संरचनात्मक थोक सामग्री पर 5%।<br>2. ट्रस के निर्माण और डेक स्लैब की कास्टिंग पर 10% (मुख्य स्लैब पर 6% + डक्ट के माध्यम से 2% + डक्ट के माध्यम से 2%)।<br>3 वियरिंग कोर्स + हैंड रेल के पूरा होने पर 1.59% |
| (5) दृष्टिकोण (आरई दीवारों, पृथ्वी भरने, सड़क कार्य, रेलिंग, सड़क फर्नीचर और सड़क सुरक्षा कार्यों सहित) | 33.18 | 1. आरई दीवार के डिजाइन और ड्राइंग प्रस्तुत करने पर 3%<br>2. जमीन सुधार के पूरा होने पर 3% (दोनों तरफ से प्रत्येक 1.5%)<br>3. आरई दीवार पैनल के लिए नींव के पूरा होने पर 2% (दोनों तरफ प्रत्येक 1%)<br>4. आरई दीवार पैनल कास्टिंग के पूरा होने पर 5% (दोनों तरफ प्रत्येक 2.5%)<br>5. पुनः दीवार पैनल के निर्माण पर 5% (दोनों तरफ प्रत्येक 2.5%)<br>6. तटबंध मिट्टी भरने पर 5% (दोनों तरफ प्रत्येक 2.5%)<br>7. उप आधार, उप ग्रेड और सीसी सड़क पूर्णता पर 5% (दोनों तरफ प्रत्येक 2.5%)<br>8. रेलिंग और अन्य कार्य पूरा होने पर 5.18% (दोनों तरफ प्रत्येक 2.59%) |
| (6) संरक्षण और अन्य सुरक्षा बाधाएं/साइट क्लीयरेंस/अंकन | 1.19 | सुरक्षा और अन्य सुरक्षा बाधाओं/स्थल मंजूरी/चिह्नों के पूरा होने पर। |
| (7) परीक्षण, कमीशनिंग और हैंडओवर। | 5.00 | आईडब्ल्यूएआई के सक्षम प्राधिकारी की जांच और स्वीकृति पूरी होने पर। |
| **कुल योग:** | **100.00** | |

# खंड-VII: संविदा की सामान्य शर्तें

## 1) सामान्य प्रावधान

### 1.1 परिभाषाएँ

| | | |
|---|---|---|
| 1.1.1 | **नियोक्ता** | **"नियोक्ता"** का अर्थ है अध्यक्ष, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और उनके उत्तराधिकारी |
| 1.1.2 | **प्राधिकरण/विभाग/मालिक** | **"प्राधिकरण/विभाग/स्वामी"** का अर्थ भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण होगा, जो अध्यक्ष, आईडब्ल्यूएआई की ओर से निविदाएं आमंत्रित करता है और इसमें कानूनी प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी और समनुदेशित शामिल हैं। |
| 1.1.3 | **अध्यक्ष** | **"अध्यक्ष"** का अर्थ है भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष। |
| 1.1.4 | **सचिव** | **"सचिव"** का अर्थ है प्राधिकरण का सचिव। |
| 1.1.5 | **निदेशक** | **"निदेशक"** का अर्थ है प्राधिकरण का निदेशक, जैसा भी मामला हो। |
| 1.1.6 | **उप निदेशक** | **"उप निदेशक"** का अर्थ है प्राधिकरण का उप निदेशक, जैसा भी मामला हो। |
| 1.1.7 | **संविदाकार** | **"संविदाकार"** का अर्थ है सफल बोलीदाता जिसे इस निविदा दस्तावेज के तहत कवर किए गए कार्य को करने के लिए संविदा दिया गया है और संविदाकार के उत्तराधिकारी, निष्पादकों, प्रभारी अभियंता द्वारा अनुमोदित प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए समझा जाएगा। |
| 1.1.8 | **संविदाकार का प्रतिनिधि** | **"संविदाकार के प्रतिनिधि"** का अर्थ है संविदा में संविदाकार द्वारा नामित व्यक्ति या संविदाकार द्वारा समय-समय पर नियुक्त किया जाता है, जो संविदाकार की ओर से कार्य करता है। |
| 1.1.9 | **नियोक्ता का कार्मिक** | **"नियोक्ता के कार्मिक"** का अर्थ है अभियंता, सहायक और अन्य सभी कर्मचारी, श्रम और अभियंता और नियोक्ता के अन्य कर्मचारी; और नियोक्ता या अभियंता द्वारा नियोक्ता के कार्मिक के रूप में संविदाकार को अधिसूचित कोई अन्य कर्मी। |
| 1.1.10 | **संविदाकार** के **कार्मिक** | **"संविदाकार के कार्मिक"** का अर्थ है संविदाकार के प्रतिनिधि और सभी कर्मी जिन्हें संविदाकार साइट पर उपयोग करता है, जिसमें संविदाकार और प्रत्येक उपसंविदाकार के कर्मचारी, श्रम और अन्य कर्मचारी शामिल हो सकते हैं; और कार्यों के निष्पादन में संविदाकार की सहायता करने वाले किसी भी अन्य कर्मी। |
| 1.1.111 | **प्रभारी अभियंता/अभियंता** | **अभियंता-इन-चार्ज (ईआईसी) या अभियंता** का अर्थ है नियोक्ता की ओर से कार्यों के निर्देशन, पर्यवेक्षण और प्रभारी होने के लिए अधिकृत नियोक्ता कर्मी। |
| 1.1.12 | **उपसंविदाकार** | **“"उपसंविदाकार"** का अर्थ है संविदा में नामित कोई भी व्यक्ति जो निर्माण कार्य के एक हिस्से के लिए उपसंविदाकार के रूप में नामित है या कोई भी व्यक्ति जिसे निर्माण कार्य का एक हिस्सा संविदाकार द्वारा ईआईसी की सहमति से उप-अनुबंधित किया गया है और ऐसे व्यक्ति के शीर्षक में कानूनी उत्तराधिकारी, लेकिन ऐसे किसी भी व्यक्ति का कोई समनुदेशिती नहीं। |

| | | |
|---|---|---|
| 1.1.13 | **प्रभारी अभियंता प्रतिनिधि/सहायक** | "**प्रभारी अभियंता/सहायक**" से प्रभारी अभियंता द्वारा परियोजना को पूरा करने के लिए दैनिक पर्यवेक्षण, जाँच, माप लेने, बिलों की जाँच करने, गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने, कार्यों का निरीक्षण करने तथा अन्य संबंधित कार्यों के लिए प्रभारी अभियंता द्वारा नामित किसी भी अधिकारी से अभिप्रेत होगा। |
| 1.1.14 | **संविदा** | "**संविदा**" का अर्थ है संविदा समझौता, स्वीकृति पत्र, निविदा का रूप, शर्तें (जीसीसी और एससीसी), टीओआर, विनिर्देशों, ड्राइंग, और आगे के दस्तावेज (यदि कोई हो) जो संविदा करार में सूचीबद्ध हैं या स्वीकृति पत्र। |
| 1.1.15 | **विनिर्देश** | **"विनिर्देश** का अर्थ है संविदा में शामिल कार्यों की तकनीकी विशिष्टताएं और विशेष शर्तें और संविदाकार द्वारा किए गए या प्रस्तुत किए गए किसी भी संशोधन या इसके अलावा और अभियंता द्वारा अनुमोदित। |
| 1.1.16 | **पार्टी** | "**पार्टी**" का अर्थ है या तो नियोक्ता या संविदाकार जैसा भी मामला हो और "पक्ष" का अर्थ है दोनों। |
| 1.1.17 | **आरंभ तिथि** | "**प्रारंभ तिथि**" का अर्थ है खंड 8.1 के तहत अधिसूचित तिथि। |
| 1.1.18 | **समापन का समय** | "**पूरा होने का समय**" का अर्थ है कार्यों के पूरा होने पर परीक्षणों को पूरा करने और पास करने का समय या संविदा में बताए गए किसी भी खंड या उसके हिस्से (या खंड 8.6 के तहत विस्तारित) प्रारंभ तिथि से गणना की जाती है। |
| 1.1.19 | **दिन** | **"दिन**" का अर्थ है एक कैलेंडर दिन और "वर्ष" का अर्थ है 365 दिन। |
| 1.1.20 | **जीसीसी** | **“"जीसीसी**" का अर्थ है संविदा की सामान्य शर्तों |
| 1.1.21 | **एससीसी** | "**एससीसी**" का अर्थ है संविदा की विशेष शर्तें |
| 1.1.22 | **कार्य आदेश** | **“कार्य आदेश**" का अर्थ प्राधिकरण से एक पत्र है जिसमें निविदा/प्रस्ताव की स्वीकृति की सूचना दी गई है, जो इस तरह की शर्तों के अधीन है जैसाकि उसमें कहा गया हो। |
| 1.1.23 | **स्वीकृति पत्र** | **“स्वीकृति पत्र**" का अर्थ है नियोक्ता द्वारा सफल बोलीदाता को संविदाकार के प्रस्ताव की स्वीकृति को सूचित करने के लिए जारी किया गया औपचारिक पत्र और अन्य नियमों और शर्तों सहित निर्दिष्ट करेगा, कार्यों के निष्पादन और पूरा होने पर विचार करने में कुल संविदा मूल्य और संविदा के नियमों और शर्तों के अनुसार संविदाकार द्वारा उसमें किसी भी दोष का निवारण। |
| 1.1.24 | **मात्रा का बिल** | **“मात्रा का बिल**" का अर्थ है निविदा का हिस्सा बनने वाली मात्रा का मूल्य और पूर्ण बिल। |
| 1.1.25 | **पूर्ण होने पर परीक्षण** | **“"पूरा होने पर परीक्षण**" का अर्थ है संविदा में निर्दिष्ट परीक्षण या अन्यथा अभियंता और संविदाकार द्वारा सहमति व्यक्त की गई है जो संविदाकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों या किसी भी खंड या उसके हिस्से से पहले नियोक्ता द्वारा लिए जाते हैं। |
| 1.1.26 | **कार्यभार ग्रहण प्रमाणपत्र** | **"कार्यभार ग्रहण प्रमाणपत्र**" का अर्थ है काम के कुल पूरा होने पर जारी किया गया प्रमाणपत्र। |

**1.1.27 संविदा मूल्य** "**संविदा मूल्य**" का अर्थ है स्वीकृति पत्र में निर्दिष्ट मूल्य परिवर्धन और समायोजन या उससे कटौती के अधीन जैसाकि संविदा के अनुसार किया जा सकता है।

**1.1.28 लागत** "**लागत**" का अर्थ है संविदाकार द्वारा यथोचित रूप से किए गए सभी व्यय (या किए जाने वाले), चाहे साइट पर या बाहर, ओवरहेड और इसी तरह के शुल्क सहित, लेकिन इसमें लाभ शामिल नहीं है।

**1.1.29 स्वीकृत संविदा राशि** "**स्वीकृत संविदा राशि**" का अर्थ है किसी भी दोष के समाधान सहित कार्यों के निष्पादन और पूरा करने के लिए स्वीकृति पत्र में स्वीकार की गई राशि।

**1.1.30 अंतिम भुगतान प्रमाणपत्र** "**अंतिम भुगतान प्रमाणपत्र**" का अर्थ है उप-खंड 15.10 के तहत जारी भुगतान प्रमाणपत्र

**1.1.31 माल** **"माल"** का अर्थ है संविदाकार के उपकरण, सामग्री, संयंत्र और अस्थायी कार्य, या उनमें से कोई भी उपयुक्त हो।

**1.1.32 संविदाकार के उपकरण** **"संविदाकार के उपकरण"** का अर्थ है सभी उपकरण, मशीनरी, वाहन और कार्यों के निष्पादन और पूरा होने और किसी भी दोष के उपाय के लिए आवश्यक अन्य चीजें, हालांकि, संविदाकार के उपकरण अस्थायी कार्य, नियोक्ता के उपकरण (यदि कोई हो), संयंत्र, सामग्री और स्थायी कार्यों का हिस्सा बनाने या बनाने के उद्देश्य से किसी भी अन्य चीजों को शामिल नहीं करते हैं।

**1.1.33 साइट** "**साइट**" का अर्थ उन स्थानों से है जहां स्थायी कार्यों को निष्पादित किया जाना है और जहां संयंत्र और सामग्री वितरित की जानी है, और किसी भी अन्य स्थानों को साइट के हिस्से के रूप में संविदा में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

**1.1.34 स्थायी कार्य** "**स्थायी कार्य**" का अर्थ है संविदा के तहत संविदाकार द्वारा निष्पादित किए जाने वाले स्थायी कार्य।

**1.1.35 अस्थायी कार्य** "**अस्थायी कार्य**" का अर्थ है स्थायी कार्यों के निष्पादन और समापन और किसी भी दोष के समाधान के लिए साइट पर आवश्यक हर प्रकार के सभी अस्थायी कार्य (संविदाकार के उपकरण के अलावा)।

**1.1.36 लागू कानून** "**लागू कानून**" का अर्थ है कानून और किसी भी अन्य उपकरण जो समय के लिए भारत में कानून का बल रखते हैं।

**1.1.37 स्वीकृति** **"अनुमोदन"** का अर्थ है नियोक्ता द्वारा लिखित रूप में सहमति

**1.2 व्याख्या**

1.2.1 जहां संविदा की आवश्यकता होती है, केवल एकवचन प्रदान करने वाले शब्दों में बहुवचन और इसके विपरीत भी शामिल होंगे। पुर्लिंग के किसी भी संदर्भ में जब भी आवश्यक हो, स्त्रीलिंग और इसके विपरीत शामिल होंगे।

1.2.2 इन सामान्य शर्तों में शीर्षक और सीमांत नोटों को उसका हिस्सा नहीं माना जाएगा या संविदा के निर्माण की व्याख्या में ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

1.2.3 संविदा में जहां भी, किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी नोटिस, सहमति, अनुमोदन, प्रमाणपत्र या निर्धारण को देने या जारी करने के लिए प्रावधान किया जाता है, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो, ऐसी सूचना, सहमति,

अनुमोदन, प्रमाणपत्र या निर्धारण लिखित रूप में होगा और शब्द "अधिसूचित", "प्रमाणित" या "निर्धारित" तदनुसार लगाया जाएगा। ऐसी कोई भी सहमति, अनुमोदन, प्रमाणपत्र या निर्धारण अनुचित रूप से रोका या विलंबित नहीं किया जाएगा।

**1.3 कानून और भाषा**

संविदा देश के कानून (भारतीय कानून) द्वारा शासित होगा।

संचार के लिए भाषा एससीसी में बताए अनुसार अंग्रेजी होगी।

**1.4 दस्तावेजों की प्राथमिकता**

संविदा बनाने वाले दस्तावेजों को एक दूसरे के पारस्परिक व्याख्यात्मक के रूप में लिया जाना है। व्याख्या के प्रयोजनों के लिए, दस्तावेजों की प्राथमिकता निम्नलिखित अनुक्रम के अनुसार होगी:

क) संविदा करार (यदि पूरा हो गया है),

ख) स्वीकृति पत्र/कार्य आदेश

ग) संविदा की विशेष शर्तें

घ) मात्रा का मूल्य बिल

ङ) संविदा की सामान्य शर्तें

च) ड्राइंग और परिशिष्ट

छ) तकनीकी विनिर्देश

ज) पोस्ट बोली पत्राचार और संविदा का हिस्सा बनाने वाले कोई भी अन्य दस्तावेज।

यदि दस्तावेजों में कोई अस्पष्टता या विसंगति पाई जाती है, तो नियोक्ता/अभियंता इस संबंध में कोई आवश्यक स्पष्टीकरण या निर्देश जारी करने का एकमात्र अधिकार होगा।

**1.5 संविदा करार**

पार्टियां स्वीकृति पत्र जारी होने के 30 दिनों के भीतर एक संविदा करार करेंगी। संविदा करार बोली के साथ संलग्न प्रारूप में होगा। संविदा करार में प्रवेश के संबंध में कानून द्वारा लगाए गए स्टाम्प शुल्क और समान शुल्क (यदि कोई हो) की लागत बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी।

**1.6 समनुदेशन/उप-संविदा**

संविदाकार नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी अन्य पार्टी/फर्म/व्यक्ति को पूरे या किसी भी हिस्से को काम नहीं सौंपेगा।

**1.7 नियोक्ता द्वारा संविदाकार के दस्तावेजों का उपयोग**

क) विनिर्देश और ड्राइंग नियोक्ता की हिरासत और देखभाल में होंगे। जब तक संविदा में अन्यथा न कहा गया हो, संविदा की तीन प्रतियां और प्रत्येक बाद की ड्राइंग संविदाकार को आपूर्ति की जाएगी, जो संविदाकार की लागत पर आगे की प्रतियां बना सकता है या अनुरोध कर सकता है। संविदाकार के प्रत्येक दस्तावेज संविदाकार की हिरासत और देखभाल में होंगे, जब तक कि नियोक्ता द्वारा इसे अपने कब्जे में नहीं ले

लिया जाता। जब तक संविदा में अन्यथा न कहा गया हो, संविदाकार नियोक्ता/अभियंता को संविदाकार के प्रत्येक दस्तावेज की छह प्रतियां प्रदान करेगा।

ख) संविदाकार, साइट पर, संविदा की एक प्रति, विनिर्देश में नामित प्रकाशन, संविदाकार के दस्तावेज (यदि कोई हो), ड्राइंग और विविधताएं और संविदा के तहत दिए गए अन्य संचार रखेगा। नियोक्ता के कार्मिक को सभी उचित समय पर इन सभी दस्तावेजों का अवलोकन करने का अधिकार होगा। यदि कोई पक्ष किसी दस्तावेज़ में तकनीकी प्रकृति की त्रुटि या दोष से अवगत हो जाता है, जिसे कार्यों को निष्पादित करने में उपयोग के लिए तैयार किया गया था, तो पार्टी तुरंत ऐसी त्रुटि या दोष के दूसरे पक्ष को नोटिस देगी।

ग) पार्टियों के बीच, संविदाकार के दस्तावेजों और संविदाकार की ओर से/या उसकी ओर से बनाए गए अन्य परियोजना दस्तावेजों में कॉपीराइट और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों को बनाए रखेगा। संविदाकार को (संविदा पर हस्ताक्षर करके) नियोक्ता को संविदाकार के दस्तावेजों की प्रतिलिपि बनाने, उपयोग करने और संचार करने के लिए एक गैर-समाप्त हस्तांतरणीय गैर-अनन्य रॉयल्टी-मुक्त लाइसेंस देने के लिए समझा जाएगा, जिसमें आईडब्ल्यूएआई के तहत एक ही कार्य या अन्य कार्यों के लिए उनमें संशोधन करना और उपयोग करना शामिल है।

संविदाकार यह लाइसेंस होगा:

1) कार्यों के प्रासंगिक भागों के वास्तविक या इच्छित कामकाजी जीवन (जो भी लंबा हो) में लागू करें,

2) कार्यों को पूरा करने, संचालित करने, बनाए रखने, बदलने, समायोजन, मरम्मत और ध्वस्त करने के प्रयोजनों के लिए संविदाकार के दस्तावेजों की प्रतिलिपि, उपयोग और संचार करने के लिए कार्यों के प्रासंगिक भाग के अधिकृत कब्जे में किसी भी व्यक्ति को पात्र बनाना,

3) संविदाकार के दस्तावेजों के मामले में, जो कंप्यूटर प्रोग्राम और अन्य सॉफ्टवेयर के रूप में हैं, साइट पर किसी भी कंप्यूटर पर और संविदा द्वारा परिकल्पित अन्य स्थानों पर उनके उपयोग की अनुमति देते हैं, जिसमें संविदाकार द्वारा आपूर्ति किए गए किसी भी कंप्यूटर के प्रतिस्थापन शामिल हैं।

संविदाकार द्वारा (या उसकी ओर से) किए गए संविदाकार के दस्तावेज और अन्य डिजाइन दस्तावेज, संविदाकार की सहमति के बिना, इस उप-खंड के तहत अनुमत उद्देश्यों के अलावा नियोक्ता द्वारा (या उसकी ओर से) किसी तीसरे पक्ष को उपयोग, कॉपी या सूचित नहीं किए जाएंगे।

### 1.8 संविदाकार द्वारा नियोक्ता के दस्तावेजों का उपयोग

पार्टियों के बीच, नियोक्ता विनिर्देश में कॉपीराइट और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों, नियोक्ता द्वारा (या उसकी ओर से) किए गए ड्राइंग और अन्य दस्तावेज को बनाए रखेगा। संविदाकार, अपनी लागत पर, संविदा के प्रयोजनों के लिए इन दस्तावेजों की प्रतिलिपि, उपयोग और संचार प्राप्त कर सकता है। वे नियोक्ता की सहमति के बिना, संविदा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक को छोड़कर, संविदाकार द्वारा किसी तीसरे पक्ष को कॉपी, उपयोग या सूचित नहीं किए जाएंगे।

### 1.9 गोपनीय विवरण का प्रकटीकरण

संविदाकार ऐसी सभी गोपनीय और अन्य जानकारी का प्रकटीकरण करेगा जैसाकि नियोक्ता को संविदा के साथ संविदाकार के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए यथोचित आवश्यकता हो सकती है।

### 1.10 कानूनों का अनुपालन

संविदाकार, संविदा करने में, लागू कानूनों का पालन करेगा।

जब तक अन्यथा न हो:

क) नियोक्ता ने स्थायी कार्यों के लिए योजना, ज़ोनिंग या इसी तरह की अनुमति प्राप्त की होगी (या प्राप्त करेगा), और नियोक्ता द्वारा प्राप्त की गई (या होने) के रूप में विशिष्टता में वर्णित कोई अन्य अनुमतियां; और नियोक्ता क्षतिपूर्ति करेगा और संविदाकार को ऐसा करने में किसी भी विफलता के परिणामों के खिलाफ हानिरहित रखेगा; और

ख) संविदाकार सभी नोटिस देगा, सभी करों, कर्तव्यों और शुल्क का भुगतान करेगा, और अपने उपकरण और जनशक्ति के लिए सभी परमिट, लाइसेंस और अनुमोदन प्राप्त करेगा, जैसाकि कार्यों के निष्पादन और पूरा होने और किसी भी दोष के उपाय के संबंध में कानूनों द्वारा आवश्यक है; और संविदाकार क्षतिपूर्ति करेगा और नियोक्ता को ऐसा करने में किसी भी विफलता के परिणामों के खिलाफ हानिरहित रखेगा।

### 1.11 संयुक्त और अनेक दायित्व

यदि संविदाकार (लागू कानूनों के तहत) दो या दो से अधिक व्यक्तियों/कंपनियों के एक जॉइंट वैंचर, कंसोर्टियम या अन्य अनिगमित समूह का गठन करता है

क) इन व्यक्तियों/कंपनियों को संविदा के निष्पादन के लिए नियोक्ता के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी माना जाएगा;

ख) ये व्यक्ति/कंपनियां अपने नेता के नियोक्ता को सूचित करेंगी, जिनके पास संविदाकार को बाध्य करने का अधिकार होगा और इनमें से प्रत्येक व्यक्ति/कंपनी बोली प्रस्तुत करने के एक भाग के रूप में मूल कंपनी की गारंटी प्रदान करेगी।

ग) संविदाकार नियोक्ता की पूर्व सहमति के बिना अपनी संरचना या कानूनी स्थिति को नहीं बदलेगा।

### 1.12 संविदा विवरण गोपनीय होना चाहिए

संविदाकार संविदा के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय इसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा तक। संविदाकार नियोक्ता की लिखित स्वीकृति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पेपर में कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने या प्रकट करने की अनुमति नहीं देगा।

## 2. नियोक्ता

### 2.1 नियोक्ता की जिम्मेदारी

नियोक्ता अपने स्वयं के श्रमिकों के साथ साइट पर काम करेगा, इस तरह के काम के संबंध में:

(क) साइट पर रहने के पात्र सभी व्यक्तियों की सुरक्षा का पूरा सम्मान है, और

(ख) ऐसे व्यक्तियों को खतरे से बचने के लिए साइट को उचित स्थिति में रखें।

यदि अनुच्छेद 4.29 और 4.30 के तहत नियोक्ता साइट पर अन्य संविदाकारों को नियुक्त करेगा, तो उसे सुरक्षा और खतरे से बचने के लिए समान संबंध रखने की आवश्यकता होगी।

### 2.2 नियोक्ता के जोखिम

नियोक्ता के जोखिम वे हैं, जहां तक वे सीधे देश में कार्यों के निष्पादन को प्रभावित करते हैं जहां स्थायी कार्यों को निष्पादित किया जाना है:

(क) युद्ध, शत्रुता (चाहे युद्ध घोषित किया गया हो या नहीं), आक्रमण, विदेशी दुश्मनों का कार्य,

(ख) विद्रोह, क्रांति, विद्रोह, या सैन्य या हड़पी गई शक्ति, या गृहयुद्ध,

(ग) आयनकारी विकिरण, या किसी भी परमाणु ईंधन से रेडियो-गतिविधि द्वारा संदूषण, या परमाणु ईंधन, रेडियो-सक्रिय विषाक्त विस्फोटक या किसी भी विस्फोटक परमाणु असेंबली या परमाणु घटक के अन्य खतरनाक गुणों से किसी भी परमाणु कचरे से,

(घ) ध्वनि या सुपरसोनिक गति से यात्रा करने वाले विमान या अन्य हवाई उपकरणों के कारण दबाव तरंगें,

(ङ) दंगा, हंगामा या अव्यवस्था, जब तक कि केवल संविदाकार या उसके उपसंविदाकारों के कर्मचारियों तक सीमित न हो और कार्यों के संचालन से उत्पन्न न हो,

(च) किसी भी खंड या स्थायी कार्यों के हिस्से के नियोक्ता द्वारा उपयोग या कब्जे के कारण हानि या क्षति, सिवाय इसके कि संविदा में प्रदान किया जा सकता है,

(छ) इस हद तक हानि या क्षति कि यह संविदाकार द्वारा प्रदान किए गए डिजाइन के किसी भी हिस्से के अलावा कार्यों के डिजाइन के कारण है या जिसके लिए संविदाकार जिम्मेदार है, और

(ज) प्रकृति की शक्तियों का कोई भी संचालन (जहां तक यह साइट पर होता है) कि एक अनुभवी संविदाकार:

(झ) यथोचित अनुमान नहीं लगा सकता था, या

(ii) यथोचित रूप से पूर्वाभास कर सकता था, लेकिन जिसके खिलाफ वह निम्नलिखित उपायों में से कम से कम एक को यथोचित रूप से नहीं ले सकता था:

(क) उचित उपाय करके भौतिक संपत्ति को होने वाली हानि या क्षति को रोकना, या

(ख) इस तरह के हानि या क्षति के खिलाफ बीमा करें।

**2.3 साइट तक पहुंच का अधिकार**

नियोक्ता संविदाकार को एससीसी में बताए गए समय (या समय) के भीतर साइट के सभी हिस्सों तक पहुंच और कब्जे का अधिकार देगा। अधिकार और कब्जा संविदाकार के लिए अनन्य नहीं हो सकता है। यदि, संविदा के तहत, नियोक्ता को किसी भी नींव, संरचना, संयंत्र या पहुंच के साधनों का कब्जा (संविदाकार को) देना आवश्यक है, तो नियोक्ता विनिर्देश में बताए गए समय और तरीके से ऐसा करेगा। हालांकि, नियोक्ता निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त होने तक ऐसे किसी भी अधिकार या कब्जे को रोक सकता है।

यदि एससीसी में ऐसा कोई समय नहीं बताया गया है, तो नियोक्ता संविदाकार को साइट तक पहुंच और कब्जे का अधिकार ऐसे समय के भीतर देगा, जैसाकि संविदाकार को प्रस्तुत कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकता है। इसे नियोक्ता को सौंप दिया जाएगा।

यदि संविदाकार को देरी होती है और/या नियोक्ता द्वारा ऐसे समय के भीतर ऐसा कोई अधिकार या कब्जा देने में विफलता के परिणामस्वरूप लागत आती है, तो संविदाकार नियोक्ता/अभियंता को नोटिस देगा और पात्र होगा।

क. ऐसी किसी भी देरी के लिए समय का विस्तार, यदि पूरा होने में देरी हो रही है या होगी

ख. किसी भी ऐसी लागत प्लस उचित लाभ का भुगतान, जिसे संविदा मूल्य में शामिल किया जाएगा।

इस नोटिस को प्राप्त करने के बाद, नियोक्ता/अभियंता इन मामलों पर सहमत होने या निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

हालांकि, अगर और इस हद तक कि नियोक्ता की विफलता संविदाकार द्वारा किसी भी त्रुटि या देरी के कारण हुई थी, जिसमें संविदाकार के किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत करने में त्रुटि या देरी शामिल है, तो संविदाकार समय लागत या लाभ के ऐसे विस्तार का पात्र नहीं होगा।

**2.4 परमिट, लाइसेंस या अनुमोदन**

नियोक्ता (जहां वह ऐसा करने की स्थिति में है) संविदाकार के अनुरोध पर संविदाकार को सुविधा प्रदान करने के लिए उचित सहायता प्रदान करेगा, लेकिन संविदाकार के प्रति ऐसा करने के लिए कोई दायित्व रखे बिना:

क. देश के कानूनों की प्रतियां प्राप्त करके जो संविदा के लिए प्रासंगिक हैं लेकिन आसानी से उपलब्ध नहीं हैं;

ख. देश के कानूनों द्वारा आवश्यक किसी भी परमिट, लाइसेंस या अनुमोदन के लिए संविदाकार के आवेदनों के लिए;

ग. माल की डिलीवरी के लिए, सीमा शुल्क के माध्यम से निकासी सहित; और

घ. संविदाकार उपकरण के निर्यात के लिए जब इसे साइट से हटा दिया जाता है।

ऐसे परमिट, लाइसेंस और अनुमोदन प्राप्त करने से संबंधित सभी लागत संविदाकार द्वारा वहन की जाएगी।

**2.5 नियोक्ता के दावे**

यदि नियोक्ता खुद को इन शर्तों के किसी भी खंड के तहत या अन्यथा संविदा के संबंध में किसी भी भुगतान का पात्र मानता है, तो नियोक्ता संविदाकार को नोटिस और विवरण देगा। हालांकि, देय भुगतान के लिए नोटिस की आवश्यकता नहीं है। नियोक्ता को दावे को जन्म देने वाली घटना या परिस्थितियों से अवगत होने के बाद जितनी जल्दी हो सके नोटिस दिया जाएगा।

विवरण दावे के खंड या अन्य आधार को निर्दिष्ट करेगा, और इसमें उस राशि और/या विस्तार की पुष्टि शामिल होगी जिसके लिए नियोक्ता संविदा के संबंध में खुद को पात्र मानता है। नियोक्ता तब उस राशि (यदि कोई हो) के अनुसार आगे बढ़ेगा जो नियोक्ता संविदाकार द्वारा भुगतान करने का पात्र है। इस राशि को संविदा मूल्य और भुगतान प्रमाणपत्र में कटौती के रूप में शामिल किया जा सकता है। नियोक्ता केवल भुगतान प्रमाणपत्र में प्रमाणित राशि से कोई कटौती करने या संविदाकार के खिलाफ दावा करने का पात्र होगा।

**3. अभियंता/अभियंता-प्रभारी/ईआईसी**

**3.1 अभियंता के कर्तव्य और अधिकार**

नियोक्ता अभियंता की नियुक्ति करेगा जो संविदा में उसे सौंपे गए कर्तव्यों को पूरा करेगा। अभियंता के कर्मचारियों में उपयुक्त योग्य अभियंता और अन्य पेशेवर शामिल होंगे जो अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सक्षम हैं। अभियंता के पास संविदा में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं होगा। अभियंता की निम्नलिखित भूमिकाएं और जिम्मेदारियां होंगी।

**3.1.1** अभियंता संविदा में निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करेगा।

**3.1.2** अभियंता संविदा में निर्दिष्ट या आवश्यक रूप से निहित होने वाले अधिकार का प्रयोग कर सकता है। हालांकि, उसे ऐसे किसी भी अधिकार का प्रयोग करने से पहले नियोक्ता की विशिष्ट स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए; ऐसी आवश्यकताओं का विवरण इस प्रकार है:-

3.1.2.1 खंड 5 के तहत कार्यों के किसी भी हिस्से के उप-संविदा के लिए सहमति;

3.1.2.2 अनुच्छेद 4.7 के तहत निर्धारित अतिरिक्त लागत को प्रमाणित करना;

3.1.2.3 खंड 8 के उप खंड 8.6, 8.7 और 8.8 के तहत समय के विस्तार का निर्धारण;

3.1.2.4 खंड 13 के उप खंड 13.1 और 13.2 के तहत एक भिन्नता जारी करना, सिवाय:

(i) आपातकालीन स्थिति में, जैसाकि अभियंता द्वारा यथोचित रूप से निर्धारित किया गया है; अथवा

(ii) यदि इस तरह की भिन्नता एससीसी के अनुसार अनुमत प्रतिशत से कम से कम ड्रेजिंग और संबद्ध वस्तुओं की मात्रा को बढ़ाएगी या घटाएगी अथवा;

3.1.2.5 खंड 13 के उपखंड 13.3, 13.4 और 13.5 के तहत दरें या कीमतें तय करना।

बशर्ते कि किसी भी अपेक्षित अनुमोदन को अभियंता द्वारा प्रयोग किए गए किसी भी ऐसे अधिकार के लिए नियोक्ता द्वारा दिया गया माना जाएगा।

3.1.2.6 संविदा में स्पष्ट रूप से बताए गए को छोड़कर, अभियंता के पास संविदा के तहत अपने किसी भी दायित्व के संविदाकार को राहत देने का कोई अधिकार नहीं होगा।

### 3.2 अभियंता का प्रतिनिधि

अभियंता के प्रतिनिधि द्वारा नियुक्त किया जाएगा और अभियंता के लिए जिम्मेदार होगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा और ऐसे अधिकार का प्रयोग करेगा जो उप-खंड 3.3 के तहत अभियंता द्वारा उसे सौंपा जा सकता है।

### 3.3 प्रतिनिधि के लिए अभियंता का अधिकार

इस तरह के प्रतिनिधिमंडल के अनुसार अभियंता के प्रतिनिधि द्वारा संविदाकार को दिए गए किसी भी संचार का वही प्रभाव होगा जैसाकि अभियंता द्वारा दिया गया था। बशर्ते कि:

(क) किसी भी काम, सामग्री या संयंत्र को अस्वीकार करने के लिए अभियंता के प्रतिनिधि की कोई भी विफलता ऐसे काम, सामग्री या संयंत्र को अस्वीकार करने और उसके सुधार के लिए निर्देश देने के लिए अभियंता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी, और

(ख) यदि संविदाकार अभियंता के प्रतिनिधि के किसी भी संचार पर सवाल उठाता है, तो वह मामले को अभियंता को संदर्भित कर सकता है जो इस तरह के संचार की सामग्री की पुष्टि, रिवर्स या परिवर्तन करेगा।

### 3.4 सहायकों की नियुक्ति

अभियंता या अभियंता का प्रतिनिधि उपखंड के तहत अपने कर्तव्यों को पूरा करने में अभियंता के प्रतिनिधि की सहायता के लिए किसी भी संख्या में व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है। 3.2. वह संविदाकार को ऐसे व्यक्तियों के नाम, कर्तव्यों और अधिकार के दायरे को सूचित करेगा। ऐसे सहायकों के पास संविदाकार को कोई

निर्देश जारी करने का कोई अधिकार नहीं होगा, जहां तक कि ऐसे निर्देश उन्हें अपने कर्तव्यों को पूरा करने में सक्षम बनाने और संविदा के अनुसार सामग्री, संयंत्र या कारीगरी की स्वीकृति को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं, और उन उद्देश्यों के लिए उनमें से किसी के द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश को अभियंता के प्रतिनिधि द्वारा दिया गया माना जाएगा।

### 3.5 लिखित में निर्देश

अभियंता द्वारा दिए गए निर्देश लिखित रूप में होंगे, बशर्ते कि यदि किसी भी कारण से अभियंता मौखिक रूप से ऐसा कोई निर्देश देना आवश्यक समझता है, तो संविदाकार ऐसे निर्देश का पालन करेगा। अभियंता द्वारा दिए गए इस तरह के मौखिक निर्देश के लिखित रूप में पुष्टि, चाहे निर्देश के बाहर ले जाने से पहले या बाद में, इस उप-खंड के अर्थ के भीतर एक निर्देश माना जाएगा। बशर्ते कि यदि संविदाकार, 7 दिनों के भीतर, अभियंता के किसी भी मौखिक निर्देश को लिखित रूप में अभियंता को पुष्टि करता है और इस तरह की पुष्टि अभियंता द्वारा 7 दिनों के भीतर लिखित रूप में खंडन नहीं की जाती है, तो इसे अभियंता का निर्देश माना जाएगा।

### 3.6 अभियंता निष्पक्ष कार्य करेगा

जहां भी, संविदा के तहत, अभियंता को अपने विवेक का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है:

(क) अपना निर्णय, राय या सहमति देना,

(ख) अपनी संतुष्टि या अनुमोदन व्यक्त करते हुए,

(ग) मूल्य निर्धारित करना, या

(घ) अन्यथा कार्रवाई करना जो नियोक्ता या संविदाकार के अधिकारों और दायित्वों को प्रभावित कर सकती है

वह संविदा की शर्तों के भीतर और सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष रूप से इस तरह के विवेक का प्रयोग करेगा। ऐसा कोई भी निर्णय, राय, सहमति, संतुष्टि की अभिव्यक्ति, या अनुमोदन, मूल्य या कार्रवाई का निर्धारण खंड 16.3.1 में प्रदान किए गए अनुसार किया जा सकता है, समीक्षा की जा सकती है या संशोधित किया जा सकता है।

### 3.7 अभियंता की आपत्ति करने की स्वतंत्रता

अभियंता को संविदाकार द्वारा प्रदान किए गए किसी भी व्यक्ति को तुरंत कार्य से हटाने के लिए संविदाकार पर आपत्ति करने और आवश्यकता होगी, जो अभियंता की राय में, कदाचार करता है, या अपने कर्तव्यों के उचित निष्पादन में अक्षम या लापरवाह है, या जिसकी साइट पर उपस्थिति अन्यथा अभियंता द्वारा अवांछनीय माना जाता है, और ऐसे व्यक्ति को अभियंता की सहमति के बिना निर्माण कार्य पर फिर से अनुमति नहीं दी जाएगी। कार्यों से हटाए गए किसी भी व्यक्ति को जल्द से जल्द बदल दिया जाएगा।

## 4 संविदाकार

### 4.1 संविदाकार की सामान्य जिम्मेदारियां

संविदाकार, उचित देखभाल और परिश्रम के साथ, डिजाइन (संविदा द्वारा प्रदान की गई सीमा तक), कार्यों को निष्पादित और पूरा करेगा और संविदा के प्रावधानों के अनुसार उसमें किसी भी दोष का समाधान करेगा। संविदाकार सभी अधीक्षण, श्रम, सामग्री, संयंत्र, संविदाकार के उपकरण और अन्य सभी चीजें प्रदान करेगा, चाहे वह अस्थायी या स्थायी प्रकृति की हो, जो किसी भी दोष के डिजाइन, निष्पादन, पूर्णता और उपचार के लिए आवश्यक हो, जहां

तक इसे प्रदान करने की आवश्यकता संविदा में निर्दिष्ट है या उचित रूप से अनुमान लगाया जाना है।

संविदाकार अभियंता को एक प्रति के साथ, किसी भी त्रुटि, चूक, गलती या अन्य दोष के डिजाइन में किसी भी त्रुटि, चूक, गलती या अन्य दोष के बारे में तत्काल सूचना देगा या कार्यों के लिए विनिर्देश जो वह संविदा की समीक्षा करते समय या कार्यों को निष्पादित करते समय खोजता है।

### 4.2 साइट संचालन और निर्माण के तरीके

संविदाकार सभी साइट संचालन और निर्माण के तरीकों की पर्याप्तता, स्थिरता और सुरक्षा के लिए पूरी जिम्मेदारी लेगा। बशर्ते कि संविदाकार स्थायी कार्यों के डिजाइन या विनिर्देश के लिए, या संविदाकार द्वारा तैयार नहीं किए गए किसी भी अस्थायी कार्यों के डिजाइन या विनिर्देश के लिए जिम्मेदार नहीं होगा (सिवाय इसके कि यहां कहा गया है या अन्यथा सहमति हो सकती है)। जहां संविदा स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि स्थायी कार्यों का हिस्सा संविदाकार द्वारा डिजाइन किया जाएगा, वह अभियंता द्वारा किसी भी अनुमोदन के बावजूद, ऐसे कार्यों के उस हिस्से के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

### 4.3 संविदा करार

**4.3.1** संविदाकार, यदि ऐसा करने के लिए कहा जाता है, तो संविदा करार करेगा और नियोक्ता की लागत पर निष्पादित करेगा और इस तरह के संशोधन के साथ इन शर्तों पर पूरा करेगा, पार्टियां स्वीकृति पत्र जारी करने की दिनांक के 30 दिनों के भीतर एक संविदा करार करेंगी।

**4.3.2** संविदाकार को संविदा दस्तावेज की नि:शुल्क प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाएगी।

**4.3.3** संविदाकार को प्रस्तुत संविदा दस्तावेज की एक प्रति पूर्वोक्त के रूप में संविदाकार द्वारा साइट पर अच्छी स्थिति में रखी जाएगी और यह प्रभारी अभियंता, उनके प्रतिनिधियों या प्राधिकरण के अन्य निरीक्षण अधिकारियों द्वारा निरीक्षण और उपयोग के लिए सभी उचित समय पर उपलब्ध होगी।

**4.3.4** इन दस्तावेजों में से कोई भी संविदाकार द्वारा इस संविदा के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

### 4.4 निष्पादन बैंक गारंटी और प्रतिभूति जमा

**4.4.1** सफल बोलीदाता की बयाना राशि जमा को प्रतिभूति जमा में परिवतत कर दिया जाएगा। बिल की निवल राशि का एक राशि @ 10% संविदाकार के प्रत्येक चल रहे बिल से तब तक काटा जाएगा जब तक कि बयाना राशि जमा के रूप में पहले से जमा की गई राशि के साथ राशि, काम के संविदाकार मूल्य के 5% की प्रतिभूति जमा करने के लिए बिल राशि।

**4.4.2** बोलीदाता कार्य के सौंपे गए मूल्य के 5% के बराबर राशि भारत में राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से अप्रतिसंहरणीय बैंक गारंटी के रूप में भी जमा करेगा, जिसकी वैधता संविदा अवधि के बाद 180 दिनों की होगी।

**4.4.3** तथापि, यदि बोलियां 20% से कम प्राप्त होती हैं तो निविदा लागत और बोली राशि के बीच अंतर के लिए अतिरिक्त निष्पादन गारंटी सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। यह प्रतिभूति जमा और निष्पादन बैंक गारंटी एलओए जारी होने के 21 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

**4.4.4** कुल प्रतिभूति जमा और निष्पादन गारंटी संविदा के पूरा होने तक अथवा करार शर्तों के अनुसार देय अंतिम बिल के भुगतान, जो भी बाद में हो, आईडब्ल्यूएआई के पास रहेगी, बशर्ते नियोक्ता संतुष्ट हो कि परामर्शदाता के

विरुद्ध कोई मांग बकाया नहीं है।

**4.4.5** प्रतिभूति जमा पर कोई ब्याज नहीं देना होगा।

**4.4.6** यदि सलाहकार संविदा के तहत अपने किसी भी दायित्व का पालन करने की उपेक्षा करता है या विफल रहता है, तो नियोक्ता के लिए यह वैध होगा कि वह सलाहकार द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति जमा राशि को पूरे या आंशिक रूप से जब्त कर ले।

तथापि, यदि परामर्शदाता विधिवत रूप से संविदा का निष्पादन करता है और उसे पूरा करता है तथा निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण बेबाकी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है तो आईडब्ल्यूएआई नियोक्ता द्वारा वहन की गई लागत और व्यय तथा अन्य धनराशि, जिसमें नियोक्ता परामर्शदाता से वसूली करने का पात्र है, की कटौती के बाद परामर्शदाता को प्रतिभूति जमा राशि वापस करेगा।

**4.4.7** कार्य की प्रगति में विलंब के मामले में, नियोक्ता, परामर्शदाता को लिखित रूप में ज्ञापन जारी करेगा जिसमें प्रगति में विलंब का उल्लेख किया गया हो और परामर्शदाता से ज्ञापन प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर तथा ज्ञापन जारी होने के 10 दिनों, जो भी पहले हो, के भीतर विलंब के कारणों की व्याख्या करने के लिए कहा जाएगा। यदि नियोक्ता प्रस्तावित स्पष्टीकरणों से संतुष्ट नहीं है, तो वह प्रतिभूति जमा राशि को जब्त कर सकता है और/या लंबित बिलों के भुगतान को पूर्ण या आंशिक रूप से रोक सकता है और/या परामर्शदाता के जोखिम और लागत पर पूर्व-निर्धारित स्तर तक त्वरित कार्य की प्रगति में सुधार के उपाय प्राप्त कर सकता है।

**4.4.8** संविदा या किसी अन्य संविदा की शर्तों के तहत या किसी अन्य खाते पर सलाहकार द्वारा देय सभी मुआवजा या अन्य राशि जो कुछ भी, उसकी सुरक्षा के पर्याप्त हिस्से की बिक्री से या उससे उत्पन्न होने वाले ब्याज से या किसी भी राशि से कटौती की जा सकती है या भुगतान किया जा सकता है जो किसी भी खाते पर नियोक्ता द्वारा सलाहकार के कारण हो सकता है। इसके अलावा, सलाहकार की प्रतिभूति जमा को इस तरह की कटौती या बिक्री के कारण कम किए जाने की स्थिति में, जैसाकि पूर्वोक्त है, परामर्शदाता प्रभारी अभियंता से मांग की सूचना प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर अपनी प्रतिभूति जमा में कमी की भरपाई करेगा।

### 4.5 निविदा की पर्याप्तता

यह माना जाएगा कि संविदाकार ने निविदा की सटीकता और पर्याप्तता तथा मात्रा के बिल में उल्लिखित दरों और मूल्यों के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लिया है, तथा यह सब, सिवाय इसके कि जहां तक संविदा में अन्यथा प्रावधान किया गया है, संविदा के तहत उसके सभी दायित्वों (माल, सामग्री, संयंत्र या सेवाओं की आपूर्ति या आकस्मिकताओं के संबंध में दायित्वों सहित) तथा कार्यों के उचित निष्पादन और समापन तथा उसमें किसी भी दोष के निवारण के लिए आवश्यक सभी मामलों और चीजों को कवर करेगा।

### 4.6 अप्रत्याशित शारीरिक बाधाएं या स्थितियां

यदि, हालांकि, कार्यों के निष्पादन के दौरान, संविदाकार साइट पर जलवायु, समुद्र, नदी की स्थिति के अलावा भौतिक बाधाओं या भौतिक स्थितियों का सामना करता है, तो ऐसी बाधाएं या शर्तें, उनकी राय में, एक अनुभवी संविदाकार द्वारा पूर्वाभास योग्य नहीं थीं, संविदाकार तुरंत नियोक्ता को एक प्रति के साथ अभियंता को इसकी सूचना देगा। इस तरह की सूचना प्राप्त होने पर, अभियंता, यदि उसकी राय में इस तरह के अवरोधों या शर्तों को एक अनुभवी संविदाकार द्वारा यथोचित रूप से पूर्वाभास नहीं किया जा सकता था, तो नियोक्ता और संविदाकार के साथ उचित परामर्श के बाद, निर्धारित करेगा:

क. समय का कोई विस्तार, जिसके लिए संविदाकार खंड 8 के उप खंड 8.6, 8.7 और 8.8 के तहत पात्र है, और

ख. किसी भी लागत की राशि जो संविदाकार द्वारा इस तरह के अवरोधों या शर्तों का सामना करने के कारण हो सकती है, जिसे संविदा मूल्य में जोड़ा जाएगा, और नियोक्ता को एक प्रति के साथ संविदाकार को सूचित करेगा। इस तरह के निर्धारण में किसी भी निर्देश को ध्यान में रखा जाएगा जो अभियंता संविदाकार को उसके संबंध में जारी कर सकता है, और अभियंता को स्वीकार्य कोई भी उचित और उचित उपाय जो संविदाकार अभियंता से विशिष्ट निर्देशों के अभाव में ले सकता है।

### 4.7 निर्माण कार्य संविदा के अनुसार होना चाहिए कार्य

जब तक यह कानूनी या शारीरिक रूप से असंभव न हो, संविदाकार कार्यों को निष्पादित और पूरा करेगा और अभियंता की संतुष्टि के लिए संविदा के अनुसार किसी भी दोष को दूर करेगा। संविदाकार किसी भी मामले पर अभियंता के निर्देशों का सख्ती से पालन करेगा, चाहे संविदा में उल्लेख किया गया हो या नहीं, संविदाकार केवल अभियंता (या उसके प्रतिनिधियों या सहायकों) से निर्देश लेगा।

### 4.8 संविदाकार का कार्यक्रम

**4.8.1** संविदाकार, एससीसी में बताए गए समय के भीतर, स्वीकृति पत्र जारी करने की दिनांक के बाद, अभियंता को उसकी सहमति के लिए इस तरह के रूप में और विस्तार से अभियंता यथोचित रूप से निर्धारित करेगा, कार्यों के निष्पादन के लिए एक कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा, संविदाकार, जब भी अभियंता द्वारा आवश्यक हो, अपनी जानकारी के लिए लिखित रूप में उन व्यवस्थाओं और विधियों का एक सामान्य विवरण भी प्रदान करेगा, जिन्हें संविदाकार कार्यों के निष्पादन के लिए अपनाने का प्रस्ताव करता है।

#### 4.8.2 संशोधित कार्यक्रम

यदि किसी भी समय अभियंता को यह प्रतीत कि कार्यों की वास्तविक प्रगति उस कार्यक्रम के अनुरूप नहीं है जिसके लिए उप-खंड 4.9.1 के तहत सहमति दी गई है, तो संविदाकार, अभियंता के अनुरोध पर, एक संशोधित कार्यक्रम तैयार करेगा जिसमें पूरा होने के समय के भीतर कार्यों को पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक ऐसे कार्यक्रम में संशोधन दिखाया गया हो।

#### 4.8.3 नकदी प्रवाह अनुमान प्रस्तुत किया जाना है

संविदाकार, एससीसी में बताए गए समय के भीतर, समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, अभियंता को उसकी जानकारी के लिए सभी भुगतानों का एक विस्तृत 3 महीने का रोलिंग नकदी प्रवाह प्रदान करेगा, जिसके लिए संविदाकार संविदा के तहत पात्र होगा और संविदाकार बाद में तिमाही अंतराल पर संशोधित नकदी प्रवाह अनुमानों की आपूर्ति करेगा, यदि अभियंता द्वारा ऐसा करना आवश्यक हो।

#### 4.8.4 संविदाकार कर्तव्यों या जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं है

इस तरह के कार्यक्रमों के अभियंता द्वारा प्रस्तुत करने और सहमति या इस तरह के सामान्य विवरण या नकदी प्रवाह अनुमानों के प्रावधान संविदा के तहत अपने किसी भी कर्तव्य या जिम्मेदारियों के संविदाकार को राहत नहीं देंगे।

### 4.9 संविदाकार का अधीक्षण

संविदाकार कार्यों के निष्पादन के दौरान सभी आवश्यक अधीक्षण प्रदान करेगा और उसके बाद जब तक अभियंता संविदा के तहत संविदाकार के दायित्वों को उचित ढंग से पूरा करने के लिए आवश्यक समझ सकता है। संविदाकार, या अभियंता द्वारा अनुमोदित एक सक्षम और अधिकृत प्रतिनिधि, जिसे अनुमोदन किसी भी समय वापस लिया जा सकता है, अपना पूरा समय कार्यों के अधीक्षण को देगा। ऐसे अधिकृत प्रतिनिधि, संविदाकार की ओर से, अभियंता से निर्देश प्राप्त करेंगे।

यदि अभियंता द्वारा प्रतिनिधि का अनुमोदन वापस ले लिया जाता है, तो संविदाकार, जितनी जल्दी व्यावहारिक हो, उसे बदलने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, जैसाकि इसके बाद उल्लेख किया गया है, इस तरह की वापसी की सूचना प्राप्त करने के बाद, प्रतिनिधि को कार्यों से हटा देगा और उसके बाद उसे किसी भी क्षमता में कार्यों पर फिर से नियोजित नहीं करेगा और उसे अभियंता द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्रतिनिधि द्वारा प्रतिस्थापित करेगा।

### 4.10 संविदाकार के कर्मचारी

संविदाकार कार्यों के निष्पादन और पूरा होने और उसमें किसी भी दोष के समाधान के संबंध में साइट पर व्यवस्था प्रदान करेगा

(क) केवल ऐसे तकनीकी कर्मी जो अपने संबंधित कॉलिंग में कुशल और अनुभवी हैं और ऐसे फोरमैन और अग्रणी हाथ जो कार्यों का उचित पर्यवेक्षण देने के लिए सक्षम हैं, और

(ख) ऐसे कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल श्रम जो संविदा के अंतर्गत संविदाकार के दायित्वों को उचित और समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक हैं।

### 4.11 निर्माण कार्य प्रारंभ करना

संविदाकार निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगा:

(क) अभियंता द्वारा लिखित रूप में दिए गए मूल बिंदुओं, पंक्तियों और संदर्भ के स्तरों के संबंध में कार्यों की सटीक स्थापना,

(ख) सटीकता, जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, कार्यों के सभी भागों की स्थिति, स्तर, आयाम और संरेखण, और

(ग) पूर्वगामी जिम्मेदारियों के संबंध में सभी आवश्यक उपकरणों, और श्रम का प्रावधान।

यदि, कार्यों के निष्पादन के दौरान किसी भी समय, कार्यों के किसी भी हिस्से की स्थिति, स्तर, आयाम या संरेखण में कोई त्रुटि दिखाई देती है, तो संविदाकार, अभियंता द्वारा ऐसा करने की आवश्यकता होने पर, अपनी लागत पर, अभियंता की संतुष्टि के लिए ऐसी त्रुटि को सुधारें।

अभियंता द्वारा किसी भी सेटिंग-आउट या किसी लाइन या स्तर की जांच किसी भी तरह से संविदाकार को उसकी सटीकता के लिए उसकी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगी और संविदाकार सावधानीपूर्वक सभी बेंच-मार्क, दृष्टि-रेल, खूंटे और अन्य चीजों की रक्षा और संरक्षण करेगा।

### 4.12 बचाव और सुरक्षा

संविदाकार, कार्यों के निष्पादन और पूरा होने और उसमें किसी भी दोष के समाधान के दौरान:

(क) साइट पर रहने के पात्र सभी व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए पूर्ण संबंध रखेगा और साइट को (जहां तक वह उसके नियंत्रण में है) और कार्यों (जहां तक नियोक्ता द्वारा पूरा नहीं किया जाता है या कब्जा नहीं किया जाता है) को ऐसे व्यक्तियों को खतरे से बचने के लिए उपयुक्त व्यवस्थित स्थिति में रखेगा,

(ख) कार्यों की सुरक्षा के लिए या जनता या अन्य लोगों की सुरक्षा और सुविधा के लिए, जब और जहां अभियंता या किसी विधिवत गठित प्राधिकारी द्वारा आवश्यक हो, सभी रोशनी, गार्ड, बाड़ लगाना, चेतावनी संकेत और देखना, अपनी लागत पर प्रदान करना और बनाए रखना, और

**4.13 बिजली, पानी और गैस**

संविदाकार सभी बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के प्रावधान के लिए जिम्मेदार होगा जो उसे कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक हो सकता है।

**4.14 पर्यावरण की सुरक्षा**

संविदाकार पर्यावरण (साइट पर और बाहर दोनों) की रक्षा के लिए सभी उचित कदम उठाएगा और प्रदूषण, शोर और उसके संचालन के अन्य परिणामों के परिणामस्वरूप लोगों और संपत्ति को हानि और उपद्रव को सीमित करेगा।

संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि संविदाकार की गतिविधियों से उत्सर्जन, सतही निर्वहन और बहिस्त्राव अनुमेय/स्वीकार्य मूल्यों से अधिक नहीं होगा, और लागू कानूनों द्वारा निर्धारित मूल्यों से अधिक नहीं होगा। संविदाकार को उपयुक्त रूप से योग्य कर्मियों के साथ पर्यावरणीय कारकों की निगरानी के लिए एक प्रणाली स्थापित करने और संचालित करने की आवश्यकता होती है जो सीधे कार्यों से प्रभावित हो सकते हैं और अभियंता या देश की सरकार के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों के निरीक्षण के लिए ऐसे रिकॉर्ड उपलब्ध कराते हैं जिनमें कार्य निष्पादित किए जाते हैं और जब भी आवश्यक हो।

**4.15 कार्यों की देखभाल**

संविदाकार कार्यों और सामग्रियों की देखभाल के लिए पूरी जिम्मेदारी लेगा और प्रारंभ तिथि से पूरे कार्यों के लिए कार्य-ग्रहण प्रमाणपत्र जारी करने की दिनांक तक उसमें निगमन के लिए संयंत्र लेगा, जब उक्त देखभाल की जिम्मेदारी नियोक्ता को दी जाएगी, बशर्ते कि:

(क) यदि अभियंता किसी भी खंड या कार्यों के हिस्से के लिए कार्य-ग्रहण प्रमाणपत्र जारी करता है, तो संविदाकार उस खंड की देखभाल के लिए उत्तरदायी होना बंद कर देगा या कार्य-ग्रहण प्रमाणपत्र जारी करने की दिनांक से भाग लेगा, जब देखभाल की जिम्मेदारी उस खंड या भाग की नियोक्ता को पास होगी, और

(ख) संविदाकार किसी भी बकाया कार्यों और सामग्रियों की देखभाल के लिए पूरी जिम्मेदारी लेगा और उसमें निगमन के लिए संयंत्र जिसे वह **दोष दायित्व अवधि** के दौरान पूरा करने का वचन देता है जब तक कि खंड 11 के अनुसार ऐसे बकाया कार्य पूरे नहीं हो जाते।

**4.16 हानि या क्षति को ठीक करने की जिम्मेदारी**

यदि उपखंड 22 में परिभाषित जोखिमों के अलावा, किसी भी कारण से, जिसकी देखभाल के लिए संविदाकार जिम्मेदार है, उस अवधि के दौरान निर्माण, या उसके किसी भाग, या सामग्री या संयंत्र को कोई हानि या क्षति होती है, तो संविदाकार, अपनी लागत पर, इस तरह के हानि या क्षति को ठीक करेगा ताकि स्थायी कार्य संविदा के प्रावधानों के अनुरूप हो। संविदाकार खण्ड 11 के अंतर्गत अपने दायित्वों का अनुपालन करने के प्रयोजन से

उसके द्वारा किए गए किसी भी प्रचालन के दौरान किए गए कार्यों को हुई किसी हानि अथवा क्षति के लिए भी उत्तरदायी होगा।

**4.17 नियोक्ता के जोखिमों के कारण हानि या क्षति**

उप-खंड 2.2 में परिभाषित किसी भी जोखिम से होने वाले किसी भी हानि या क्षति की स्थिति में, या अन्य जोखिमों के संयोजन में, संविदाकार, यदि और अभियंता द्वारा आवश्यक सीमा तक, हानि या क्षति को सुधारेगा और अभियंता खंड 13.3, 13.4 और 13.5 के अनुसार संविदा मूल्य के अतिरिक्त का निर्धारण करेगा, और नियोक्ता को एक प्रति के साथ तदनुसार संविदाकार को सूचित करेगा। हानि या क्षति के कारण जोखिमों के संयोजन के मामले में, ऐसा कोई भी निर्धारण संविदाकार और नियोक्ता की आनुपातिक जिम्मेदारी को ध्यान में रखेगा।

**4.18 विधियों, विनियमों का अनुपालन**

संविदाकार सभी मामलों में अनुरूप होगा, जिसमें सभी नोटिस देना और सभी शुल्क का भुगतान करना शामिल है, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं:

(क) कार्यों के निष्पादन और पूर्णता और उसमें किसी भी दोष के उपाय के संबंध में किसी भी राष्ट्रीय या राज्य क़ानून, अध्यादेश, या अन्य कानून, या किसी भी स्थानीय या अन्य विधिवत गठित प्राधिकरण के किसी भी विनियमन, या उप-कानून, और

(ख) सभी सार्वजनिक निकायों और कंपनियों के नियम और विनियम जिनकी संपत्ति या अधिकार प्रभावित होते हैं या निर्माण कार्य द्वारा किसी भी तरह से प्रभावित हो सकते हैं, और संविदाकार नियोक्ता को ऐसे किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए हर तरह के सभी दंड और देयता के खिलाफ क्षतिपूर्ति रखेगा। बशर्ते कि नियोक्ता किसी भी योजना, ज़ोनिंग या अन्य समान अनुमति प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होगा जो कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है और उप-खंड 20.7 के अनुसार संविदाकार को क्षतिपूर्ति करेगा।

**4.19 जीवाश्मों**

संविदाकार अपने कामगारों या किसी अन्य व्यक्तियों को साइट पर खोजे गए सभी जीवाश्मों, सिक्कों, मूल्य या पुरावशेष वस्तुओं और संरचनाओं और अन्य अवशेषों या भूवैज्ञानिक या पुरातात्विक रुचि की चीजों को हटाने या हानि पहुंचाने से रोकने के लिए उचित सावधानी बरतेगा। संविदाकार इसकी खोज के तुरंत बाद और हटाने से पहले, अभियंता को ऐसी खोज से परिचित करवाएगा और उसी से निपटने के लिए अभियंता के निर्देशों का पालन करेगा। यदि, इस तरह के निर्देशों के कारण, संविदाकार को देरी होती है और/या लागत आती है, तो अभियंता नियोक्ता और संविदाकार के साथ उचित परामर्श के बाद निर्धारित करेगा:

(क) समय का कोई विस्तार जिसके लिए संविदाकार खंड 8 के उप खंड 8.6, 8.7 और 8.8 के तहत पात्र है, और

(ख) ऐसी लागतों की राशि, जिसे संविदा मूल्य में जोड़ा जाएगा, और नियोक्ता को एक प्रति के साथ तदनुसार संविदाकार को सूचित करेगा।

**4.20 पेटेंट अधिकार**

नियोक्ता को किसी भी पेटेंट अधिकार, डिजाइन ट्रेडमार्क या नाम या किसी भी संविदाकार के उपकरण, सामग्री या संयंत्र के संबंध में या उसके संबंध में या उसके संबंध में उपयोग किए जाने वाले सभी दावों और कार्यवाही से

संविदाकार हानिरहित करेगा और सभी नुकसानों के खिलाफ और सभी नुकसानों के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा, लागत, शुल्क और व्यय जो भी उसके संबंध में या उसके संबंध में, सिवाय इसके कि इस तरह के उल्लंघन अभियंता द्वारा प्रदान किए गए डिजाइन या विनिर्देश के अनुपालन के परिणामस्वरूप होते हैं।

**4.21 कॉपी राइट**

संविदाकार द्वारा नियोक्ता को प्रस्तुत डेटा और जानकारी वाले सभी चित्रों, दस्तावेजों और अन्य सामग्रियों में कॉपीराइट संविदाकार में निहित रहेगा या, यदि वे सीधे नियोक्ता को या किसी तीसरे पक्ष द्वारा संविदाकार के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसमें सामग्री के आपूर्तिकर्ता भी शामिल हैं, तो ऐसी सामग्री में कॉपीराइट नियोक्ता की ऐसी तृतीय पक्ष क्षतिपूर्ति में निहित रहेगा।

**4.22 रॉयल्टी**

जहां अन्यथा कहा गया हो, को छोड़कर, संविदाकार सभी टन भार और अन्य रॉयल्टी, किराया और अन्य भुगतान या मुआवजा, यदि कोई हो, का भुगतान करेगा, जो शासी कानूनों के अनुसार कार्यों के लिए आवश्यक पत्थर, रेत, बजरी, मिट्टी या अन्य सामग्री प्राप्त करने के लिए हो।

**4.23 यातायात और आस-पास की संपत्तियों के साथ हस्तक्षेप**

कार्यों के निष्पादन और पूरा होने और उसमें किसी भी दोष के उपाय के लिए आवश्यक सभी संचालन, जहां तक संविदा परमिट की आवश्यकताओं के अनुपालन के रूप में, किया जाएगा ताकि अनावश्यक रूप से या अनुचित रूप से हस्तक्षेप न करें:

(क) जनता की सुविधा, या

(ख) सार्वजनिक या निजी सड़कों और फुटपाथों तक या संपत्तियों तक पहुंच, उपयोग और कब्जा, चाहे वह नियोक्ता या किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में हो।

संविदाकार हानिरहित बचत करेगा और नियोक्ता को सभी दावों, कार्यवाही, क्षतियों, लागतों, शुल्कों और खर्चों के संबंध में क्षतिपूर्ति करेगा, जो भी ऐसे किसी भी मामले से उत्पन्न होता है, या उसके संबंध में, जहां तक संविदाकार इसके लिए जिम्मेदार है।

**4.24 सड़कों और नौचालन सहायक उपकरणों, अस्थायी संरचना/स्थायी संरचना को हानि से बचाव।**

संविदाकार किसी भी सड़क या पुल जेटी, घाट या नदी चैनलों, अंतर्देशीय जलयानों के लिए अस्थायी बर्थ, साइट के मार्गों के साथ या उन मार्गों पर किसी भी यातायात से क्षतिग्रस्त या घायल होने से रोकने के लिए हर उचित साधन का उपयोग करेगा संविदाकार या उसके किसी भी उपसंविदाकार और, विशेष रूप से, मार्गों का चयन करेगा, वाहनों का चयन और उपयोग करेगा और भार को प्रतिबंधित और वितरित करेगा ताकि ऐसा कोई भी असाधारण यातायात जो अनिवार्य रूप से सामग्री, संयंत्र, संविदाकार के उपकरण या अस्थायी कार्यों के स्थान से और साइट पर जाने से उत्पन्न होगा, जहां तक संभव हो, सीमित होगा, और ताकि ऐसी सड़कों और पुलों या अन्य संरचनाओं को कोई अनावश्यक क्षति या चोट न पहुंचे। तथापि, यदि क्षति के संबंध में कोई दावा किया जाता है तो अनुरक्षण/मरम्मत/पुनर्निर्माण/प्रतिस्थापन संविदाकार का दायित्व होगा।

**4.25 संविदाकार के उपकरण या अस्थायी कार्यों का परिवहन**

जहां तक संविदा अन्यथा प्रदान करता है, संविदाकार किसी भी पुल, जेटी, घाट को मजबूत करने या किसी भी

सड़क या नदी चैनलों को बदलने या सुधारने की लागत का भुगतान करेगा, अंतर्देशीय जलयानों के लिए अस्थायी बर्थ, संविदाकार के उपकरण या अस्थायी कार्यों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए साइट के मार्गों पर या उसके साथ संचार करेगा और संविदाकार क्षतिपूर्ति करेगा और नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा और ऐसे किसी भी हानि के लिए सभी दावों के खिलाफ नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा और रखेगा इस तरह के संचालन के कारण सड़क या पुल या अन्य संरचनाएं, ऐसे दावों सहित जो सीधे नियोक्ता के खिलाफ किए जा सकते हैं, और पूरी तरह से इस तरह के हानि से उत्पन्न होने वाले सभी दावों पर बातचीत करेगा और भुगतान करेगा जिनकी लागत को संविदा मूल्य में शामिल माना जाता है। संविदाकार कार्यों के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं और अन्य चीजों की पैकिंग, लोडिंग, परिवहन, प्राप्ति, उतराई, भंडारण और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा

**4.26 सामग्री या संयंत्र का परिवहन**

यदि, उप-खंड 4.25 के बावजूद, किसी भी पुल या सड़क या संरचना जेट्टी, घाटों या नदी चैनलों को कोई हानि होता है, सामग्री या संयंत्र के परिवहन से उत्पन्न होने वाले साइट के मार्गों पर संचार के लिए अस्थायी बर्थ, संविदाकार अभियंता को एक प्रति के साथ नियोक्ता को सूचित करेगा, जैसे ही उसे इस तरह के हानि के बारे में पता चलता है या जैसे ही वह ऐसा करने के पात्र प्राधिकरण से कोई दावा प्राप्त करता है। ऐसे मामलों में संविदाकार इस तरह के दावे के संबंध में सभी राशियों के निपटान और भुगतान पर बातचीत करेगा और नियोक्ता को उसके संबंध में और उसके संबंध में सभी दावों, कार्यवाही, क्षति, लागत, शुल्क और खर्चों के संबंध में क्षतिपूर्ति करेगा। बशर्ते कि यदि और जहां तक ऐसा कोई दावा या उसका हिस्सा है, अभियंता की राय में, संविदाकार की ओर से उप-खंड 4.25 के तहत अपने दायित्वों का पालन करने में किसी भी विफलता के कारण, और संविदाकार उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे को निपटाने के लिए पर्याप्त कदम उठाने में विफल रहता है, तो अभियंता ऐसे दावेदार के साथ बातचीत करने और हानि के लिए भुगतान करने के लिए स्वतंत्र होगा जो संविदाकार से वसूल किया जाएगा नियोक्ता और नियोक्ता द्वारा संविदाकार के कारण या देय होने वाले किसी भी पैसे से काटा जा सकता है और अभियंता नियोक्ता को एक प्रति के साथ तदनुसार संविदाकार को सूचित करेगा। संविदाकार नियोक्ता को उस दिनांक की न्यूनतम 21 दिन पहले सूचना देगा, जिस पर कोई उपकरण, संयंत्र या अन्य वस्तुओं की एक प्रमुख वस्तु साइट पर पहुंचाई जाएगी;

**4.27 जलजनित यातायात**

जहां कार्यों की प्रकृति जलजनित परिवहन के संविदाकार द्वारा उपयोग की आवश्यकता के लिए ऐसी है, इस खंड के पूर्वगामी प्रावधानों का अर्थ लगाया जाएगा जैसे कि "सड़क" में एक ताला, गोदी, समुद्री दीवार या जलमार्ग से संबंधित अन्य संरचना शामिल है और "वाहन" में शिल्प शामिल है, और तदनुसार प्रभावी होगा।

**4.28 अन्य संविदाकारों के लिए अवसर**

संविदाकार, अभियंता की आवश्यकताओं के अनुसार, अपने काम को पूरा करने के लिए सभी उचित अवसर प्रदान करेगा:

(क) नियोक्ता और उनके कामगारों द्वारा नियोजित कोई अन्य संविदाकार

(ख) नियोक्ता के कामगार, और

(ग) किसी भी विधिवत गठित प्राधिकरणों के कामगार जो संविदा में शामिल नहीं किए गए किसी भी कार्य के स्थल पर या उसके निकट निष्पादन में नियोजित हो सकते हैं या किसी भी संविदा के जो नियोक्ता कार्यों के संबंध में या सहायक के संबंध में दर्ज कर सकता है।

**4.29 अन्य संविदाकारों के लिए सुविधाएं**

यदि फिर भी, उप-खंड 4.29 के अनुसार संविदाकार अभियंता के लिखित अनुरोध पर:

(क) ऐसे किसी अन्य संविदाकार, या नियोक्ता या ऐसे किसी प्राधिकरण को, किसी भी सड़क या अनुरक्षण के तरीके उपलब्ध कराना, जिसके अनुरक्षण के लिए संविदाकार जिम्मेदार है,

(ख) साइट पर अस्थायी कार्यों या संविदाकार के उपकरण के किसी भी प्रकार के उपयोग की अनुमति दें, या

(ग) किसी भी तरह के लिए जो भी प्रकृति की कोई अन्य सेवा प्रदान करें, अभियंता खंड 13.3,13.4 और 13.5 के अनुसार संविदा मूल्य के अतिरिक्त निर्धारित करेगा और नियोक्ता को एक प्रति के साथ तदनुसार संविदाकार को सूचित करेगा।

**4.30 संविदाकार को निर्माण स्थल साफ-सुथरा रखना है**

कार्यों के निष्पादन के दौरान संविदाकार साइट को सभी अनावश्यक बाधाओं से यथोचित रूप से मुक्त रखेगा और किसी भी संविदाकार के उपकरण और अधिशेष सामग्री का भंडारण या निपटान करेगा और साइट से किसी भी मलबे, कचरे या अस्थायी कार्यों को हटा देगा जिसकी अब आवश्यकता नहीं है।

**4.31 निर्माण पूरा होने पर साइट से सामान हटाना**

किसी भी कार्य-ग्रहण प्रमाणपत्र के जारी होने से पहले संविदाकार साइट के उस हिस्से को हटा देगा, जिससे इस तरह के कार्य-ग्रहण प्रमाणपत्र सभी संविदाकार के उपकरण, अधिशेष सामग्री और हर तरह के अस्थायी कार्यों से संबंधित है, और साइट के ऐसे हिस्से को छोड़ देगा और अभियंता की संतुष्टि के लिए साफ और काम करने वाली स्थिति में रखेगा। बशर्ते कि संविदाकार साइट पर बनाए रखने का पात्र होगा, दोष देयता अवधि के अंत तक, ऐसी सामग्री, संविदाकार के उपकरण और अस्थायी कार्य जो उसके द्वारा दोष देयता अवधि के दौरान अपने दायित्वों को पूरा करने के उद्देश्य से आवश्यक हैं।

**4.32 अधीक्षण कर्मचारियों की भाषा क्षमता**

संविदाकार के अधीक्षक कर्मचारियों के एक उचित अनुपात को साइट की स्थानीय भाषा और अंग्रेजी भाषा का कार्यसाधक ज्ञान होगा, या संविदाकार के पास निर्देशों और सूचनाओं के उचित प्रसारण को सुनिश्चित करने के लिए हर समय पर्याप्त संख्या में सक्षम दुभाषिए उपलब्ध होंगे।

**4.33 स्थानीय कर्मियों का रोजगार**

संविदाकार को प्रोत्साहित किया जाता है, जहां तक व्यावहारिक और उचित हो, नियोक्ता के देश और देश/स्थान के भीतर स्रोतों से उचित अर्हता और अनुभव के साथ कर्मचारियों और श्रमिकों को नियोजित करने के लिए जहां कार्य निष्पादित किया जाता है।

**4.34 बोरहोल और खोजपूर्ण उत्खनन**

उन कार्यों के संबंध में जिन्हें संविदाकार को नियोक्ता की आवश्यकताओं के अनुसार डिजाइन, ड्राइंग तैयार करने, अभियंता करने और निर्माण करने की आवश्यकता होती है, किसी भी बोरहोल या अन्वेषणात्मक उत्खनन को संविदाकार द्वारा बिना किसी अतिरिक्त लागत के शुरू करने से पहले या निष्पादन के दौरान किया जाना आवश्यक हो सकता है।

**4.35 संविदाकार के उपकरण, अस्थायी कार्य और सामग्री**

**4.36.1 संविदाकार के उपकरण, अस्थायी निर्माण कार्य और सामग्री; कार्यों के लिए विशेष उपयोग**

संविदाकार द्वारा प्रदान किए गए सभी संविदाकार के उपकरण, अस्थायी कार्य और सामग्री, जब साइट पर लाई जाती है, तो विशेष रूप से कार्यों के निष्पादन के लिए अभिप्रेत माना जाएगा और संविदाकार इसे या उसके किसी भी हिस्से को नहीं हटाएगा, सिवाय साइट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में अभियंता की सहमति के बिना ले जाने के उद्देश्य से बशर्ते कि वाहनों, कर्मचारियों के परिवहन में लगे तैरते शिल्प, श्रम, संविदाकार के उपकरण, अस्थायी कार्य, संयंत्र या सामग्री के लिए या साइट से सामग्री के लिए सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।

**4.36.2 नियोक्ता क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं है**

नियोक्ता उक्त संविदाकार के किसी भी उपकरण, अस्थायी कार्य या सामग्री के हानि या क्षति के लिए किसी भी समय उत्तरदायी नहीं होगा, जैसाकि खंड 2.2, 4.16,4.17,4.18 और 14 में उल्लिखित है, ।

**4.36.3 सीमा शुल्क मंजूरी**

नियोक्ता संविदाकार की सहायता करने में अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगा, जहां आवश्यक हो, संविदाकार के उपकरण, सामग्री और कार्यों के लिए आवश्यक अन्य चीजों के सीमा शुल्क के माध्यम से मंजूरी प्राप्त करने में।

**4.36.4 संविदाकार के उपकरणों का पुन: निर्यात**

किसी भी संविदाकार के उपकरण के संबंध में, जिसे संविदाकार ने निर्माण के प्रयोजनों के लिए आयात किया है, नियोक्ता संविदाकार की सहायता के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगा, जहां आवश्यक हो, संविदा की शर्तों के अनुसार और फ्रेमवर्क समझौते में निहित प्रावधानों के अनुसार संविदाकार द्वारा ऐसे संविदाकार के उपकरण के पुन: निर्यात के लिए किसी भी आवश्यक सरकारी सहमति को प्राप्त करने में।

**4.36.5 संविदाकार के उपकरण के किराए की शर्तें**

खंड 17 के तहत समाप्ति की स्थिति में, किसी भी किराए के संविदाकार के उपकरण के कार्यों को निष्पादित करने के उद्देश्य से निरंतर उपलब्धता को सुरक्षित करने की दृष्टि से, संविदाकार अभियंता द्वारा जारी लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना साइट से ऐसे किसी भी उपकरण, सामग्री, अस्थायी कार्यों या संयंत्र को नहीं हटाएगा। नियोक्ता, उक्त खंड 18 की शर्तों के अधीन कार्यों को निष्पादित करने और पूरा करने तथा उसमें किसी भी दोष को दूर करने के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा नियोजित किसी अन्य संविदाकार द्वारा उसके उपयोग की अनुमति देने का पात्र होगा।

**4.36.6 खंड 18 के प्रयोजन के लिए लागत**

उप खंड 4.36.5 के प्रावधानों को लागू करने वाले नियोक्ता की स्थिति में, कार्यों को निष्पादित करने और पूरा करने और खंड 18 के उद्देश्य के लिए उसमें किसी भी दोष के उपाय के उद्देश्य से, इसकी लागत अभियंता द्वारा नियोक्ता के परामर्श से निर्धारित की जाएगी और वही संविदाकार के अपूर्ण दायित्व और दायित्व के रूप में निष्पादित करने और पूरा करने की लागत का निर्माण करेगा और अभियंता द्वारा संविदाकार को उस प्रभाव का नोटिस जारी किया जाएगा ।

**4.36.7 उप-अनुबंधों में खंड का समावेश**

संविदाकार, जहां कार्यों के किसी भी हिस्से के निष्पादन के लिए कोई भी उप-संविदा करता है, इस तरह के उप-संविदा (संदर्भ या अन्यथा द्वारा) में शामिल करता है, संविदाकार के उपकरण के संबंध में उप खंड 4.36.5 और 4.36.6 के प्रावधान, उपसंविदाकार और नियोक्ता द्वारा साइट पर लाए गए अस्थायी कार्यों या सामग्रियों को ऐसे उप-संविदाकार से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे के खिलाफ क्षतिपूर्ति रखी जाएगी।

**4.36 सहयोग**

संविदाकार, जैसाकि संविदा में निर्दिष्ट है या अभियंता द्वारा निर्देश के अनुसार, काम करने के लिए उचित अवसरों की अनुमति देगा:

क) नियोक्ता के कार्मिक,

ख) नियोक्ता द्वारा नियोजित कोई अन्य संविदाकार, और

ग) किसी भी कानूनी रूप से गठित सार्वजनिक प्राधिकरणों के कर्मियों,

जो संविदा में शामिल नहीं किए गए किसी भी कार्य के स्थल पर या उसके पास निष्पादन में नियोजित किया जा सकता है। इस तरह के किसी भी निर्देश में एक भिन्नता का गठन किया जाएगा यदि और इस हद तक कि यह संविदाकार को अप्रत्याशित लागत का कारण बनता है। इन कर्मियों और अन्य संविदाकारों के लिए सेवाओं में संविदाकार के उपकरण, अस्थायी कार्यों या पहुंच व्यवस्था का उपयोग शामिल हो सकता है, जो संविदाकार की जिम्मेदारी है।

यदि, संविदा के तहत, नियोक्ता को संविदाकार के दस्तावेजों के अनुसार किसी भी नींव, संरचना, संयंत्र या पहुंच के साधनों के संविदाकार को कब्जा देने की आवश्यकता होती है, तो संविदाकार ऐसे दस्तावेजों को नियोक्ता/अभियंता को विनिर्देश में बताए गए समय और तरीके से प्रस्तुत करेगा।

## 5 समनुदेशन और सबकॉन्ट्रैक्टिंग

### 5.1 संविदा का समनुदेशन

संविदाकार नियोक्ता की पूर्व सहमति के बिना (जो सहमति नियोक्ता के विवेकाधिकार पर होगी), संविदा या उसके किसी भी हिस्से, या उसमें या उसके तहत किसी भी लाभ या ब्याज को समनुदेशित नहीं करेगा।

### 5.2 उप-संविदा

संविदाकार पूरे कार्यों को उप-संविदाकार को नहीं देगा, सिवाय इसके कि जहां अन्यथा संविदा द्वारा प्रदान किया गया हो। संविदाकार अभियंता के माध्यम से बताए गए नियोक्ता की पूर्व सहमति के बिना कार्यों के किसी भी हिस्से को उप-संविदाकार को नहीं देगा। संविदा के तहत एक उपसंविदाकार एक फर्म या व्यक्ति या संस्था होना चाहिए जो संरचनात्मक समझौते के प्रासंगिक प्रावधानों को पूरा करता है। ऐसी कोई भी सहमति संविदाकार को संविदा के अंतर्गत किसी दायित्व से मुक्त नहीं करेगी और वह किसी उपसंविदाकार, उसके एजेंटों, कामगारों या कामगारों के कृत्यों, चूकों और उपेक्षा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा जैसे कि वे संविदाकार, उसके एजेंटों, कामगारों या कामगारों के कार्य, चूक या उपेक्षा थे। उप-संविदागत कार्य संविदा मूल्य के 15% से अधिक नहीं होगा। यदि अभियंता संविदाकार को कार्य के हिस्से को उप-संविदा देने के लिए अपनी सहमति देता है और ऐसे कार्य का मूल्य संविदा राशि के 10% से अधिक है, तो उप-संविदाकार को इस निविदा दस्तावेज के आईटीबी में निर्धारित सभी प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जिसकी बदले में प्रस्तावित उप-संविदाकार की क्षमता की जांच करने के लिए मूल्यांकन किया जाएगा। ऐसा करने में विफल रहने पर, अभियंता अपने विवेक से, ऐसे उप-

संविदाकार को काम को उप-संविदा देने के संविदाकार के दावे को अस्वीकार कर सकता है।

बशर्ते कि संविदाकार को इस तरह की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी:

(क) श्रम का प्रावधान,

(ख) उन सामग्रियों की प्रापण जो संविदा में निर्दिष्ट मानकों के अनुसार हैं, या

(ग) कार्यों के किसी भी हिस्से का उप-संविदा जिसके लिए मूल संविदा में उपसंविदाकार का नाम दिया गया है।

अन्य सभी मामलों में, संविदाकार नियोक्ता को कम से कम 14 दिनों का नोटिस देगा;

(क) उपसंविदाकार की इच्छित नियुक्ति, विस्तृत विवरण के साथ जिसमें उसका प्रासंगिक अनुभव शामिल होगा,

(ख) उपसंविदाकार के काम की इच्छित शुरुआत, और

(ग) साइट पर उपसंविदाकार के काम की इच्छित शुरुआत।

### 5.3 उपसंविदाकारों के दायित्वों का समनुदेशन

निष्पादित कार्य, या ऐसे उपसंविदाकार द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं, सामग्री, संयंत्र या सेवाओं के संबंध में संविदाकार के प्रति उपसंविदाकार की ओर किए जाने की स्थिति में, संविदा के तहत दोष देयता अवधि से अधिक अवधि के लिए विस्तारित कोई भी निरंतर दायित्व, संविदाकार किसी भी समय, ऐसी अवधि की समाप्ति के बाद, नियोक्ता के अनुरोध और लागत पर, नियोक्ता को उसकी असमाप्त अवधि के लिए इस तरह के दायित्व का लाभ प्रदान करें।

### 5.4 मनोनीत उपसंविदाकार

#### 5.4.1 "नामांकित उपसंविदाकारों" की परिभाषा

सभी विशेषज्ञ, व्यापारी और अन्य जो किसी भी काम को निष्पादित करते हैं या संविदा में शामिल किसी भी सामान, सामग्री, संयंत्र या सेवाओं की आपूर्ति करते हैं, जिन्हें नियोक्ता या अभियंता द्वारा नामित या चयनित या अनुमोदित किया जा सकता है, इस तरह के काम के निष्पादन के लिए या ऐसे सामान, सामग्री, संयंत्र या सेवाओं की आपूर्ति, संविदाकार के लिए उपसंविदाकार माना जाता है और इस संविदा में "नामित उपसंविदाकार" के रूप में संदर्भित किया जाता है।

#### 5.4.2 नामांकित उपसंविदाकार; नामांकन पर आपत्ति

संविदाकार को नियोक्ता या अभियंता द्वारा आवश्यक नहीं किया जाएगा, या किसी भी दायित्व के तहत समझा जाएगा, किसी भी नामित उपसंविदाकार को नियुक्त करने के लिए, जिसके खिलाफ संविदाकार उचित आपत्ति उठा सकता है या जो प्रावधान वाले संविदाकार के साथ उप-संविदा करने से इनकार करता है:

(क) कि उप-संविदा के विषय में कार्य, माल, सामग्री, संयंत्र या सेवाओं के संबंध में, नामित उपसंविदाकार संविदाकार के प्रति ऐसे दायित्वों और देनदारियों को पूरा करेगा जो संविदाकार को संविदा की शर्तों के तहत नियोक्ता के प्रति अपने दायित्वों और देनदारियों का निर्वहन करने में सक्षम बनाएंगे और हानिरहित बचाएंगे और संविदाकार को उसी से और उसके खिलाफ और सभी दावों से क्षतिपूर्ति करेंगे, कार्यवाही, क्षति, लागत, शुल्क और व्यय जो भी उत्पन्न होते हैं या उसके संबंध में, या इस तरह के दायित्वों को पूरा करने में या

ऐसी देनदारियों को पूरा करने में किसी भी विफलता के संबंध में उत्पन्न होते हैं, और

(ख) कि नामित उपसंविदाकार हानिरहित रखेगा और नामित उपसंविदाकार, उसके एजेंटों, कामगारों और कामगारों द्वारा किसी भी लापरवाही से और उसके या उनके द्वारा संविदा के प्रयोजनों के लिए संविदाकार द्वारा प्रदान किए गए किसी भी अस्थायी कार्यों के किसी भी दुरुपयोग से और पूर्वोक्त सभी दावों से संविदाकार को क्षतिपूर्ति करेगा।

**5.4.3 डिजाइन आवश्यकताओं का स्पष्ट निरूपण किया जाए**

यदि कार्यों के निष्पादन के संबंध में प्रदान की जाने वाली किसी भी सेवा के संबंध में स्थायी कार्यों के किसी भी हिस्से या उसमें शामिल किए जाने वाले किसी भी संयंत्र के डिजाइन या विनिर्देश का कोई मामला शामिल है, तो ऐसी आवश्यकता संविदा में स्पष्ट रूप से बताई जाएगी और किसी भी नामित उप-संविदा में शामिल की जाएगी। नामांकित उप-संविदा यह निर्दिष्ट करेगा कि ऐसी सेवाएं प्रदान करने वाला नामित उपसंविदाकार हानिरहित रखेगा और संविदाकार को उसी से और उसके खिलाफ और सभी दावों, कार्यवाही, क्षतियों, लागतों, शुल्कों और खर्चों से क्षतिपूर्ति करेगा, जो भी इस तरह के दायित्वों को पूरा करने या ऐसी देनदारियों को पूरा करने में किसी भी विफलता के संबंध में उत्पन्न होते हैं।

**5.4.4 नामित उपसंविदाकारों को भुगतान**

किसी भी नामित उपसंविदाकार द्वारा निष्पादित सभी कार्य या माल, सामग्री, संयंत्र या सेवाओं के लिए, संविदाकार का पात्र होगा:

(क) अभियंता के निर्देशों पर, और उप-संविदा के अनुसार, संविदाकार द्वारा भुगतान की जाने वाली वास्तविक कीमत या देय कीमत;

(ख) संविदाकार द्वारा आपूर्ति किए गए श्रम के संबंध में, राशि, यदि कोई हो, मात्रा के बिल में दर्ज की गई या, यदि उप-खंड 16.2.2 के पैराग्राफ (क) के अनुसार अभियंता द्वारा निर्देश दिया गया है, जैसाकि खंड 13.3,13.4 और 13.5 के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है; और

(ग) अन्य सभी प्रभारों और लाभ के संबंध में, एक राशि भुगतान की गई वास्तविक कीमत की प्रतिशत दर है या भुगतान की जाने वाली गणना की गई है, जहां प्रासंगिक अनंतिम राशि के खिलाफ निर्धारित की जाने वाली दर के लिए मात्रा के बिल में प्रावधान किया गया है, उस मद के खिलाफ संविदाकार द्वारा डाली गई दर पर या, जहां ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है, एससीसी में संविदाकार द्वारा डाली गई दर पर और दोहराया गया है जहां इस तरह के उद्देश्य के लिए मात्रा के बिल में प्रदान किए गए एक विशेष मद में इस तरह का प्रावधान किया गया है।

**5.4.5 नामांकित उपसंविदाकारों को भुगतान का प्रमाणन**

खंड 15 के तहत जारी करने से पहले, कोई भी प्रमाणपत्र, जिसमें किसी भी नामित उपसंविदाकार द्वारा आपूर्ति किए गए काम या सामान, सामग्री, संयंत्र या सेवाओं के संबंध में कोई भुगतान शामिल है, अभियंता संविदाकार से उचित प्रमाण मांगने का पात्र होगा कि सभी भुगतान, कम प्रतिधारण, काम या माल, सामग्री के संबंध में पिछले प्रमाणपत्र में शामिल हैं, ऐसे नामित उपसंविदाकार के संयंत्र अथवा सेवाओं को संविदाकार द्वारा भुगतान अथवा डिस्चार्ज कर दिया गया है। यदि संविदाकार इस तरह के प्रमाण की आपूर्ति करने में विफल रहता है, तो जब तक कि संविदाकार:

(क) अभियंता को लिखित रूप में संतुष्ट करता है कि उसके पास इस तरह के भुगतान करने से रोकने या इनकार करने का उचित कारण है, और

(ख) अभियंता को उचित प्रमाण देता है कि उसने लिखित रूप में ऐसे नामांकित उपसंविदाकार को सूचित किया है,

नियोक्ता ऐसे नामांकित उपसंविदाकार को प्रत्यक्ष रूप से भुगतान करने का पात्र होगा, अभियंता के प्रमाणपत्र पर, सभी भुगतान, कम प्रतिधारण, नामांकित उप-संविदा में प्रदान किए गए हैं, जो संविदाकार ऐसे नामांकित उपसंविदाकार को बनाने में विफल रहा है

और नियोक्ता द्वारा किसी भी देय राशि से भुगतान की गई राशि को सेट-ऑफ करने के माध्यम से कटौती करने के लिए या नियोक्ता से संविदाकार को देय हो जाता है।

बशर्ते, जहां अभियंता ने प्रमाणित किया है और नियोक्ता ने पूर्वोक्त के रूप में प्रत्यक्ष भुगतान किया है, अभियंता संविदाकार के पक्ष में कोई और प्रमाणपत्र जारी करने में, उसकी राशि से कटौती करेगा, इसलिए भुगतान की गई राशि, पूर्वोक्त के रूप में प्रत्यक्ष, लेकिन संविदा की शर्तों के तहत जारी किए जाने के कारण प्रमाणपत्र के मुद्दे को रोकना या देरी नहीं करना होगा।

## 6 कर्मचारी और श्रम

### 6.1 कर्मचारियों और श्रम की संलिप्तता

संविदाकार, जब तक अन्यथा संविदा में प्रावधान नहीं किया जाता है, सभी कर्मचारियों और श्रमिक, स्थानीय या अन्य, और उनके भुगतान, आवास, भोजन और परिवहन के लिए अपनी व्यवस्था करेगा। श्रमिकों को काम पर लगाने में, फ्रेमवर्क करार में निहित प्रावधानों का संविदाकार द्वारा पूरी तरह से अनुपालन किया जाएगा।

### 6.2 विदेशी कर्मचारी, श्रम और प्रत्यावर्तन

संविदाकार उस देश में आयात कर सकता है जहां कार्यों को निष्पादित किया जाता है, कोई भी कर्मी जो कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक हैं। संविदाकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन कर्मियों को आवश्यक निवास वीजा और वर्क परमिट प्रदान किए जाएं। संविदाकार उस स्थान पर लौटने के लिए जिम्मेदार होगा जहां उन्हें भर्ती किया गया था या ऐसे सभी व्यक्तियों के अधिवास के लिए जिम्मेदार होगा जैसाकि उन्होंने भर्ती किया था और संविदा के प्रयोजनों के लिए या संविदा के संबंध में नियोजित किया था और वह ऐसे व्यक्तियों को बनाए रखेगा जिन्हें उपयुक्त तरीके से वापस किया जाना है जब तक कि वे साइट नहीं छोड़ देंगे।

### 6.3 श्रम के लिए आवास

जहां तक संविदा अन्यथा उपबंधित है, संविदाकार ऐसे आवास और सुविधाओं को प्रदान करेगा और बनाए रखेगा जैसाकि वह अपने सभी कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए आवश्यक समझे, जो संविदा के प्रयोजनों के लिए या संविदा के संबंध में नियोजित हैं, जिसमें सभी बाड़ लगाना, पानी की आपूर्ति (पीने और अन्य दोनों प्रयोजनों के लिए), बिजली की आपूर्ति, स्वच्छता, कुकहाउस, आग की रोकथाम और अग्निशमन उपकरण, ऐसे आवास या सुविधाओं के संबंध में एयर कंडीशनिंग, कुकर, रेफ्रिजरेटर, फर्नीचर और अन्य आवश्यकताएं। संविदा के पूरा होने पर, जब तक अन्यथा नियोक्ता के साथ सहमति न हो, संविदाकार द्वारा प्रदान किए गए अस्थायी शिविरों/आवास को हटा दिया जाएगा और साइट को उसकी मूल स्थिति में बहाल कर दिया जाएगा, सभी अभियंता के अनुमोदन के लिए।

### 6.4 स्वास्थ्य और सुरक्षा

संविदाकार द्वारा उचित सावधानी बरती जाएगी, और अपने स्वयं के खर्च पर, अपने कर्मचारियों और श्रम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और, स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के सहयोग से और स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों की आवश्यकताओं के अनुसार, यह सुनिश्चित करने के लिए कि चिकित्सा कर्मचारी, प्राथमिक चिकित्सा उपकरण और स्टोर, बीमार बे और उपयुक्त एम्बुलेंस सेवा अधिकतम सीमा तक साइट की स्थिति की अनुमति है, संविदा की अवधि के दौरान हर समय शिविरों, आवास और साइट पर उपलब्ध हैं और महामारी की रोकथाम और सभी आवश्यक कल्याण और स्वच्छता आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाती है।

### 6.5 कीट और कीट उपद्रव के खिलाफ उपाय

संविदाकार स्थल पर नियोजित सभी कर्मचारियों और श्रमिकों को कीट उपद्रव, चूहों और अन्य कीटों से बचाने के लिए हर समय आवश्यक सावधानी बरतेगा और स्वास्थ्य के लिए खतरों और इससे होने वाले सामान्य उपद्रव को कम करेगा। संविदाकार मलेरिया की रोकथाम के लिए अपने कर्मचारियों और श्रमिकों को उपयुक्त रोगनिरोधी प्रदान करेगा और पानी के स्थिर पूल के गठन को रोकने के लिए कदम उठाएगा। वह इन मामलों में स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के सभी नियमों का पालन करेगा और विशेष रूप से साइट पर बनाए गए सभी भवनों को अनुमोदित कीटनाशक के साथ अच्छी तरह से स्प्रे करने की व्यवस्था करेगा। इस तरह के उपचार को वर्ष में कम से कम एक बार या जितनी बार आवश्यक हो या अभियंता द्वारा निर्देशित किया जाएगा। संविदाकार अपने कर्मचारियों और श्रमिकों को परियोजना क्षेत्र के भीतर खतरनाक वनस्पतियों और जीवों के खतरों के बारे में चेतावनी देगा।

### 6.6 महामारी

महामारी प्रकृति की बीमारी के किसी भी प्रकोप की स्थिति में, संविदाकार ऐसे विनियमों, आदेशों और अपेक्षाओं का पालन करेगा और उनका पालन करेगा जो सरकार, या स्थानीय चिकित्सा या स्वच्छता प्राधिकरणों द्वारा किए जा सकते हैं, इससे निपटने और उस पर काबू पाने के उद्देश्य से किया जा सकता है।

### 6.7 हथियार और गोला बारूद

संविदाकार किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के किसी भी हथियार या गोला-बारूद को नहीं देगा, वस्तु विनिमय या अन्यथा निपटान नहीं करेगा, या संविदाकार के कर्मियों को ऐसा करने की अनुमति नहीं देगा।

### 6.8 उचित मजदूरी

संविदाकार अपने द्वारा नियोजित श्रमिकों को समय-समय पर संशोधित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और संविदा श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा संविदा श्रमिकों को प्रभावित करने वाले अन्य श्रम कानूनों जिन्हें समय-समय पर लागू किया जाए, में यथा परिभाषित मजदूरी से कम मजदूरी का भुगतान नहीं करेगा।

कार्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित श्रमिकों के संबंध में, संविदाकार सरकार द्वारा समय-समय पर इस उद्देश्य के लिए निर्धारित उपयुक्त अभिलेखों के अनुरक्षण पर नियमों और विनियमों का पालन करेगा। वह अभियंता की संतुष्टि के लिए मजदूरों को मजदूरी के भुगतान पर अपने खातों और वाउचर को बनाए रखेगा। अभियंता को इस तरह के रिकॉर्ड के लिए कॉल करने का अधिकार होगा जो मजदूरों को उचित मजदूरी के भुगतान पर खुद को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक है और संविदा राशि से श्रमिकों को "उचित मजदूरी" खंड के कारण

श्रमिक या श्रमिकों द्वारा उठाए गए हानि को पूरा करने के लिए उपयुक्त राशि काटने का अधिकार होगा।

संविदाकार मुख्य रूप से किए जाने वाले सभी भुगतानों के लिए और सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए गए नियमों के पालन के लिए उत्तरदायी होगा, बिना अपने उप-संविदाकारों से क्षतिपूर्ति का दावा करने के अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए यदि कार्य की प्रकृति समान और समान है।

### 6.9 श्रम और संविदाकार के उपकरणों की वापसी

संविदाकार, यदि अभियंता द्वारा आवश्यक हो, तो अभियंता को विस्तार से, इस तरह के रूप में और ऐसे अंतराल पर एक रिटर्न वितरित करेगा, जैसाकि अभियंता निर्धारित कर सकता है, कर्मचारियों और समय-समय पर संविदाकार द्वारा नियोजित श्रम के कई वर्गों की संख्या दिखा सकता है जिसकी साइट पर और संविदाकार के उपकरण के संबंध में ऐसी जानकारी के रूप में अभियंता की आवश्यकता हो सकती है।

### 6.10 बाल श्रम

संविदाकार इस संविदा के निष्पादन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शामिल नहीं करेगा। संविदाकार बाल श्रम, स्वास्थ्य और सुरक्षा और नियोक्ता देश में मौजूदा किसी भी अन्य ऐसे कानूनों से संबंधित सभी कृत्यों के अनुपालन का पालन करेगा। यदि किसी भी समय 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को संविदाकार या उसके प्रतिनिधियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम पर लगाया जाता है, तो संविदाकार को ऐसी खोज के बाद संविदाकार द्वारा प्रस्तुत बिल से 1% राशि की कटौती का सामना करना पड़ेगा। यह कटौती बाल श्रम करने के लिए संबंधित नियामक निकायों द्वारा लगाए गए दंड के अतिरिक्त होगी।

### 6.11 संविदाकार के आदमियों को हटाना

संविदाकार कार्यों के निष्पादन के लिए केवल ऐसे व्यक्तियों को नियोजित करेगा जो अपने संबंधित ट्रेडों में कुशल और अनुभवी हैं और प्रभारी अभियंता आपत्ति करने के लिए स्वतंत्र होंगे और संविदाकार को कार्यों के निष्पादन के लिए संविदाकार द्वारा नियोजित किसी भी व्यक्ति को कार्यों से हटाने के लिए कहेंगे, जो ईआईसी की राय में, स्वयं कदाचार या अपने कर्तव्यों के उचित निष्पादन में अक्षम या लापरवाह हैं। संविदाकार तुरंत इस तरह की मांग का अनुपालन करेगा और ऐसे व्यक्तियों को ईआईसी की लिखित अनुमति के बिना कार्यों पर फिर से नियोजित नहीं किया जाएगा। काम से हटाए गए किसी भी व्यक्ति को संविदाकार की कीमत पर तुरंत एक योग्य और सक्षम विकल्प द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। यदि संविदाकार से कार्य से हटाए गए किसी व्यक्ति को वापस भेजने का अनुरोध किया जाता है, तो वह ऐसा करेगा और इसके संबंध में सभी लागतों को वहन करेगा।

### 6.12 प्रमुख कर्मियों का प्रतिस्थापन

प्रमुख कर्मियों का प्रतिस्थापन केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य आधार पर होगा या यदि कर्मी संविदाकार के लिए काम करना बंद कर देता है और अब संविदाकार का कर्मचारी नहीं है। प्रभारी अभियंता की लिखित सहमति के बिना संविदाकार किसी भी प्रमुख कर्मी को नहीं बदलेगा। यदि संविदाकार ऐसी गतिविधि में संलग्न होता है अर्थात ईआईसी की सहमति के साथ या उसके बिना प्रमुख कर्मियों का प्रतिस्थापन, तो ऐसी कार्रवाई चालू खाता बिल से कुल राशि का 10% की कटौती होगी। हालांकि, यदि प्रतिस्थापन कर्मियों के स्वास्थ्य के आधार पर किया जाता है तो कोई कटौती नहीं होगी। संविदाकार स्वास्थ्य आधार पर बदले जाने वाले ऐसे कामकों का चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

### 6.13 श्रम कानून

संविदाकार कार्यों के निष्पादन के संबंध में लागू किसी भी स्थानीय या अन्य सांविधिक प्राधिकरण के सभी अधिनियमों, कानूनों, किसी भी विनियमन या उपनियमों के प्रावधानों का भी पालन करेगा जैसे:

i) मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 (संशोधित)

ii) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (संशोधित)

iii) संविदा श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 और उसके अंतर्गत यथा संशोधित नियम

iv) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 को 1976 के संशोधन अधिनियम सं 65 द्वारा यथासंशोधित किया गया है।

v) नियोक्ता की देयता अधिनियम 1938 (संशोधित)

vi) मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 (संशोधित)

vii) औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम 1946 (संशोधित)।

viii) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (संशोधित)

ix) बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 और संशोधित अधिनियम संख्या 1977 का 43 और 1978 का संख्या 48 और उसका किसी भी संशोधन:

ix) व्यक्तिगत चोट (मुआवजा बीमा) अधिनियम 1963 और उसके किसी भी संशोधन और समय-समय पर उसके तहत किए गए नियम। संविदाकार अपनी उद्धृत दरों में उपरोक्त सभी और वित्तीय देयताओं को ध्यान में रखेगा और इस खाते पर उसे कुछ भी अतिरिक्त, जो भी देय होगा, नहीं होगा।

सूची केवल सांकेतिक है, अन्यथा संविदाकार को सभी अधिनियमों/श्रम कानूनों की जानकारी होनी चाहिए और कार्य के संबंध में कर्मठतापूर्वक पालन करना चाहिए। संविदाकार किसी भी अधिनियम/श्रम कानून के उल्लंघन के लिए पूरी तरह से और व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।

## 7 सामग्री, संयंत्र और कारीगरी

### 7.1 सामग्री, संयंत्र और कारीगरी की गुणवत्ता

सभी सामग्री, संयंत्र और होगें:

(क) संविदा में वर्णित संबंधित प्रकार के और अभियंता के निर्देशों के अनुसार, और

(ख) समय-समय पर ऐसे परीक्षणों के अधीन जो अभियंता को निर्माण, निर्माण या तैयारी के स्थान पर, या साइट पर या ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर की आवश्यकता हो सकती है, जैसाकि संविदा में निर्दिष्ट किया जा सकता है, या सभी या ऐसे किसी भी स्थान पर।

संविदाकार ऐसी सहायता, श्रम, बिजली, ईंधन, भंडार, उपकरण और उपकरण प्रदान करेगा जो सामान्य रूप से किसी भी सामग्री या संयंत्र की जांच, माप और परीक्षण के लिए आवश्यक हैं और कार्यों में शामिल होने से पहले सामग्री के नमूनों की आपूर्ति करेगा, परीक्षण के लिए जैसाकि अभियंता द्वारा चुना और आवश्यक हो सकता है।

संविदाकार को व्यावहारिक और उचित सीमा तक, नियोक्ता के देश और उस देश के भीतर स्रोतों से आपूर्ति करने

के लिए जहां काम निष्पादित किया जाता है, सामग्री, संविदाकार के उपकरण, संयंत्र और आपूर्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

**7.2 नमूनों की लागत**

सभी नमूनों की आपूर्ति संविदाकार द्वारा अपनी लागत पर की जाएगी यदि उसकी आपूर्ति स्पष्ट रूप से संविदा में प्रदान की गई है या प्रदान की गई है।

**7.3 परीक्षण की लागत**

किसी भी परीक्षण को करने की लागत संविदाकार द्वारा वहन की जाएगी यदि परीक्षण ऐसा है:

(क) स्पष्ट रूप से संविदा में इरादा या प्रदान किया गया है, या

(ख) संविदा में विशिष्टीकृत (भार के तहत परीक्षण अथवा परीक्षण के मामलों में यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या किसी तैयार अथवा आंशिक रूप से तैयार किए गए कार्य का डिजाइन उन प्रयोजनों के लिए उपयुक्त है जिन्हें पूरा करने का इरादा था) पर्याप्त विस्तार से संविदाकार को अपनी निविदा में मूल्य निर्धारण अथवा अनुमति देने में समर्थ बनाने के लिए।

**7.4 परीक्षणों की लागत निम्नलिखित के लिए प्रदान नहीं की गई है**

यदि अभियंता द्वारा आवश्यक कोई परीक्षण है जो है:

(क) के लिए प्रदान नहीं किया गया,

(ख) (उपर्युक्त मामलों में) इतना विशिष्ट नहीं है, या

(ग) (हालांकि ऐसा इरादा या प्रदान किया गया है) अभियंता द्वारा साइट या सामग्री या संयंत्र के निर्माण, निर्माण या तैयारी के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर किए जाने की आवश्यकता है, सामग्री, संयंत्र या कारीगरी को दर्शाता है अभियंता की संतुष्टि के लिए संविदा के प्रावधानों के अनुसार, तो इस तरह के परीक्षण की लागत संविदाकार द्वारा वहन की जाएगी, लेकिन किसी अन्य मामले में उप-खंड 7.5 लागू होगा।

**7.5 अभियंता का निर्धारण जहां परीक्षण प्रदान नहीं किए गए हैं**

जहां, उप-खंड 7.4 के अनुसरण में, यह उप-खंड लागू होता है, अभियंता, संविदाकार के साथ उचित परामर्श के बाद, समय के किसी भी विस्तार का निर्धारण करेगा, जिसके लिए संविदाकार खंड 8 के उप खंड 8.6, 8.7 और 8.8 के तहत पात्र है।

**7.6 संचालन का निरीक्षण**

अभियंता, और उसके द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति, सभी उचित समय पर साइट और सभी कार्यशालाओं और स्थानों तक पहुंच होगी जहां सामग्री या संयंत्र का निर्माण, निर्माण या निर्माण के लिए तैयार किया जा रहा है और संविदाकार हर सुविधा के लिए वहन करेगा और इस तरह के उपयोग का अधिकार प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा।

**7.7 निरीक्षण और परीक्षण**

अभियंता संविदा के तहत आपूर्ति की जाने वाली सामग्री और संयंत्र का निरीक्षण और परीक्षण करने का पात्र होगा।

यदि सामग्री या संयंत्र का निर्माण, निर्माण या कार्यशालाओं या संविदाकार के अलावा अन्य स्थानों में तैयार किया जा रहा है, तो संविदाकार अभियंता को उन कार्यशालाओं या स्थानों में इस तरह के निरीक्षण और परीक्षण करने की अनुमति प्राप्त करेगा। इस तरह के निरीक्षण या परीक्षण संविदाकार को संविदा के तहत किसी भी दायित्व से मुक्त नहीं करेंगे।

### 7.8 निरीक्षण और परीक्षण के लिए तिथियां

संविदाकार संविदा में प्रदान की गई किसी भी सामग्री या संयंत्र के निरीक्षण या परीक्षण के लिए समय और स्थान पर अभियंता से सहमत होगा। अभियंता संविदाकार को निरीक्षण करने या परीक्षणों में भाग लेने के अपने इरादे के 24 घंटे से कम का नोटिस नहीं देगा। यदि अभियंता, या उसका विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि, सहमत तिथि पर उपस्थित नहीं होता है, तो संविदाकार, जब तक अन्यथा अभियंता द्वारा निर्देश नहीं दिया जाता है, परीक्षणों के साथ आगे बढ़ सकता है और तुरंत अभियंता को परीक्षण रीडिंग की विधिवत प्रमाणित प्रतियां भेज सकता है। अभियंता ऐसी परीक्षण-रिपोर्ट की प्राप्ति की दिनांक से शीघ्रातिशीघ्र लेकिन 7 दिनों के भीतर परीक्षण रीडिंग की जांच करेगा और संविदाकार को उसी पर अपनी सहमति या आपत्तियों के साथ कारणों और आगे उठाए जाने वाले कदमों पर निर्देश के साथ सूचित करेगा। यदि अभियंता द्वारा 7 दिनों के भीतर कोई संचार नहीं किया जाता है, तो परीक्षण अभियंता की उपस्थिति में किया गया माना जाएगा।

### 7.9 अस्वीकृति

यदि, उप-खंड 7.8 के अनुसार सहमत समय और स्थान पर, सामग्री या संयंत्र निरीक्षण या परीक्षण के लिए तैयार नहीं हैं या यदि, इस खंड में निर्दिष्ट निरीक्षण परीक्षण के परिणामस्वरूप, अभियंता यह निर्धारित करता है कि सामग्री या संयंत्र दोषपूर्ण हैं या अन्यथा संविदा के अनुसार नहीं हैं, तो वह सामग्री या संयंत्र को अस्वीकार कर सकता है और संविदाकार को तुरंत सूचित करेगा। नोटिस में अभियंता की आपत्तियों को कारणों के साथ बताया जाएगा। संविदाकार तब तुरंत दोष को ठीक करेगा या यह सुनिश्चित करेगा कि अस्वीकृत सामग्री या संयंत्र संविदा का अनुपालन करते हैं। यदि अभियंता ऐसा अनुरोध करता है, तो अस्वीकृत सामग्री या संयंत्र के परीक्षण समान नियमों और शर्तों के तहत किए जाएंगे या दोहराए जाएंगे। परीक्षणों की पुनरावृत्ति से अभियंता द्वारा किए गए सभी लागत, नियोक्ता के साथ उचित परामर्श के बाद, अभियंता द्वारा निर्धारित की जाएगी और नियोक्ता द्वारा संविदाकार से वसूली योग्य होगी और संविदाकार के कारण या बनने के लिए किसी भी पैसे से कटौती की जा सकती है और अभियंता तदनुसार संविदाकार को सूचित करेगा, नियोक्ता को एक प्रति के साथ।

### 7.10 स्वतंत्र निरीक्षण

अभियंता इस तरह के निरीक्षण को करने में विशेष क्षमता, अनुभव या मान्यता के एक स्वतंत्र निरीक्षक या निरीक्षण एजेंसी को सामग्री, निर्माण कार्य या प्लांट का निरीक्षण और परीक्षण सौंप सकता है। इस तरह के किसी भी प्रतिनिधिमंडल को उप-खंड 3.4 के अनुसार प्रभावित किया जाएगा और इस उद्देश्य के लिए ऐसे स्वतंत्र निरीक्षक को अभियंता का सहायक माना जाएगा।

### 7.11 लीपापोती करने से पहले काम की जांच

अभियंता के अनुमोदन के बिना कार्यों के किसी भी हिस्से को कवर नहीं किया जाएगा या दृश्य से बाहर नहीं रखा जाएगा और संविदाकार अभियंता को कार्यों के किसी भी ऐसे हिस्से की जांच करने और मापने का पूरा अवसर देगा जो कवर किया जाने वाला है या दृश्य से बाहर रखा गया है और कार्यों के किसी भी हिस्से को रखने से पहले नींव की जांच करने के लिए। संविदाकार अभियंता को नोटिस देगा जब भी निर्माण कार्य या नींव का ऐसा कोई

हिस्सा तैयार है या परीक्षा के लिए तैयार होने वाला है और अभियंता, बिना किसी अनुचित देरी के, जब तक कि वह इसे अनावश्यक नहीं समझता है और संविदाकार को तदनुसार सलाह देता है, कार्यों के ऐसे हिस्से की जांच और माप करने या ऐसी नींव की जांच करने के उद्देश्य से उपस्थित हो।

### 7.12 निर्माण कार्य का अनावरण

संविदाकार कार्यों के किसी भी हिस्से को उजागर करेगा या उसी के माध्यम से उद्घाटन करेगा जैसाकि अभियंता समय-समय पर निर्देश दे सकता है और इस तरह के हिस्से को बहाल करेगा और अच्छा करेगा। यदि उप-खंड 7.11 की आवश्यकता के अनुपालन के बाद इस तरह के किसी भी हिस्से को कवर किया गया है या दृश्य से बाहर रखा गया है और संविदा के अनुसार निष्पादित किया गया है, तो अभियंता नियोक्ता और संविदाकार के साथ उचित परामर्श के बाद, इस तरह के उजागर करने के संबंध में संविदाकार की लागत की राशि निर्धारित करेगा, में या उसके माध्यम से उद्घाटन करना, बहाल करना और अच्छा बनाना, जिसे संविदा मूल्य में जोड़ा जाएगा, और नियोक्ता को एक प्रति के साथ तदनुसार संविदाकार को सूचित करेगा। किसी अन्य मामले में सभी लागत संविदाकार द्वारा वहन किया जाएगा।

### 7.13 अनुचित कार्य, सामग्री या संयंत्र को हटाना

अभियंता के पास समय-समय पर निर्देश जारी करने का अधिकार होगा:

(क) साइट से हटाने, ऐसे समय या समय के भीतर जैसाकि निर्देश में निर्दिष्ट किया जा सकता है, किसी भी सामग्री या संयंत्र का, जो अभियंता की राय में, संविदा के अनुसार नहीं है,

(ख) उचित और उपयुक्त सामग्री या संयंत्र का प्रतिस्थापन, और

(ग) (क) के संबंध में किसी भी कार्य का निष्कासन और उचित पुन निष्पादन, उसके किसी पूर्व परीक्षण या उसके लिए अंतरिम भुगतान के बावजूद,

(i) सामग्री, संयंत्र या कारीगरी, या

(ii) संविदाकार द्वारा डिजाइन या जिसके लिए वह जिम्मेदार है, अभियंता की राय में, संविदा के अनुसार नहीं है।

### 7.14 अनुपालन में संविदाकार की चूक

संविदाकार की ओर से निर्दिष्ट समय के भीतर इस तरह के निर्देश को पूरा करने में चूक के मामले में या, यदि कोई नहीं, तो उचित समय के भीतर, नियोक्ता अन्य व्यक्तियों को उसी को पूरा करने के लिए नियोजित करने और भुगतान करने का पात्र होगा और इसके परिणामस्वरूप सभी लागतें या आकस्मिक नियोक्ता और संविदाकार के साथ उचित परामर्श के बाद, अभियंता द्वारा निर्धारित किया जाएगा और नियोक्ता द्वारा संविदाकार से वसूली योग्य होगा, और नियोक्ता द्वारा संविदाकार के कारण या देय होने वाले किसी भी पैसे से नियोक्ता द्वारा कटौती की जा सकती है और अभियंता तदनुसार नियोक्ता को एक प्रति के साथ संविदाकार को सूचित करेगा।

## 8 कार्य प्रारंभ में देरी और निलंबन

### 8.1 कार्यों का प्रारंभ

संविदाकार अभियंता से इस आशय का नोटिस प्राप्त होने के बाद जितनी जल्दी हो सके काम शुरू करेगा, जो स्वीकृति-पत्र की दिनांक के बाद एससीसी में बताए गए समय के भीतर जारी किया जाएगा। तत्पश्चात्, संविदाकार

यथोचित शीघ्रता से और बिना किसी विलम्ब के कार्य को आगे बढ़ाएगा।

**8.2 साइट का कब्ज़ा और उस तक पहुंच**

जैसाकि संविदा निर्धारित कर सकता है:

(क) साइट के उन हिस्सों की सीमा जिनके संविदाकार को समय-समय पर कब्जा दिया जाना है।

(ख) वह आदेश जिसमें इस तरह के हिस्से संविदाकार को उपलब्ध कराए जाएंगे, और, संविदा में किसी भी आवश्यकता के अधीन, जिस क्रम में कार्य निष्पादित किया जाएगा, नियोक्ता, अभियंता के नोटिस के साथ काम शुरू करने के लिए, संविदाकार को दे देगा।

(ग) साइट का इतना हिस्सा, और

(घ) इस तरह की पहुंच, संविदा के अनुसार, नियोक्ता द्वारा प्रदान की जानी है, जैसाकि संविदाकार को खंड 4.9 में निर्दिष्ट कार्यक्रम के अनुसार कार्यों के निष्पादन को शुरू करने और आगे बढ़ने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकता है, यदि कोई हो, और अन्यथा ऐसे उचित प्रस्तावों के अनुसार संविदाकार करेगा, नियोक्ता को एक प्रति के साथ अभियंता को नोटिस द्वारा, बनाओ। नियोक्ता, समय-समय पर कार्य की कार्यवाही के रूप में, संविदाकार को साइट के ऐसे आगे के हिस्सों का कब्जा दे देगा, जो संविदाकार को इस तरह के कार्यक्रम या प्रस्तावों के अनुसार उचित प्रेषण के साथ कार्यों के निष्पादन के साथ आगे बढ़ने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकता है, जैसा भी मामला हो।

**8.3 कब्जा देने में विफलता**

यदि संविदाकार को उप-खंड 8.2 की शर्तों के अनुसार कब्जा और पहुंच देने के लिए नियोक्ता की ओर से विफलता से देरी होती है और/या लागत लगती है, तो अभियंता नियोक्ता और संविदाकार के साथ उचित परामर्श के बाद निर्धारित करेगा:

(क) समय का कोई विस्तार जिसके लिए संविदाकार खंड 8 के उप खंड 8.6, 8.7 और 8.8 के तहत पात्र है,

**8.4 रास्ते और सुविधाओं के अधिकार**

संविदाकार साइट तक पहुंच के संबंध में उसके द्वारा आवश्यक रास्ते के विशेष या अस्थायी अधिकारों के लिए सभी लागतों और शुल्कों को वहन करेगा। संविदाकार अपनी लागत पर कार्यों के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा अपेक्षित स्थल के बाहर कोई अतिरिक्त सुविधाएं भी प्रदान करेगा।

**8.5 कार्य पूरा होने का समय**

पूरे कार्य और, यदि लागू हो, तो एससीसी में बताए गए किसी विशेष समय के भीतर पूरा करने के लिए आवश्यक कोई भी खंड, खंड 10 के प्रावधानों के अनुसार पूरा किया जाएगा, पूरे कार्यों के लिए एससीसी में बताए गए समय के भीतर या खंड (जैसा भी मामला हो), प्रारंभ तिथि से गणना की जाती है, या ऐसे विस्तारित समय के रूप में खंड 8 के उप खंड 8.6, 8.7 और 8.8 के तहत अनुमति दी जा सकती है।

**8.6 कार्य पूरा करने के लिए समय का विस्तार**

निम्नलिखित स्थिति में:

(क) अतिरिक्त या अतिरिक्त काम की मात्रा या प्रकृति,

(ख) इन शर्तों में संदर्भित देरी का कोई कारण,

(ग) असाधारण प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियाँ,

(घ) नियोक्ता द्वारा कोई देरी, बाधा या रोकथाम, या

(ङ) अन्य विशेष परिस्थितियां जो संविदाकार द्वारा संविदा के चूक या उल्लंघन के अलावा हो सकती हैं या जिसके लिए वह जिम्मेदार है, जैसे कि संविदाकार को कार्यों को पूरा करने के लिए समय के विस्तार के लिए उचित रूप से पात्र होने के नाते, या कोई खंड या उसका हिस्सा, अभियंता, नियोक्ता और संविदाकार के साथ उचित परामर्श के बाद, इस तरह के विस्तार की राशि का निर्धारण करें और नियोक्ता को एक प्रति के साथ तदनुसार संविदाकार को सूचित करेगा।

**8.7 संविदाकार अधिसूचना और विस्तृत विवरण प्रदान करने के लिए**

बशर्ते कि अभियंता कोई निर्धारण करने के लिए बाध्य नहीं है जब तक कि संविदाकार के पास

(क) इस तरह की घटना के 28 दिनों के भीतर पहली बार अभियंता को नियोक्ता को एक प्रति के साथ सूचित किया गया है, और

(ख) 28 दिनों के भीतर, या ऐसे अन्य उचित समय के रूप में अभियंता द्वारा सहमति व्यक्त की जा सकती है, इस तरह की अधिसूचना के बाद अभियंता को समय के किसी भी विस्तार का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाता है, जिसके लिए वह खुद को पात्र मान सकता है ताकि इस तरह की प्रस्तुति की जांच की जा सके।

**8.8 विस्तार का अंतरिम निर्धारण**

बशर्ते कि जहां किसी घटना का निरंतर प्रभाव होता है जैसे कि संविदाकार के लिए उप-खंड 8.7 (बी) में निर्दिष्ट 28 दिनों की अवधि के भीतर विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना व्यावहारिक नहीं है, फिर भी वह समय के विस्तार का पात्र होगा बशर्ते कि उसने अभियंता को 28 दिनों से अधिक के अंतराल पर अंतरिम विवरण प्रस्तुत नहीं किए हैं और घटना के परिणामस्वरूप प्रभाव के अंत के 28 दिनों के भीतर अंतिम विवरण प्रस्तुत किए हैं। इस तरह के अंतरिम विवरण प्राप्त होने पर, अभियंता, बिना किसी देरी के, समय के विस्तार का अंतरिम निर्धारण करेगा और अंतिम विवरण प्राप्त होने पर, अभियंता सभी परिस्थितियों की समीक्षा करेगा और घटना के संबंध में समय का समग्र विस्तार निर्धारित करेगा। ऐसे दोनों मामलों में अभियंता नियोक्ता और संविदाकार के साथ उचित परामर्श के बाद अपना निर्धारण करेगा और नियोक्ता को एक प्रति के साथ निर्धारण के संविदाकार को सूचित करेगा। कोई अंतिम समीक्षा अभियंता द्वारा पहले से निर्धारित समय के किसी भी विस्तार की कमी में परिणाम नहीं होगा।

**8.9 काम के घंटों पर प्रतिबंध**

संविदा में निहित विपरीत किसी भी प्रावधान के अधीन, कोई भी कार्य, इसके बाद प्रदान किए गए को छोड़कर, अभियंता की सहमति के बिना रात के दौरान या स्थानीय रूप से मान्यता प्राप्त आराम के दिनों में नहीं किया जाएगा। परन्तु इस खण्ड के उपबन्ध किसी ऐसे कार्य की दशा में लागू नहीं होंगे जिसे बहुविध शिफ्टों द्वारा करने की प्रथा है।

**8.10 देरी के लिए निर्णीत हर्जाना (एलडी)**

यदि संविदाकार पूरे कार्यों के लिए टीओआर के खंड 7.2 के अनुसार मील के पत्थर का पालन करने में विफल रहता है या, यदि लागू हो, खंड 8.5 द्वारा निर्धारित प्रासंगिक समय के भीतर कोई भी खंड, तो संविदाकार

नियोक्ता को एससीसी में संलग्न तालिका में बताई गई प्रासंगिक राशि का भुगतान ऐसी चूक के लिए परिसमापन क्षति के रूप में करेगा और दंड के रूप में नहीं (जो राशि संविदाकार से देय एकमात्र राशि होगी ऐसी चूक के लिए)। नियोक्ता, वसूली के किसी अन्य तरीके पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संविदाकार को देय या देय होने वाली किसी भी धनराशि से ऐसी क्षति की राशि को रोक सकता है/घटा सकता है। इस तरह के हानि के खिलाफ रोकी गई राशि या कटौती संविदाकार को कार्यों को पूरा करने के अपने दायित्व से, या संविदा के तहत उसके किसी अन्य दायित्वों और देनदारियों से राहत नहीं देगी।

संविदाकार विचारार्थ विषयों के खंड VI के खंड 72 में यथा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करेगा। यदि संविदाकार खंड 86, 87 और 88 के अनुसार कोई विशेष मील का पत्थर अथवा पुन निर्धारित मील का पत्थर प्राप्त नहीं करता है तो मील के पत्थर के विरुद्ध ऊपर निर्धारित राशि को रोक लिया जाएगा जिसे समय विस्तार प्रदान करने के अंतिम निर्णय पर लगाए गए परिनिर्धारित नुकसानों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा (खंड 86, 87 और 88 देखें)। (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और एक मील का पत्थर प्राप्त करने में विफलता पर इस राशि को रखने के साथ, संविदाकार को किसी भी नोटिस के बिना स्वचालित होगा। तथापि, यदि संविदाकार उत्तरवर्ती लक्ष्य (लक्ष्यों) पर कार्य की प्रगति को पूरा कर लेता है तो रोकी गई राशि जारी की जाएगी। यदि संविदाकार बाद के मील के पत्थर(ओं) में देरी के लिए पूरा करने में विफल रहता है, तो बाद में छूटे हुए प्रत्येक मील के पत्थर के खिलाफ एससीसी में संलग्न तालिका में बताई गई प्रासंगिक राशि को भी रोक दिया जाएगा। तथापि, ऐसी रोकी गई राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

यदि संपूर्ण कार्य निर्धारित अवधि में पूरा नहीं किया जाता है और परिनिर्धारित अवधि के साथ समय विस्तार प्रदान किया जाता है तो लक्ष्यों को प्राप्त न करने के विरुद्ध रोकी गई परिनिर्धारित भूमि की कटौती कार्यों के पूरा होने के बाद अंतिम रूप से की जाएगी।

### 8.11 परिनिर्धारित क्षति की स्थायी कटौती

यदि संविदाकार समय पर काम पूरा नहीं करता है, तो संविदाकार को काम पूरा करने के लिए समय का विस्तार दिया जाएगा। यह ईआईसी के विवेकाधिकार पर होगा, जो देरी के सभी कारणों को ध्यान में रखेगा, पूरा होने तक अर्जित परिसमापन क्षति को रोकने के लिए समय का विस्तार प्रदान करेगा। यदि ईआईसी को लगता है कि विलंब के कारण नियोक्ता के कारण थे या अन्य कारणों से जिसके लिए संविदाकार को जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता है, तो वह उपार्जित परिनिर्धारित क्षति को भी जारी कर सकता है।

### 8.12 परिसमापन क्षति में कमी

यदि, पूरे कार्यों के पूरा होने के समय से पहले या, यदि लागू हो, तो किसी भी खंड, कार्यों के किसी भी हिस्से या किसी खंड के लिए एक कार्यभार ग्रहण प्रमाणपत्र जारी किया गया है, शेष कार्यों के पूरा होने में देरी के लिए परिसमापन क्षति या उस खंड में, इस तरह के कार्य-ग्रहण प्रमाणपत्र में बताई गई दिनांक के बाद देरी की किसी भी अवधि के लिए, और खंड में वैकल्पिक प्रावधानों की अनुपस्थिति में, उस अनुपात में कम किया जाए जो इस प्रकार प्रमाणित भाग का मूल्य पूरे कार्य या खंड के मूल्य के लिए लागू हो, जैसा लागू हो। इस उप-खंड के प्रावधान केवल परिनिर्धारित हानि की दर पर लागू होंगे और उसकी सीमा को प्रभावित नहीं करेंगे।

### 8.13 काम का निलंबन

संविदाकार, अभियंता द्वारा सूचित नियोक्ता के निर्देशों पर, ऐसे समय के लिए कार्यों या उसके किसी भी हिस्से की प्रगति को निलंबित कर देगा और इस तरह के तरीके से अभियंता आवश्यक समझ सकता है और इस तरह

के निलंबन के दौरान, कार्यों या उसके ऐसे हिस्से को ठीक से संरक्षित और सुरक्षित करेगा, जहां तक अभियंता की राय में आवश्यक है, जब तक कि ऐसा निलंबन न हो:

(क) अन्यथा संविदा में प्रदान किया गया,

(ख) संविदाकार द्वारा संविदा के कुछ चूक या उल्लंघन के कारण आवश्यक है या जिसके लिए वह जिम्मेदार है,

(ग) साइट पर जलवायु परिस्थितियों के कारण आवश्यक, या

(घ) कार्यों के उचित निष्पादन के लिए या कार्यों या उसके किसी भी हिस्से की सुरक्षा के लिए आवश्यक (इस हद तक बचाएं कि इस तरह की आवश्यकता किसी भी कार्य या अभियंता या नियोक्ता द्वारा चूक या उप-खंड 2.2 में परिभाषित किसी भी जोखिम से उत्पन्न होती है), उप-खंड 8.15 लागू होगा।

**8.13.1 परित्याग या कार्य-क्षेत्र में कमी के कारण संविदा का पूर्ण या आंशिक रूप से पुरोबंध**

यदि निविदा स्वीकार करने के बाद किसी भी समय प्राधिकरण किसी भी कारण से कार्यों के दायरे को छोड़ने या कम करने का निर्णय लेता है और इसलिए पूरे या किसी भी काम को करने की आवश्यकता नहीं है, तो प्रभारी अभियंता संविदाकार को उस प्रभाव के लिए लिखित रूप में नोटिस देगा और संविदाकार के पास मुआवजे के किसी भी भुगतान या अन्यथा का कोई दावा नहीं होगा, किसी भी लाभ या लाभ के कारण जो उसने पूर्ण रूप से कार्यों के निष्पादन से प्राप्त किया हो सकता है, लेकिन जिसे वह पूरे या कार्यों के हिस्से के पूर्व बंद होने के परिणामस्वरूप प्राप्त नहीं कर सका।

**8.14 निलंबन के बाद अभियंता का निर्धारण**

जहां, उप-खंड 8.14 के अनुसार, यह उप-खंड लागू होता है, अभियंता नियोक्ता और संविदाकार के साथ उचित परामर्श के बाद निर्धारित करेगा।

(क) समय का कोई विस्तार, जिसके लिए संविदाकार खंड 8 के उप खंड 8.6,8.7 और 8.8 के तहत पात्र है, और

(ख) राशि, यदि कोई हो, जिसे संविदा मूल्य में जोड़ा जाएगा, इस तरह के निलंबन के कारण संविदाकार द्वारा किए गए लागत के संबंध में, और नियोक्ता को एक प्रति के साथ तदनुसार संविदाकार को सूचित करेगा।

**8.15 84 दिनों से अधिक समय तक चलने वाला निलंबन**

यदि अभियंता के निर्देशों पर निर्माण कार्य या उसके किसी भी हिस्से की प्रगति निलंबित कर दी जाती है और यदि निलंबन की दिनांक से 84 दिनों की अवधि के भीतर अभियंता द्वारा काम फिर से शुरू करने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो जब तक कि ऐसा निलंबन पैराग्राफ (क), (ख), (ग) या (घ) के भीतर न हो। संविदाकार अभियंता को नोटिस दे सकता है, जिसकी प्राप्ति से 28 दिनों के भीतर, निर्माण कार्य या उसके उस हिस्से के साथ आगे बढ़ने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, जिसके संबंध में प्रगति निलंबित है। यदि, उक्त समय के भीतर, ऐसी अनुमति नहीं दी जाती है, तो संविदाकार निलंबन का इलाज करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन इसके लिए बाध्य नहीं है, निलंबन का समाधान करने के लिए चुनाव कर सकता है, जहां यह केवल कार्यों के हिस्से को प्रभावित करता है, खंड 13.1 और 13.2 के तहत इस तरह के हिस्से की चूक के रूप में अभियंता को उस प्रभाव के लिए एक और नोटिस देकर, या, जहां यह पूरे कार्यों को प्रभावित करता है, निलंबन को नियोक्ता द्वारा चूक की घटना के रूप में मानें और उप-खंड 18.1 के प्रावधानों के अनुसार संविदा के तहत अपने रोजगार को समाप्त करें, जिस पर उप-खंड 18.2 और 18.3 के प्रावधान लागू होंगे।

## 9 कार्य पूर्णता पर परीक्षण

### 9.1 संविदाकारों का दायित्व

संविदाकार इस संविदा की आवश्यकता के अनुसार सभी परीक्षण करेगा। नियोक्ता द्वारा ऐसे किसी भी खाते पर कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।

संविदाकार अभियंता को उस दिनांक का कम से कम 21 दिनों का नोटिस देगा, जिसके बाद संविदाकार पूरा होने पर प्रत्येक परीक्षण करने के लिए तैयार होगा। जब तक अन्यथा सहमति न हो, पूरा होने पर परीक्षण इस तिथि के बाद 14 दिनों के भीतर किया जाएगा, ऐसे दिन या दिनों पर जैसाकि अभियंता निर्देश देगा।

पूरा होने पर परीक्षणों के परिणामों पर विचार करने में, अभियंता नियोक्ता द्वारा कार्यों के निष्पादन या अन्य विशेषताओं पर कार्य के किसी भी उपयोग के प्रभाव के लिए भत्ते देगा। जैसे ही निर्माण कार्य, या एक खंड, पूरा होने पर कोई परीक्षण पास कर लेता है, संविदाकार अभियंता को इन परीक्षणों के परिणामों की प्रमाणित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

### 9.2 विलंबित परीक्षण

यदि संविदाकार को 14 दिनों से अधिक समय तक किसी ऐसे कारण से पूरा होने पर सर्वेक्षण करने से रोका जाता है, जिसके लिए नियोक्ता जिम्मेदार है, तो नियोक्ता को उस दिनांक को कार्यों पर कब्जा कर लिया गया माना जाएगा जब पूरा होने पर सर्वेक्षण अन्यथा पूरा हो गया होगा।

यदि संविदाकार को पूरा होने पर सर्वेक्षण करने में इस देरी के परिणामस्वरूप देरी होती है और/या लागत लगती है, तो संविदाकार नियोक्ता/अभियंता को नोटिस देगा और पात्र होगा।

(क) ऐसी किसी भी देरी के लिए समय का विस्तार, यदि पूरा होने में देरी हो रही है या होगी, और

(ख) किसी भी ऐसी लागत-प्लस उचित लाभ का भुगतान, जो संविदा मूल्य के अतिरिक्त होगा।

इस नोटिस को प्राप्त करने के बाद, अभियंता/नियोक्ता इन मामलों पर सहमत होने या निर्धारित करने के लिए आगामी कार्रवाई करेंगे।

### 9.3 पुनः परीक्षण

यदि कार्य, या एक खंड, पूरा होने पर परीक्षण पास करने के लिए गिरता है, तो उप-खंड 7.9 [अस्वीकृति] लागू होगा, और अभियंता या संविदाकार को असफल परीक्षण, और किसी भी संबंधित कार्य पर पूरा होने के परीक्षण की आवश्यकता हो सकती है, समान नियमों और शर्तों के तहत दोहराया जाना चाहिए।

### 9.4 दोष दूर करने में विफलता

यदि संविदाकार उचित समय के भीतर किसी भी क्षति का समाधान करने में विफल रहता है, तो नियोक्ता द्वारा (या उसकी ओर से) एक दिनांक तय की जा सकती है, जिस पर या जिसके द्वारा क्षति का उपचार किया जाना है। संविदाकार को इस तिथि की उचित सूचना दी जाएगी।

यदि संविदाकार इस अधिसूचित दिनांक तक क्षति का समाधान करने में असफल रहता है और यह उपचारात्मक कार्य संविदाकार की लागत पर निष्पादित किया जाना था।

(क) स्वयं या दूसरों द्वारा, उचित तरीके से और संविदाकार की लागत पर काम करना, लेकिन संविदाकार की

इस काम के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं होगी; और संविदाकार नियोक्ता को हानि को दूर करने में नियोक्ता द्वारा यथोचित लागत का भुगतान करेगा;

(ख) संविदा मूल्य में उचित कमी से सहमत होने या निर्धारित करने के लिए अभियंता/नियोक्ता की आवश्यकता होती है।

## 10 नियोक्ता का कार्यभार ग्रहण

### 10.1 कार्यभार ग्रहण प्रमाणपत्र

जब काम काफी हद तक पूरा हो गया है और संतोषजनक ढंग से संविदा द्वारा निर्धारित पूरा होने पर किसी भी परीक्षण पारित कर दिया है, संविदाकार नियोक्ता को एक प्रति के साथ, उचित शीघ्र किसी भी बकाया काम के साथ खत्म करने के लिए एक लिखित वचन के साथ अभियंता को उस आशय के लिए एक नोटिस दे सकते हैं. इस तरह के नोटिस और उपक्रम को संविदाकार द्वारा अभियंता के लिए कार्यों के संबंध में एक कार्यभार ग्रहण प्रमाणपत्र जारी करने का अनुरोध माना जाएगा। अभियंता, इस तरह के नोटिस की डिलीवरी की दिनांक के 21 दिनों के भीतर, या तो संविदाकार को जारी करेगा, नियोक्ता को एक प्रति के साथ, एक कार्य-ग्रहण प्रमाणपत्र, उस दिनांक को बताते हुए, जिस पर उसकी राय में, संविदा के अनुसार कार्य काफी हद तक पूरा हो गया था, या संविदाकार को लिखित रूप में निर्देश देगा जिसमें सभी कार्य निर्दिष्ट किए गए हैं जो, अभियंता की राय में, इस तरह के प्रमाणपत्र के जारी करने से पहले संविदाकार द्वारा किया जाना आवश्यक है। अभियंता संविदाकार को कार्यों में किसी भी दोष के बारे में सूचित करेगा जो पर्याप्त पूर्णता को प्रभावित करता है जो इस तरह के निर्देशों के बाद और उसमें निर्दिष्ट कार्यों के पूरा होने से पहले दिखाई दे सकता है। संविदाकार इस प्रकार विनिदष्ट कार्यों के अभियंता की संतुष्टि और इस प्रकार अधिसूचित किसी भी दोष को दूर करने के लिए पूरा होने के 21 दिनों के भीतर इस तरह के कार्यभार ग्रहण प्रमाणपत्र प्राप्त करने का पात्र होगा।

### 10.2 खंडों या भागों का कार्यभार ग्रहण

इसी तरह, उप-खंड 10.1 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, संविदाकार अनुरोध कर सकता है और अभियंता निम्नलिखित के संबंध में एक कार्यभार ग्रहण प्रमाणपत्र जारी करेगा:

(क) कोई भी खंड जिसके संबंध में एससीसी में पूरा होने के लिए एक अलग समय प्रदान किया गया है,

(ख) स्थायी कार्यों का कोई भी महत्वपूर्ण हिस्सा जो अभियंता की संतुष्टि के लिए पूरा किया गया है और, अन्यथा संविदा में प्रदान किए गए की तुलना में, नियोक्ता द्वारा कब्जा या उपयोग किया जाता है, या

(ग) स्थायी कार्यों का कोई भी हिस्सा जिसे नियोक्ता ने पूरा होने से पहले कब्जा करने या उपयोग करने के लिए चुना है (जहां इस तरह के पूर्व व्यवसाय या उपयोग संविदा में प्रदान नहीं किए गए हैं या संविदाकार द्वारा अस्थायी उपाय के रूप में सहमति नहीं दी गई है)।

(घ) अभियंता द्वारा संविदाकार को जारी किए जाने वाले सुधारों की पंच सूची।

### 10.3 भागों का पर्याप्त समापन

यदि स्थायी कार्यों का कोई हिस्सा काफी हद तक पूरा हो गया है और संविदा द्वारा निर्धारित पूर्णता पर किसी भी परीक्षण को संतोषजनक ढंग से पारित कर दिया है, तो अभियंता पूरे कार्यों के पूरा होने से पहले स्थायी कार्यों के उस हिस्से के संबंध में एक कार्यभार ग्रहण प्रमाणपत्र जारी कर सकता है और, इस तरह के प्रमाणपत्र के जारी

होने पर, संविदाकार को उस हिस्से में किसी भी बकाया कार्य को पूरा करने के लिए उचित गति के साथ पूरा करने के लिए समझा जाएगा दोष दायित्व अवधि के दौरान स्थायी कार्य।

## 11 दोष दायित्व

### 11.1 दोष देयता अवधि

इन शर्तों में अभिव्यक्ति "दोष देयता अवधि" का अर्थ एससीसी में नामित दोष देयता अवधि से होगा, जिसकी गणना निम्न से की जाती है:

(क) खंड 10 के अनुसार अभियंता द्वारा प्रमाणित कार्यों के पूरा होने की दिनांक, या

(ख) खंड 10 के तहत अभियंता द्वारा एक से अधिक प्रमाणपत्र जारी किए जाने की स्थिति में, संबंधित तिथियां प्रमाणित की गई हैं, और दोष दायित्व अवधि के संबंध में अभिव्यक्ति "कार्य" तदनुसार मानी जाएगी।

### 11.2 बकाया कार्य को पूरा करना और दोषों को दूर करना

इस आशय के लिए कि निर्माण कार्य, दोष देयता अवधि की समाप्ति के बाद या जितनी जल्दी व्यावहारिक हो, संविदा द्वारा आवश्यक स्थिति में नियोक्ता को वितरित किया जाएगा, अभियंता की संतुष्टि के लिए, संविदाकार निम्नलिखित करेगा:

(क) ऐसी दिनांक के बाद जितनी जल्दी संभव हो सके टेकओवर सर्टिफिकेट में बताई गई दिनांक को बकाया कार्य, यदि कोई हो, पूरा करें, और

(ख) संशोधन, पुनर्निर्माण, और दोषों, संकोचन या अन्य दोषों को दूर करने के ऐसे सभी कार्यों को निष्पादित करना, जैसाकि अभियंता दोष देयता अवधि के दौरान या इसकी समाप्ति के 14 दिनों के भीतर, अभियंता द्वारा या उसकी ओर से किए गए निरीक्षण के परिणामस्वरूप हो सकता है।

### 11.3 दोषों को दूर करने की लागत

उप-खंड 10.2 (ख) में निर्दिष्ट सभी कार्य संविदाकार द्वारा अपनी लागत पर निष्पादित किए जाएंगे यदि इसकी आवश्यकता अभियंता की राय में है:

(क) संविदा के अनुसार सामग्री, संयंत्र या कारीगरी का उपयोग नहीं,

(ख) जहां संविदाकार स्थायी कार्यों के हिस्से के डिजाइन इस तरह के डिजाइन में कोई गलती, के लिए जिम्मेदार है, या

(ग) संविदा के अंतर्गत संविदाकार की ओर से व्यक्त या निहित किसी दायित्व का अनुपालन करने में संविदाकार की ओर से उपेक्षा या विफलता।

यदि, अभियंता की राय में, ऐसी आवश्यकता किसी अन्य कारण से है, तो वह अनुच्छेद 13.3,13.4 और 13.5 के अनुसार संविदा मूल्य के अतिरिक्त का निर्धारण करेगा और तदनुसार संविदाकार को सूचित करेगा, नियोक्ता को एक प्रति के साथ।

### 11.4 निर्देशों का पालन करने में संविदाकार की विफलता

उचित समय के भीतर इस तरह के निर्देश को पूरा करने में संविदाकार की ओर से चूक के मामले में, नियोक्ता अन्य व्यक्तियों को काम करने और भुगतान करने का पात्र होगा और यदि ऐसा काम है, जो अभियंता की राय

में, संविदाकार संविदा के तहत अपनी लागत पर करने के लिए उत्तरदायी था, तो उसके परिणामस्वरूप या उसके आकस्मिक सभी लागतें, नियोक्ता और संविदाकार के साथ उचित परामर्श के बाद, अभियंता द्वारा निर्धारित की जाएंगी और नियोक्ता द्वारा संविदाकार से वसूली योग्य होंगी, और नियोक्ता द्वारा कटौती की जा सकती है संविदाकार के कारण या बनने के लिए किसी भी पैसे से नियोक्ता और अभियंता तदनुसार संविदाकार को सूचित करेगा, नियोक्ता को एक प्रति के साथ।

### 11.5 संविदाकार द्वारा कार्य-चूक की जाँच

यदि दोष दायित्व अवधि के अंत से पहले किसी भी समय कार्यों में कोई दोष, संकोचन या अन्य दोष दिखाई देता है, तो अभियंता संविदाकार को निर्देश दे सकता है, नियोक्ता को प्रतिलिपि के साथ, अभियंता के निर्देशों के तहत खोज करने के लिए। जब तक ऐसा दोष, संकोचन या अन्य दोष वह नहीं है जिसके लिए संविदाकार संविदा के तहत उत्तरदायी है, अभियंता, नियोक्ता और संविदाकार के साथ उचित परामर्श के बाद, संविदाकार द्वारा की गई ऐसी खोज की लागत के संबंध में राशि निर्धारित करेगा, जिसे संविदा मूल्य में जोड़ा जाएगा और तदनुसार संविदाकार को नियोक्ता को एक प्रति के साथ सूचित करेगा। यदि ऐसा दोष, संकोचन या अन्य दोष ऐसा है जिसके लिए संविदाकार उत्तरदायी है, तो पूर्वोक्त तलाशी में किए गए कार्य की लागत संविदाकार द्वारा वहन की जाएगी और वह ऐसे मामले में खंड 11 के प्रावधानों के अनुसार अपनी लागत पर ऐसे दोष, संकोचन या अन्य दोष का समाधान करेगा।

### 11.6 केवल दोष देयता प्रमाणपत्र द्वारा अनुमोदन

केवल खंड 11.7 और 11.8 में निर्दिष्ट दोष दायित्व प्रमाणपत्र, कार्यों की अंतिम स्वीकृति का गठन करने के लिए समझा जाएगा।

### 11.7 दोष देयता प्रमाणपत्र

संविदा को तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक कि अभियंता द्वारा एक दोष देयता प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं और नियोक्ता को एक प्रति के साथ संविदाकार को दिया जाता है, जिसमें उस दिनांक को बताते हुए संविदाकार ने कार्यों को निष्पादित करने और पूरा करने और अभियंता की संतुष्टि के लिए उसमें किसी भी दोष को दूर करने के लिए अपने दायित्वों को पूरा किया होगा। दोष देयता अवधि की समाप्ति के बाद 28 दिनों के भीतर अभियंता द्वारा दोष देयता प्रमाणपत्र दिया जाएगा, या, यदि विभिन्न दोष देयता अवधि विभिन्न खंडों या स्थायी कार्यों के कुछ हिस्सों पर लागू हो जाएगी, तो नवीनतम ऐसी अवधि की समाप्ति, या उसके बाद जितनी जल्दी निर्देश दिया गया है, खंड 11.1 से 11.5 के अनुसार, अभियंता की संतुष्टि के लिए पूरा कर लिया गया है। बशर्ते कि दोष देयता प्रमाणपत्र का मुद्दा उप-खंड 15.5 में निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रतिधारण राशि के दूसरे भाग के संविदाकार को भुगतान करने के लिए पूर्ववर्ती शर्त नहीं होगी।

### 11.8 अधूरे दायित्व

दोष देयता प्रमाणपत्र के मुद्दे के बावजूद, संविदाकार और नियोक्ता दोष देयता प्रमाणपत्र जारी करने से पहले संविदा के प्रावधानों के तहत किए गए किसी भी दायित्व की पूर्ति के लिए उत्तरदायी रहेंगे, जो इस तरह के दोष देयता प्रमाणपत्र जारी किए जाने के समय अप्रभावित रहता है और, इस तरह के किसी भी दायित्व की प्रकृति और सीमा का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए, संविदा को संविदा के पक्षों के बीच लागू रहने के लिए माना जाएगा।

## 12 मापन और चूक

**12.1 मात्रा**

मात्रा के बिल में निर्धारित मात्राएं कार्यों के लिए अनुमानित मात्रा हैं, और उन्हें संविदा के तहत अपने दायित्वों की पूर्ति में संविदाकार द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों की वास्तविक और सही मात्रा के रूप में नहीं लिया जाना है।

**12.2 मापा जाने वाला कार्य**

अभियंता, अन्यथा बताए जाने के अलावा, संविदा के अनुसार कार्यों के मूल्य का पता लगाएगा और माप द्वारा निर्धारित करेगा और संविदाकार को खंड 15 के अनुसार उस मूल्य का भुगतान किया जाएगा। अभियंता, जब उसे कार्यों के किसी भी हिस्से को मापने की आवश्यकता होती है, तो संविदाकार के अधिकृत एजेंट को उचित नोटिस देगा, जो:

(क) इस तरह के माप करने में अभियंता की सहायता के लिए तुरंत भाग लें या एक योग्य प्रतिनिधि भेजें, और

(ख) अभियंता द्वारा आवश्यक सभी विवरणों की आपूर्ति करें।

यदि संविदाकार उपस्थित नहीं होता है, या ऐसे प्रतिनिधि को भेजने की उपेक्षा करता है या छोड़ देता है, तो अभियंता द्वारा किए गए माप या उसके द्वारा अनुमोदित माप को कार्यों के ऐसे हिस्से का सही माप माना जाएगा। ऐसे कार्यों को मापने के उद्देश्य से, जिन्हें अभिलेखों और रेखाचित्रों द्वारा मापा जाना है, अभियंता कार्य की आय के अनुसार रिकॉर्ड और ड्राइंग तैयार करेगा और संविदाकार, जब भी लिखित रूप में ऐसा करने के लिए कहा जाएगा, 14 दिनों के भीतर, अभियंता के साथ ऐसे रिकॉर्ड और ड्राइंग की जांच करने और सहमत होने पर उसी पर हस्ताक्षर करेगा। यदि संविदाकार ऐसे रिकॉर्ड और ड्राइंग की जांच करने और सहमत होने के लिए उपस्थित नहीं होता है, तो उन्हें सही माना जाएगा। यदि, ऐसे अभिलेखों और आरेखों की जांच करने के बाद, संविदाकार सहमत नहीं होता है या सहमति के अनुसार हस्ताक्षर नहीं करता है, तो भी उन्हें सही माना जाएगा, जब तक कि संविदाकार, ऐसी जांच के 14 दिनों के भीतर, अभियंता के साथ उन मामलों की सूचना दर्ज नहीं करता है जिनमें उसके द्वारा ऐसे रिकॉर्ड और ड्राइंग को गलत होने का दावा किया जाता है। इस तरह की सूचना प्राप्त होने पर, अभियंता रिकॉर्ड और ड्राइंग की समीक्षा करेगा और या तो उनकी पुष्टि करेगा या उन्हें बदल देगा।

**12.3 मापन की विधि**

कार्यों को किसी भी सामान्य या स्थानीय परम्परा के बावजूद, मापा जाएगा, सिवाय इसके कि जहां अन्यथा संविदा में प्रदान किया गया हो।

**12.4 एकमुश्त मद का टूटना**

उप-खंड 15.1 के अनुसार प्रस्तुत बयानों के प्रयोजनों के लिए, संविदाकार स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के 21 दिनों के भीतर, निविदा में निहित एकमुश्त मदों में से प्रत्येक के लिए एक ब्रेकडाउन अभियंता को प्रस्तुत करेगा। इस तरह के ब्रेकडाउन अभियंता के अनुमोदन के अधीन होंगे।

**12.5 चूक**

जब भी किसी कार्य की चूक एक भिन्नता का हिस्सा (या सभी) बनती है, जिसके मूल्य पर सहमति नहीं हुई है, यदि:

(क) संविदाकार लागत वहन करेगा (या खर्च किया है), जो अगर काम छोड़ा नहीं गया था, तो स्वीकृत संविदा

राशि का हिस्सा बनाने वाली राशि द्वारा कवर किया गया माना जाएगा;

(ख) काम की चूक का परिणाम होगा (या परिणाम हुआ है) इस राशि में संविदा मूल्य का हिस्सा नहीं है; और

(ग) इस लागत को किसी भी प्रतिस्थापित कार्य के मूल्यांकन में शामिल नहीं माना जाता है; फिर संविदाकार सहायक विवरणों के साथ अभियंता/नियोक्ता को तदनुसार नोटिस देगा।

इस नोटिस को प्राप्त करने पर, अभियंता/नियोक्ता इस लागत से सहमत होंगे या निर्धारित करेंगे, जिसे संविदा मूल्य में शामिल किया जाएगा।

## 13 विविधताएं, समायोजन और परिवर्धन

### 13.1 विभिन्नता

अभियंता कार्यों या उसके किसी भी हिस्से के रूप, गुणवत्ता या मात्रा का कोई बदलाव करेगा, जो उसकी राय में, आवश्यक हो सकता है और उस उद्देश्य के लिए, या यदि किसी अन्य कारण से यह उसकी राय में, उचित होगा, तो उसके पास संविदाकार को निर्देश देने का अधिकार होगा और संविदाकार निम्नलिखित में से कोई भी कार्य करेगा:

(क) संविदा में शामिल किसी भी कार्य की मात्रा में वृद्धि या कमी,

(ख) ऐसे किसी भी काम को छोड़ दें (लेकिन अगर छोड़ा गया काम नियोक्ता या किसी अन्य संविदाकार द्वारा किया जाना है),

(ग) ऐसे किसी भी काम के चरित्र या गुणवत्ता या प्रकार को बदलना,

(घ) कार्यों के किसी भी हिस्से के स्तर, रेखाओं, स्थिति और आयामों को बदलें,

(ङ) कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक किसी भी प्रकार का अतिरिक्त कार्य निष्पादित करना,

अथवा

(च) कार्यों के किसी भी हिस्से के निर्माण के किसी भी निर्दिष्ट अनुक्रम या समय को बदलें।

इस तरह की कोई भिन्नता किसी भी तरह से संविदा को मान्य या अमान्य नहीं करेगी, लेकिन इस तरह के सभी बदलावों का प्रभाव, यदि कोई हो, तो अनुच्छेद 13.3, 13.4 और 13.5 के अनुसार मूल्यवान होगा। बशर्ते कि जहां संविदाकार द्वारा संविदा के कुछ चूक या उल्लंघन के कारण कार्यों को बदलने के लिए एक निर्देश जारी करना आवश्यक है या जिसके लिए वह जिम्मेदार है, इस तरह के चूक के कारण कोई अतिरिक्त लागत संविदाकार द्वारा वहन की जाएगी।

### 13.2 विविधताओं के लिए निर्देश

संविदाकार अभियंता के निर्देश के बिना ऐसा कोई बदलाव नहीं करेगा।

### 13.3 विविधताओं का मूल्यांकन

अनुच्छेद 13.1 और 13.2 में निर्दिष्ट सभी विविधताएं और संविदा मूल्य में कोई भी परिवर्धन जो अनुच्छेद 13.3, 13.4 और 13.5 (इस खंड के प्रयोजनों के लिए "विविध कार्य" के रूप में संदर्भित) के अनुसार निर्धारित किया जाना आवश्यक है, संविदा में निर्धारित दरों और कीमतों पर मूल्यवान होगा, यदि अभियंता की राय में, वही लागू

होगा। यदि संविदा में विभिन्न कार्यों पर लागू कोई दर या मूल्य शामिल हैं, तो संविदा में दरों और कीमतों का उपयोग मूल्यांकन के आधार के रूप में किया जाएगा, जहां तक उचित हो सकता है, जिसमें विफल होने पर, अभियंता द्वारा नियोक्ता और संविदाकार के साथ उचित परामर्श के बाद, अभियंता और संविदाकार के बीच उपयुक्त दरों या कीमतों पर सहमति होगी। असहमति की स्थिति में, अभियंता ऐसी दरों या कीमतों को ठीक करेगा, जो उसकी राय में, उचित हैं और नियोक्ता को एक प्रति के साथ संविदाकार को सूचित करेगा। जब तक दरों या कीमतों पर सहमति या तय नहीं हो जाती, तब तक अभियंता अनंतिम दरों या कीमतों का निर्धारण करेगा ताकि खंड 15 के अनुसार जारी किए गए प्रमाणपत्रों में ऑन-अकाउंट भुगतान शामिल किया जा सके।

**13.4 दरें तय करने के लिए अभियंता की शक्ति**

बशर्ते कि यदि पूरे कार्यों की प्रकृति या मात्रा या उसके किसी भी हिस्से के सापेक्ष किसी भी विविध कार्य की प्रकृति या मात्रा ऐसी है कि, अभियंता की राय में, किसी भी मद के लिए संविदा में निहित दर या कीमत है काम करता है, इस तरह के विविध कार्य के कारण, अनुपयुक्त या अनुपयुक्त होने पर, अभियंता द्वारा नियोक्ता और संविदाकार के साथ उचित परामर्श के बाद, अभियंता और संविदाकार के बीच एक उपयुक्त दर या कीमत पर सहमति होगी। असहमति की स्थिति में, अभियंता ऐसी अन्य दर या मूल्य तय करेगा, जो उसकी राय में, उचित है और नियोक्ता को एक प्रति के साथ संविदाकार को सूचित करेगा। जब तक दरों या कीमतों पर सहमति या तय नहीं हो जाती, तब तक अभियंता अनंतिम दरों या कीमतों का निर्धारण करेगा ताकि खंड 15 के अनुसार जारी किए गए प्रमाणपत्रों में ऑन-अकाउंट भुगतान शामिल किया जा सके।

बशर्ते कि खंड 13.1 और 13.2 के अनुसार अभियंता द्वारा किए जाने वाले किसी भी विविध कार्य का मूल्यांकन उप-खंड 13.3 के तहत या इस उप-खंड के तहत नहीं किया जाएगा, जब तक कि इस तरह के निर्देश की दिनांक के 14 दिनों के भीतर और, छोड़े गए काम के मामले के अलावा, विभिन्न कार्य शुरू होने से पहले, नोटिस दिया गया होगा:

(क) संविदाकार द्वारा अभियंता को अतिरिक्त भुगतान या विविध दर या मूल्य का दावा करने के अपने इरादे से, या

(ख) अभियंता द्वारा संविदाकार को दर या मूल्य बदलने के अपने इरादे से।

**13.5 20 प्रतिशत से अधिक की विविधताएं**

+/-20% तक का बदलाव संविदाकार का दायित्व होगा।

यदि, पूरे कार्यों के लिए कार्य-ग्रहण प्रमाणपत्र के मुद्दे पर, यह पाया जाता है कि इसके परिणामस्वरूप,

(क) उप-खंड 13.3 और 13.4 के तहत मूल्यवान सभी विविध कार्य, और

(ख) मात्रा के बिल में निर्धारित अनुमानित मात्रा में सभी समायोजन, खंड 23 के तहत किए गए मूल्य के समायोजन को छोड़कर,

लेकिन किसी अन्य कारण से नहीं, संविदा मूल्य के साथ भिन्नता पर संविदा मूल्य से 20 प्रतिशत से अधिक में परिवर्धन या कटौती की गई है, तब और ऐसी घटना में, नियोक्ता और संविदाकार के साथ अभियंता द्वारा उचित परामर्श के बाद, संविदा मूल्य में से कतिपय राशि जोड़ी या घटाई जाएगी। अभियंता इस उप-खंड के तहत किए गए किसी भी निर्धारण के संविदाकार को नियोक्ता को एक प्रति के साथ सूचित करेगा। ऐसी राशि केवल उस राशि पर आधारित होगी जिसके द्वारा इस तरह के परिवर्धन या कटौती संविदा मूल्य के साथ 20 प्रतिशत से

अधिक विचरण पर होगी।

## 14 विशेष जोखिम

### 14.1 विशेष जोखिमों के लिए कोई दायित्व नहीं

उप-खंड 14.2 में निर्दिष्ट किसी भी विशेष जोखिम के परिणामस्वरूप संविदाकार किसी भी दायित्व के तहत नहीं होगा, चाहे क्षतिपूर्ति के माध्यम से या अन्यथा, के लिए या के संबंध में:

(क) कार्यों का विनाश या क्षति, उक्त विशेष जोखिमों में से किसी के होने से पहले खंड 7.13 और 7.14 के प्रावधानों के तहत निंदा किए गए कार्य को छोड़कर,

(ख) संपत्ति का विनाश या क्षति, चाहे नियोक्ता या तीसरे पक्ष की, या

(ग) चोट या जीवन की हानि।

### 14.2 विशेष जोखिम

विशेष जोखिम निम्नानुसार हैं:

(क) उप-खंड 2.2 के पैराग्राफ (क), (ग), (घ) और (ङ) के तहत परिभाषित जोखिम, और

(ख) उप-खंड 2.2 के पैराग्राफ (ख) के तहत परिभाषित जोखिम जहां तक ये उस देश से संबंधित हैं जिसमें कार्यों को निष्पादित किया जाना है।

### 14.3 विशेष जोखिमों द्वारा कार्यों को हानि

यदि साइट पर या उसके निकट या पारगमन में कार्य या कोई सामग्री या संयंत्र, उक्त विशेष जोखिमों में से किसी के कारण विनाश या क्षति को बनाए रखता है, तो संविदाकार विधिवत निष्पादित किसी भी स्थायी कार्य के लिए संविदा के अनुसार भुगतान का पात्र होगा और किसी भी सामग्री या संयंत्र के लिए ताकि नष्ट या क्षतिग्रस्त और, जहां तक अभियंता द्वारा आवश्यक हो सकता है या कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो सकता है, इसके लिए भुगतान करने के लिए:

(क) कार्यों के लिए इस तरह के किसी भी विनाश या क्षति को सुधारना, और

(ख) ऐसी सामग्रियों या संयंत्र को बदलना या सुधारना, और अभियंता अनुच्छेद 13.3, 13.4 और 13.5 के अनुसार संविदा मूल्य के अतिरिक्त का निर्धारण करेगा और नियोक्ता को एक प्रति के साथ संविदाकार को सूचित करेगा।

### 14.4 प्रक्षेप्य, मिसाइल

विस्फोट या प्रभाव के कारण होने वाले विनाश, क्षति, चोट या जीवन की हानि, जब भी और जहां भी हो, किसी भी खान, बम, शेल, ग्रेनेड, या अन्य प्रक्षेप्य, मिसाइल, युद्ध सामग्री, या युद्ध के विस्फोटक, को उक्त विशेष जोखिमों का परिणाम माना जाएगा।

### 14.5 विशेष जोखिमों से उत्पन्न होने वाली बढ़ी हुई लागत

इस हद तक कि संविदाकार संविदा के किसी अन्य प्रावधान के तहत भुगतान का पात्र है, नियोक्ता संविदाकार को कार्यों के निष्पादन की किसी भी लागत का भुगतान करेगा (किसी विशेष जोखिम की घटना से पहले खंड 7.13

और 7.14 के प्रावधानों के तहत निंदा किए गए पुनर्निर्माण कार्य की लागत के कारण हो सकता है) जो कि किसी भी विशेष जोखिम की घटना से पहले या उसके परिणामस्वरूप या परिणाम के लिए जिम्मेदार या परिणामी हैं। किसी भी तरह से जो भी उक्त विशेष जोखिमों से जुड़ा हुआ है, हालांकि युद्ध के प्रकोप के संबंध में इस खंड में प्रावधानों के अधीन, लेकिन संविदाकार, जैसे ही ऐसी कोई लागत उसके ज्ञान में आती है, तुरंत अभियंता को सूचित करेगी। अभियंता, नियोक्ता और संविदाकार के साथ उचित परामर्श के बाद, उसके संबंध में संविदाकार की लागत की राशि निर्धारित करेगा जिसे संविदा मूल्य में जोड़ा जाएगा और नियोक्ता को एक प्रति के साथ संविदाकार को सूचित करेगा।

**14.6 युद्ध का प्रकोप**

यदि, संविदा की मुद्रा के दौरान, युद्ध का प्रकोप होता है, चाहे युद्ध घोषित किया गया हो या नहीं, दुनिया के किसी भी हिस्से में, जो वित्तीय रूप से या अन्यथा, कार्यों के निष्पादन को भौतिक रूप से प्रभावित करता है, संविदाकार करेगा, जब तक कि संविदा समाप्त नहीं हो जाता है इस खंड के प्रावधानों के तहत, कार्यों के निष्पादन को पूरा करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करना जारी रखें। बशर्ते कि नियोक्ता युद्ध के इस तरह के प्रकोप के बाद किसी भी समय, संविदाकार को नोटिस देकर संविदा को समाप्त करने का पात्र होगा और, इस तरह के नोटिस दिए जाने पर, संविदा इस खंड और खंड 16.3 के तहत पार्टियों के अधिकारों को छोड़कर, समाप्त हो जाएगा, लेकिन किसी भी पूर्ववर्ती उल्लंघन के संबंध में किसी भी पार्टी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना।

**14.7 समाप्ति पर संविदाकार के उपकरण को हटाना**

यदि उप-खंड 14.6 के प्रावधानों के तहत संविदा समाप्त कर दिया जाता है, तो संविदाकार सभी उचित प्रेषण के साथ, साइट से सभी संविदाकार के उपकरण हटा देगा और ऐसा करने के लिए अपने उपसंविदाकारों को समान सुविधाएं देगा।

**14.8 संविदा समाप्त होने पर भुगतान**

यदि संविदा को पूर्वोक्त के रूप में समाप्त कर दिया जाता है, तो संविदाकार को नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जाएगा, जहां तक कि ऐसी मात्रा या मद पहले से ही संविदाकार को किए गए खाते पर भुगतान द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, संविदा में प्रदान की गई दरों और कीमतों पर समाप्ति की दिनांक से पहले निष्पादित सभी कार्यों के लिए और इसके अलावा:

(क) मात्रा के बिल में निर्दिष्ट किसी भी प्रारंभिक मदों के संबंध में देय राशि, जहां तक उसमें शामिल कार्य या सेवा को किया गया है या निष्पादन किया गया है, और ऐसी किसी भी मद का उचित अनुपात जो आंशिक रूप से किया गया है या निष्पादन किया गया है;

(ख) सामग्री, संयंत्र या माल की लागत यथोचित रूप से उन कार्यों के लिए आदेश दी गई है जो संविदाकार को वितरित किए गए हैं या जिनमें से संविदाकार कानूनी रूप से डिलीवरी स्वीकार करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसी सामग्री, संयंत्र या माल नियोक्ता की संपत्ति बन जाते हैं उनके द्वारा किए जा रहे भुगतान;

(ग) एक राशि संविदाकार द्वारा पूरे कार्यों को पूरा करने की उम्मीद में यथोचित रूप से किए गए किसी भी व्यय की राशि है, जहां तक कि इस तरह के व्यय को इस उप-खंड में निर्दिष्ट किसी अन्य भुगतान द्वारा कवर नहीं किया गया है;

(घ) उप-खंड 14.3 और 14.5 के प्रावधानों के तहत देय कोई अतिरिक्त राशि;

(ङ) लागत का ऐसा अनुपात जो उचित हो सकता है, उप-खंड 14.7 के तहत संविदाकार के उपकरण को हटाने के लिए किए गए या निष्पादित किए जाने वाले भुगतान को ध्यान में रखते हुए और, यदि संविदाकार द्वारा आवश्यक हो, तो पंजीकरण के अपने देश में संविदाकार के मुख्य संयंत्र यार्ड में या अन्य गंतव्य पर, बिना किसी अधिक लागत के; और

(च) ऐसी समाप्ति के समय कार्य पर या उसके संबंध में नियोजित सभी संविदाकार के कर्मचारियों और कामगारों के प्रत्यावर्तन की उचित लागत।

बशर्ते कि इस उप-खंड के तहत नियोक्ता से देय किसी भी भुगतान के खिलाफ, नियोक्ता जुटाव के संबंध में अग्रिम के लिए संविदाकार से देय किसी भी बकाया शेष राशि और किसी भी अन्य राशि के साथ जमा होने का पात्र होगा, जो समाप्ति की दिनांक पर, संविदा की शर्तों के तहत संविदाकार से नियोक्ता द्वारा वसूली योग्य थे। इस उप-खंड के तहत देय कोई भी राशि, नियोक्ता और संविदाकार के साथ उचित परामर्श के बाद, अभियंता द्वारा निर्धारित की जाएगी जो नियोक्ता को एक प्रति के साथ संविदाकार को सूचित करेगा।

## 15 प्रमाणपत्र और भुगतान

### 15.1 मासिक विवरणी

संविदाकार अभियंता को तीन प्रतियां प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक एक बयान के उप-खंड 4.10 के अनुसार अभियंता द्वारा अनुमोदित संविदाकार के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित, इस तरह के रूप में अभियंता समय-समय पर निर्धारित कर सकता है, भारतीय रुपये में व्यक्त की गई राशि दिखा रहा है, जिसके लिए संविदाकार खुद को पात्र मानता है:

(क) संविदा के संदर्भ में निष्पादित कार्यों का मूल्य

(ख) मात्रा के बिल में कोई अन्य मद।

(ग) सूचीबद्ध सामग्रियों के चालान मूल्य का प्रतिशत, जैसाकि एससीसी में कहा गया है, और स्थायी कार्यों में शामिल करने के लिए साइट पर संविदाकार द्वारा वितरित संयंत्र लेकिन ऐसे कार्यों में शामिल नहीं किया गया है,

(घ) खंड 24 के अधीन समायोजन, और

(ङ) कोई अन्य राशि जिसके लिए संविदाकार संविदा के तहत या अन्यथा पात्र हो सकता है।

### 15.2 मासिक भुगतान

अभियंता, इस तरह के बयान प्राप्त करने के 28 दिनों के भीतर, नियोक्ता को एक अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्र वितरित करेगा, जिसमें संविदाकार को भुगतान की राशि बताई गई है, जिसे अभियंता इस तरह के बयान के संबंध में देय मानता है:

(क) सबसे पहले, एससीसी में बताए गए प्रतिधारण के प्रतिशत को लागू करके गणना की गई राशि के प्रतिधारण के लिए, उस राशि के लिए जिस पर संविदाकार पैराग्राफ (क), (ख), (ग) और (ङ) के तहत पात्र है उप-खंड 15.1 जब तक कि इस प्रकार रखी गई राशि एससीसी में बताई गई प्रतिधारण राशि की सीमा तक

नहीं पहुंच जाती, और

(ख) दूसरे, कटौती के लिए, खंड 8.12 और 8.13 के अनुसरण के अलावा, किसी भी राशि की जो संविदाकार द्वारा नियोक्ता को देय और देय हो सकती है।

बशर्ते कि अभियंता इस उप-खंड के तहत किसी भी भुगतान को प्रमाणित करने के लिए बाध्य नहीं होगा यदि सभी प्रतिधारण और कटौती के बाद, एससीसी में बताए गए अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्रों की न्यूनतम राशि से कम होगी।

इस खंड या संविदा के किसी अन्य खंड की शर्तों के बावजूद, कोई भी राशि अभियंता द्वारा भुगतान के लिए प्रमाणित नहीं की जाएगी जब तक कि निष्पादन प्रतिभूति, यदि संविदा के तहत आवश्यक हो, संविदाकार द्वारा प्रदान की गई हो और नियोक्ता द्वारा अनुमोदित की गई हो।

**15.3 भुगतान का स्थान**

नियोक्ता द्वारा संविदाकार को भुगतान उन मुद्राओं में किया जाएगा जिनमें संविदा मूल्य नियोक्ता के देश में संविदाकार द्वारा नामित बैंक खाते या खातों में देय है।

**15.4 प्रतिधारण राशि**

एससीसी में निर्धारित प्रतिशत की राशि अभियंता द्वारा पहले और निम्नलिखित अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्रों में एससीसी के रूप में प्रतिधारण राशि की निर्दिष्ट सीमा तक की जाएगी।

**15.5 प्रतिधारण राशि का भुगतान**

(क) पूरे कार्यों के संबंध में कार्य-ग्रहण प्रमाणपत्र के मुद्दे पर, प्रतिधारित राशि का आधा हिस्सा, या स्थायी कार्यों के एक खंड या हिस्से के संबंध में कार्य-ग्रहण प्रमाणपत्र के मुद्दे पर केवल ऐसे अनुपात के रूप में अभियंता इस तरह के खंड या स्थायी कार्यों के हिस्से के सापेक्ष मूल्य के संबंध में निर्धारित करता है, संविदाकार को भुगतान के लिए अभियंता द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

(ख) कार्यों के लिए दोष दायित्व अवधि की समाप्ति पर, प्रतिधारण राशि का दूसरा आधा हिस्सा संविदाकार को भुगतान के लिए अभियंता द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। बशर्ते कि, खंड 10 के अनुसार विभिन्न खंडों या स्थायी कार्यों के कुछ हिस्सों पर लागू होने वाले विभिन्न दोष देयता अवधियों की स्थिति में, अभिव्यक्ति "दोष देयता अवधि की समाप्ति", इस उप-खंड के प्रयोजनों के लिए, ऐसी अवधियों के नवीनतम की समाप्ति का अर्थ माना जाएगा। बशर्ते कि यदि ऐसे समय में संविदाकार द्वारा निर्देशित किसी भी कार्य को निष्पादित किया जाना बाकी रहेगा, तो खंड 11 के अनुसार, कार्यों के संबंध में, अभियंता इस तरह के काम के पूरा होने तक प्रमाणन को रोकने का पात्र होगा ताकि प्रतिधारण राशि का इतना शेष रहे जो, अभियंता की राय में, निष्पादित किए जाने वाले कार्य की लागत के समतुल्य हो।

**15.6 प्रमाणपत्रों का सुधार**

अभियंता किसी भी अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्र द्वारा किसी भी पिछले अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्र में कोई सुधार या संशोधन कर सकता है जो उसके द्वारा जारी किया गया होगा और यदि कोई काम उसकी संतुष्टि के लिए नहीं किया जा रहा है, तो किसी भी अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्र में इस तरह के काम के मूल्य को छोड़ने या कम करने का अधिकार होगा।

**15.7 कार्य-पूर्णता पर वक्तव्य**

पूरे कार्यों के संबंध में कार्य-ग्रहण प्रमाणपत्र जारी करने के अधिकतम 30 दिनों में, संविदाकार अभियंता द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में विस्तार से दिखाते हुए सहायक दस्तावेजों के साथ पूरा होने पर विवरणी की तीन प्रतियां अभियंता को प्रस्तुत करेगा:

(क) इस तरह के कार्य-ग्रहण प्रमाणपत्र में बताई गई दिनांक तक संविदा के अनुसार, भारतीय रुपये में किए गए सभी कार्यों का अंतिम मूल्य,

(ख) कोई और राशि जिसे संविदाकार देय मानता है, और

(ग) संविदाकार द्वारा संविदा के अंतर्गत समझी जाने वाली राशियों का अनुमान।

कार्य पूरा होने पर ऐसे विवरण में अनुमानित राशि अलग से दर्शाई जाएगी। अभियंता उप-खंड 15.2 के अनुसार भुगतान प्रमाणित करेगा।

**15.8 अंतिम विवरणी**

कार्य-पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने के अधिकतम 30 दिनों में, संविदाकार अभियंता द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में विस्तार से दिखाते हुए सहायक दस्तावेजों के साथ एक मसौदा अंतिम बयान की छह प्रतियां विचारार्थ अभियंता को प्रस्तुत करेगा:

(क) संविदा के अनुसार किए गए सभी कार्यों का मूल्य, और

(ख) कोई और राशि जो संविदाकार संविदा के तहत या अन्यथा उसके कारण मानता है।

यदि अभियंता मसौदा अंतिम विवरणी के किसी भी हिस्से से असहमत है या सत्यापित नहीं कर सकता है, तो संविदाकार ऐसी और जानकारी प्रस्तुत करेगा जैसाकि अभियंता को यथोचित आवश्यकता हो सकती है और मसौदा में ऐसे बदलाव करेगा जैसाकि उनके बीच सहमति हो सकती है। संविदाकार तब अभियंता को अंतिम विवरण तैयार करेगा और सहमति के अनुसार प्रस्तुत करेगा (इन शर्तों के प्रयोजनों के लिए "अंतिम विवरण" के रूप में संदर्भित)।

यदि, अभियंता और संविदाकार के बीच चर्चा के बाद और मसौदा अंतिम विवरण में कोई भी बदलाव जो उनके बीच सहमत हो सकता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि विवाद मौजूद है, अभियंता नियोक्ता को मसौदा अंतिम विवरण के उन हिस्सों के लिए अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्र प्रदान करेगा, यदि कोई हो, जो विवाद में नहीं हैं। विवाद तब खंड 16.3 के अनुसार तय किया जा सकता है।

**15.9 कार्य-मुक्ति**

अंतिम विवरण प्रस्तुत करने पर, संविदाकार नियोक्ता को अभियंता को एक प्रति के साथ, एक लिखित निर्वहन करते हुए यह पुष्टि करेगा कि अंतिम विवरणी कुल संविदा से उत्पन्न होने वाले संविदाकार के कारण सभी राशि के पूर्ण और अंतिम निपटान है। बशर्ते कि इस तरह का निर्वहन केवल उप-खंड 15.10 के अनुसरण में जारी किए गए अंतिम भुगतान प्रमाणपत्र के तहत देय भुगतान के बाद ही प्रभावी हो जाएगा और उप-खंड 4.4 में निर्दिष्ट निष्पादन प्रतिभूति, यदि कोई हो, संविदाकार को वापस कर दी गई है।

**15.10 अंतिम भुगतान प्रमाणपत्र**

अंतिम विवरण प्राप्त होने और लिखित निर्वहन के 14 दिनों के भीतर, अभियंता नियोक्ता को (संविदाकार को एक प्रति के साथ) एक अंतिम भुगतान प्रमाणपत्र जारी करेगा:

(क) वह राशि, जो अभियंता की राय में, संविदा के तहत या अन्यथा अंततः देय है, और

(ख) नियोक्ता द्वारा पहले भुगतान की गई सभी राशियों के लिए नियोक्ता को क्रेडिट देने के बाद और उन सभी राशियों के लिए, जिनके लिए नियोक्ता अनुच्छेद 8.12 और 8.13 के अलावा अन्य पात्र है, शेष, यदि कोई हो, नियोक्ता से संविदाकार को या संविदाकार से नियोक्ता तक जैसा भी मामला हो।

**15.11 नियोक्ता की देयता की समाप्ति**

नियोक्ता संविदा या कार्यों के निष्पादन से उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले या चीज के लिए संविदाकार के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, जब तक कि संविदाकार ने उपखंड 15.7 में कार्य पूर्णता के पने अंतिम विवरण में उसके संबंध में दावा शामिल नहीं किया होगा (पूरे कार्यों के संबंध में कार्य-ग्रहण प्रमाणपत्र जारी करने के बाद उत्पन्न होने वाले मामलों या चीजों के संबंध में) पूरा होने पर विवरण में उपखंड 15.7.

**15.12 भुगतान के लिए समय**

इस खंड के अनुसार अभियंता द्वारा जारी किए गए किसी भी अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्र के तहत संविदाकार को देय राशि, या संविदा की किसी अन्य अवधि के लिए, अनुच्छेद 8.12 और 8.13 के अधीन, नियोक्ता द्वारा संविदाकार को नियोक्ता को इस तरह के अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्र वितरित किए जाने के बाद, या, उप-खंड 15.8 में निर्दिष्ट अंतिम भुगतान प्रमाणपत्र के मामले में, 30 दिनों के भीतर, इस तरह के अंतिम भुगतान प्रमाणपत्र नियोक्ता को वितरित किए जाने के बाद 28 दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा। उल्लिखित समय के भीतर भुगतान करने में नियोक्ता की विफलता की स्थिति में, नियोक्ता संविदाकार को एससीसी में बताई गई दर पर ब्याज का भुगतान उस दिनांक से अवैतनिक सभी राशियों पर करेगा, जिसके द्वारा उसका भुगतान किया जाना चाहिए था। इस उप-खंड के उपबंध खण्ड 18 अथवा अन्यथा के अंतर्गत संविदाकार की हकदारी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना हैं।

**15.13 अग्रिम भुगतान**

संविदाकार एससीसी में बताई गई राशि के लिए अग्रिम भुगतान प्राप्त करने का होगा। इस तरह की अग्रिम राशि का भुगतान अभियंता द्वारा प्रमाणन के तहत देय होगा (क) पार्टियों द्वारा करार के प्रपत्र के निष्पादन; (ख) उप-खंड 4.4 के अनुसार निष्पादन प्रतिभूति के संविदाकार द्वारा प्रावधान; और (ग) एक प्रपत्र में समान राशि के लिए संविदाकार द्वारा प्रावधान और नियोक्ता को बैंक द्वारा स्वीकार्य बिना शर्त बैंक गारंटी के बाद होगा। इस तरह की बैंक गारंटी तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि नीचे दिए गए पैराग्राफ के अनुसार अग्रिम भुगतान नहीं किया जाता है, लेकिन संविदाकार द्वारा चुकाई गई राशि को उत्तरोत्तर कम किया जाएगा जैसाकि इस खंड के अनुसार जारी अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्र में दर्शाया गया है।

अग्रिम भुगतान इस खंड के अनुसार अभियंता द्वारा प्रमाणित अंतरिम भुगतान से प्रतिशत कटौती के माध्यम से चुकाया जाएगा। कटौती अगले अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्र में शुरू होगी, जिसके बाद संविदाकार को प्रमाणित सभी अंतरिम भुगतानों का कुल एससीसी कम अनंतिम राशि में निर्धारित संविदा मूल्य के प्रतिशत तक पहुंच गया है, यदि कोई हो, और एससीसी में बताई गई दर पर किया जाएगा सभी अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्रों की राशि जब तक कि अग्रिम भुगतान चुकाया नहीं गया है; बशर्ते कि अग्रिम भुगतान उस समय से पहले पूरी तरह से चुकाया जाएगा जब संविदा मूल्य का 80 प्रतिशत भुगतान के लिए प्रमाणित किया गया है।

**16 दावे, अनंतिम राशि और विवादों का निपटान**

## 16.1 दावा

### 16.1.1 दावों का नोटिस

संविदा के किसी भी अन्य प्रावधान के बावजूद, यदि संविदाकार इन शर्तों के किसी भी खंड के अनुसार या अन्यथा किसी भी अतिरिक्त भुगतान का दावा करता है, तो वह अभियंता को नियोक्ता को एक प्रति के साथ, 28 दिनों के भीतर दावा करने वाली घटना के बाद अपने इरादे की सूचना देगा।

### 16.1.2 समकालीन रिकॉर्ड

उप-खंड 16.1.1 में निर्दिष्ट घटना के होने पर, संविदाकार ऐसे समकालीन रिकॉर्ड रखेगा जो किसी भी दावे का समर्थन करने के लिए यथोचित रूप से आवश्यक हो सकता है जो वह बाद में करना चाहता है। आवश्यक रूप से नियोक्ता की देयता को स्वीकार किए बिना, अभियंता, उप-खंड 16.1.1 के तहत एक नोटिस प्राप्त होने पर, ऐसे समकालीन रिकॉर्ड का निरीक्षण करेगा और संविदाकार को किसी भी अन्य समकालीन रिकॉर्ड को रखने का निर्देश दे सकता है जो उचित हैं और हो सकता है जिसके दावे के लिए सामग्री हो सकती है नोटिस दिया गया है। संविदाकार अभियंता को इस उप-खंड के अनुसार रखे गए सभी अभिलेखों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा और जब भी अभियंता ऐसा निर्देश देगा, उसे इसकी प्रतियां प्रदान करेगा।

### 16.1.3 दावों की पुष्टि

उप-खंड 16.1.1 के तहत नोटिस देने के 28 दिनों के भीतर, या अभियंता द्वारा सहमति के रूप में ऐसे अन्य उचित समय के भीतर, संविदाकार अभियंता को दावा की गई राशि का विस्तृत विवरण देते हुए और जिन आधारों पर दावा आधारित है उनका लेखा भेजेगा। जहां दावे को जन्म देने वाली घटना का निरंतर प्रभाव पड़ता है, ऐसे लेखे को एक अंतरिम लेखा माना जाएगा और संविदाकार, ऐसे अंतराल पर, जैसाकि अभियंता को यथोचित आवश्यकता हो, आगे अंतरिम लेखा भेजते हुए दावे की संचित राशि और कोई और आधार जिस पर यह आधारित है, ऐसे मामलों में जहां अंतरिम लेखे अभियंता को भेजे जाते हैं, संविदाकार घटना के परिणामस्वरूप होने वाले प्रभावों के अंत के 28 दिनों के भीतर एक अंतिम लेखा भेजेगा। संविदाकार, यदि अभियंता द्वारा ऐसा करने के लिए आवश्यक है, तो इस उप-खंड के अनुसार अभियंता को भेजे गए सभी लेखों को नियोक्ता को कॉपी करेगा।

### 16.1.4 अनुपालन में विफलता

यदि संविदाकार किसी भी दावे के संबंध में इस खंड के किसी भी प्रावधान का पालन करने में विफल रहता है, जो वह करना चाहता है, तो उसके संबंध में भुगतान के लिए उसकी पात्रता ऐसी राशि से अधिक नहीं होगी जो अभियंता या किसी मध्यस्थ या मध्यस्थों द्वारा उप-खंड 16.3.3 समकालीन रिकॉर्ड द्वारा सत्यापित किए जाने वाले दावे का आकलन के अनुसार नियुक्त की गई है (चाहे इस तरह के रिकॉर्ड अभियंता के नोटिस में लाए गए हों या नहीं, जैसाकि उप-खंड 16.1.2 के तहत आवश्यक है और 16.1.3)।

### 16.1.5 दावों का भुगतान

संविदाकार किसी भी दावे के संबंध में अभियंता द्वारा प्रमाणित किसी भी अंतरिम भुगतान में शामिल करने का पात्र होगा, क्योंकि अभियंता, नियोक्ता और संविदाकार के साथ उचित परामर्श के बाद, संविदाकार के कारण विचार कर सकता है, बशर्ते कि संविदाकार ने अभियंता को देय राशि निर्धारित करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त विवरण प्रदान किए हों। यदि इस तरह के विवरण पूरे दावे को प्रमाणित करने के लिए अपर्याप्त हैं, तो संविदाकार दावे के ऐसे हिस्से के संबंध में भुगतान का पात्र होगा क्योंकि इस तरह के विवरण अभियंता की संतुष्टि के लिए

प्रमाणित हो सकते हैं। अभियंता इस उप-खंड के तहत किए गए किसी भी निर्धारण के संविदाकार को नियोक्ता को एक प्रति के साथ सूचित करेगा।

### 16.2 अनंतिम राशि

#### 16.2.1 "अनंतिम राशि" की परिभाषा

"अनंतिम राशि" का अर्थ है संविदा में शामिल जिसे राशि और इसलिए कार्यों के किसी भी हिस्से के निष्पादन के लिए या माल, सामग्री, संयंत्र या सेवाओं की आपूर्ति के लिए, या आकस्मिकताओं के लिए मात्रा के बिल में निर्दिष्ट किया गया है, जिसका अभियंता के निर्देशों पर उपयोग किया जा सकता है, पूरे या आंशिक रूप से, या बिल्कुल नहीं। संविदाकार कार्य, आपूर्ति या आकस्मिकताओं के संबंध में केवल ऐसी राशियों का पात्र होगा, जिनसे ऐसी अनंतिम राशि संबंधित है जैसाकि अभियंता इस खंड के अनुसार निर्धारित करेगा। अभियंता इस उप-खंड के तहत किए गए किसी भी निर्धारण के संविदाकार को नियोक्ता को एक प्रति के साथ सूचित करेगा।

#### 16.2.2 अनंतिम राशि का उपयोग

प्रत्येक अनंतिम राशि के संबंध में अभियंता के पास काम के निष्पादन या माल, सामग्री, संयंत्र, श्रम या सेवाओं की आपूर्ति के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार होगा:

(क) संविदाकार, जिस स्थिति में संविदाकार खंड 13.3, 13.4 और 13.5 के अनुसार निर्धारित मूल्य के बराबर राशि का पात्र होगा, और

(ख) एक नामित उपसंविदाकार, जैसाकि इसके बाद परिभाषित किया गया है, जिस स्थिति में संविदाकार को भुगतान की जाने वाली राशि उप-खंड 5.4.4 के अनुसार निर्धारित और भुगतान की जाएगी।

#### 16.2.3 वाउचर प्रस्तुत करना

संविदाकार अभियंता को अनंतिम राशि के संबंध में व्यय के संबंध में सभी उद्धरण, चालान, वाउचर और लेखों या प्राप्तियां प्रस्तुत करेगा, सिवाय इसके कि जहां निविदा में निर्धारित दरों या कीमतों के अनुसार काम का मूल्यांकन किया जाता है।

### 16.3 विवादों का निपटारा

#### 16.3.1 अभियंता का निर्णय

यदि नियोक्ता और संविदाकार के बीच संविदा या कार्यों के निष्पादन के संबंध में या उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, चाहे कार्यों के निष्पादन के दौरान या उनके पूरा होने के बाद और चाहे पहले या बाद में अस्वीकृति या निष्कासन या संविदा की अन्य समाप्ति, किसी भी राय के रूप में किसी भी विवाद सहित, अभियंता के निर्देश, निर्धारण, प्रमाणपत्र या मूल्यांकन, विवाद में मामला पहले स्थान पर होगा, जिसे अभियंता को लिखित रूप में दूसरे पक्ष को एक प्रति के साथ संदर्भित किया जाएगा। इस तरह के संदर्भ में कहा जाएगा कि यह इस खंड के अनुसार किया गया है। जिस दिन उसे ऐसा संदर्भ प्राप्त हुआ, उसके बाद 30$^{वें}$ दिन के बाद नहीं, अभियंता नियोक्ता और संविदाकार को अपने निर्णय की सूचना देगा। इस तरह के निर्णय में कहा जाएगा कि यह इस खंड के अनुसार किया गया है।

जब तक संविदा पहले से ही अस्वीकार या समाप्त नहीं की गई हो, संविदाकार, हर मामले में, सभी उचित परिश्रम के साथ कार्यों के साथ आगामी कार्रवाई जारी रखेगा और संविदाकार और नियोक्ता अभियंता के हर ऐसे निर्णय

को तुरंत प्रभावी करेंगे जब तक कि इसे संशोधित नहीं किया जाएगा, जैसाकि एक सौहार्दपूर्ण निपटान या मध्यस्थ पंचाट में इसके बाद प्रदान किया गया है।

यदि नियोक्ता या संविदाकार अभियंता के किसी भी निर्णय से असंतुष्ट हैं, या यदि अभियंता उस दिन के बाद 30 वें दिन या उससे पहले अपने निर्णय की सूचना देने में विफल रहता है, जिस दिन उसे संदर्भ प्राप्त हुआ था, तो नियोक्ता या संविदाकार, उस दिन के बाद सत्तरवें दिन या उससे पहले, जिस दिन उसे इस तरह के निर्णय की सूचना मिली थी, या उस दिन के बाद सत्तरवें दिन या उससे पहले, जिस दिन 30 दिनों की उक्त अवधि समाप्त हो गई, जैसा भी मामला हो, दूसरे पक्ष को, अभियंता को जानकारी के लिए एक प्रति के साथ, मध्यस्थता शुरू करने के अपने इरादे के बारे में, जैसाकि इसके बाद प्रदान किया गया है, नोटिस देगा। इस तरह की सूचना मध्यस्थता शुरू करने के लिए समान देने वाली पार्टी की पात्रता स्थापित करेगी, जैसाकि इसके बाद इस तरह के विवाद के रूप में प्रदान किया गया है और, उप-खंड 16.3.4 के अधीन, उसके संबंध में कोई मध्यस्थता तब तक शुरू नहीं की जा सकती जब तक कि ऐसा नोटिस नहीं दिया जाता है।

यदि अभियंता ने नियोक्ता और संविदाकार को विवाद में एक मामले के रूप में अपने निर्णय की सूचना दी है और इस तरह के विवाद के रूप में मध्यस्थता शुरू करने के इरादे की कोई सूचना नियोक्ता या संविदाकार द्वारा ऊपर निर्दिष्ट दिन पर या उससे पहले नहीं दी गई है, तो उक्त निर्णय नियोक्ता और संविदाकार पर अंतिम और बाध्यकारी हो जाएगा।

### 16.3.2 सौहार्दपूर्ण समझौता

जहां उप-खंड 16.3.1 के अनुसार विवाद के रूप में मध्यस्थता शुरू करने के इरादे की सूचना दी गई है, पार्टियां मध्यस्थता शुरू होने से पहले इस तरह के विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने का प्रयास करेंगी। बशर्ते, जब तक कि पक्ष अन्यथा सहमत न हों, मध्यस्थता उस दिन के बाद 28 वें दिन या उसके बाद शुरू की जा सकती है, जिस दिन इस तरह के विवाद की मध्यस्थता शुरू करने के इरादे की सूचना दी गई थी, भले ही उसके सौहार्दपूर्ण निपटान का कोई प्रयास न किया गया हो.

### 16.3.3 मध्यस्थता

कोई भी विवाद जिसके संबंध में:

(क) अभियंता का निर्णय, यदि कोई हो, उप-खंड 16.3.1 के अनुसार अंतिम और बाध्यकारी नहीं हुआ है, और

(ख) उपखंड 16.3.2 में बताई गई अवधि में सौहार्दपूर्ण समझौता नहीं किया गया है, जिसे नीचे दिए गए तरीके से मध्यस्थता के लिए और निम्नानुसार नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ को भेजा जाएगा:

(i) दोनों में से कोई भी पक्ष खंड 16.3.1 में निर्दिष्ट समय के भीतर अभियंता को एक प्रति के साथ विवाद या मतभेद के ऐसे प्रश्न के अस्तित्व के बारे में लिखित रूप में अन्य नोटिस दे सकता है।

(ii) किसी भी पक्ष से इस तरह के नोटिस की प्राप्ति के अट्ठाईस (28) दिनों के भीतर, अभियंता नियोक्ता के परामर्श से संविदाकार को तीन व्यक्तियों का एक पैनल भेजेगा और संविदाकार ऐसे पैनल की प्राप्ति के इक्कीस (21) दिनों के भीतर अभियंता और नियोक्ता को ऐसे पैनल में से किसी एक व्यक्ति का नाम बताएगा और ऐसे व्यक्ति को नियोक्ता द्वारा एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा। हालांकि, इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ एक अधिकारी या नियोक्ता या अभियंता का कर्मचारी नहीं होगा।

(iii) बशर्ते कि यदि संविदाकार निर्दिष्ट समय के भीतर उसे अग्रेषित पैनल में से किसी नाम के चयन के बारे

में सूचित करने में विफल रहता है, तो नियोक्ता बिना देरी के पूर्वोक्त पैनल से एक व्यक्ति का चयन करेगा और उसे एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करेगा।

(iv) मध्यस्थ जिसे मूल रूप से मामला स्थानांतरित किया जा रहा है या अपने कार्यालय को खाली करने या किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ होने के कारण संदर्भित किया गया है, तो नियोक्ता किसी अन्य व्यक्ति को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेगा, ऐसा व्यक्ति उस चरण से संदर्भ के साथ आगे बढ़ने का पात्र होगा जिस पर पूर्ववर्ती ने इसे छोड़ दिया था।

(v) मध्यस्थ का पंचाट अंतिम और बाध्यकारी होगा। मध्यस्थ यह तय करेगा कि मध्यस्थ की फीस किस अनुपात में है, साथ ही मध्यस्थता कार्यवाही की लागत किसी भी पक्ष द्वारा वहन की जाएगी।

(vi) मध्यस्थ पार्टियों की सहमति से समय-समय पर अपना पंचाट बनाने और प्रकाशित करने के लिए समय बढ़ा सकता है।

(vii) प्रश्न विवाद या संविदा के संबंध में अंतर में अस्तित्व की सूचना जब तक कि दोष देयता प्रमाणपत्र जारी करने के 30 दिनों के भीतर किसी भी पक्ष द्वारा सेवा नहीं की जाती है, जिसमें विफल होने पर इस संविदा के तहत सभी अधिकारों और दावों को माफ कर दिया गया माना जाएगा और इस प्रकार जब्त कर लिया गया है और पूरी तरह से वर्जित है।

(viii) मध्यस्थ प्रत्येक मद के लिए पंचाट के लिए कारण देगा।

(ix) इस संविदा के तहत काम मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान जारी रहेगा और नियोक्ता द्वारा देय या भुगतान को इस तरह की कार्यवाही के कारण रोक दिया जाएगा, सिवाय उस सीमा के, जो विवाद में हो।

(x) मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 के साथ पठित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996, किसी भी सांविधिक संशोधन या उसके पुन: अधिनियमन के साथ और लागू होने के लिए उसके तहत बनाए गए नियम इस खंड के तहत मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होंगे।

मध्यस्थ के पास पार्टियों की सहमति से पंचाट को रेट करने के लिए अवधि को बढ़ाने की शक्ति होगी, बशर्ते कि मध्यस्थता कार्यवाही की शुरुआत या निरंतरता के परिणामस्वरूप किसी भी अन्य अधिकारों और पार्टियों के दायित्वों में से किसी का भी निलंबन नहीं हो। मध्यस्थता कार्यवाही का स्थान नोएडा में होगा। आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि इस करार के दोनों पक्ष एतद्द्वारा मध्यस्थता के माध्यम को छोड़कर इस करार से उत्पन्न होने वाले अपने किसी भी विवाद को हल करने के लिए सिविल कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे। किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ संविदा के मामले में, निम्नलिखित मध्यस्थता खंड लागू होगा: "अन्यथा प्रदान किए जाने के अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ एक संविदा के मामले में, यदि किसी भी समय कोई प्रश्न, विवाद या मतभेद जो भी पार्टियों के बीच या इस समझौते के संबंध में उत्पन्न होता है, तो इसे उद्योग मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग कार्यालय ज्ञाप संख्या 3/5/93-पीएमए दिनांक 30.06.93 या उसके किसी भी संशोधन/संशोधन के संदर्भ में तय किया जाएगा। "मध्यस्थ के पास पार्टियों की सहमति से पंचाट प्रकाशित करने के लिए अवधि को बढ़ाने की शक्ति होगी, बशर्ते कि मध्यस्थता कार्यवाही की शुरुआत या निरंतरता के परिणामस्वरूप किसी भी अन्य अधिकारों और दायित्वों में से किसी का भी निलंबन नहीं हो।

### 16.3.4 संविदा को नियंत्रित करने वाले कानून

i) भारत के कानून इस संविदा को नियंत्रित करेंगे।

ii) कार्य के स्थान, निष्पादन की जगह या संविदा के तहत भुगतान की जगह के बावजूद, संविदा को उस स्थान पर किया गया माना जाएगा जहां से स्वीकृति-पत्र जारी किया गया है।

iii) उस स्थान के न्यायालयों को, जहां से निविदा स्वीकृति पत्र जारी किया गया है, संविदा से या उसके संबंध में उत्पन्न किसी विवाद का निर्णय करने की अधिकारिता होगी।

**16.3.5 अभियंता के निर्णय का पालन करने में विफलता**

जहां न तो नियोक्ता और न ही संविदाकार ने उप-खंड 16.3.1 में बताई गई अवधि के भीतर विवाद की मध्यस्थता शुरू करने के इरादे की सूचना दी है और संबंधित निर्णय अंतिम और बाध्यकारी हो गया है, या तो पार्टी हो सकती है, यदि दूसरा पक्ष इस तरह के निर्णय का पालन करने में विफल रहता है, और किसी भी अन्य अधिकारों के पूर्वाग्रह के बिना, उप-खंड 16.3.2 के अनुसार मध्यस्थता में विफलता का संदर्भ लें। उप-खंड 16.3.1 और 16.3.2 के प्रावधान ऐसे किसी भी संदर्भ पर लागू नहीं होंगे।

**17 जब संविदा निर्धारित किया जा सकता है**

**17.1** इस खंड में निहित अन्य प्रावधानों के अधीन, प्रभारी अभियंता, किसी भी देरी, हीन कारीगरी, हानि के लिए किसी भी दावे और/या इस संविदा के किसी भी अन्य प्रावधानों के संबंध में संविदाकार के खिलाफ अपने किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, और चाहे पूरा होने की दिनांक बीत चुकी है या नहीं, लिखित रूप में नोटिस द्वारा निम्नलिखित मामलों में से किसी में संविदा का पूरी तरह से निर्धारण कर सकता है:

i. यदि संविदाकार को प्रभारी अभियंता द्वारा किसी दोषपूर्ण कार्य को सुधारने, पुनर्निर्माण करने या बदलने के लिए लिखित रूप में नोटिस दिया गया है या यह कि कार्य अक्षम या अन्यथा अनुचित या गैर-कामगार तरीके से किया जा रहा है, तो उसके बाद सात दिनों की अवधि के लिए इस तरह के नोटिस की आवश्यकता का अनुपालन करने का लोप करेगा।

ii. यदि संविदाकार ने बिना किसी उचित कारण के कार्य की प्रगति को निलंबित कर दिया है या उचित परिश्रम के साथ कार्य को आगे बढ़ाने में विफल रहा है ताकि प्रभारी अभियंता की राय में वह पूरा होने की दिनांक तक कार्य को पूरा करने में असमर्थ हो और प्रभारी अभियंता से सात दिनों की लिखित सूचना के बाद भी ऐसा करना जारी रखे।

iii. यदि संविदाकार निर्धारित तिथि के भीतर काम पूरा करने में विफल रहता है या पूरा होने की व्यक्तिगत दिनांक के साथ काम की मदें, यदि कोई निर्धारित है, तो पूरा होने की ऐसी दिनांक (दिनांकों) पर या उससे पहले और प्रभारी अभियंता द्वारा लिखित रूप में दिए गए नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर उन्हें पूरा नहीं करता है।

iv. यदि संविदाकार संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने में लगातार उपेक्षा करता है और/अथवा संविदा के किसी भी निबंधन एवं शर्तों का अनुपालन करने में चूक करता है और प्रभारी अभियंता द्वारा उसे लिखित में नोटिस दिए जाने के बाद 7 दिनों के भीतर इसका समाधान नहीं करता है अथवा प्रभावी कदम नहीं उठाता है।

v. यदि संविदाकार आईडब्ल्यूएआई सेवा में किसी भी व्यक्ति को पेशकश करेगा या देगा या देने के लिए सहमत होगा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को संविदा प्राप्त करने या निष्पादित करने के संबंध में कोई कार्य करने या करने के लिए या करने के लिए या करने के लिए मना करने के लिए प्रलोभन या इनाम के रूप में किसी भी प्रकार का कोई उपहार या विचार।

vi. यदि संविदाकार गलत निविदा या प्रतिस्पर्धी निविदा के अन्य गैर-बोनाफाइड तरीकों के परिणामस्वरूप

आईडब्ल्यूएआई के साथ संविदा प्राप्त करेगा या अखंडता समझौते का उल्लंघन करता है।

vii. यदि संविदाकार एक व्यक्ति है, या यदि एक फर्म है, तो उसका कोई भी भागीदार किसी भी समय दिवालिया समायोजित होगा या उसके खिलाफ बनाई गई उसकी संपत्ति के प्रशासन के लिए एक प्राप्त आदेश या आदेश होगा या परिसमापन या संरचना के लिए कोई कार्यवाही करेगा (समामेलन या पुनर्निर्माण के उद्देश्य से स्वैच्छिक परिसमापन के अलावा) किसी भी दिवाला अधिनियम के तहत समय के लिए लागू होगा या उसके प्रभावों का कोई हस्तांतरण या समनुदेशन करेगा या अपने लेनदारों के लाभ के लिए संरचना या व्यवस्था या ऐसा करने का तात्पर्य, या यदि किसी भी दिवालियापन अधिनियम के तहत उसकी संपत्ति के जब्ती के लिए समय के लिए लागू किया जाता है या यदि उसके लेनदारों के लाभ के लिए उसके द्वारा एक ट्रस्ट डीड निष्पादित किया जाता है।

viii. यदि संविदाकार एक कंपनी होने के नाते एक संकल्प पारित करेगा या अदालत एक आदेश देगी कि कंपनी को बंद कर दिया जाएगा या यदि लेनदार की ओर से एक रिसीवर या प्रबंधक नियुक्त किया जाएगा या यदि परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जो अदालत या लेनदार को रिसीवर या प्रबंधक नियुक्त करने का अधिकार देती हैं या जो अदालत को समापन आदेश देने का अधिकार देती हैं।

ix. यदि संविदाकार को अपने माल पर लगाए जा रहे निष्पादन का सामना करना पड़ेगा और इसे 21 दिनों की अवधि के लिए जारी रखने की अनुमति दी जाएगी।

x. यदि संविदाकार प्रभारी अभियंता की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना समनुदेशित, स्थानांतरण, सबलेट (पीस-वर्क आधार पर श्रम कार्य या सामग्री के साथ श्रम की सगाई को काम में शामिल नहीं किया जाना है, तो उप-किराएदारी नहीं माना जाएगा) या अन्यथा भागों के साथ या समनुदेशित करने का प्रयास करता है, स्थानांतरण, सबलेट या अन्यथा भागों को पूरे काम या उसके किसी भी हिस्से के साथ।

**17.2** जब संविदाकार ने उपर्युक्त किसी भी मामले के तहत कार्रवाई के लिए खुद को उत्तरदायी बना लिया है, तो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से आईडब्ल्यूएआई की ओर से प्रभारी अभियंता के पास शक्तियां होंगी:

i. पूर्वोक्त के रूप में संविदा का निर्धारण करने के लिए (जिसमें प्रभारी अभियंता के हाथ से संविदाकार को लिखित रूप में समाप्ति नोटिस निर्णायक साक्ष्य होगा)। ऐसे निर्धारण के बाद, संविदा के अंतर्गत पहले ही वसूल की जा चुकी प्रतिभूति जमा राशि और निष्पादन गारंटी जब्त की जा सकती है और यह पूर्णत आईडब्ल्यूएआई के अधिकार में होगी।

ii. संविदाकार को नोटिस देने के बाद कि वह संविदाकार के काम को मापे और ऐसा पूरा, या शेष या उसका हिस्सा ले जो उसके हाथ से निष्पादित नहीं किया जाएगा और काम पूरा करने के लिए किसी अन्य संविदाकार को दे देगा। जिस संविदाकार का संविदा उपरोक्तानुसार निर्धारित किया गया है, उसे शेष कार्य के लिए निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

iii. प्रभारी अभियंता द्वारा अपनाए जा रहे उपर्युक्त कार्रवाई की स्थिति में, संविदाकार के पास किसी भी सामग्री को प्रापणने या प्राप्त करने या कोई समझौता करने या खाते पर या कार्य के निष्पादन या संविदा के निष्पादन की दृष्टि से कोई अग्रिम करने के कारण उसके द्वारा बनाए गए किसी भी हानि के लिए मुआवजे का कोई दावा नहीं होगा। और यदि पूर्वोक्त किसी प्रावधान के तहत कार्रवाई की जाती है, तो संविदाकार इस संविदा के तहत उसके किसी भी काम के लिए या वास्तव में निष्पादित किसी भी राशि की वसूली या भुगतान करने का पात्र नहीं होगा जब तक कि प्रभारी अभियंता ने लिखित रूप में प्रमाणित नहीं किया है ऐसे कार्य का निष्पादन और उसके संबंध में देय मूल्य और वह केवल इस प्रकार प्रमाणित मूल्य का भुगतान करने का पात्र होगा।

## 18 नियोक्ता द्वारा समाप्ति

### 18.1 संविदाकार की चूक

यदि संविदाकार को कानून द्वारा अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ माना जाता है, या वह स्वैच्छिक या अनैच्छिक दिवालियापन, परिसमापन या विघटन (विलय या पुनर्निर्माण के प्रयोजनों के लिए स्वैच्छिक परिसमापन के अलावा) करता है, या दिवालिया हो जाता है, या अपने लेनदारों के साथ कोई व्यवस्था करता है या उनके पक्ष में समनुदेशन करता है, या अपने लेनदारों की निरीक्षण समिति के तहत संविदा को पूरा करने के लिए सहमत होता है, या यदि उसकी परिसंपत्तियों के किसी बड़े हिस्से पर रिसीवर, प्रशासक, ट्रस्टी या परिसमापक नियुक्त किया जाता है, या यदि पुनर्गठन, व्यवस्था या ऋणों के पुनः समायोजन से संबंधित किसी कानून या विनियमन के तहत संविदाकार के खिलाफ कार्यवाही शुरू की जाती है या विघटन या परिसमापन के संबंध में प्रस्ताव पारित किए जाते हैं या यदि संविदाकार की परिसंपत्तियों के बड़े हिस्से पर कोई सुरक्षा हित लागू करने के लिए कोई कदम उठाए जाते हैं, या यदि संविदाकार या उसकी परिसंपत्तियों के संबंध में कोई ऐसा कार्य किया जाता है या घटना घटित होती है, जिसका किसी भी लागू कानून के तहत पूर्वोक्त कार्यों या घटनाओं में से किसी के समान प्रभाव पड़ता है, या यदि संविदाकार ने उप-खंड 5.1 का उल्लंघन किया है, या उसके माल पर लगाया गया निष्पादन, या यदि अभियंता नियोक्ता को प्रमाणित करता है, और उसकी एक प्रति संविदाकार को देगा।

(क) संविदा को अस्वीकार कर दिया है,

(ख) उचित बहाने के बिना विफल रहा है

(i) उप-खंड 8.1 के अनुसार कार्य शुरू करने के लिए या

(ii) उप-खंड 8.11 के अनुसार नोटिस प्राप्त करने के 28 दिनों के भीतर कार्य, या उसके किसी भी खंड के साथ आगे बढ़ने के लिए,

(ग) उप-खंड 7.9 के अनुसार जारी किए गए नोटिस या उप-खंड 7.13 के अनुसार जारी किए गए निर्देश को प्राप्त करने के 28 दिनों के भीतर पालन करने में विफल रहा है,

(घ) अभियंता से पिछली चेतावनी के बावजूद, लिखित रूप में, अन्यथा संविदा के तहत अपने किसी भी दायित्व का पालन करने के लिए लगातार या स्पष्ट रूप से उपेक्षा कर रहा है, या

(ङ) उप-खंड 5.2 का उल्लंघन किया है,

तो नियोक्ता, संविदाकार को 14 दिनों का नोटिस देने के बाद, साइट पर जा सकता है और संविदा का उल्लंघन किए बिना संविदाकार को निष्कासित कर सकता है, या संविदा के तहत अपने किसी भी दायित्व या देनदारियों से संविदाकार को मुक्त कर सकता है, या संविदा द्वारा नियोक्ता या अभियंता को दिए गए अधिकारों और शक्तियों को प्रभावित कर सकता है, और स्वयं कार्यों को पूरा कर सकता है या कार्यों को पूरा करने के लिए किसी अन्य संविदाकार को नियुक्त कर सकता है। नियोक्ता या ऐसे अन्य संविदाकार इस तरह के पूरा होने के लिए संविदाकार के उपकरण, संयंत्र, अस्थायी कार्यों और सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं, जिन्हें संविदा के प्रावधानों के तहत कार्यों के निष्पादन के लिए विशेष रूप से आरक्षित माना गया है, जैसाकि वह या वे उचित सोच सकते हैं, और नियोक्ता, किसी भी समय, उक्त संविदाकार के किसी भी उपकरण, अस्थायी कार्य, और अप्रयुक्त संयंत्र और सामग्रियों को बेच दें, और बिक्री की आय को किसी भी देय राशि की संतुष्टि के लिए या उसके कारण संविदा के तहत संविदाकार से हो सकते हैं।

**18.2 निष्कासन की तिथि पर मूल्यांकन**

नियोक्ता द्वारा ऐसे किसी भी प्रवेश और निष्कासन के बाद अभियंता, जितनी जल्दी हो सके, एकपक्षीय, या पार्टियों के संदर्भ के बाद या ऐसी जांच या पूछताछ के बाद, जिसे वह करना या स्थापित करना उचित समझे, ठीक करेगा और निर्धारित करेगा, और प्रमाणित करेगा:

क) इस तरह के प्रवेश और निष्कासन के समय, संविदाकार द्वारा उचित रूप से अर्जित की गई राशि (यदि कोई हो), संविदा के तहत वास्तव में उसके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में संविदाकार द्वारा उचित रूप से अर्जित की गई थी, और

(ख) उक्त अप्रयुक्त या आंशिक रूप से उपयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री, किसी भी संविदाकार के उपकरण और किसी भी अस्थायी कार्य का मूल्य।

**18.3 निष्कासन/समाप्ति के बाद भुगतान**

यदि नियोक्ता इस खंड के तहत संविदाकार को निष्कासित करेगा, तो पहले से ही वसूल की गई अभिरक्षा जमा और संविदा के तहत निष्पादन गारंटी जब्त करने के लिए उत्तरदायी होगी और पूरी तरह से आईडब्ल्यूएआई के निपटान पर होगी। इसके अलावा, नियोक्ता संविदाकार को संविदा के संबंध में किसी भी और राशि (हानि सहित) का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जब तक कि दोष देयता अवधि की समाप्ति नहीं होती है और उसके बाद किसी भी दोष के निष्पादन, पूर्णता और उपचार की लागत, पूरा होने में देरी के लिए हानि (यदि कोई हो) और नियोक्ता द्वारा किए गए अन्य सभी खर्चों और अभियंता द्वारा प्रमाणित राशि का पता लगाया गया है। संविदाकार तब केवल ऐसी राशि (यदि कोई हो) प्राप्त करने का पात्र होगा जैसाकि अभियंता प्रमाणित कर सकता है कि उक्त राशि काटने के बाद उसके द्वारा देय पूरा होने पर उसे देय होगा। यदि ऐसी राशि उस राशि से अधिक है जो संविदाकार को उसके द्वारा देय पूर्णता पर देय होगी, तो संविदाकार मांग पर, नियोक्ता को ऐसी अतिरिक्त राशि का भुगतान करेगा और इसे संविदाकार द्वारा नियोक्ता को देय ऋण माना जाएगा और तदनुसार वसूली योग्य होगी।

**18.4 करार के लाभ का समनुदेशन**

जब तक कि कानून द्वारा निषिद्ध न हो, संविदाकार, यदि अभियंता द्वारा निर्देश दिया जाए तो उप-खंड 18.1 में निर्दिष्ट ऐसे प्रवेश और निष्कासन के 14 दिनों के भीतर, किसी भी सामान सामग्री या सेवाओं की आपूर्ति के लिए और/या संविदा के प्रयोजनों के लिए किसी भी कार्य के निष्पादन के लिए किसी भी समझौते का लाभ नियोक्ता को सौंप देगा, जो संविदाकार ने किया होगा।

**18.5 भ्रष्ट या कपटपूर्ण आचरण**

यदि नियोक्ता के निर्णय में संविदाकार भ्रष्ट या कपटपूर्ण प्रथाओं में शामिल है, तो संविदा के लिए प्रतिस्पर्धा करने या निष्पादित करने में, नियोक्ता संविदाकार को 14 दिनों का नोटिस देने के बाद, संविदा के तहत संविदाकार के रोजगार को समाप्त कर सकता है और उसे साइट से निष्कासित कर सकता है, और खंड 18 के प्रावधान लागू होंगे जैसे कि इस तरह का निष्कासन उप-खंड 18.1 के तहत किया गया था।

"भ्रष्ट आचरण" का अर्थ है प्रापण प्रक्रिया में या संविदा निष्पादन में किसी सार्वजनिक अधिकारी, नियोक्ता, अभियंता या उनके प्रतिनिधियों की कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए मूल्य की किसी भी चीज की पेशकश, देना, प्राप्त करना या याचना करना।

"धोखाधड़ी" का अर्थ है ऋणी की हानि के लिए एक प्रापण प्रक्रिया या संविदा के निष्पादन को प्रभावित करने के लिए तथ्यों की गलत बयानी, और बोली लगाने वालों के बीच मिलीभगत का अभ्यास शामिल है (बोली प्रस्तुत करने से पहले या बाद में) कृत्रिम गैर-प्रतिस्पर्धी स्तरों पर बोली मूल्य स्थापित करने और ऋणी को स्वतंत्र और खुली प्रतिस्पर्धा के लाभों से वंचित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

### 18.6 तत्काल उपचारात्मक कार्य

यदि, किसी भी दुर्घटना, या विफलता, या अन्य घटना के कारण, या कार्यों के संबंध में, या उसके किसी भी हिस्से में, या तो कार्यों के निष्पादन के दौरान, या दोष देयता अवधि के दौरान, कोई उपचारात्मक या अन्य कार्य, अभियंता की राय में, कार्यों की सुरक्षा के लिए तत्काल आवश्यक है और संविदाकार इस तरह के काम को करने में असमर्थ या अनिच्छुक है, नियोक्ता ऐसे काम को करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियोजित करने और भुगतान करने का पात्र होगा जैसाकि अभियंता आवश्यक मान सकता है। यदि नियोक्ता द्वारा किया गया कार्य या मरम्मत वह कार्य है, जो अभियंता की राय में, संविदाकार संविदा के तहत अपनी लागत पर करने के लिए उत्तरदायी था, तो उसके परिणामस्वरूप या उसके आकस्मिक सभी लागत, नियोक्ता और संविदाकार के साथ उचित परामर्श के बाद, अभियंता द्वारा निर्धारित किया जाएगा और नियोक्ता द्वारा संविदाकार से वसूल किया जाएगा, और नियोक्ता द्वारा संविदाकार के कारण या बनने के लिए किसी भी पैसे से कटौती की जा सकती है और अभियंता नियोक्ता को एक प्रति के साथ तदनुसार संविदाकार को सूचित करेगा। बशर्ते कि अभियंता, किसी भी ऐसी आपात स्थिति की घटना के तुरंत बाद, जो यथोचित व्यावहारिक हो सकता है, संविदाकार को सूचित करेगा।

## 19 संविदाकार द्वारा समाप्ति

### 19.1 नियोक्ता का चूक

नियोक्ता की स्थिति में:

(क) उप-खंड 15.12 में बताए गए समय की समाप्ति के बाद 28 दिनों के भीतर अभियंता के किसी भी प्रमाणपत्र के तहत संविदाकार को देय राशि का भुगतान करने में विफल, जिसके भीतर भुगतान किया जाना है, किसी भी कटौती के अधीन नियोक्ता संविदा के तहत बनाने का पात्र है,

(ख) इस तरह के किसी भी प्रमाणपत्र के जारी करने के लिए किसी भी आवश्यक अनुमोदन में हस्तक्षेप करना या बाधा डालना या इनकार करना,

(ग) दिवालिया होना या, एक कंपनी होने के नाते, पुनर्निर्माण या समामेलन की योजना के उद्देश्य के अलावा, परिसमापन में जाना, या

(घ) संविदाकार को नोटिस देते हुए कि अप्रत्याशित आर्थिक कारणों से उसके लिए अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करना जारी रखना असंभव है, संविदाकार नियोक्ता को नोटिस देकर, अभियंता को एक प्रति के साथ संविदा के तहत अपने रोजगार को समाप्त करने का पात्र होगा। इस तरह की समाप्ति नोटिस देने के 14 दिन बाद प्रभावी होगी।

### 19.2 संविदाकार के उपकरण को हटाना

उप-खंड 19.1 में निर्दिष्ट 14 दिनों के नोटिस की समाप्ति पर, संविदाकार उप-खंड 4.36.1 के प्रावधानों के बावजूद, सभी उचित प्रेषण के साथ, साइट से उसके द्वारा लाए गए सभी संविदाकार के उपकरण को हटा देगा।

### 19.3 संविदा समाप्ति पर भुगतान

इस तरह की समाप्ति की स्थिति में, नियोक्ता भुगतान के संबंध में संविदाकार के लिए उसी दायित्वों के तहत होगा जैसे कि संविदा खंड 14 के प्रावधानों के तहत समाप्त कर दिया गया था।

**19.4 संविदाकार का काम निलंबित करने का हक**

उप-खंड 15.12 के तहत ब्याज के लिए संविदाकार की पात्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और उप-खंड 19.1 के तहत समाप्त करने के लिए, संविदाकार, यदि नियोक्ता संविदाकार को किसी भी प्रमाणपत्र के तहत देय राशि का भुगतान करने में विफल रहता है उप-खंड 15.12 में बताए गए समय की समाप्ति के बाद 28 दिनों के भीतर जिसके भीतर भुगतान किया जाना है, किसी भी कटौती के अधीन जो नियोक्ता संविदा के तहत करने का पात्र है, नियोक्ता को 28 दिनों की पूर्व सूचना देने के बाद, अभियंता को एक प्रति के साथ, काम निलंबित कर दें या काम की दर कम कर दें। यदि संविदाकार इस उप-खंड के प्रावधानों के अनुसार काम को निलंबित कर देता है या काम की दर को कम कर देता है और इस तरह देरी या लागत का सामना करता है, तो अभियंता नियोक्ता और संविदाकार के साथ उचित परामर्श के बाद निर्धारित करेगा:

(क) समय का कोई विस्तार, जिसके लिए संविदाकार खंड 8 के उप खंड 8.7, 8.7 और 8.8 के तहत पात्र है, और

(ख) ऐसी लागतों की राशि, जिसे संविदा मूल्य में जोड़ा जाएगा, और नियोक्ता को एक प्रति के साथ तदनुसार संविदाकार को सूचित करेगा।

**19.5 काम का पुनः शुरू होना**

जहां संविदाकार काम को निलंबित कर देता है या काम की दर कम कर देता है, उप-खंड 19.4 के अनुसार नोटिस दिए जाने के बाद, और नियोक्ता बाद में उप-खंड 15.12 के अनुसार ब्याज सहित देय राशि का भुगतान करता है, उप-खंड 19.1 के तहत संविदाकार की हकदारी, यदि समाप्ति की सूचना नहीं दी गई है, समाप्त हो जाएगी और संविदाकार यथोचित रूप से जल्द से जल्द सामान्य काम फिर से शुरू करेगा।

जब कभी निलंबन के बाद कार्य पुन शुरू किया जाता है, अभियंता और संविदाकार संयुक्त रूप से कार्यों और निलंबन से प्रभावित संयंत्र और सामग्री की जांच करेंगे और संविदाकार निलंबन की अवधि के दौरान निलम्बित कार्य की वास्तविक स्थिति और प्रमुख प्रतिकूल प्रभावों, यदि कोई हो, को दर्शाते हुए एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसे अभियंता और नियोक्ता को प्रस्तुत करेंगे।

**20 डिजाइन और ड्राइंग**

**20.1 ड्राइंग और दस्तावेजों की हिरासत और आपूर्ति**

अनुमोदित ड्राइंग अभियंता की हिरासत में रहेंगी, लेकिन उनकी दो प्रतियां संविदाकार को नि:शुल्क प्रदान की जाएंगी। संविदाकार अपने द्वारा अपेक्षित कोई और प्रतियां अपनी लागत पर बनाएगा। जब तक यह संविदा के प्रयोजनों के लिए कड़ाई से आवश्यक नहीं है, नियोक्ता या अभियंता द्वारा प्रदान किए गए ड्राइंग, विशिष्टता और अन्य दस्तावेज, अभियंता की सहमति के बिना, संविदाकार द्वारा किसी तीसरे पक्ष को उपयोग या सूचित नहीं किया जाएगा। दोष देयता प्रमाणपत्र जारी करने पर, संविदाकार संविदा के तहत प्रदान किए गए सभी ड्राइंग, विनिर्देश और अन्य दस्तावेजों को अभियंता को वापस कर देगा।

संविदाकार अभियंता को संविदाकार द्वारा प्रस्तुत सभी ड्राइंग, विशिष्टता और अन्य दस्तावेजों की चार प्रतियां प्रदान करेगा और खंड 20.6, 20.7 और 20.8 के अनुसार अभियंता द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, साथ ही

किसी भी सामग्री की प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्य प्रति जिसे फोटोकॉपी द्वारा समान मानक के लिए पुन: प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, संविदाकार ऐसी ड्राइंग, विशिष्टता और अन्य दस्तावेजों की आगे की प्रतियों की ऐसी उचित संख्या की आपूर्ति करेगा जैसाकि अभियंता लिखित रूप में अनुरोध कर सकता है।

**20.2 साइट पर ड्राइंग की प्रति रखी जानी है**

उपरोक्त के रूप में संविदाकार को प्रदान की गई या आपूर्ति की गई ड्राइंग की एक प्रति, संविदाकार द्वारा साइट पर रखी जाएगी और वही अभियंता द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में निरीक्षण और उपयोग के लिए सभी उचित समय पर उपलब्ध होगी।

**20.3 प्रगति में व्यवधान**

संविदाकार अभियंता को, नियोक्ता को एक प्रति के साथ, जब भी कार्यों की योजना या निष्पादन में देरी या बाधित होने की संभावना है नोटिस देगा, जब तक कि अभियंता द्वारा उचित समय के भीतर कोई और ड्राइंग या निर्देश जारी नहीं किया जाता है।

नोटिस में आवश्यक ड्राइंग या निर्देश का विवरण शामिल होगा और क्यों और कब तक इसकी आवश्यकता है और देर से होने पर किसी भी देरी या व्यवधान का सामना करने की संभावना है। यह संविदाकार द्वारा डिजाइन और अभियंता किए जाने वाले स्थायी कार्यों के मामले में लागू नहीं होगा, सिवाय अभियंता द्वारा इसके अनुमोदन के संबंध में, यदि निर्दिष्ट किया गया हो।

**20.4 ड्राइंग की देरी और देरी की लागत**

यदि, अभियंता की किसी भी विफलता या अक्षमता के कारण, सभी परिस्थितियों में उचित समय के भीतर, कोई भी ड्राइंग या निर्देश जिसके लिए संविदाकार द्वारा उपखंड 20.3 के अनुसार नोटिस दिया गया है, संविदाकार देरी से पीड़ित होता है और/या लागत लगाता है तो अभियंता, नियोक्ता और संविदाकार के साथ उचित परामर्श के बाद, निर्धारण:

(क) समय का कोई विस्तार जिसके लिए संविदाकार उप खंड 8.6, 8.7 और 8.8 के तहत पात्र है।

**20.5 संविदाकार द्वारा ड्राइंग प्रस्तुत करने में विफलता**

यदि किसी भी ड्राइंग या निर्देश जारी करने के लिए अभियंता की विफलता या अक्षमता पूरे या आंशिक रूप से संविदाकार की विफलता के कारण डिजाइन, ड्राइंग, विशिष्टता या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने में होती है, जिसे उसे संविदा के तहत प्रस्तुत करना आवश्यक है, तो अभियंता उप-खंड 20.4 के अनुसार अपना निर्धारण करते समय संविदाकार द्वारा ऐसी विफलता को ध्यान में रखेगा।

**20.6 अनुपूरक ड्राइंग और निर्देश**

अभियंता के पास समय-समय पर संविदाकार को ऐसे पूरक ड्राइंग और निर्देश जारी करने का अधिकार होगा, जो कार्यों के उचित और पर्याप्त निष्पादन और पूरा होने और उसमें किसी भी दोष के समाधान के उद्देश्य से आवश्यक होंगे। संविदाकार वो कार्य करेगा और बाध्य होगा।

**20.7 संविदाकार द्वारा डिजाइन किए गए स्थायी कार्य**

जहां संविदा में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि स्थायी कार्यों का हिस्सा संविदाकार द्वारा डिजाइन किया जाएगा, वह अनुमोदन के लिए अभियंता को प्रस्तुत करेगा:

(क) इस तरह के ड्राइंग, विनिर्देशों, गणना और अन्य जानकारी जो अभियंता को उस डिजाइन की उपयुक्तता और पर्याप्तता के रूप में संतुष्ट करने के लिए आवश्यक होगी, और

(ख) संचालन और अनुरक्षण मैनुअल के साथ-साथ नियोक्ता को उस डिजाइन को शामिल करने वाले स्थायी कार्यों को संचालित करने, बनाए रखने, विघटित करने, फिर से इकट्ठा करने और समायोजित करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त विस्तार से स्थायी कार्यों के ड्राइंग के रूप में पूरा किया गया है, खंड 48 के अनुसार कार्य को पूरा करने के प्रयोजनों के लिए पूरा नहीं माना जाएगा जब तक कि इस तरह के संचालन और अनुरक्षण मैनुअल, पूरा होने पर ड्राइंग के साथ, अभियंता द्वारा प्रस्तुत और अनुमोदित नहीं किए जाते हैं

### 20.8 अनुमोदन से अप्रभावित जिम्मेदारी

उप-खंड 20.7 के अनुसार अभियंता द्वारा अनुमोदन, संविदा के तहत अपनी किसी भी जिम्मेदारी के संविदाकार को राहत नहीं देगा।

## 21 बीमा

### 21.1 निर्माण-कार्यों का बीमा

संविदाकार को नियोक्ता के साथ संयुक्त नाम में एक अनुमोदित बीमा कंपनी से संविदाकार की सभी जोखिम नीति लेने या सभी जोखिम पॉलिसी (जैसा भी मामला हो) बनाने की आवश्यकता होती है और कार्यों के निष्पादन की पूरी अवधि के लिए उसी के लिए सभी लागतों को वहन करना आवश्यक है, जिसमें अपवाद जोखिमों के अलावा जो भी कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी कारण से क्षति की पूरी राशि के लिए संविदा की पूरी राशि के लिए दोष देयता अवधि शामिल है, जिसके लिए वह संविदा की शर्तों के तहत जिम्मेदार है और इस तरह से कि नियोक्ता और संविदाकार को कार्यों के निर्माण की अवधि के दौरान कवर किया जाता है और/या हानि या क्षति के लिए दोष दायित्व की अवधि के दौरान भी कवर किया जाता है।

क) ऐसे निर्माण कार्यों के पूर्ण मूल्य के लिए काम और अस्थायी कार्य।

ख) सामग्री, निर्माण संयंत्र, केंद्र, शटरिंग और मचान सामग्री और अन्य चीजें उनके पूर्ण मूल्य के लिए साइट पर लाई गईं।

जब भी नियोक्ता द्वारा आवश्यक हो, संविदाकार पॉलिसी या बीमा की नीतियों और वर्तमान प्रीमियम के भुगतान के लिए रसीद बनाएगा।

### 21.2 कामगार प्रतिकर अधिनियम के तहत बीमा

संविदाकार को समय-समय पर यथासंशोधित कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अंतर्गत अनुमोदित बीमा कंपनी से बीमा कवर लेना होता है और उसके प्रीमियम प्रभारों का भुगतान करना होता है। जहां भी नियोक्ता द्वारा आवश्यक हो, संविदाकार पॉलिसी या बीमा की पॉलिसियों और वर्तमान प्रीमियम के भुगतान की रसीद प्रस्तुत करेगा।

### 21.3 तृतीय पक्ष बीमा

संविदाकार को किसी अनुमोदित बीमा कंपनी से संविदा मूल्य के 5% (पांच प्रतिशत) की राशि के लिए किसी भी क्षति, चोट या हानि के खिलाफ बीमा के लिए तृतीय पक्ष का बीमा कवर लेना आवश्यक है, जो नियोक्ता सहित

किसी भी व्यक्ति या संपत्ति को हो सकता है, जो कार्यों या अस्थायी कार्यों के निष्पादन से उत्पन्न होता है। जहां भी नियोक्ता द्वारा आवश्यक हो, संविदाकार पॉलिसी या बीमा की पॉलिसियों और वर्तमान प्रीमियम के भुगतान की रसीद प्रस्तुत करेगा। संविदाकार द्वारा कार्य शुरू होने की दिनांक से एक माह के भीतर सभी जोखिम नीतियों, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अंतर्गत बीमा और ऊपर वणत तृतीय पक्ष बीमा प्राप्त करने में विफल रहने की स्थिति में, संविदाकार द्वारा उपर्युक्त बीमा कवर प्राप्त किए जाने तक संविदाकार के रनिंग अकाउंट भुगतान को रोक दिया जाएगा। यदि संविदाकार उन जोखिमों के खिलाफ एक व्यापक बीमा कवर नहीं लेता है, जिन्हें उसे संविदा की शर्तों के तहत प्रभावित करने की आवश्यकता हो सकती है, तो वह उपलब्ध सर्वोत्तम बीमा कवर प्राप्त करने के लिए अपना ध्यान देगा और यहां तक कि एक व्यापक बीमा कवर को प्रभावित करने के मामले में भी जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की सहायक कंपनी पेश कर सकती है, इस तरह के बीमा को नियोक्ता की मंजूरी के बाद, जनरल इंश्योरेंस कंपनी की सहायक कंपनी द्वारा या उसके माध्यम से किया जाना चाहिए।

**21.4** संविदाकार हर समय नियोक्ता को मजदूरी भुगतान अधिनियम-1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948, नियोक्ता दायित्व अधिनियम-1938, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम-1947, औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947 और मातृत्व लाभ अधिनियम-1961 या उसके किसी भी संशोधन या लागू किसी अन्य कानून के प्रावधान के तहत या किसी भी दुर्घटना या किसी भी दुर्घटना या चोट के परिणामस्वरूप या कार्यों के बारे में नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा, चाहे वह संविदाकार के नियोजन में हो या नहीं, ऐसी घटना या चोट से उत्पन्न किसी वाद, कार्रवाई या कार्यवाही की सभी लागतों, प्रभारों और व्ययों के विरुद्ध और सभी राशि या राशि के विरुद्ध जो संविदाकार की सहमति से ऐसे किसी दावे के साथ समझौता करने या संयोजित करने के लिए भुगतान किया जा सकता है। उपर्युक्त के अनुसार अपने दायित्वों और देयताओं को सीमित किए बिना, संविदाकार कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 या उसके किसी संशोधन या उससे संबंधित किसी अन्य कानून के तहत देय सभी दावों, क्षतियों या मुआवजे के प्रति बीमा करेगा।

**21.5 व्यक्तियों और संपत्ति को हानि**

संविदाकार, सिवाय इसके कि यदि और अब तक संविदा अन्यथा प्रदान करता है, नियोक्ता को सभी नुकसानों और दावों के खिलाफ क्षतिपूर्ति करता है:

(क) किसी भी व्यक्ति की मृत्यु या चोट, या

(ख) किसी भी संपत्ति (निर्माण कार्य के अलावा) को हानि या क्षति, जो कार्यों के निष्पादन और पूरा होने और उसमें किसी भी दोष के उपाय के परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकती है, और सभी दावों, कार्यवाही, क्षति, लागत, शुल्क और व्यय के खिलाफ जो भी उसके संबंध में या उसके संबंध में, उप-खंड 21.6 में परिभाषित अपवादों के अधीन है।

**21.6 अपवाद**

उप-खंड 21.5 में निर्दिष्ट "अपवाद" हैं:

(क) कार्यों द्वारा भूमि का स्थायी उपयोग या कब्जा, या उसके किसी भी हिस्से,

(ख) किसी भी भूमि पर, ऊपर, नीचे, या उसके माध्यम से कार्य, या उसके किसी भी हिस्से को निष्पादित करने के लिए नियोक्ता का अधिकार,

(ग) संपत्ति को हानि जो संविदा के अनुसार कार्यों के निष्पादन और पूरा होने का अपरिहार्य परिणाम है, या

उसमें किसी भी दोष का उपाय है, और

(घ) नियोक्ता, उसके एजेंटों, कामगारों या अन्य संविदाकारों के किसी भी कार्य या उपेक्षा के परिणामस्वरूप व्यक्तियों की मृत्यु या चोट या संपत्ति को हानि या क्षति, संविदाकार द्वारा नियोजित नहीं किया जा रहा है, या किसी भी दावे, कार्यवाही, क्षति, लागत, शुल्क और व्यय के संबंध में या उसके संबंध में या, जहां संविदाकार द्वारा चोट या क्षति में योगदान दिया गया था, उसके कामगार या एजेंट, उक्त चोट या क्षति का ऐसा हिस्सा जो चोट या क्षति के लिए नियोक्ता, उसके कामगारों या एजेंटों या अन्य संविदाकारों की जिम्मेदारी की सीमा के संबंध में न्यायसंगत और न्यायसंगत हो सकता है।

**21.7 नियोक्ता द्वारा क्षतिपूर्ति**

नियोक्ता उप-खंड 21.6 में परिभाषित अपवादों में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में सभी दावों, कार्यवाही, क्षति, लागत, शुल्क और व्यय के खिलाफ संविदाकार को क्षतिपूर्ति करेगा।

**21.8 क्रॉस देयताएं**

बीमा पॉलिसी में एक क्रॉस देयताएं अनुच्छेद शामिल होगा जो बीमा संविदाकार और नियोक्ता को अलग-अलग बीमित के रूप में लागू होगा।

**21.9 कामगारों को दुर्घटना या चोट**

नियोक्ता किसी भी कामगार या संविदाकार या किसी उपसंविदाकार के रोजगार में , नियोक्ता के किसी भी कार्य या चूक के परिणामस्वरूप मृत्यु या चोट के अलावा, उसके एजेंट या कामगार या अन्य व्यक्ति को देय किसी भी हानि या मुआवजे के संबंध में उत्तरदायी नहीं होगा। संविदाकार उन लोगों के अलावा जिनके लिए नियोक्ता पूर्वोक्त के रूप में उत्तरदायी है, और सभी दावों, कार्यवाही, क्षतियों, लागतों, शुल्कों और खर्चों के खिलाफ जो भी उसके संबंध में या उसके संबंध में क्षतिपूर्ति करेगा और नियोक्ता को ऐसे सभी नुकसानों और मुआवजे के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा।

**21.10 साक्ष्य और बीमा की शर्तें**

संविदाकार नियोक्ता को संबंधित बीमा लेने के बाद जितनी जल्दी व्यावहारिक हो, लेकिन साइट पर काम शुरू होने से पहले किसी भी मामले में कि संविदा के तहत आवश्यक बीमा प्रभावित हुए हैं सबूत प्रदान करेगा, और प्रारंभ तिथि के 84 दिनों के भीतर, नियोक्ता को बीमा पॉलिसियां देगा। नियोक्ता को इस तरह के सबूत और ऐसी नीतियां प्रदान करते समय, संविदाकार ऐसा करने के लिए अभियंता को सूचित करेगा। ऐसी बीमा पॉलिसियां संविदा स्वीकृति-पत्र जारी करने से पहले सहमत सामान्य शर्तों के अनुरूप होंगी। संविदाकार और नियोक्ता द्वारा अनुमोदित शर्तों में उन सभी बीमाओं को प्रभावित करेगा जिनके लिए वह बीमाकर्ताओं के साथ जिम्मेदार है।

**21.11 बीमा की पर्याप्तता**

संविदाकार कार्यों के निष्पादन के लिए प्रकृति, सीमा या कार्यक्रम में परिवर्तन के बीमाकर्ताओं को सूचित करेगा और संविदा की शर्तों के अनुसार हर समय बीमा की पर्याप्तता सुनिश्चित करेगा और जब आवश्यक हो, नियोक्ता को बीमा पॉलिसि और वर्तमान प्रीमियम के भुगतान के लिए प्राप्तियां प्रस्तुत करेगा।

**21.12 संविदाकार के बीमा न करा पाने पर उपाय**

यदि संविदाकार संविदा के तहत आवश्यक किसी भी बीमा को लागू करने और लागू रखने में विफल रहता है, या

उप-खंड 21.10 द्वारा आवश्यक अवधि के भीतर नियोक्ता को पॉलिसी प्रदान करने में विफल रहता है, तो ऐसे किसी भी मामले में नियोक्ता ऐसे किसी भी बीमा को लागू कर सकता है और लागू रख सकता है और उस उद्देश्य के लिए आवश्यक किसी भी प्रीमियम का भुगतान कर सकता है और समय-समय पर भुगतान की गई राशि को संविदाकार के कारण या देय किसी भी राशि से काट सकता है, या उससे देय ऋण के रूप में वसूल कर सकता है।

### 21.13 नीति शर्तों का अनुपालन

संविदाकार इस घटना में कि संविदाकार या नियोक्ता संविदा के अनुसार प्रभावित बीमा पॉलिसियों द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन करने में विफल रहता है, प्रत्येक ऐसी विफलता से उत्पन्न होने वाले सभी नुकसानों और दावों के खिलाफ दूसरे को क्षतिपूर्ति देगा।

### 21.14 बीमा का स्रोत

संविदाकार संविदा से संबंधित सभी बीमा (खंड 21 में उल्लिखित बीमा सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं) को भारत के बीमाकर्ताओं से करवाएगा।

## 22 निष्पादन से निर्मुक्ति

### निष्पादन से निर्मुक्ति होने की स्थिति में भुगतान

यदि दोनों पक्षों के नियंत्रण से बाहर कोई परिस्थिति संविदाकार पत्र के जारी होने के बाद उत्पन्न होती है, जो किसी एक या दोनों पक्षों के लिए अपने या उनके संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए असंभव या गैरकानूनी बनाती है, या संविदा को नियंत्रित करने वाले कानून के तहत पार्टियों को आगे के निष्पादन से मुक्त कर दिया जाता है, तो पार्टियों को संविदा से छुट्टी दे दी जाएगी, इस खंड और खंड 16.3 के तहत उनके अधिकारों को छोड़कर और संविदा के किसी भी पूर्ववर्ती उल्लंघन के संबंध में किसी भी पक्ष के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, और निष्पादित कार्य के संबंध में नियोक्ता द्वारा संविदाकार को देय राशि वही होगी जो खंड 14 के तहत देय होगी यदि संविदा खंड 14 के प्रावधानों के तहत समाप्त कर दिया गया था।

## 23 नोटिस

### 23.1 संविदाकार को नोटिस

संविदा की शर्तों के तहत नियोक्ता या अभियंता द्वारा संविदाकार को दिए जाने वाले सभी प्रमाणपत्र, नोटिस या निर्देश डाक, केबल, ई-मेल या प्रतिकृति पारेषण द्वारा भेजे जाएंगे या संविदाकार के व्यवसाय के प्रमुख स्थान पर छोड़ दिए जाएंगे या ऐसे अन्य पते पर संविदाकार उस उद्देश्य के लिए नामांकित करेगा।

### 23.2 नियोक्ता और अभियंता को नोटिस

संविदा की शर्तों के तहत नियोक्ता या अभियंता को दिया जाने वाला कोई भी नोटिस डाक, केबल, ई-मेल या प्रतिकृति पारेषण द्वारा उस उद्देश्य के लिए नामांकित संबंधित पते पर भेजा जाएगा या छोड़ दिया जाएगा।

### 23.3 पते में परिवर्तन

कोई भी पक्ष नामांकित पते को उस देश में किसी अन्य पते पर बदल सकता है जहां निर्माण कार्य निष्पादित किए जा रहे हैं या नियोक्ता के देश में दूसरे पक्ष को पूर्व सूचना द्वारा, अभियंता को एक प्रति के साथ, और अभियंता दोनों पक्षों को पूर्व सूचना द्वारा ऐसा कर सकता है।

## 24 लागत और कानून में परिवर्तन

### 24.1 लागत में वृद्धि या कमी

संविदा मूल्य से श्रम और/या सामग्री की लागत में वृद्धि या गिरावट के संबंध में कोई राशि या कटौती नहीं की जाएगी या जहां तक मानदंडों द्वारा कवर किए गए कार्यों की मदों का संबंध है, कार्यों के निष्पादन की लागत को प्रभावित करने वाले किसी भी अन्य मामले में कोई वृद्धि या कटौती नहीं होगी।

### 24.2 परवर्ती विधान

यदि, संविदा के लिए निविदाएं प्रस्तुत करने की नवीनतम दिनांक से 28 दिन पहले की दिनांक के बाद, उस देश में होता है जिसमें कार्यों को निष्पादित किया जा रहा है या निष्पादित किया जाना है, तो किसी भी राष्ट्रीय या राज्य क़ानून, अध्यादेश, डिक्री या अन्य कानून या किसी भी स्थानीय या अन्य विधिवत गठित प्राधिकरण के किसी विनियमन या उप-कानून में परिवर्तन, या किसी भी ऐसे राज्य क़ानून, अध्यादेश, डिक्री, कानून, विनियमन या उप-कानून की शुरूआत जो संविदाकार को अतिरिक्त या कम लागत का कारण बनती है, उप-खंड 24.1 के अलावा, संविदा के निष्पादन में, इस तरह की अतिरिक्त या कम लागत, नियोक्ता और संविदाकार के साथ उचित परामर्श के बाद, अभियंता द्वारा निर्धारित की जाएगी और संविदा मूल्य से जोड़ा या घटाया जाएगा-और अभियंता तदनुसार संविदाकार को नियोक्ता को एक प्रति के साथ सूचित करेगा।

## 25 जेवी की स्थिरता

यदि जेवी/कंसोर्टियम किसी भी कारण या जेवी/कंसोर्टियम के सदस्यों के बीच उत्पन्न होने वाली विसंगतियों के कारण कायम नहीं है, तो जेवी/कंसोर्टियम की गैर-स्थिरता का निर्धारण प्रभारी अभियंता/नियोक्ता द्वारा डिलीवरी की विफलता/माइलस्टोन और अन्य डिलिवरेबल्स के गायब होने के आधार पर संविदा अवधि में निगरानी के दौरान किया जाएगा। उसे निम्नलिखित तरीके से निपटाया जाएगा:

(क) यदि चूककर्ता जेवी/कंसोर्टियम के एल-1 के रूप में चयनित होने के बाद जेवी/कंसोर्टियम अरक्षणीय हो जाता है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा।

(ख) यदि संविदा दिए जाने के बाद जॉइंट वैंचर/कंसोटयम अधारणीय हो जाता है तो नियोक्ता के पास चूककर्ता संविदाकार के जोखिम और लागत के संबंध में शेष कार्य पूरा करने के लिए किसी अन्य संविदाकार को नामित करने का पूरा अधिकार है। संविदाकार को कार्य रोकने के निर्णय के बारे में सूचित किया जाएगा और माप करवाकर अब तक पूरे किए गए कार्य के मूल्य का पता लगाया जाएगा। तथापि, जोखिम और लागत पर संपूर्ण कार्य पूरा होने के बाद अंतर लागत की वसूली चूककर्ता संविदाकार की सभी रुकी हुई राशि (बीजी, प्रतिभूति जमा और किए गए कार्य के लिए भुगतान न की गई राशि) से की जाएगी और यदि कोई शेष राशि अभी भी उपलब्ध है तो उसे चूककर्ता संविदाकार को जारी कर दिया जाएगा।

## 26 अप्रत्याशित घटना

26.1 यहां अप्रत्याशित घटना का अर्थ दंगे (संविदाकार के कर्मचारियों के बीच के अलावा), नागरिक उपद्रव (जहां तक बीमा योग्य न हो), युद्ध (घोषित हो या न हो), आक्रमण, विदेशी शत्रुओं का कृत्य, संकोच, गृहयुद्ध, विद्रोह, क्रांति, बगावत, सैन्य या हड़पी हुई शक्ति, विमान से हानि, परमाणु विखंडन, दैवीय कृत्य, जैसे भूकंप (रिक्टर पैमाने पर 7 तीव्रता से अधिक), बिजली, अभूतपूर्व बाढ़, संविदाकार की लापरवाही से न लगी आग और अन्य ऐसे कारण जिन पर संविदाकार का कोई नियंत्रण नहीं है और जिन्हें प्रभारी अभियंता द्वारा स्वीकार कर लिया जाता

है, जिसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। किसी भी पक्षकार के इस संविदा के तहत उनके द्वारा निष्पादित किए जाने वाले किसी दायित्व को पूरा करने में अप्रत्याशित घटना के कारण असमर्थ हो जाने की स्थिति में, ऐसी अप्रत्याशित घटना से प्रभावित पक्षकार का सापेक्ष दायित्व उस अवधि के लिए निलंबित माना जाएगा, जिसके दौरान ऐसी अप्रत्याशित घटना का कारण बना रहता है, बशर्ते कि पक्षकार यह स्वीकार करते हुए कि वह पूर्वोक्त रूप से असमर्थ हो गया है, ऐसे कारण के समर्थन में पूर्ण विवरण और संतोषजनक साक्ष्य देते हुए कथित शुरुआत और समाप्ति के 15 दिनों के भीतर अधिसूचित करेगा।

26.2 अप्रत्याशित घटना से उत्पन्न होने वाले विलंब के लिए, बोलीदाता अप्रत्याशित घटना के कारणों के कारण विलंब की अवधि से अधिक अवधि के लिए पूर्णता की दिनांक में विस्तार का दावा नहीं करेगा और न तो प्राधिकरण और न ही बोलीदाता अतिरिक्त लागतों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे बशर्ते कि यह पारस्परिक रूप से स्थापित हो कि अप्रत्याशित घटनाएं वास्तव में मौजूद थीं।

26.3 यदि बोली प्रस्तुत करते समय भी बोलीदाता के परिचालन के स्थानों में कोई अप्रत्याशित स्थिति मौजूद है, तो वह अपनी बोली में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करेगा और बताएगा कि क्या उन्हें उनके उद्धरणों में ध्यान में रखा गया है।

# खंड-VIII: संविदा की विशेष शर्तें (एससीसी)

**1. सामान्य**

**1.1.** विशेष शर्तों को संविदा की सामान्य शर्तों, विनिर्देशों, टीओआर, ड्राइंग और जहां भी संदर्भ की आवश्यकता होती है। इस संविदा का हिस्सा बनने वाले किसी भी अन्य दस्तावेज के साथ पढ़ा जाएगा।

**1.2.** इन अलग-अलग खंड और मात्रा में दस्तावेजों के उप-विभाजन के बावजूद, प्रत्येक के प्रत्येक भाग को हर दूसरे भाग के पूरक माना जाएगा और संविदा के एक भाग के साथ और उसके रूप में पढ़ा जाएगा।

**1.3.** जहां संविदा की सामान्य शर्तों का कोई भाग विशेष शर्तों के किन्हीं उपबंधों के प्रतिकूल या भिन्न होता है, वहां विशेष शर्तों के उपबंधों को संविदा की सामान्य शर्तों के उपबंधों को अधिभावी माना जाएगा।

**1.4.** जहां विनिर्देश में यह उल्लेख किया गया है कि संविदाकार कुछ कार्य करेगा या कुछ सुविधाएं प्रदान करेगा, यह समझा जाता है कि संविदाकार अपनी लागत पर ऐसा करेगा।

**1.5.** सामग्री और कारीगरी संविदा समझौते के तहत निर्धारित प्रासंगिक मानकों को पूरा करेगी। जहां विनिर्देश मानक कोड और विनिर्देशों में निहित लोगों के अलावा आवश्यकता को निर्धारित करते हैं, ये अतिरिक्त आवश्यकताएं भी पूरी होंगी।

**2. निर्माण कार्य का क्रम**

संविदाकार द्वारा जिस क्रम में कार्य किए जाने हैं, वह नियोक्ता के अनुमोदन के लिए होगा और संविदाकार द्वारा अपनाई गई निर्माण की विस्तृत विधि के साथ-साथ नियोक्ता द्वारा अनुमोदित कार्य योजना/समग्र अनुसूची के अनुरूप होगा। कार्यों को इस तरह से किया जाएगा ताकि अन्य संविदाकार समवर्ती रूप से कार्य कर सकें ताकि कार्य पूरा होने के तुरंत बाद पूरी परियोजना को उपयोग में लाया जा सके।

**3. कर, शुल्क और लेवी आदि।**

इन मूल्यों में सभी कर, उद्ग्रहण, उपकर, चुंगी, रॉयल्टी, टर्मिनल कर, उत्पाद शुल्क अथवा कोई अन्य स्थानीय, राज्य अथवा केन्द्रीय कर जो केन्द्र या राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा उन सभी सामग्रियों पर लागू/प्रभारित किए जाते हैं जिन्हें संविदाकार को संविदा और सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रापण होता है, संविदाकार द्वारा देय होंगे और प्राधिकरण इस संबंध में क्षतिपूर्ति के लिए किसी भी दावे को स्वीकार नहीं करेगा। जीएसटी को बीओक्यू में अलग से दिखाया जाएगा और सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रभावी रहेगा, जिसका भुगतान जीएसटी के वास्तविक जमाव की प्राप्ति के खिलाफ भुगतान जारी करने के समय प्रभावी प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

उपर्युक्त एससीसी के अलावा, निम्न तालिका भी एससीसी का हिस्सा बनेगी

| उपखंड | शीर्षक | परिभाषाएँ |
|---|---|---|
| 1.3 | संचार के लिए भाषा | अंग्रेज़ी |
| 1.11 | संयुक्त और कई दायित्व | संविदा के अनुसार |
| 2.3 | साइट तक पहुंच का अधिकार | एक्सटेंशन सहित संविदा की पूरी अवधि के लिए, यदि कोई हो |
| 3.1.2.4 (ii) | अभियंता के कर्तव्य और अधिकार के तहत भिन्नता का प्रतिशत | 20% (बीस प्रतिशत) |

| | | |
|---|---|---|
| 4.4.1 | निष्पादन बैंक गारंटी | निष्पादन बैंक गारंटी (5%) और प्रतिभूति जमा (5%) दोनों को एससीसी की तालिका (क्रम संख्या 11, पृष्ठ 139) में खंड-3 में निर्दिष्ट दोष देयता अवधि के पूरा होने के बाद ही जारी किया जाएगा। |
| 4.4.2 | प्रतिभूति जमा राशि | संविदा मूल्य का 5% भरण-पोषण अवधि अथवा दोष दायित्व अवधि, जो भी बाद में हो, के पूरा होने के बाद ही जारी किया जाएगा |
| 4.9.1 | प्रस्तुत किया जाने वाला कार्यक्रम | 21 दिन |
| 4.9.3 | नकदी प्रवाह अनुमान | 21 दिन और बाद में मासिक अंतराल पर संशोधित नकदी प्रवाह अनुमान प्रस्तुत करें (महीने के पहले सप्ताह में यदि अभियंता द्वारा ऐसा करना आवश्यक हो) |
| 5.0 | समनुदेशन और उपसंविदात्मक | उप-ठेकेदारी की अनुमति नहीं है |
| 6.12 | प्रमुख कर्मियों का प्रतिस्थापन | खंड विलुप्त |
| 8.1 | कार्यों का प्रारंभ | स्वीकृति पत्र जारी करने की दिनांक से 30 दिन। |
| 8.5 | पूरा होने का समय | एलओए से 09 महीने टीओआर के खंड 7 और 8 के अनुसार, खंड VI |
| 8.12 | परिसमापन क्षति की सीमा | संविदा मूल्य के अधिकतम 10% के अधीन देरी के प्रति सप्ताह लिखित साइट आदेश में शामिल वस्तुओं के लिए मूल्य का 0.5% |
| 10.2 और 10.3 | खंडों या भागों का कार्यभार ग्रहण | खंडों या भागों का कोई कार्यभार ग्रहण नहीं होगा। संविदा की शर्तों के अनुसार केवल अंतरिम कार्य-पूर्णता प्रमाणपत्र और अंतिम कार्य-पूर्णता प्रमाणपत्र दिया जाएगा। |
| 11.0 | दोष देयता अवधि | पहुंच मार्ग के साथ पुल के लिए दोष दायित्व अवधि कार्य पूरा होने अथवा टेकओवर प्रमाणपत्र जारी करने की दिनांक से 12 माह है, जो भी बाद में हो, जिसे प्रभारी अभियंता द्वारा लिखित स्थल आदेश में निर्धारित किया जाएगा। |
| 15.2 (ख) | अंतरिम भुगतान की न्यूनतम राशि | अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्र |
| 15.4 | प्रतिधारण राशि | शून्य |

| | | |
|---|---|---|
| 15.12 | देर से भुगतान के लिए नियोक्ता द्वारा देय ब्याज दर | शून्य |
| 15.13 | अग्रिम भुगतान | शून्य |
| 16.2 | अनंतिम राशि | संविदा के अनुसार |
| 25.0 | जेवी की स्थिरता | जेवी की अनुमत |

**4. पूरा होने पर परीक्षण**

1. परीक्षण की सारणी

संविदाकार, निर्माण के संभावित पूरा होने से अधिकतम 30 (तीस) दिन पहले, परियोजना को परीक्षणों के अधीन करने के अपने इरादे के प्राधिकरण को सूचित करेगा, और परीक्षण की वास्तविक दिनांक से अधिकतम 10 (दस) दिन पहले, प्राधिकरण को विस्तृत सूची और सभी कार्यों और उपकरणों के विवरण प्रस्तुत करेगा जो कार्यों का हिस्सा हैं।

संविदाकार इस तरह के नोटिस की दिनांक से 10 (दस) दिनों के बाद किसी भी समय परियोजना को परीक्षण के अधीन करने के लिए और इस तरह की सूचना प्राप्त होने पर अपनी तत्परता के प्राधिकरण को सूचित करेगा। प्राधिकरण, संविदाकार के परामर्श से, प्रत्येक परीक्षण के लिए दिनांक और समय निर्धारित करेगा और प्राधिकरण को इसकी सूचना देगा जो परीक्षणों को देखने के लिए अपने प्रतिनिधि को नामित कर सकता है। प्राधिकरण इसके बाद स्वयं परीक्षण करेगा या संविदा के अनुसार किसी भी परीक्षण का संचालन करेगा।

2. परीक्षण

दृश्य और भौतिक परीक्षण: प्राधिकरण यह निर्धारित करने के लिए निर्माण की एक दृश्य और भौतिक जांच करेगा कि सभी कार्य और उपकरण जो उसका हिस्सा बनते हैं, इस समझौते के प्रावधानों के अनुरूप हैं।

पुलों के लिए परीक्षण: सभी बड़े और छोटे पुलों को रिबाउंड हथौड़ा और अल्ट्रासोनिक पल्स वेग परीक्षणों के अधीन किया जाएगा, जो आईआरसी प्रोजेक्ट रिसर्च बोर्ड की गैर-विनाशकारी परीक्षण तकनीकों पर विशेष रिपोर्ट संख्या 17: 1996 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित किया जाएगा, प्रत्येक अवधि में दो स्थानों पर, यादृच्छिक रूप से प्राधिकरण को चुना जाना है। 15 (पंद्रह) मीटर या उससे अधिक की अवधि वाले पुलों का भी लोड परीक्षण किया जाएगा।

अन्य परीक्षण: प्राधिकरण 'संविदाकार को विनिर्देशों और मानकों के साथ परियोजना के अनुपालन का निर्धारण करने के लिए, अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुसार, अतिरिक्त परीक्षण करने या करने, खंड 5 में निर्दिष्ट परीक्षणों को छोड़कर, लेकिन इसमें सड़क चिह्नों और सड़क संकेतों की परावर्तनशीलता को मापना शामिल होगा; और आवश्यक परीक्षण उपकरणों का उपयोग करके प्रकाश व्यवस्था के रोशनी स्तर (लक्स) को मापने की आवश्यकता हो सकती है।

3. परीक्षण करने के लिए एजेंसी

पूर्वोक्त सभी का संचालन प्राधिकरण या ऐसी अन्य एजेंसी या व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो वह प्राधिकरण के परामर्श से निर्दिष्ट कर सकता है।

4. कार्य-पूर्णता प्रमाणपत्र

परीक्षणों के सफल समापन पर, प्राधिकरण कार्य-पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करेगा।

**5. डिजाइन और ड्राइंग**

(i) डिजाइन और ड्राइंग भारतीय सड़क कांग्रेस के विनिर्देशों और मानकों और इसके विनिर्देशों के अनुरूप किए जाएंगे;

(ii) परियोजना के डिजाइन और ड्राइंग के संबंध में संविदाकार के दायित्वों के संबंध में निम्नलिखित लागू होंगे:

(क) संविदाकार आईआईटी/एनआईआईटी/सरकारी संस्थान द्वारा विधिवत पुनरीक्षित डिजाइन और ड्राइंग तैयार करेगा और प्रस्तुत करेगा।

(ख) ड्राइंग की प्राप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, प्राधिकरण का अभियंता इसकी समीक्षा करेगा और संविदाकार को परियोजना के दायरे और विनिर्देशों और मानकों के साथ उनकी अनुरूपता या अन्यथा के विशेष संदर्भ में अपनी स्वीकृति/टिप्पणियों से अवगत कराएगा।

(iii) प्राधिकरण द्वारा समीक्षा/अनुमोदन से उत्पन्न होने वाली निर्माण में कोई भी लागत अथवा विलंब संविदाकार द्वारा वहन किया जाएगा।

(iv) कार्यों को संविदाकार द्वारा उपलब्ध कराए गए ड्राइंग के अनुसार निष्पादित किया जाएगा और प्राधिकरण के अनुमोदन की सूचना संविदाकारों को दी जाएगी। प्राधिकरण को पूर्व लिखित सूचना के बिना इस तरह के ड्राइंग में संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यदि कोई पक्ष डिजाइन या ड्राइंग में तकनीकी प्रकृति की त्रुटि या दोष से अवगत हो जाता है, तो वह पार्टी तुरंत ऐसी त्रुटि या दोष के दूसरे पक्ष को नोटिस देगी।

(v) परियोजना के पूरा होने की दिनांक के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर, संविदाकार परियोजना को वास्तव में डिजाइन, अभियंता और निमत के रूप में परियोजना को दर्शाते हुए 2 (दो) हार्ड प्रतियों में यथानिमत ड्राइंग का एक पूरा सेट प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा, जिसमें परियोजना के लेआउट और सेटबैक लाइनों, यदि कोई हो, को दर्शाते हुए एक निमत सर्वेक्षण शामिल है।

# खंड-IX: परिशिष्ट

## परिशिष्ट-I: निष्पादन प्रतिभूति के लिए बैंक गारंटी प्रपत्र

सेवा में,

अध्यक्ष

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

ए-13, सेक्टर-1,

नोएडा-201301

(उत्तर प्रदेश)

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नियोक्ता द्वारा **"पश्चिम बंगाल राज्य में स्वरूपनगर में इच्छामती नदी (एनडब्ल्यू-44) पर ईपीसी मोड पर इसके पहुंच मार्ग सहित स्थायी पुल के डिजाइन, निर्माण"** के लिए जारी किए गए अवार्ड पत्र संख्या .....दिनांक के अनुवर्ती के रूप में, **संविदाकार** के अनुरोध पर (इसके बाद **"नियोक्ता"** कहा जाएगा), मैसर्स ..... (इसके बाद **"संविदाकार"** कहा जाएगा) के साथ एक समझौता करने के विचार से, भारतीय रुपये ..... (रुपये ..... मात्र) के लिए बैंक गारंटी के रूप में निष्पादन सुरक्षा के प्रस्तुत करने पर, हम, **(बैंक)** नियोक्ता को किसी भी चूक या नियमों और शर्तों के अनुसार संविदा को निष्पादित करने में संविदाकार की ओर से विफलता या उक्त संविदा के किसी भी उल्लंघन के खिलाफ ..... (रुपये----------मात्र) से अधिक राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

1. हम (**बैंक)** ,केवल नियोक्ता की मांग पर बिना किसी आपत्ति के इस गारंटी के अंतर्गत देय राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं जिसमें कहा गया हो कि दावा की गई राशि नियोक्ता को हुई हानि या क्षति के कारण देय है या नियोक्ता को उक्त **संविदा** या उक्त समय सीमा में निहित किसी भी नियम या शर्त के उल्लंघन के कारण या **संविदाकार** द्वारा उक्त संविदा को निष्पादित करने में विफलता के कारण हुई हो। बैंक से की गई ऐसी कोई भी मांग इस गारंटी के अंतर्गत बैंक द्वारा देय और बकाया राशि के संबंध में निर्णायक होगी। हालाँकि, इस गारंटी के अंतर्गत हमारी देयता भारतीय रुपये..... (केवल रुपये.....) से अनधिक की राशि तक सीमित होगी।

2. हम **(बैंक)** किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित किसी भी मुकदमे या कार्यवाही में **संविदाकार** द्वारा उठाए गए किसी भी विवाद या विवादों के बावजूद, नियोक्ता को मांगी गए किसी भी राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं, इसके अंतर्गत देयता पूर्ण और स्पष्ट है। इस गारंटी के अंतर्गत हमारे द्वारा किया गया भुगतान इसके अंतर्गत भुगतान के हमारे दायित्व का वैध निर्वहन होगा और ऐसे भुगतान करने के लिए **संविदाकार** का हमारे खिलाफ कोई दावा नहीं होगा।

3. हम **(बैंक)** इस बात पर भी सहमत हैं कि इस गारंटी में निहित गारंटी, संविदा की शर्तों और कार्य सौंपने के पत्र के अनुसार नियोक्ता की पूर्ण संतुष्टि के लिए परियोजना कार्य पूरा होने तक पूरी तरह से लागू रहेगी और यह तब तक लागू रहेगी जब तक कि उक्त संविदा के अंतर्गत या उसके आधार पर नियोक्ता के सभी बकाया की वसूली और उसके दावे की संतुष्टि नहीं हो जाती या यह संविदा के अनुसार कार्य पूरा होने की निर्धारित दिनांक तक लागू रहेगी। हम **(बैंक)** इस बात पर विचार करेंगे कि उक्त संविदा की शर्तों और नियमों का उक्त संविदाकार द्वारा पूरी तरह और उचित तरीके से पालन किया गया है और तदनुसार उक्त संविदा की समाप्ति अवधि के 180 दिन बाद इस गारंटी को समाप्त कर देंगे, जब तक कि इस गारंटी के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा बैंक को

लिखित रूप में कोई मांग या दावा नहीं किया जाता है, लेकिन उक्त अवधि की समाप्ति से पहले, जिस स्थिति में यह बैंक के खिलाफ लागू होगी, भले ही इसे उक्त अवधि की समाप्ति के बाद या विस्तारित अवधि के बाद लागू किया गया हो, जैसा भी मामला हो।

4. हम **(बैंक)** नियोक्ता के साथ इस बात पर भी सहमत हैं कि नियोक्ता को हमारी सहमति के बिना और किसी भी तरह से हमारे दायित्वों को प्रभावित किए बिना उक्त समझौते के किसी भी नियम और शर्तों में परिवर्तन करने या उक्त **संविदाकार** द्वारा समय-समय पर समय या निष्पादन बढ़ाने या नियोक्ता द्वारा उक्त **संविदाकार** के खिलाफ प्रयोग की जाने वाली किसी भी शक्ति को किसी भी समय या समय-समय पर स्थगित करने और उक्त समझौते से संबंधित किसी भी नियम और शर्तों को रोकने या लागू करने की पूरी स्वतंत्रता होगी और हम उक्त **संविदाकार** को दिए गए किसी भी ऐसे परिवर्तन या विस्तार के कारण या नियोक्ता की ओर से किसी भी रोक, कार्य या चूक या नियोक्ता द्वारा उक्त **संविदाकार** को किसी भी तरह की छूट या किसी भी ऐसे मामले या बात के कारण हमारे दायित्व से मुक्त नहीं होंगे, जो जमानत से संबंधित कानून के अंतर्गत, प्रावधान के बिना, हमें राहत देने का प्रभाव रखती है।

5. नियोक्ता के लिए बैंक के विरुद्ध कार्यवाही करने से पहले **संविदाकार** के विरुद्ध कार्यवाही करना आवश्यक नहीं होगा और इसमें निहित गारंटी बैंक के विरुद्ध प्रवर्तनीय होगी, भले ही नियोक्ता ने **संविदाकार** से बैंक के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के समय कोई भी प्रतिभूति प्राप्त की हो या प्राप्त करता है, जो बकाया हो या वसूल न की गई हो।

6. ऊपर दी गई किसी भी बात के बावजूद, गारंटी के अंतर्गत हमारी देयता भारतीय रुपये.....(केवल रुपये.....) तक सीमित है और यह नियोक्ता द्वारा विस्तारित दिनांक तक या अन्यथा लागू रहेगी। जब तक कि इस गारंटी के अंतर्गत विस्तारित दिनांक को या उससे पहले हमारे पास कोई दावा या मुकदमा दायर नहीं किया जाता है, तब गारंटी के अंतर्गत आपके सभी अधिकार जब्त कर लिए जाएँगे और बैंक को सभी देनदारियों से मुक्त कर दिया जाएगा।

7. यह गारंटी बैंक या **संविदाकार** के संविधान में परिवर्तन होने पर भी समाप्त हो जाएगी।

8. हम **(बैंक)** अंत में यह वचन देते हैं कि नियोक्ता की लिखित पूर्व सहमति के बिना इस गारंटी को इसके प्रभावी रहने के दौरान रद्द नहीं करेंगे।

दिनांक....., 2024

के लिए .....

(बैंक का नाम बताएं)

हस्ताक्षर.....

अधिकारी का नाम .....

(बड़े अक्षरों में)

पद का नाम

कोड संख्या .....

बैंक और शाखा का नाम (मुहर)

## परिशिष्ट-II: करार प्रपत्र

**"ईपीसी मोड पर पश्चिम बंगाल राज्य के स्वरूपनगर में इच्छामती नदी (एनडब्ल्यू-44) पर इसके पहुंच मार्ग के साथ स्थायी पुल का डिजाइन, निर्माण"**

**भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण**

**और**

**निर्माण फर्म के बीच करार**

यह करार आज दो हजार.....की .....दिनांक को किया गया ,जिसमें एक पक्ष के तौर पर भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, ए-13, सेक्टर-1, नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश (इसके बाद इसे **"आईडब्ल्यूएआई"** कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या उसके अर्थ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी और नियुक्त व्यक्ति शामिल होंगे) और दूसरे पक्ष के तौर पर मैसर्स .....जिसका कार्यालय .....में है (इसके बाद इसे **"संविदाकार"** कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या उसके अर्थ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी, अनुमत नियुक्त व्यक्ति और स्थानापन्न शामिल होंगे)।

जबकि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण **पश्चिम बंगाल राज्य में इच्छामती नदी (एनडब्ल्यू-44) पर इच्छामती नदी (राज-44) पर इसके पहुंच मार्ग के साथ-साथ स्थायी पुल के डिजाइन, निर्माण का कार्य ईपीसी मोड पर कार्य सं.....** दिनांक .....करार के टीओआर नाली के अनुसार, करार के भाग के रूप में सभी के साथ कुर्की की गई है, के अनुसार सौंपने का इच्छुक है।

**जबकि संविदा फर्म ईपीसी मोड पर पश्चिम बंगाल राज्य में स्वरूपनगर में इच्छामती नदी (एनडब्ल्यू-44) पर अपने पहुंच मार्ग के साथ-साथ स्थायी पुल का डिजाइन, निर्माण** करने के लिए सहमत हो गई है।

अब इसलिए ये गवाह साक्षी हैं और यह एतद्द्वारा सहमत है, पार्टियों द्वारा और उनके बीच निम्नानुसार घोषित किया गया है:

संविदाकार ईपीसी मोड पर पश्चिम बंगाल राज्य में इच्छामती नदी (एनडब्ल्यू-44) पर अपने पहुंच मार्ग के साथ स्थायी पुल का डिजाइन, निर्माण..... दिनांक .....करार संलग्नक के टीओआर के अनुसार करेगा, जो सभी करार का भाग हैं।

निम्नलिखित दस्तावेजों को करार के हिस्से के रूप में बनाने और पढ़ने और समझने के लिए समझा जाएगा।

(क) निविदा आमंत्रण नोटिस

(ख) निविदा का प्रपत्र

(ग) संविदा की शर्त

(घ) मूल्य बोली की सारणी

(ङ) करार प्रपत्र

(च) तकनीकी बोली संख्या..... और दिनांक... ।

(छ) परिशिष्ट/शुद्धिपत्र

(ज) बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त

(झ) सभी पत्राचार

(ञ) .....

(ट) ....

(ठ) ठ) ……..

(ड) ड) …….

जिसके साक्ष्य में आईडब्ल्यूएआई ने अपनी ओर से श्री..... को हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित किया है और संविदाकार ने अपनी ओर से श्री..... को हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित किया है और फर्म ने अपनी सामान्य मुहर को ऊपर लिखे गए दिन और वर्ष में यहाँ लगाई है।

**आईडब्ल्यूएआई की ओर से**
प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर

**संविदाकार की ओर से**
प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर

**साक्षी**

1)

2) .....

और इस विलेख को श्री..... जिसकी उपस्थिति में उपरोक्त संविदाकार द्वारा विधिवत निष्पादित किया गया।

**संविदाकार के साक्षी**

1)

2)

## परिशिष्ट-III: बैंक खाते का विवरण

***(बोलीदाता के लेटर-हेड पर प्रस्तुत किया जाना है)***

**परियोजना का नाम:**_____

हम.....(बोलीदाता का नाम) आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारा भुगतान नीचे दिए गए खाता विवरण के अनुसार ई-भुगतान मोड द्वारा सीधे हमारे बैंक खाते में जमा करे। हम नीचे दिए गए विवरणों में किसी भी परिवर्तन के मामले में आईडब्ल्यूएआई को सूचित करने का वचन देते हैं और आईडब्ल्यूएआई के नियंत्रण से परे किसी भी तकनीकी कारणों से किसी भी देरी/चूक के लिए आईडब्ल्यूएआई को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे:-

**बैंक खाता संख्या** : _____

**आरटीजीएस/एनईएफटी/आईएफएससी कोड** : _____

**बैंक का नाम** : _____

**बैंक की शाखा का पता** : _____

**शाखा कोड** : _____

**खाता प्रकार**

**(बचत/चालू/अन्य)** : _____

**इसके साथ एक खाली चेक (रद्द) संलग्न है।**

हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण सही एवं पूर्ण हैं। आईडब्ल्यूएआई एतद्द्वारा घोषणा करता है कि ऊपर दिए गए विवरण सही और पूर्ण हैं। यदि लेनदेन में देरी हो रही है या अधूरी या गलत जानकारी के कारण क्रेडिट बिल्कुल नहीं होता है, तो मैं/हम आईडब्ल्यूएआई को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे

**अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर**

**नाम और पदनाम**

**दिनांक:**

**स्थान:**

## परिशिष्ट-IV: बैंक प्रमाणन

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त लाभार्थी का हमारी शाखा में बैंक खाता संख्या ..... है तथा उपर्युक्त बैंक विवरण सही है।

**अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता**

**दिनांक:**

**प्राधिकरण संख्या_____**

**नाम:_____**

**आधिकारिक मुहर/स्टाम्प**

## परिशिष्ट-V: निविदा स्वीकृति पत्र

*(बोलीदाता के लेटर-हेड पर प्रस्तुत किया जाएगा)*

**सेवा में,** **दिनांक:**

**सदस्य (तकनीकी),**
**भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण,**
**ए-13, सेक्टर-1, नोएडा-201301**
**(उत्तर प्रदेश)**

**विषय:** निविदा की शर्तों एवं नियमों की स्वीकृति।

**निविदा संदर्भ संख्या:…….**

**"निविदा/कार्य का नाम:-" पश्चिम बंगाल राज्य में स्वरूपनगर में इच्छामती नदी (एनडब्ल्यू-44) पर इसके पहुंच मार्ग के साथ डिजाइन, ईपीसी मोड पर स्थायी पुल का निर्माण"**

प्रिय महोदय,

.1 मैंने/हमने उपर्युक्त वेबसाइट (वेबसाइटों) में दिए गए आपके विज्ञापन के अनुसार उपर्युक्त 'निविदा/कार्य' के लिए वेबसाइट (वेबसाइटों) अर्थात: www.iwai.nic.in या https://eprocure.gov.in/eprocure/app से निविदा दस्तावेज डाउनलोड/प्राप्त कर लिया है,

2. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मैंने/हमने निविदा दस्तावेजों के पृष्ठ संख्या _____ से _____ तक (परिशिष्ट(कों), अनुसूची(ओं) आदि जैसे सभी दस्तावेजों सहित) संपूर्ण नियम और शर्तों को पढ़ लिया है, जो संविदा समझौते का हिस्सा हैं और मैं/हम इसमें निहित नियमों/शर्तों/खंडों का पालन करेंगे।

3. इस कार्य के लिए आपके विभाग/संगठन द्वारा समय-समय पर जारी की गई निविदा-पूर्व बैठक (यदि कोई हो) और/या शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) के कार्यवृत्त को भी इस स्वीकृति पत्र को प्रस्तुत करते समय ध्यान में रखा गया है।

4. मैं/हम उपर्युक्त निविदा दस्तावेज/स्पष्टीकरणों के उत्तर/प्रश्नों (यदि कोई हो)/शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) की निविदा शर्तों को बिना शर्त समग्रता/संपूर्णता में स्वीकार करते हैं।

5. यदि इस निविदा के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया जाता है, तो आपका विभाग/संगठन किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस निविदा/बोली को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होगा।

**भवदीय**

**(बोलीदाता के हस्ताक्षर, आधिकारिक मुहर सहित)**

## परिशिष्ट-VI: अखंडता करार

**<u>इस पर बोलीदाताओं के हस्ताक्षर होने हैं और इस पर आईडब्ल्यूएआई की ओर से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/सक्षम नियोक्ता द्वारा हस्ताक्षर होने हैं।</u>**

यह सत्यनिष्ठा करार आज 20 .. .....की .....दिनांक को

इनके बीच किया गया है।

सचिव, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, ए-13, सेक्टर-1, नोएडा के माध्यम से अध्यक्ष, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व किया जाएगा।

आईडब्ल्यूएआई, (जिसे आगे 'नियोक्ता' कहा जाएगा, जिसके अंतर्गत जब तक अर्थ या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती शामिल होंगे)

और

.....

*(व्यक्ति/फर्म/कंपनी का नाम और पता)* के माध्यम से ..... (इसके बाद (विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का विवरण) "बोलीदाता/संविदाकार" के रूप में संदर्भित किया जाएगा और यह अभिव्यक्ति, जब तक कि इसके अर्थ या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती शामिल होंगे)

**प्रस्तावना:**

जबकि नियोक्ता ने निविदा (एनआईटी संख्या: आईडब्ल्यूएआई/) (इसके बाद "निविदा/बोली" के रूप में संदर्भित) जारी की है और निर्धारित संगठनात्मक प्रक्रिया के तहत**, ईपीसी मोड पर पश्चिम बंगाल राज्य में इच्छामती नदी (एनडब्ल्यू-4) पर अपने पहुंच मार्ग के साथ स्थायी पुल के डिजाइन**, **निर्माण** के लिए संविदा देने का इरादा रखता है।

और जबकि नियोक्ता देश के सभी प्रासंगिक कानूनों, नियमों, विनियमों, संसाधनों के मितव्ययी उपयोग और अपने बोलीदाताओं और ठेकेदारों के साथ संबंधों में निष्पक्षता/पारदर्शिता के पूर्ण अनुपालन को महत्व देता है।

और जबकि उपरोक्त उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों पक्ष इस सत्यनिष्ठा समझौते (जिसे आगे सत्यनिष्ठा संधि या करार कहा जाएगा) पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो गए हैं, जिसके नियम और शर्तें भी पार्टियों के बीच निविदा/बोली दस्तावेजों और संविदा के अभिन्न अंग के रूप में पढ़ी जाएंगी।

अब, अतः इस समझौते में निहित पारस्परिक अनुबंधों पर विचार करते हुए, पक्षकार निम्नानुसार सहमत होते हैं और यह करार निम्नानुसार प्रमाणित करता है:

**<u>अनुच्छेद 1: प्रमुख/मालिक की प्रतिबद्धता</u>**

1) नियोक्ता भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने तथा निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है:

   (क) नियोक्ता का कोई भी कर्मचारी, व्यक्तिगत रूप से या अपने परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से, निविदा के संबंध में या संविदा के निष्पादन के संबंध में, स्वयं या किसी तीसरे व्यक्ति के लिए कोई भौतिक या अभौतिक लाभ की मांग नहीं करेगा, वादा नहीं करेगा या स्वीकार नहीं करेगा, जिसका वह व्यक्ति कानूनी रूप से पात्र नहीं है।

(ख) नियोक्ता निविदा प्रक्रिया के दौरान सभी बोलीदाताओं के साथ न्यायोचित और उचित व्यवहार करेगा। नियोक्ता, विशेष रूप से निविदा प्रक्रिया से पहले और उसके दौरान सभी बोलीदाताओं को समान जानकारी प्रदान करेगा और किसी भी बोलीदाता को गोपनीय/अतिरिक्त जानकारी प्रदान नहीं करेगा जिसके माध्यम से बोलीदाता निविदा प्रक्रिया या संविदा निष्पादन के संबंध में कोई लाभ प्राप्त कर सके।

(ग) नियोक्ता किसी भी ऐसे व्यक्ति को निविदा प्रक्रिया से बाहर रखने का प्रयास करेगा, जिसका आचरण अतीत में पक्षपातपूर्ण प्रकृति का रहा हो।

2) यदि नियोक्ता को अपने किसी कर्मचारी के आचरण के बारे में ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी)/भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (पीसी एक्ट) के अंतर्गत दंडनीय अपराध है या इसमें वर्णित सिद्धांतों का उल्लंघन है या इस संबंध में कोई ठोस संदेह है, तो नियोक्ता मुख्य सतर्कता अधिकारी को सूचित करेगा और इसके अतिरिक्त अपनी आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू कर सकता है।

**<u>अनुच्छेद 2: बोलीदाता/संविदाकार की प्रतिबद्धता</u>**

1. यह आवश्यक है कि प्रत्येक बोलीदाता/संविदाकार (उनके संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और एजेंटों सहित) उच्चतम नैतिक मानकों का पालन करें, और निविदा प्रक्रिया के दौरान और बातचीत या संविदा प्रदान करने के दौरान धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार या जबरदस्ती या मिलीभगत के सभी संदिग्ध कृत्यों की सूचना आईडब्ल्यूएआई को दें, जिनके बारे में उन्हें जानकारी है या पता चलता है।

2. बोलीदाता/संविदाकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वह निविदा प्रक्रिया में भाग लेने और संविदा निष्पादन के दौरान निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं:

(क) बोलीदाता/संविदाकार सीधे तौर पर या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से, निविदा प्रक्रिया या संविदा के निष्पादन में शामिल नियोक्ता के किसी भी कर्मचारी या किसी तीसरे व्यक्ति को कोई भौतिक या अन्य लाभ देने का प्रस्ताव, वादा या पेशकश नहीं करेंगे, जिसका वह कानूनी रूप से पात्र नहीं है, ताकि बदले में निविदा प्रक्रिया के दौरान या संविदा के निष्पादन के दौरान किसी भी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त किया जा सके।

(ख) बोलीदाता/संविदाकार अन्य बोलीदाताओं के साथ कोई भी औपचारिक या अनौपचारिक अघोषित करार या संविदा नहीं करेंगे। यह विशेष रूप से कीमतों, विनिर्देशों, प्रमाणन, सहायक अनुबंधों, बोलियों के प्रस्तुतीकरण या गैर-प्रस्तुतीकरण या प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करने या बोली प्रक्रिया में गुटबाजी करने के लिए किसी भी अन्य कार्रवाई पर लागू होता है।

(ग) बोलीदाता/संविदाकार संबंधित आईपीसी/पीसी अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध नहीं करेंगे। इसके अलावा बोलीदाता/संविदाकार अनुचित तरीके से (प्रतिस्पर्धा या व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से) उपयोग नहीं करेंगे, या किसी अन्य को नहीं देंगे, जिसमें नियोक्ता द्वारा व्यावसायिक संबंध के हिस्से के रूप में योजनाओं, तकनीकी बोलियों और व्यावसायिक विवरणों के बारे में प्रदान की गई किसी भी जानकारी या दस्तावेज़ को, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से निहित या प्रेषित जानकारी शामिल है।

(घ) विदेशी मूल के बोलीदाता/संविदाकार भारत में एजेंटों/प्रतिनिधियों के नाम और पते का खुलासा करेंगे, यदि कोई हो। इसी तरह, भारतीय राष्ट्रीयता के बोलीदाता/संविदाकार विदेशी एजेंटों/प्रतिनिधियों के नाम और पते का खुलासा करेंगे, यदि कोई हो। विदेशी प्रमुख की ओर से भारतीय एजेंट या विदेशी प्रमुख सीधे निविदा में बोली

लगा सकते हैं, लेकिन दोनों नहीं। इसके अलावा, ऐसे मामलों में जहां कोई एजेंट एक निर्माता की ओर से निविदा में भाग लेता है, उसे उसी वस्तु के लिए बाद की/समानांतर निविदा में पहले निर्माता के साथ किसी अन्य निर्माता की ओर से बोली लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ङ) बोलीदाता/संविदाकार अपनी बोली प्रस्तुत करते समय, संविदा प्रदान करने के संबंध में एजेंटों, दलालों या किसी अन्य मध्यस्थों को किए गए, किए गए या किए जाने वाले सभी भुगतानों का खुलासा करेंगे।

3. बोलीदाता/संविदाकार किसी तीसरे व्यक्ति को ऊपर उल्लिखित अपराध करने के लिए नहीं उकसाएंगे या ऐसे अपराधों में सहायक नहीं बनेंगे।

4. बोलीदाता/संविदाकार सीधे तौर पर या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से धोखाधड़ी के कार्य में लिप्त नहीं होंगे, जैसे कि जानबूझकर गलत बयानी या तथ्यों को छोड़ना या नकली/जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना, ताकि सार्वजनिक अधिकारी को उन पर भरोसा करके कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सके, जिसका उद्देश्य दूसरों के न्यायोचित हितों को हानि पहुंचाना या अनुचित लाभ प्राप्त करना और/या सरकार/नियोक्ता के हितों को हानि पहुंचाने के लिए खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करना हो।

5. बोलीदाता/संविदाकार सीधे या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से बलपूर्वक व्यवहार नहीं करेंगे (जिसका अर्थ है किसी चीज को प्राप्त करने, किसी कार्रवाई को मजबूर करने या धमकी, भय या बल के प्रयोग के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्णय को प्रभावित करने का कार्य, जहां किसी व्यक्ति, उसकी प्रतिष्ठा या संपत्ति को संभावित या वास्तविक क्षति हो सकती है, ताकि निविदा प्रक्रिया में उनकी साझेदारी को प्रभावित किया जा सके)।

**<u>अनुच्छेद 3: उल्लंघन के परिणाम</u>**

कानून या संविदा या इसकी स्थापित नीतियों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अंतर्गत नियोक्ता को उपलब्ध किसी भी अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, बोलीदाता(ओं)/संविदाकार(ओं) द्वारा इस सत्यनिष्ठा संधि के उल्लंघन के मामले में नियोक्ता के पास निम्नलिखित अधिकार होंगे और बोलीदाता(ओं)/संविदाकार(रों) नियोक्ता के पूर्ण अधिकार का सम्मान करने और उसे बनाए रखने को स्वीकार करते हैं और वचनबद्ध हैं:

1. यदि बोलीदाता/संविदाकार(कों) ने, संविदा देने से पहले या उसके निष्पादन के दौरान, उपरोक्त अनुच्छेद 2 के उल्लंघन के माध्यम से या किसी अन्य रूप में कोई उल्लंघन किया है, जैसे कि उसकी विश्वसनीयता या भरोसे पर प्रश्नचिह्न लगा हो, तो नियोक्ता के पास संविदाकार को 14 दिन का नोटिस देने के बाद बोलीदाता(ओं)/संविदाकार(रों) को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित करने या संविदा को समाप्त/निर्धारित करने या यदि पहले से ही निष्पादित हो चुका है या बोलीदाता/संविदाकार को भविष्य की संविदा पंचाट प्रक्रियाओं से बाहर करने का अधिकार होगा। बहिष्कार की अवधि और अवधि उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर और नियोक्ता द्वारा निर्धारित की जाएगी। ऐसा बहिष्कार हमेशा के लिए या नियोक्ता द्वारा तय की गई सीमित अवधि के लिए हो सकता है।

2. **<u>काउंटर सिक्योरिटी और निष्पादन प्रतिभूति की जब्ती:</u>** काउंटर सिक्योरिटी और निष्पादन प्रतिभूति की जब्ती: यदि नियोक्ता ने संविदा सौंपने से पहले बोलीदाता(ओं) को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया है या संविदा को समाप्त/निर्धारित कर दिया है या अनुच्छेद 3(1) के अनुसार संविदा को समाप्त/निर्धारित करने का अधिकार अर्जित कर लिया है, तो नियोक्ता ऐसे किसी भी कानूनी अधिकार का प्रयोग करने के अलावा, जो नियोक्ता को

प्राप्त हो सकता है, अपनी सुविचारित राय में बोलीदाता(ओं)/संविदाकार(ओं) की बयाना जमा राशि , निष्पादन प्रतिभूति, काउंटर सिक्योरिटी की पूरी राशि जब्त कर सकता है।

3. **आपराधिक दायित्व:** यदि नियोक्ता को किसी बोलीदाता या संविदाकार, या किसी कर्मचारी या प्रतिनिधि या बोलीदाता या संविदाकार के सहयोगी के किसी ऐसे आचरण की जानकारी प्राप्त होती है जो आईपीसी/भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसीए) के अर्थ में भ्रष्टाचार का गठन करता है, या यदि नियोक्ता को इस संबंध में ठोस संदेह है, तो नियोक्ता आगे की जांच के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इसकी सूचना देगा।

**अनुच्छेद 4: पिछला अपराध**

1. बोलीदाता/संविदाकार यह घोषणा करते हैं कि पिछले 5 वर्षों में उनसे किसी भी देश में किसी अन्य कंपनी के साथ भ्रष्टाचार विरोधी दृष्टिकोण की पुष्टि करने वाला या भारत में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य केन्द्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के साथ कोई ऐसा उल्लंघन नहीं हुआ है, जिसके कारण उन्हें निविदा प्रक्रिया से बाहर रखा जा सके।

2. यदि बोलीदाता/संविदाकार इस विषय पर गलत बयान देते हैं, तो उन्हें निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जा सकता है या नियोक्ता द्वारा उचित समझे जाने पर बोलीदाता/संविदाकार के व्यापारिक लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने/छुट्टियों की सूची बनाने के लिए कार्रवाई की जा सकती है।

3. यदि बोलीदाता/संविदाकार यह साबित कर सकें कि उन्होंने अपने द्वारा की गई क्षति की भरपाई कर ली है तथा उपयुक्त भ्रष्टाचार निवारण प्रणाली स्थापित कर ली है, तो नियोक्ता अपने विवेक से बहिष्कार को समय से पूर्व ही रद्द कर सकता है।

**अनुच्छेद 5: सभी बोलीदाताओं/ठेकेदारों के साथ समान व्यवहार**

1. बोलीदाता/संविदाकार अपने किसी भी उप-विक्रेता द्वारा इस समझौते/संधि में निर्धारित सिद्धांतों के किसी भी उल्लंघन के लिए जिम्मेदार होंगे।

2. नियोक्ता सभी बोलीदाताओं और ठेकेदारों के साथ समान शर्तों पर समझौते करेगा।

3. नियोक्ता उन बोलीदाताओं/ठेकेदारों को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर देगा, जो नियोक्ता और बोलीदाताओं/ठेकेदारों के बीच विधिवत हस्ताक्षरित सत्यनिष्ठा समझौते को निविदा के साथ प्रस्तुत नहीं करते हैं या निविदा प्रक्रिया के किसी भी चरण में इसके प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं।

**अनुच्छेद 6: समझौते की अवधि**

यह करार दोनों पक्षों द्वारा कानूनी रूप से इस पर हस्ताक्षर करने के साथ शुरू होता है। यह संविदा के अंतर्गत काम पूरा होने के 18 महीने बाद समाप्त हो जाता है।

यदि इस दौरान कोई दावा किया जाता है, तो वह बाध्यकारी होगा तथा ऊपर निर्दिष्ट अनुसार इस समझौते की समाप्ति के बावजूद तब तक वैध बना रहेगा, जब तक कि नियोक्ता द्वारा उसे समाप्त/निर्धारित नहीं कर दिया जाता।

**अनुच्छेद 7: अन्य प्रावधान**

1. यह करार भारतीय कानून के अधीन है, निष्पादन का स्थान और अधिकार क्षेत्र उस नियोक्ता के प्रभाग का मुख्यालय है, जिसने निविदा जारी की है।

2. परिवर्तन और अनुपूरक लिखित रूप में किए जाने चाहिए।कोई अतिरिक्त करार नहीं किया गया है।

3. यदि संविदाकार साझेदारी या कंसोटियम है, तो इस समझौते पर सभी साझेदारों या सभी साझेदारों और कंसोटियम के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले एक या अधिक साझेदारों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। कंपनी के मामले में, समझौते पर बोर्ड के प्रस्ताव द्वारा विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

4. यदि इस संधि के एक या कई प्रावधान अमान्य हो जाते हैं; तब भी इस संधि का शेष भाग वैध रहेगा। इस मामले में, पक्ष अपने मूल इरादों पर सहमति बनाने का प्रयास करेंगे।

5. इस नियम और शर्त पर सहमति है कि इस सत्यनिष्ठा समझौते/संधि की शर्तों के संबंध में पार्टियों के बीच उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद या मतभेद और इस सत्यनिष्ठा संविदा/संधि या उसकी व्याख्या के अनुसार नियोक्ता द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई मध्यस्थता के अधीन नहीं होगी।

**<u>अनुच्छेद 8: कानूनी और पूर्व अधिकार</u>**

इस समझौते के अंतर्गत पक्षों के सभी अधिकार और उपचार संविदा और/या कानून के अंतर्गत ऐसे पक्षों से संबंधित सभी अन्य कानूनी अधिकारों और उपचारों के अतिरिक्त होंगे और उन्हें पूर्वोक्त कानूनी अधिकारों और उपचारों का विकल्प न मानकर संचयी माना जाएगा। संक्षिप्तता के लिए, दोनों पक्ष सहमत हैं कि इस अखंडता समझौते के अंतर्गत शामिल किसी भी प्रावधान के संबंध में इस अखंडता समझौते को निविदा/संविदा दस्तावेजों पर वरीयता दी जाएगी।

जिसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने ऊपर उल्लिखित स्थान और दिनांक पर निम्नलिखित गवाहों की उपस्थिति में इस सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इसे निष्पादित किया है:

.....

**(नियोक्ता के लिए एवं उसकी ओर से)**

.....

**(बोलीदाता/संविदाकार की ओर से)**

**साक्षी:**

**1. .....**

**(हस्ताक्षर, नाम और पता)**

**2. .....**

**(हस्ताक्षर, नाम और पता)**

**स्थान:.....**

**दिनांक:.....**

## परिशिष्ट-VII बोली प्रतिभूति घोषणा

सेवा में

अध्यक्ष

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

मुख्यालय: जलमार्ग भवन, ए-13, सेक्टर-1, नोएडा-201301 (उत्तर प्रदेश)

संदर्भ: (1) पूछताछ संख्या आईडब्ल्यूएआई।

(2) हमारी बोली संख्या _____दिनांक.....।

मैं/हम .....अपरिवर्तनीय रूप से निम्नानुसार घोषणा करते हैं:

मैं/हम समझते हैं कि, निविदा/बोली शर्तों के खंड के अनुसार, बोलियों को बोली प्रतिभूति घोषणा द्वारा समर्थित होना चाहिए।

मैं/हम एतद्द्वारा स्वीकार करते हैं कि मैं मुझे/हमें आपके द्वारा अधिसूचित गैर-अर्हता की दिनांक से दो वर्ष की अवधि के लिए आपके साथ किसी भी संविदा के लिए बोली लगाने से निरर्हता घोषित किया जा सकता है (हानि का दावा करने के आईडब्ल्यूएआई के अधिकारों या किसी अन्य कानूनी सहारा के पूर्वाग्रह के बिना) यदि,

1) मैं/हम बोली शर्तों के तहत किसी भी दायित्व का उल्लंघन करते हैं,

2) मैंने/हमने बोली वैधता अवधि के दौरान बोली या विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, के रूप में निर्दिष्ट बोली वैधता अवधि के दौरान मेरी/हमारी बोली को वापस ले लिया है या एकतरफा रूप से संशोधित/संशोधित किया है।

3) आईडब्ल्यूएआई द्वारा हमारी बोली की स्वीकृति पर, मैं/हम निर्धारित प्रतिभूति जमा जमा करने में विफल रहे या करार को निष्पादित करने में विफल रहे या नियमों और शर्तों के अनुसार और निर्दिष्ट समय के भीतर कार्य का निष्पादन शुरू करने में विफल रहे।

हस्ताक्षर:

बोली-सुरक्षित घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकृत व्यक्ति का नाम और पदनाम प्रपत्र: के लिए और की ओर से बोली पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत अधिकृत:

(बोलीदाता का पूरा नाम)

दिन.....माह..... वर्ष.....

(टिप्पणी: जॉइंट वैंचर के मामले में, बोली प्रतिभूति घोषणा बोली प्रस्तुत करने वाले जॉइंट वैंचर के सभी भागीदारों के नाम पर होनी चाहिए।

# स्वरूपनगर में इचछामती नदी (एनडब्ल्यू-44) [चेनेज-48.70 कि.मी.] पर एक स्थायी पुल के डिजाइन पर विस्तार परियोजना रिपोर्ट

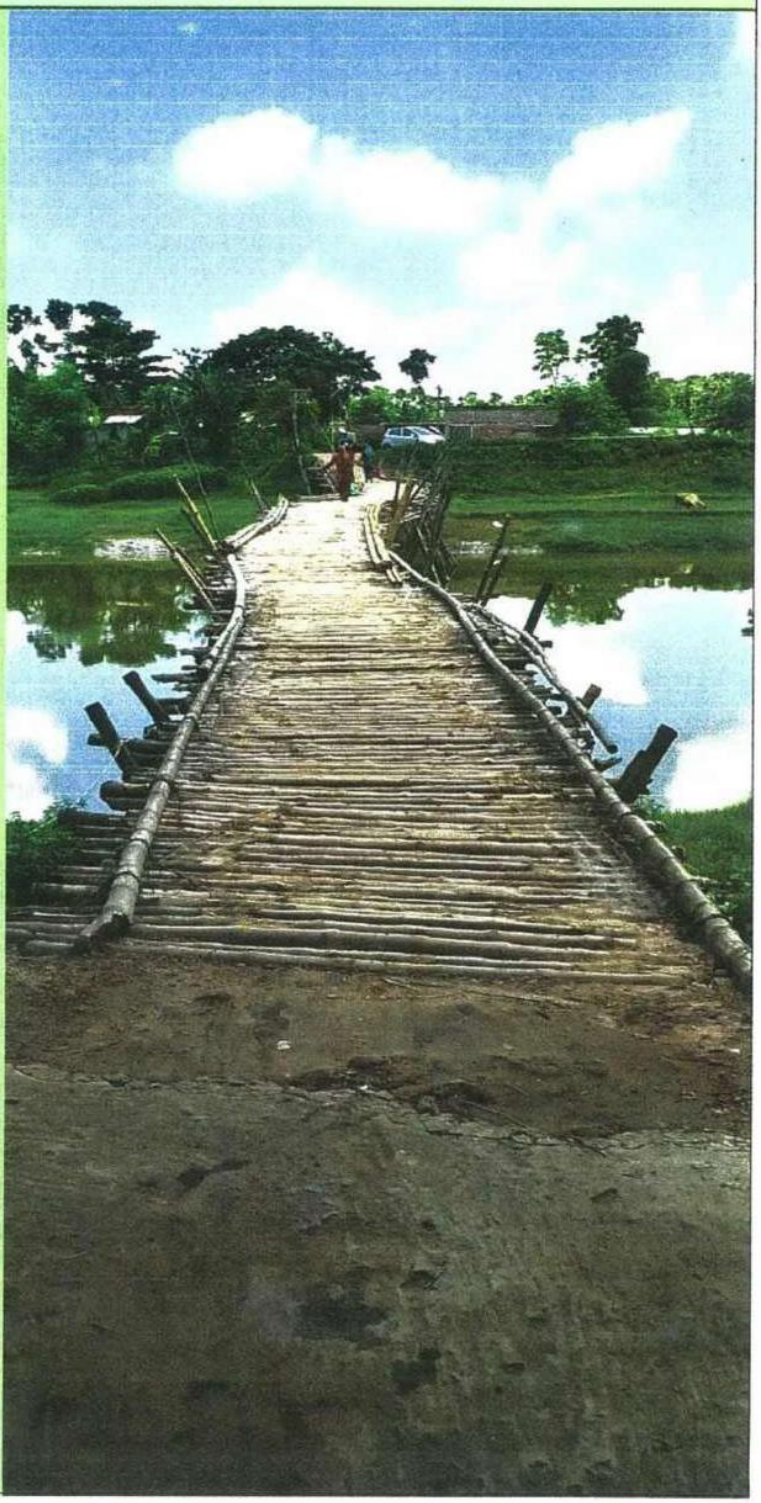

**रिपोर्ट तैयारकर्ता:**

**प्रोफेसर पार्थ भट्टाचार्य**
**(विभागाध्यक्ष)**

**प्रोफेसर अरूप गुहा नियोगी**

**प्रोफेसर प्रीतम ऐच**

**सिविल इंजीनियरिंग विभाग**

**जादवपुर विश्वविद्यालय**

**नवंबर 2023**

## विषय-सूची


| | |
|---|---|
| डीपीआर का संक्षिप्त विवरण | 3 |
| प्रस्तावना | 4 |
| परियोजना की परिभाषा और दायरा | 4 |
| स्थिति व्यवहार्यता अध्ययन | 4 |
| आवश्यकता विश्लेषण | 5 |
| इंजीनियरिंग सर्वेक्षण और जांच | 6 |
| डिजाइन और विवरण | 7 |
| संचालन और अनुरक्षण | 8 |
| निष्कर्ष | 9 |
| संदर्भ | |
| परिशिष्ट I | |
| परिशिष्ट II | |
| परिशिष्ट III | |
| परिशिष्ट IV | |

## इच्छामती नदी पर स्वरूपनगर में स्थायी पुल के लिए तैयार डीपीआर का संक्षिप्त विवरण

1. परियोजना का शीर्षक: *एक स्थायी पुल के साथ इचछामती नदी (एनडब्ल्यू-44) पर स्वरूपनगर (अध्याय 48.70 किलोमीटर) में अस्थायी बांस पुल की जगह के लिए अध्ययन, डिजाइन, ड्राइंग और लागत अनुमान*

2. जिला: *उत्तर 24 परगना, पीएस-स्वरूपनगर, ब्लॉक-स्वरूपनगर*

खरद्दा सिंगा और बरघोरिया गांवों को जोड़ना

अन्य निकटवर्ती गाँव: गोपालपुर और मलंगपारा

3. कार्यान्वयन एजेंसी: *भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण*

4. डीपीआर तैयारकर्ता: *जादवपुर विश्वविद्यालय*

5. परियोजना की प्रकृति: *नया पुल*

6. मौजूदा पुलों और सड़कों की वर्तमान स्थिति: *वर्तमान में इचछामती पर एक अस्थायी बांस पुल है जो दोनों तरफ 10 फीट कंक्रीट सड़क के माध्यम से दोनों गांवों को जोड़ता है*

7. परियोजना की आवश्यकता: *रिपोर्ट में दिए गए विवरण*

8. पुल का प्रकार: *आरसीसी घाट पर स्टील ट्रस (प्रकार के माध्यम से) पुल*

| |
|---|
| **पुल की कुल लंबाई**: 64 मीटर; मुख्य अवधि 40 मीटर, वायडक्ट-12 मीटर प्रत्येक |
| **कुल और कैरिजवे की चौड़ाई:** 6.0 मीटर, 4.5 मीटर |
| **फुटपाथ का प्रावधान:** हाँ |
| **आईआरसी लोडिंग क्लास:** आईआरसी: 6-2017, परिशिष्ट ए के अनुसार क्लास बी |
| **प्रस्तावित पुल का अन्य विवरण: सॉफिट की ऊंचाई-**एचएफएल से 4 मीटर ऊपर (आरएल 5.78 मीटर) |
| **पहुंच सड़कों की लंबाई:** 120 मीटर + 150 मीटर |
| **पहुंच सड़कों का अन्य विवरण:** आरई दीवार पर समर्थित तटबंध |

| |
|---|
| किए गए जांच/सर्वेक्षण का विवरण |
| i. स्थलाकृतिक: स्थलाकृति शीट संलग्न |
| ii. हाइड्रोलिक: शीट संलग्न |
| iii. भू-तकनीकी: रिपोर्ट अलग से उपलब्ध कराई गई (परिशिष्ट I) |
| iv. यातायात: यातायात सर्वेक्षण विवरण रिपोर्ट में दिया गया है |

**प्रस्तावना**

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) के तहत एक सांविधिक निकाय ने मौजूदा 5 जलमार्गों के अलावा राष्ट्रीय जलमार्ग (एनडब्ल्यू) के रूप में 106 नए जलमार्गों की पहचान की। इचछामती नदी की एनडब्ल्यू-44 के रूप में पहचान की गई है और भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से संपर्क विकसित करने के लिए आवश्यक विकासात्मक कार्यकलाप शुरू किए गए हैं। बशीरहाट उप-मंडल, उत्तर-24 परगना के भीतर स्वरूपनगर ब्लॉक के माध्यम से चलने वाली इचछामती नदी को एनडब्ल्यू-क्लास-I के तहत वर्गीकृत किया गया है। खारदासिंग और बरघोरिया गांवों को जोड़ने वाली लचरनाटी नदी पर एक अस्थायी बांस पुल मौजूद है जो अपनी वर्तमान स्थिति में नामित जलमार्ग के माध्यम से सुरक्षित नेविगेशन के लिए बाधा है। इस संदर्भ में आईडब्ल्यूएआई ने मौजूदा बांस पुल को नदी पर एक स्थायी पुल से बदलने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करने का प्रस्ताव किया है जिसे राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित संगत खंड के अनुसार प्रावधान का अनुपालन करना चाहिए। आईडब्ल्यूएआई और सिविल इंजीनियरिंग विभाग, जादवपुर विश्वविद्यालय ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग विभाग को प्रस्तावित पुल परियोजना की व्यवहार्यता अध्ययन करने और राष्ट्रीय जलमार्ग दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार पुल और संपर्क सड़क को डिजाइन करने का काम सौंपा गया है।

**परियोजना परिभाषा और कार्यक्षेत्र**

जैसाकि प्रस्तावना में कहा गया है, वर्तमान परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य मौजूदा अस्थायी बांस पुल को स्थायी पुल से बदलना है जो एनडब्ल्यू नियमों के अनुसार मानदंडों को पूरा करता है। आईडब्ल्यूएआई के साथ प्रारंभिक चर्चा के दौरान यह समझा जाता है कि प्रस्तावित पुल को नदी के पार 2-और 3-पहिया वाहनों की आवाजाही को पूरा करना चाहिए। श्रेणी-I नदियों के लिए भारत सरकार की दिनांक 20-26 जनवरी, 2007 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार पुल के लिए न्यूनतम ऊर्ध्वाधर निकासी उच्च बाढ़ स्तर (एचएफएल) से 4 मीटर और खंभों के बीच क्षैतिज निकासी न्यूनतम 30 मीटर होनी चाहिए। घोषित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य के दायरे को परिभाषित किया गया है और निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है-

1. उस क्षेत्र का स्थलाकृतिक सर्वेक्षण करने के लिए जिसके माध्यम से पुल और पहुंच मार्ग को चलाना है।

2. प्रस्तावित पुल स्थल से 300 मीटर ऊपर और नीचे की ओर नदी चैनल का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करना।

3. प्रस्तावित संरेखण के साथ मौजूदा जमीनी स्तर (ईजीएल) से 50 मीटर तक मिट्टी का व्यापक भू-तकनीकी अन्वेषण करना।

4. आवश्यकता/मांग विश्लेषण के लिए एक व्यापक सामाजिक सर्वेक्षण करना

5. आवश्यकता और स्थल की स्थिति के अनुसार पुल और पहुंच मार्ग का इंजीनियरिंग डिजाइन

6. वित्तीय अनुमान और लागत अनुमान

**स्थिति व्यवहार्यता अध्ययन**

प्रस्तावित परियोजना स्थल की भूवैज्ञानिक जानकारी से पता चलता है कि यह निचले गंगा बेसिन के डेल्टा क्षेत्र में आता है। गंगा नदी से कई वितरिकाएँ हैं और इचछामती इच्छामति-रायमंगल मैदान है। इचछामती नदी प्रकृति में गंभीर रूप से बहती है और वर्तमान में हुगली नदी के साथ कोई सीधा संबंध स्पष्ट नहीं है। नदी मुख्य रूप से अपने ऊपरी इलाकों में वर्षा आधारित है, जबकि, निचले इलाकों में समुद्र से बशीरहाट शहर तक ज्वारीय प्रकृति देखी जाती

है।

स्वरूपनगर सीडी ब्लॉक का क्षेत्रफल 215.13 किमी 2 है। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार, स्वरूपनगर सीडी ब्लॉक की कुल जनसंख्या 256,075 थी, जिनमें से 251,715 ग्रामीण थे और 4,360 शहरी थे। 131,510 (51%) पुरुष और 124,565 (49%) महिलाएं थीं। 6 वर्ष से कम की आबादी 25,896 थी। उपलब्ध जनगणना के आंकड़ों के अनुसार जिले के लिए दशकीय वृद्धि 22.40 प्रतिशत थी। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, स्वरूपनगर ब्लॉक में 66 आबादी वाले गांवों में से 25 की आबादी 5000 और उससे अधिक है। इन 25 गांवों में से यह देखा गया है कि गोपालपुर, चारघाट, मलंगपारा, सारापुल और दलदनगर-बगलानी के निवासी इस अस्थायी पुल का उपयोग करते हैं जो वर्तमान में उनकी नियमित गतिविधि के लिए है।

वर्तमान में एकमात्र स्थायी पुल जो स्वरूपनगर ब्लॉक को निकटवर्ती बदुरिया ब्लॉक के साथ जोड़ता है, टेंटुलिया में स्थित है। सियालदह-बनगांव रेलवे लाइन के साथ-साथ स्वरूपनगर से निकटतम रेलवे प्रमुख, मसलंदापुर तक यह एकमात्र सड़क संपर्क है। मौजूदा सड़क न्यू टाउन के माध्यम से कोलकाता के लिए कुछ संपर्कों में से एक है जो लगभग 74 किमी है।

तेंतुलिया में वर्तमान स्थायी पुल भूमि मार्ग के साथ प्रस्तावित पुल स्थान से 4.43 किमी (लगभग) की दूरी पर और नदी चैनल के साथ 8.15 किमी की दूरी पर स्थित है। यदि प्रस्तावित स्थान पर एक स्थायी पुल बनाया जाता है, तो कुछ फायदे इस प्रकार हो सकते हैं-

I. मसलंदापुर से वाहन चलाने योग्य दूरी, जो निकटतम रेल मनका है, स्वरूपनगर पीएस तक 19 किमी से घटकर 14 किमी हो जाएगी।

2. चारघाट चौकी से स्वरूपनगर पीएस तक मोटर योग्य दूरी 16.7 किलोमीटर से घटकर 7.5 किलोमीटर हो जाएगी।

दूरी में इस कमी से प्रस्तावित मार्ग के किनारे रहने वाली आबादी को अत्यधिक लाभ होगा।

**विश्लेषण की आवश्यकता**

जनसांख्यिकी, दैनिक यात्रा की जरूरत, वाहन की उपलब्धता और बांस क्रॉसओवर के स्थान पर प्रस्तावित पुल के संभावित उपयोग के बारे में खरद्दा सिंगा और बरघोरिया गांवों के पचास घरों में घर-घर जाकर सामाजिक-परिवहन सर्वेक्षण किया गया है।

नमूने से निम्नलिखित बिंदु सामने आए-

- औसतन, परिवार का आकार 2 से 6 के बीच होता है, जिसमें घरों के प्रबंधन के अलावा, अधिकांश नमूना आबादी कृषि (ज्यादातर कृषि मजदूरों या छोटे किसानों के रूप में) और अध्ययन से जुड़ी होती है। एसएमए 11 भाग (10% से कम) में कार्यालय का काम या अन्य प्रकार के काम जैसे सिलाई, बढ़ईगीरी आदि हैं और बहुत छोटा नमूना (1-2%) घर से दूर काम करता है।
- नमूना आबादी की औसत पारिवारिक आय 5000 रुपये से 12000 रुपये प्रति माह तक है। यहां के अधिकांश परिवारों (80 प्रतिशत से अधिक) के पास साइकिल है और 90 प्रतिशत से अधिक लोगों के पास दोपहिया वाहन हैं। कुछ सैम परिवारों (10% से कम) के पास रिक्शा, गैर-मोटर चालित वैन आदि हैं।
- सर्वेक्षण किया गया पूरा नमूना औसतन 7 से 8 गुना अधिक के लिए प्रतिदिन नदी पार करने के लिए पुल पर दृढ़ता से निर्भर करता है। क्रॉसिंग का प्रमुख तरीका साइकिल (40 से 50%), मोटरसाइकिल (80 से 90%) और कभी-कभी पैदल (20 से 25%) है।

- बरघोरिया और उसके आस-पास के क्षेत्रों की नमूना आबादी नियमित रूप से पुलिस स्टेशन, बीडीओ कार्यालय, बैंकों, स्कूलों और बड़े बाजारों जैसे सरकारी प्रतिष्ठानों तक पहुंचने के लिए स्वरूपनगर की ओर नदी पार करती है, जहां खरद्दा सिंगा और आस-पास के क्षेत्रों के लोग कृषि क्षेत्रों, स्थानीय बाजारों और जिले के अन्य दूर स्थानों तक पहुंचने के लिए नदी पार करते हैं। स्कूल, उच्च शिक्षण संस्थान और कार्यालय। व्यक्तिगत यात्राएं इनके अतिरिक्त हैं।
- बहुत कम लोगों (नमूने के 10% से कम) के अलावा, जिन्होंने प्रस्तावित परियोजना के संभावित लाभ पर प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, सभी उत्तरदाताओं ने एक उचित नदी पार करने की बहुत आवश्यकता व्यक्त की। अधिकांश उत्तरदाताओं (लगभग 80 से 90 फीसदी) के लिए अस्थायी बांस का क्रॉस ओवर असुरक्षित है और एक नया स्थायी पुल उन्हें नदी पार करने के लिए एक सुरक्षित और सुविधाजनक मार्ग प्रदान करेगा। अधिकांश नमूना उत्तरदाताओं ने व्यक्त किया कि एक नया स्थायी पुल उन्हें अपने वाहनों के साथ चिकनी क्रॉसओवर देगा, हालांकि बहुत कम संख्या (5% से कम) ने प्रस्तावित पुल पर सार्वजनिक परिवहन होने की इच्छा व्यक्त की।

**नमूना अध्ययन से कुल मिलाकर यह विचार किया जा सकता है कि मौजूदा अस्थायी बांस क्रास ओवर के स्थान पर इचछामती नदी पर एक समुचित स्थायी पुल संरचना का समाधान हो सकता है जिसका लक्ष्य साइकिलों, मोटर चालित दुपहिया वाहनों और पैदल यात्रियों के दोनों ओर से आवागमन उपलब्ध कराना हो।**

**इंजीनियरिंग सर्वेक्षण और जांच**

प्रस्तावित पुल स्थल का प्रारंभिक दौरा जादवपुर विश्वविद्यालय के एक दल ने आईडब्ल्यूएआई के एक दल के साथ किया था। मौजूदा बांस के पुल की ओर जाने वाली सड़क हालांकि कंक्रीट की सतह पाई गई थी, यह एक सिंगल लेन सड़क थी जिसके दोनों किनारों पर कंधे का कोई प्रावधान नहीं था। यह पाया गया है कि नदी के तट तक जाने वाली सड़क के दोनों ओर कुछ गैर-अभियंता एकल और दो मंजिला संरचनाएं हैं, विशेष रूप से पहले 40-50 मीटर के भीतर। एक टोही सर्वेक्षण किया गया था और कुछ प्रस्तावित संरेखण के बारे में सोचा गया था।

विस्तृत सर्वेक्षण के दूसरे चरण में तीन महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान की गई-(क) परफो 1111 स्थलाकृतिक और हाइड्रोग्राफिकल सर्वेक्षण के लिए, (ख) प्रस्तावित संरेखण के साथ एक व्यापक मिट्टी की खोज करने के लिए और (ग) स्वरूपनगर बीएल और एलआरओ कार्यालय से भूमि रिकॉर्ड प्राप्त करना। इस रिपोर्ट के साथ विस्तृत स्थलाकृतिक और हाइड्रोग्राफिकल मानचित्र प्रदान किया गया है और मृदा अन्वेषण की रिपोर्ट परिशिष्ट I में दी गई है।

एक बार स्थलाकृतिक सर्वेक्षण भूखंड प्राप्त हो जाने के बाद, इसे बीएल और एलआरओ कार्यालय के साथ साझा किया गया था ताकि बिना किसी भार के भूखंडों की पहचान की जा सके। 3 अक्टूबर, 2023 को बीएल और एलआरओ कार्यालय का दौरा करने के बाद और प्रस्तावित स्थल क्षेत्र के भूमि मानचित्र को देखने के दौरान, यह पाया गया कि पिछले कुछ वर्षों में नदी के मार्ग में काफी बदलाव आया है। बीएल और एलआरओ कार्यालय के अधिकारियों द्वारा यह बताया गया कि उनके पास उपलब्ध नक्शा 1962 का है। हालाँकि, वे हमें 3 अक्टूबर, 2023 तक भूमि रिकॉर्ड प्रदान कर सकते थे। यह बताया गया कि समय के दौरान सिंचाई और जलमार्ग विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार ने एक महत्वपूर्ण मात्रा में भूमि का अधिग्रहण किया और आज के रास्ते के साथ नदी चैनल को काट दिया है। हालांकि, गूगल मैप्स से पहले से मौजूद नदी का तल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और चित्र 1 में दिखाई गई लाल रेखाओं द्वारा चिह्नित है। आगे की जांच करने पर यह पाया गया कि पहले से मौजूद नदी चैनल के साथ भूमि का केवल एक संकीर्ण खंड उपलब्ध है जो बिना किसी भार के है और तब से सिंचाई और वेटवेज विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा रहा है। निदेशक, आईडब्ल्यूएआई (कोलकाता) के साथ परामर्श करने पर यह निर्णय लिया गया कि नए पुल को केवल

उसी मार्ग के साथ संरेखित किया जा सकता है जिसमें वर्तमान बांस पुल स्थित है।

चित्र 1: लाल रंग में चिह्नित पहले से मौजूद चैनल (1962 के बीएल और एलआरओ रिकॉर्ड के अनुसार) के साथ प्रस्तावित ब्रिज साइट

**डिजाइन और विवरण**

एक बार नए पुल के संरेखण को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, पुल के इंजीनियरिंग डिजाइन और पहुंच मार्ग के डिजाइन को उचित रूप से शुरू करने का निर्णय लिया गया था। इस संदर्भ में यह जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का 2 अगस्त, 2023 का एक पत्र है, जिसमें संदर्भ संख्या 2 है। एलजीडी-3/सीडब्ल्यूसी/डीबी-12/2023/920 प्राप्त हुआ था जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि 01.08.2019 को तारानीपुर में एचएफएल (अपस्ट्रीम साइड में लच्गमती नदी के साथ) 5.78 मीटर दर्ज किया गया है। तत्पश्चात्, आईडब्ल्यूएआई की सहमति से उसी एचएफएल पर बाद के सभी डिजाइनों के लिए विचार किया जाता है।

एनडब्ल्यू विनियमन के अनुसार घाट से घाट की दूरी, अर्थात, स्पष्ट नौगम्य दूरी कम से कम 30 मीटर होनी चाहिए। तथापि, यदि 30 मीटर की अवधि वाले पुल के स्थायित्व विश्लेषण को देखा जाए तो आईडब्ल्यूएएल से केवल 2 और 3 पहिया पुल के लिए प्रारंभिक प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। इसके अलावा, आईआरसी विनियमन के अनुसार किसी को कम से कम फुटपाथ के प्रावधानों के साथ सिंगल-जेन ब्रिज के लिए जाना चाहिए। यह इस समझ से है कि पुल की चौड़ाई 4.5 मीटर कैरिजवे चौड़ाई के साथ 6.0 मीटर मानी जाती है। पुल के डिजाइन के लिए आईआरसी 6-2014 के अनुसार श्रेणी-बी भार पर विचार किया जाता है। एचएफएल से सॉफिट की ऊंचाई 4.0 मीटर के रूप में ली गई है। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, 5 मीटर ऊंचाई वाला स्टील ट्रस प्रकार का पुल माना जाता है। <u>दो मुख्य पियर्स की केंद्र से केंद्र की दूरी 40 मीटर के रूप में ली जाती है, जिससे एनडब्ल्यू विनियमन को संतुष्ट किया जाता है।</u> मुख्य पुल के दोनों छोर पर दो पुल भी 12 मीटर के फैलाव वाले डिजाइन किए गए हैं। पुल और वायडक्ट्स पर डेक स्लैब को आरसीसी डेक स्लैब के रूप में डिजाइन किया गया है। पुल की सुपर संरचना और उप संरचना की विस्तृत डिजाइन रिपोर्ट परिशिष्ट III में दी गई है।

मिट्टी की स्थिति से पता चलता है कि एक ढेर नींव के लिए और तदनुसार प्रत्येक के लिए 4 नं। 1200 मिमी व्यास के ढेर का सुझाव दिया जाता है। एबटमेंट दीवारों को 6 नं द्वारा समर्थित किया जाता है। प्रत्येक 1000 व्यास

के ढेर। पुल की उपसंरचना और अधिरचना का एक विस्तृत डिजाइन और ड्राइंग परिशिष्ट में प्रदान किया गया है।

प्राप्त स्थलाकृतिक आंकड़ों के अनुसार यह समझा जाता है कि पुल डेक स्तर को मौजूदा जीएल से 4-4.5 मीटर तक बढ़ाया जाना है। इसलिए, पुल के पहुंच मार्ग को तटबंध पर नव बिछाया जाना है। तटबंध के भार को उठाने के लिए तटबंध के नीचे की मिट्टी को भी मजबूत करने की आवश्यकता है और तटबंध का समर्थन करने वाली प्रबलित पृथ्वी की दीवार। उप-मृदा सुदृढ़ीकरण जियो-ग्रिड का उपयोग करके किया जाता है। इसकी विस्तृत गणना परिशिष्ट IV में दिखाई गई है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आरई दीवार का डिजाइन उस संविदाकार द्वारा किया जाना है जिसे काम से सम्मानित किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फेसिया के आधार पर, उसी का डिजाइन अलग-अलग होगा। एक विकल्प है कि अगर आईडब्ल्यूएआई को लगता है कि डिजाइन की जांच की जानी है, तो जादवपुर विश्वविद्यालय भी ऐसा कर सकता है।

परिमार्जन के खिलाफ एबटमेंट वॉल सुरक्षा के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि एबटमेंट वॉल की सेंटर लाइन से 5 मीटर ऊपर और डाउनस्ट्रीम तक की दूरी के लिए ग्रेड एमएल 5 के सीमेंट कंक्रीट में 0.3 मीटर x 0.3 मीटर x 0.3 मीटर आकार के बोल्डर एप्रन के साथ बोल्डर एप्रन सहित तैयार फिल्टर मीडिया पर रखी गई ढलानों पर पिचिंग प्रदान करने और बिछाने का सुझाव दिया जाता है। इसके अतिरिक्त यह सुझाव दिया गया है कि पिचिंग और तटबंध ढलानों के बीच एक भू टेक्सटाइल फिल्टर बिछाया जाए जिस पर पत्थर की पिचिंग/सीमेंट कंक्रीट ब्लॉकों के गड्ढों के माध्यम से तटबंध सामग्री के निकास को रोकने के साथ-साथ पिचिंग पर कोई उत्थान शीर्ष बनाए बिना पानी की मुक्त आवाजाही की अनुमति दी जाए।

यह स्थलाकृति शीट और साइट प्लान से ध्यान दिया जाना चाहिए कि खारदा सिंग गांव की दिशा से प्रस्तावित पहुंच सड़क के समानांतर चलने वाली एक संकीर्ण चैनल है, अर्थात, नदी के उत्तरी तट पर। किसी भी मिट्टी की अस्थिरता को रोकने के लिए एप्रोच रोड की पूरी लंबाई अर्थात 120 मीटर के साथ पिच ड्रम वॉलिंग के साथ आवश्यक साल बल्लाह पाइलिंग की आवश्यकता है। उसी का आवश्यक माप अनुमानित राशि में प्रदान किया जाता है।

पूरी परियोजना का विस्तृत अनुमान परिशिष्ट V में प्रदान किया गया है जो दरों की पीडब्ल्यूडी अनुसूची-2015-16 और पीडब्ल्यूडी (सड़क और पुल) दरों की अनुसूची-2015-एसओआर दी गई 16 के आधार पर तैयार किया गया है। यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि जनशक्ति जुटाने, मशीनरी किराए पर लेने, एप्रोच रोड की तैयारी आदि के लिए अनुमान कुल सामग्री लागत के 50% के रूप में प्रदान किया जाता है। अनुमान का यह भाग प्रचलित स्थिति के अनुसार परिवतत हो सकता है।

**संचालन और अनुरक्षण**

मौजूदा बांस पुल की ओर जाने वाली वर्तमान सड़क का विकास और अनुरक्षण पीएमजीएसवाई योजना द्वारा किया जाता है। मार्ग के साथ एक स्थायी पुल के निर्माण से निश्चित रूप से यातायात में कई गुना वृद्धि होगी। इस संबंध में प्रस्तावित मार्ग की ओर जाने वाले रोडवेज के सुदृढ़ीकरण को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। प्रस्तावित पुल के रूप में कक्षा बी लोडिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है (आईआरसी देखें: 6-2017; परिशिष्ट क) बोगी लोड और एक्सल लोड की निगरानी की जानी चाहिए। पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने के लिए डेक स्लैब के ऊपर से 4 मीटर की ऊंचाई पट्टी प्रदान करना बेहतर है।

स्टील के सदस्यों की नियमित पेंटिंग, जंग लगने के खिलाफ जोड़ों की निगरानी, पॉट बेयरिंग सपोर्टिंग थीरिज का आवधिक अनुरक्षण बिना किसी असफलता के किया जाना चाहिए। हालांकि एबटमेंट दीवार से सटे नदी के किनारे दस्त को रोकने के लिए सीमेंट पिचिंग की सिफारिश की जाती है, नियमित अवलोकन अनिवार्य है।

**निष्कर्ष**

इचछामती नदी (एनडब्ल्यू-44) पर स्वरूपनगर (48.70 किलोमीटर) में अस्थायी बांस पुल को स्थायी पुल के साथ बदलने के लिए अध्ययन, डिजाइन, ड्राइंग और लागत अनुमान के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है। दरों का विवरण सामान्यत लोक निर्माण विभाग की दरों की अनुसूची से उपलब्ध कराया जाता है लेकिन अनिश्चित मामलों में यह विनिर्माता के साथ चर्चा के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है। सिविल इंजीनियरिंग विभाग, जादवपुर विश्वविद्यालय ने आईडब्ल्यूएआई से मौजूदा बाजार मूल्य के अनुसार दरों की जांच करने और उसके बाद अंतिम निविदा प्रक्रिया के लिए जाने का अनुरोध किया है। इसके अलावा, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि डिजाइन गणना जमीनी सर्वेक्षण के आधार पर उपलब्ध रेपो 11 पर आधारित है। निर्माण प्रक्रिया के दौरान यदि संविदाकार को किसी अप्रत्याशित परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, तो टीम की ओर से आवश्यक मार्गदर्शन, यदि कोई हो, प्रदान किया जा सकता है।

***संदर्भ:***

1. IS 800:2007
**2.** IRC: 6-2017
3. IRC: 78-2014
3. IS 4515: 2002 (2012 की पुष्टि की)

# परिशिष्ट

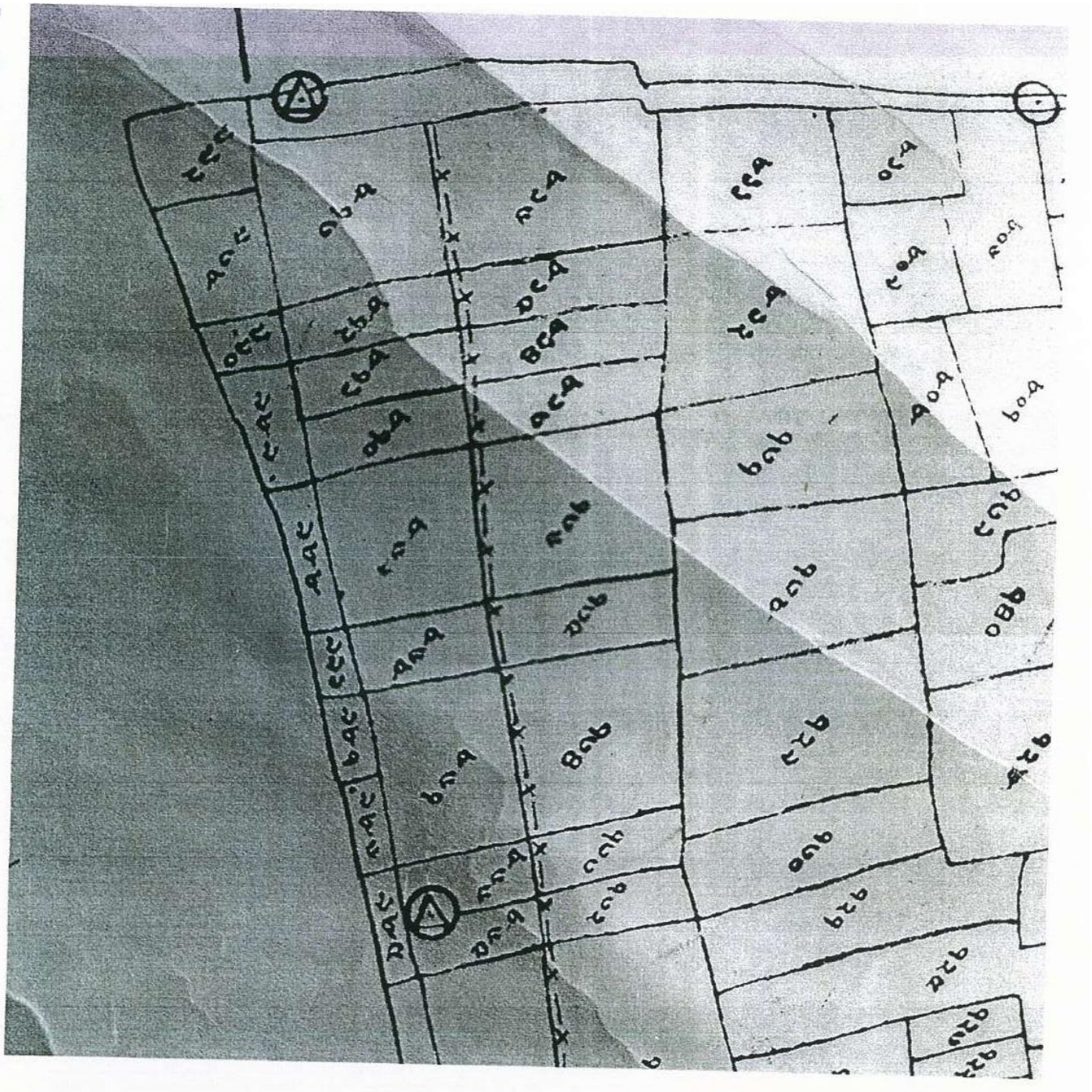

জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা খতিয়ান নং- ১৩৯১ [ ১৫১৯০৩৫ ]

মৌজা- খড়দহিং জে.এল.নং- ৩৫ থানা- স্বরূপনগর

(১) রাজস্ব- টাকা খতিয়ান তৈরির তারিখ - 26/02/2021

(২) জমির পরিমান(এ)- ৩.৫৩৬৭ (৩) মোট দাগের সংখ্যা- ১৪

| | (৪) অত্রস্বত্বের দখলকারের বিবরণ | (৫) স্বত্ব | (৬) মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| নাম- | সেচ ও পয়প্রনালী বিভাগ | রায়ত | |
| পিতা- | প ব সরকার | | |
| ঠিকানা- | নিজ | | |

(৭) অত্রস্বত্বের নিজ দখলীয় জমি

| দাগ নং | জমির শ্রেনী | মন্তব্য | দাগের মোট পরিমান(এ) | দাগের মধ্যে অত্রস্বত্বের অংশ | দাগের মধ্যে অত্রস্বত্বের জমির অংশের পরিমান | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | একর | হেক্টর |
| ৮৬৪ | ডাঙ্গা | | ০.৯২০০ | ১.০০০০ | ০.৯২০০ | |
| | | আগত খং নং - 30,146,172,278,326,386,465, 625,644 | | | | |
| ৮৬৪/৯৮৪ | বিলান | | ০.৩৫০০ | ০.৩৬১৮ | ০.১২০০ | |
| | | আগত খং নং - 28,132,135 | | | | |
| ৮৬৫ | ডাঙ্গা | | ০.১৮০০ | ১.০০০০ | ০.১৮০০ | |
| | | আগত খং নং - 141 | | | | |
| ৮৬৬ | ডাঙ্গা | | ০.২০০০ | ১.০০০০ | ০.২০০০ | |
| | | আগত খং নং - 141 | | | | |
| ৮৬৬/৯৮৫ | বিলান | | ০.১২০০ | ১.০০০০ | ০.১২০০ | |
| | | আগত খং নং - 141 | | | | |
| ৮৬৭ | ডাঙ্গা | | ০.৬০০০ | ১.০০০০ | ০.৬০৬৭ | |
| | | আগত খং নং - 173,1308 | | | | |
| ৮৬৭/৯৮৬ | ডাঙ্গা | | ০.০৯০০ | ১.০০০০ | ০.০৯০০ | |

জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা খতিয়ান নং- ১৩৯১ [ ১৫১৯০৩৫ ]

মৌজা- খড়দসিং জে.এল.নং- ৩৫ থানা- স্বরূপনগর

(১) রাজস্ব- টাকা খতিয়ান তৈরির তারিখ - 26/02/2021

(২) জমির পরিমান(এ)- ৩.৫৩৬৭ (৩) মোট দাগের সংখ্যা- ১৪

| | (৪) অত্রস্বত্বের দখলকারের বিবরণ | (৫) স্বত্ব | (৬) মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| নাম- | সেচ ও পয়প্রনালী বিভাগ | রায়ত | |
| পিতা- | প ব সরকার | | |
| ঠিকানা- | নিজ | | |

| দাগ নং | জমির শ্রেনী | মন্তব্য | দাগের মোট পরিমান(এ) | দাগের মধ্যে অত্রস্বত্বের অংশ | দাগের মধ্যে অত্রস্বত্বের জমির অংশের পরিমান (একর হেক্টর) |
|---|---|---|---|---|---|
| ৮৬৭/৯৮৬ | | আগত খং নং - 166,173,219/1,348 | | | |
| ৮৬৭/৯৮৭ | ডাঙ্গা | | ০.০৯০০ | ১.৩৩৩৪ | ০.১২০০ |
| ৮৬৮ | ডাঙ্গা | আগত খং নং - 61,1308 | ০.২৬০০ | ১.৩৩৩৩ | ০.৩৪০০ |
| ৮৬৮/৯৯১ | ডাঙ্গা | আগত খং নং - 47,655,1308 | ০.০৮০০ | ১.৩৩৩৩ | ০.১১০০ |
| ৮৬৯/৯৮৮ | ডাঙ্গা | আগত খং নং - 61,792,1308 | ০.১৫০০ | ১.০০০০ | ০.১৫০০ |
| ৮৭০/৯৮৯ | বিলান | আগত খং নং - 1306 | ০.১৬০০ | ১.০০০০ | ০.১৬০০ |
| ৮৭২/৯৯০ | বিলান | আগত খং নং - 187,354,588 | ০.১০০০ | ১.০০০০ | ০.১০০০ |
| ৮৭৩/৯৩৮ | বিলান | আগত খং নং - 868 | ০.৩২০০ | ১.০০০০ | ০.৩২০০ |
| | | আগত খং নং - 101,341 | | | |

মোট দাগের সংখ্যা- চোদ্দ মাত্র

# परिशिष्ट III

# Design of deck Slab and Steel Truss Girder

**General Design Consideration:**

**Basic Design Parameters:**

**General:**

Span of bridge (C/C of Bearing ) = 40.0 m

Width of bridge Inside of Road Kerb = 4.25 m

The bridge is a Single lane bridge with safety Kerb of 600 mm on both sides.

**Dimension:**

Railing – As per M.O.S.T. Specification (Drg. No. – SD-202)

Length of Bridge (C/C of Abutment = 40.0 m

Effective span (c/c of bearing) = 40.0 m

Wearing course – (Average thk.) = 0.075 m

C/c of Long Girder in across direction = 5.65 m

Width of expansion joint = 0.04 m

Cross slope in deck = 2.50 %

**Reduced Level:**

The R.L. of at top of wearing course at C.L. of each lane (Road Level) = (+) 5.056 m

The R.L. at soffit of superstructure =

Clear opening between H. F. Level & Soffit of Superstructure = 4.0 m

**Material Data:** **[Refer Table 9 & 10 of IRC: 21-2000]**

Grade of Concrete conforming to IRC: 112-2012 (for Deck) = M-30

Grade of HYSD bar conforming to IS:1786 = Fe 500

Permissible Stress in tension in flexure shear on combined bending for Fe500 HYSD bar = 240 $N/mm^2$

Modulus of elasticity of HYSD bar = 211000 $N/mm^2$

**Spacing of cross girder:**

| | |
|---|---|
| Effective length of longitudinal girder | = 40.0 m |
| Number of cross girder provided | = 9 |
| Spacing of cross girder | = 5.0 m |

**Reference:**

a) I.R.C. – 6
b) I.R.C. – 21
c) I.R.C. – 78
d) I.R.C. -- 24
e) I.S. – 456

## Design of Deck slab

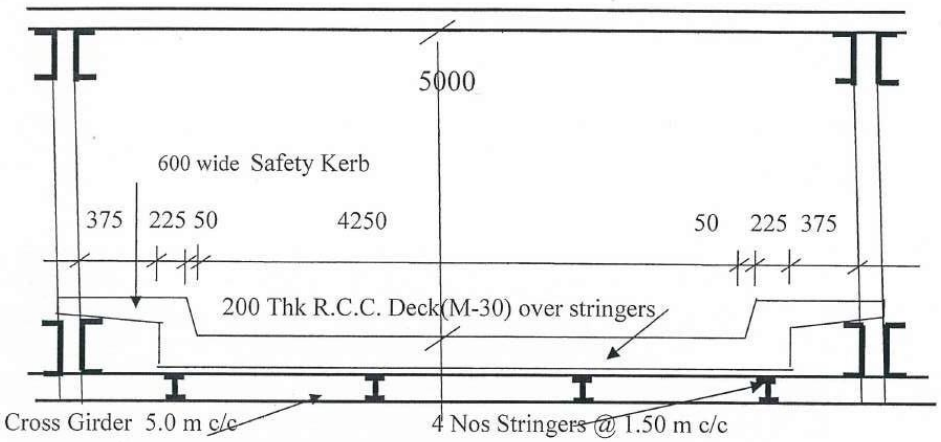


## Typical Cross section of the Bridge

Load Calculation

Dead load

1.) Wt of Railing (3 rows of 32 n.b. G.I. pipe)
Wt = 2 x 3 x 5 = 30 Kg/m — say 0.030 T/m

2.) Wt of wearing course = 0.075 x 4.25 x 2.40 = 0.765 T/m

3.) Wt of deck slab = 4.8 m x 0.2 x 2.5 = 2.400 T/m

4.) Wt of R.C.C.Road Kerb = 2 x ½ x(0.225 + 0.275) x 0.275 x 2.5 = 0.344 T/m

5) Wt of Footpath cum safety kerb = 2 x ½ x(0.15 + 0.20) x 0.525 x 2.5 = 0.460 T/m

Total = 3.999 say 4.0 T/m

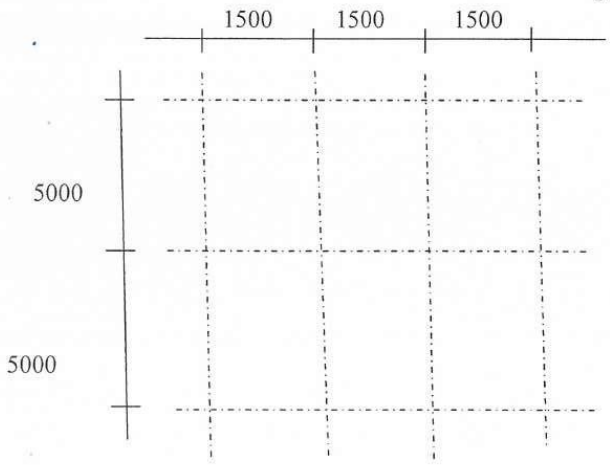

## Dead Load Analysis

Wt of deck slab = 0.2 m x 2.5 = 0.50 T/m$^2$
Wt of wearing course = 0.075 x 2.40 = 0.18 T/m$^2$
Total = 0.68 T/m$^2$

Panel of Slab: Ly = 5000 mm; Lx = 1500 mm;
So, ly/lx = 3.333 > 2.0 So, the slab is one way in nature.

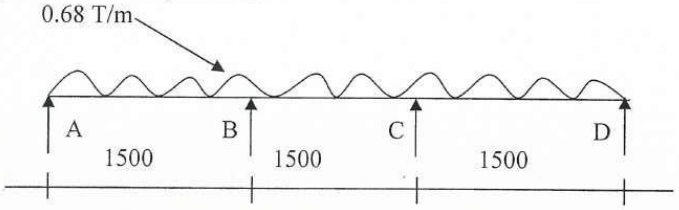


**Fixed End Moment**

$MF_{AB} = MF_{BC} = MF_{CD} = - wl^2/12 = - 0.68 \times 1.5^2/12 = -0.128$ T-m

DistributionFactor:

| Joint | Member | Relative stiffness | Distribution Factor |
|---|---|---|---|
| B | BA | 0.75 x I/1.5 = 0.50I | 0.50/(0.50 + 0.666) = 0.43 |
| | BC | I/1.5 = 0.666I | 1- 0.43 = 0.57 |

**Moment Distribution**

| Joint | A | | B | | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Member | AB | BA | BC | CB | CD | DC |
| D.F. | 0 | 0.43 | 0.57 | 0.57 | 0.43 | 0 |
| F.E.M. | -0.128 | +0.128 | -0.128 | +0.128 | -0.128 | +0.128 |
| Bal A & D | +0.128 | | | | | -0.128 |
| C.O. | | +0.064 | | | -0.064 | |
| Total | 0 | +0.192 | -0.128 | +0.128 | -0.192 | 0 |
| Bal | | -0.028 | -0.036 | +0.036 | +0.028 | |
| C.O. | | | +0.018 | -0.018 | | |
| Bal | | -0.008 | -0.01 | +0.01 | +0.008 | |
| Final | 0 | +0.156 | -0.156 | +0.156 | -0.156 | 0 |

**Simply Supported Bending Moment**

B.M. at midspan = $wl^2/8 = 0.68 \times 1.5^2/8 = 0.192$ T-m

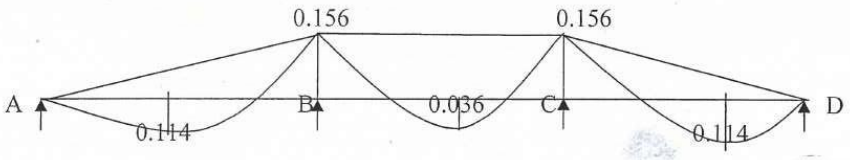


DEAD LOAD BENDING MOMENT DIAGRAM

4

Support B.M.: Max Support B.M. = 0.156 T-m/m
Span B.M.: For Span AB and CD = 0.192 – 0.156/2 = 0.114 T-m/m
For Span BC = 0.192 – 0.156 = 0.036 T-m/m

## Live Load Analysis

Class-B loading:

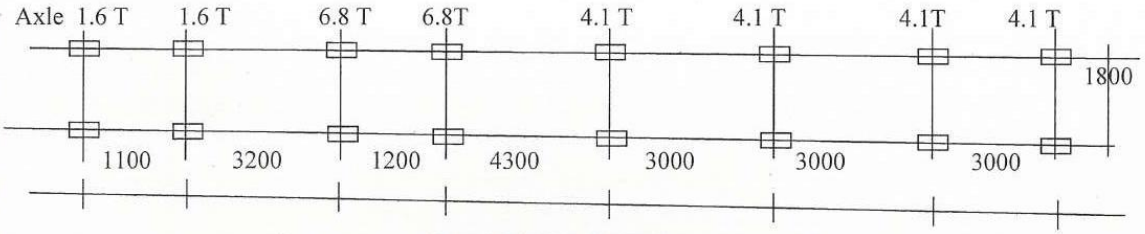


**Plan of Class –B Load**

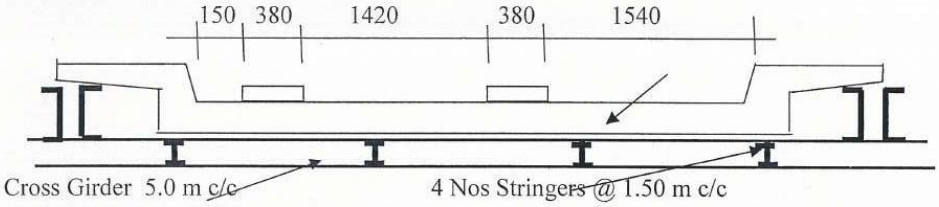


**Max Eccentric position of the load**

However to get max effect of tyre load let us place the 6.8 T axle load at centre of the panel as only one tyre can be located in one panel in across direction.

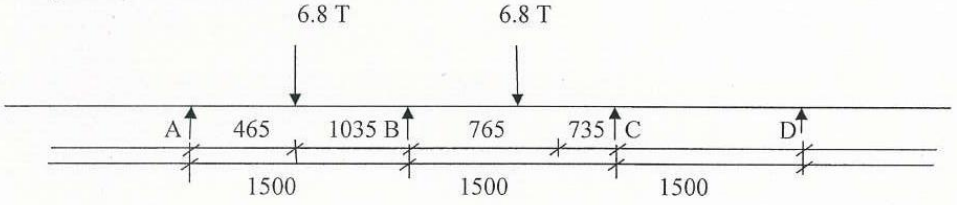

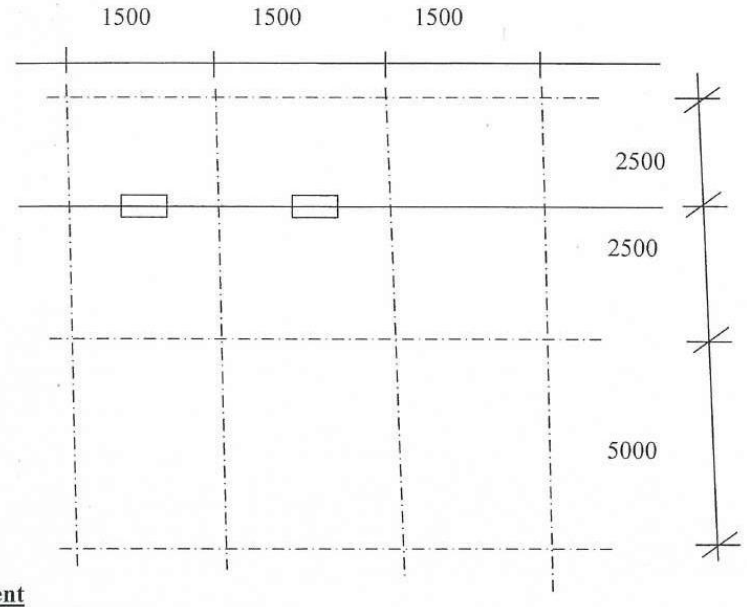


**Fixed End Moment**

$MF_{AB} = - Pab^2/1.5^2 = - 6.8 \times 0.465 \times 1.035^2/1.5^2 = -1.506$ T-m
$MF_{BA} = + 6.8 \times 0.465^2 \times 1.035/1.5^2 = 0.676$ T-m
$MF_{BC} = - 6.8 \times 0.765 \times 0.735^2/1.5^2 = - 1.250$ T-m
$MF_{CB} = - 6.8 \times 0.765^2 \times 0.735/1.5^2 = - 1.300$ T-m

**Moment Distribution**

| Joint | A | | B | | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Member | AB | BA | BC | CB | CD | DC |
| D.F. | 0 | 0.43 | 0.57 | 0.57 | 0.43 | 0 |
| F.E.M. | -1.506 | +0.676 | -1.25 | +1.30 | | |
| Bal A & D | +1.506 | | | | | |
| C.O. | | +0.753 | | | | |
| Total | 0 | +1.429 | -1.25 | +1.30 | | 0 |
| Bal | | -0.077 | -0.102 | -0.741 | -0.559 | |
| C.O. | | | -0.371 | -0.051 | | |
| Bal | | +0.160 | +0.211 | +0.029 | +0.022 | |
| Final | 0 | +1.512 | -1.512 | +0.537 | -0.537 | 0 |

**Simply Supported Bending Moment**

B.M. at midspan of AB = Pab/l = 6.8 x 0.465 x 1.035/1.5 = 2.182 T-m
B.M. at midspan of BC = Pab/l = 6.8 x 0.765 x 0.735/1.5 = 2.549 T-m

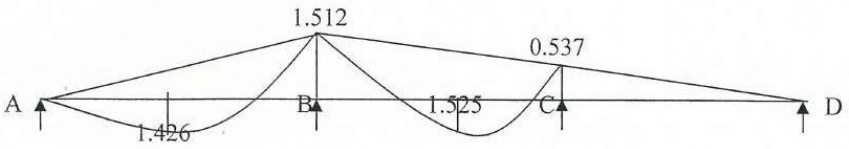


LIVE LOAD BENDING MOMENT DIAGRAM

Support B.M.: Max Support B.M. at B = 1.512 T-m
Max Support B.M. at B = 0.537 T-m

Span B.M.: For Span AB and CD = 2.182 – 1.512/2 = 1.426 T-m/m
For Span BC = 2.549 – (1.512 + 0.537)/2 = 1.525 T-m/m

The wheel of tracked vehicle of Class B will create worst loadings.
Track contact length along short span W = 0.38 m; B = 0.20
Thickness of slab, H = 200 mm; Thickness of wearing course = 75 mm;
Width of load spread along short span,
b= width of slab = 5000 mm; $l_0$ = effective span of slab =1500 mm; So, $b/l_0 = 3.3333$
Width of dispersion of load $b_{ef} = \alpha (1 - a/l_0) + b_1$
Now $\alpha = 2.60$ for continuous slab; a = distance of c.g. of load from nearer support = 0.465 m;
$b_1$ = 380 mm + 2 x 75 mm = 530 mm
So, $b_{ef} = 2.60 \times (1 - 0.465/1.50) + 0.53 = 2.324$ m

**Impact Factor**

Since the deck slab is R.C.C. impact factor = 4.5/(6 +L) = 4.5/(6 + 1.5) = **0.60**

**Design Live Load Moment:**

Max. Support Moment per M with impact = 1.60 x 1.512/2.324 = 1.04 T-m/m
Max Span moment per M with impact = 1.60 x 1.525/2.324 = 1.05 T-m/m

**Design Moment**

Support Moment = 0.156 + 1.04 = 1.196 T-m/m
Span Moment = 0.114 + 1.05 = 1.154 T-m/m
Since the moments are almost same in magnitude let us design both support and span with 1.20 T-m/m moment.
Design moment in limit state = 2.0 x 1.2 = 2.40 T-m/m

Let us use M-30 grade concrete with Fe-500 steel.
So, $\sigma cbc$ = 10 MPa; $\sigma st$ = 200 MPa;
Modular ratio, m = 10; Stress ratio r = 200/10 = 20;
So, k = m/(m + r) = 10/(10 + 20) =0.33333; so. j = 1- k/3 = 1 – 0.3333/3 = 0.888;
So, Q = ½ x $\sigma cbc$ x j x k = ½ x 10 x 0.333333 x 0.8888 = 1.481 MPa = 14.81 Kg/cm$^2$
So, effective depth required = $\sqrt{[2.40 \times 10^5/(14.81 \times 100)]}$ cm = 12.73 cm;
Provide 200 thk slab; So, d = 200 – 30 – 8 = 162 mm;
Ast required = $2.4 \times 10^5/(2000 \times 0.888 \times 16.2)$ cm$^2$/m = 8.35 cm$^2$/m
Provide 16 $\phi$ @ 150 mm c/c both at top and bottom along short span (13.40 cm$^2$/m) as main steel and 10 $\phi$ @ 150 mm c/c along long span as distribution steel.

## APPENDIX IV

### Design for Soil improvement below the RE wall and the embankment

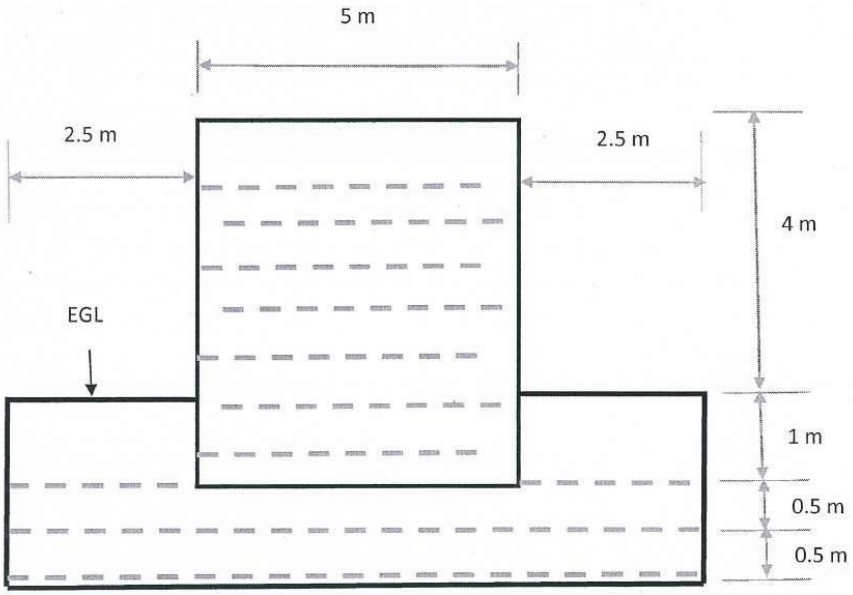


Geogrid/Geosynthetic

Embankment width = 5 m; Depth of cut = 2 m; Embankment height = 4 m;

Width of cut = 10 m

$q_{ult} = C_u N_c = 2.5 \times 5.0 = 12.5$ t/m$^2$

$q_{all} = 12.5/2.0$ (=FoS) = 6.0 t/ m

Additional requirement for ground improvement = 10-6 = 4 t/ $m^2$

Provide 3 layers of geosynthetics (Layer 1 – woven geotextile

Layer 2 & 3 – woven geotextile/geogrid)

Assume punching shear due to loading from RE wall (the wall is placed 1 m below the EGL and the 1st layer is placed at 2m below the EGL)

Load carrying capacity for layer 1

Friction per unit length mobilized at soil-geosynthetic interface due to deformation

= 2.0 x 1.0 x tan(30) x 2.5 x 2 (for both top and bottom)

X 2 (both sides of the wall)

= 11.5 ton = 11.5/5.0 t/ $m^2$

= 2.3 t/ $m^2$

Friction mobilized / m for the 2nd Layer

= 8.7 t = 8.7/5 t/ $m^2$

= 1.73 t/ $m^2$

Friction mobilized / m for the 3rd Layer

= 5.8 t = 5.8 t/$m^2$

= 1.15 t/$m^2$

Total increase in capacity = 2.3 + 1.73 + 1.15 = 5.2 t/$m^2$

Hence OK

# Appendix V

## Detailed estimate

## Main Bridge (one No. 40.0 m Span)

**Deck Slab**

Vol of Concrete =

[4.8 x 0.2 + 2 x ½ x (0.275 + 0.225)x0.275 + 2 x ½ x(0.20 + 0.15) x 0.525] x 40

= 38.4 + 5.50 + 7.35 = 50.85 $M^3$ say 51 $M^3$

Reinforcement = 50.85 x 175 Kg/$M^3$ = 8899 Kg say 9.0 T

Shuttering = 40 x [ 4.8 + 2 x 0.275 + 2 x 0.525 + 2 x 0.15] = 268 say 300 $m^2$

**Bridge Girder**

Structural Steel (as per Staad analysis) = 40.0 T

**Pier Cap**

Vol of concrete = 2 x 1.5 x 7.2 x 0.75 = 16.2 $M^3$

Reinf. @ 100 Kg/$M^3$ = 1.62 say 2.0 T

Shuttering = 2 x [7.2 x 1.5 + 2 x (7.2 + 1.5 ) x 0.75] $M^2$ = 47.70 say 50 $M^2$

**Pier Shaft**

Vol of Concrete = 2 x ($\pi$/4) x $1.5^2$ x 4.5 = 15.91 say 16 $M^3$

Reinf. @ 100 Kg/$M^3$ = 1.62 say 2.0 T

Shuttering = 2 x $\pi$ x 1.5 x 4.5 $M^2$ = 42.42 say 45 $M^2$

**Pile Cap**

Vol of concrete = 2 x 5.1 x 7.5 x 1.8 = 137.7 say 140 $M^3$

Reinf. @ 100 Kg/$M^3$ = 14.0 T

Shuttering = 2 x 2 x (7.5 + 5.1 ) x 1.8 $M^2$ = 90.72 say 95 $M^2$

**Piles**

1200 dia R.C.C. (M-35) Bored cast-in-situ pile 35.0 m long – 8 Nos

i) Driving = 35 x 8 = 280.0 m
ii) Concrete = ($\pi$/4) x $1.2^2$ x 33 x 8 = 298.6 say 300 $M^3$

iii) Reinf. @ 70 Kg/ $M^3$ = 21.0 T

## Approach Span (Two Nos 12.0 m span)

**Deck Slab**

Vol of Concrete =

[4.8 x 0.2 + 2 x ½ x (0.275 + 0.225)x0.275 + 2 x ½ x(0.20 + 0.15) x 0.525] x 2 x 12

= 23.04 + 3.30 + 4.41 = 30.75 $M^3$ say 31 $M^3$

Reinforcement = 30.75 x 175 Kg/$M^3$ = 5382 Kg say 6.0 T

Shuttering = 24 x [ 4.8 + 2 x 0.275 + 2 x 0.525 + 2 x 0.15] = 160.8 say 170 $m^2$

**Bridge Girder**

Structural Steel = 24.00 T

**Abutment Cap**

Vol of concrete = 2 x 1.0 x 6.0 x 0.75 = 9.0 $M^3$

Reinf. @ 110 Kg/$M^3$ = 0.99 say 1.0 T

Shuttering = 2 x [ 2 x (6.0 + 1.0 ) x 0.75] $M^2$ = 21 $M^2$

**Abutment Shaft**

Vol of Concrete = 2 x [(1.0 +1.2)/2] x 4.0 x 6.0 = 52.8 say 53 $M^3$

Reinf. @ 100 Kg/$M^3$ = 5.30 say 6.0 T

Shuttering = 2 x [{2 x (1.2 + 1.0)/2}x 4.0 + 2 x 6.0 x 4.0] $M^2$ = 104.8 say 105 $M^2$

**Pile Cap**

Vol of concrete = 2 x 7.3 x 4.3 x 1.5 = 94.17 say 95 $M^3$

Reinf. @ 100 Kg/$M^3$ = 9.5 say 10 T

Shuttering = 2 x 2 x (7.3 + 4.3 ) x 1.5 $M^2$ = 69.60 say 70 $M^2$

**Piles**

1000 dia R.C.C. (M-35) Bored cast-in-situ pile 35.0 m long – 12 Nos

i) Driving = 35 x 12 = 420.0 m
ii) Concrete = $(\pi/4)$ x $1.0^2$ x 33 x 12 = 311.02 say 312 $M^3$
iii) Reinf. @ 70 Kg/ $M^3$ = 21.84 say 22 T

**Statement of Rates**

Rate as per PWD schedule (2015-16) for M35 grade Concrete = Rs. 7040.00/$m^3$ for Pier and Deck Slab

Rate as per PWD schedule (2015-16) for M35 grade concrete = Rs 6400.00/$m^3$ for substructure

Rate as per PWD schedule (2015-16) for Reinforcement = Rs. 61936.00/T (SAIL/TATA brand)

Rate as per PWD schedule (2015-16) for shuttering = Rs. 410.00/$m^2$

Rate as per PWD (Roads) schedule (2015-16) for MS structural steel = Rs. 75000.00/- per ton (add fabrication and erection charges)

Rate as per PWD (Roads) schedule (2015-16) for Dismantling of concrete pavement = Rs. 1200.00/$m^3$

Rate as per PWD (Roads) schedule (2015-16) for Salballah piling with Drum sheet wall = Rs. 5000.00/m **(Salballah 150 mm dia, 500 mm c/c driven upto 4 m with 1.4 m Drum sheet walling)**

Rate as per PWD (Roads) schedule (2015-16) for pile driving, material cost, washing etc. for 1200 mm pile of M 35 grade = Rs. 14881.00/m

Cost (lumpsum) for Reinforced Earth (RE) Wall with 150 mm Facia block = Rs. 7000.00/$m^2$

Rate as per PWD schedule (2015-16) for soil excavation = Rs. 200/$m^3$

Rate as per PWD schedule (2015-16) for sand filling with river sand (including carrying and ramming) = Rs. 2000.00/$m^3$

Rate as per PWD schedule (2015-16) for earth filling including carrying, ramming after saturation etc.) = Rs. 765.00/$m^3$

Rate as per PWD (Roads) schedule (2015-16) for boulder pitching with M15 grade cement block 0.3 m x 0.3 m x 0.3 m size = Rs. 1918/$m^3$

Rate as per PWD (Roads) schedule (2015-16) for Geotextile filter preparation = Rs. 126/$m^2$

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা-৭০০০৩২, ভারত

*JADAVPUR UNIVERSITY
KOLKATA-700 032, INDIA

FACULTY COUNCIL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING

# Estimated Cost of the Steel Truss Bridge across Ichhamati at Swarupnagar

**Road length 120 m + 64 m + 150 m**

| deck slab | amount | rate | total | |
|---|---|---|---|---|
| Concrete ($m^3$) | 85 | 7040 | 598400 | |
| Reinforcement (T) | 15 | 61936 | 929040 | |
| Shuttering ($m^2$) | 470 | 410 | 192700 | |
| **bridge girder** | | | | |
| structural steel (T) | 64 | 125000 | 8000000 | 79121918 |
| **pier cap** | | | | 93363863 |
| Concrete ($m^3$) | 16.2 | 7040 | 114048 | |
| Reinforcement (T) | 2 | 61936 | 123872 | **102700249.3** |
| | | | | **(Includes 5% rate of increase of cost per year + 18% GST + 10% wastage)** |
| Shuttering ($m^2$) | 50 | 410 | 20500 | |
| **Pier shaft** | | | | |
| Concrete ($m^3$) | 20 | 7040 | 140800 | |
| Reinforcement (T) | 2 | 61936 | 123872 | |
| Shuttering ($m^2$) | 45 | 410 | 18450 | |
| **pile cap** | | | | |
| Concrete ($m^3$) | 140 | 6400 | 896000 | |
| Reinforcement (T) | 14 | 61936 | 867104 | |
| Shuttering ($m^2$) | 95 | 410 | 38950 | |
| **Abutment Cap** | | | | |
| Concrete ($m^3$) | 9 | 7040 | 63360 | |
| Reinforcement(T) | 1 | 61936 | 61936 | |
| Shuttering ($m^2$) | 21 | 410 | 8610 | |

* Established on and from 24th December, 1955 vide Notification No.10986-Edn/IU-42/55 dated 6th December, 1955 under Jadavpur University Act, 1955 (West Bengal Act XXIII of 1955) followed by Jadavpur University Act, 1981 (West Bengal Act XXIV of 1981)

দূরভাষঃ ২৪১৪-৬৬৬৬/৬১৯৪/৬৬৪৩/৬৪৯৫/৬৪৪৩
সরাসরিঃ ০৩৩-২৪৫৭-২২০৪/২৪১৪-৬২১০
দূরবার্তাঃ (৯১)-০৩৩-২৪১৪-৬৪১৪/২৪১৩-৭১২১

Website : www.jaduniv.edu.in
E-mail : hod@civil.jdvu.ac.in

Phone :2414-6666/6194/6643/6495/6443
Direct :033-2457-2204/2414-6210
Fax :(91)-033-2414-6414/2413-7121

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Abutment Shaft** | | | |
| Concrete ($m^3$) | 53 | 7040 | 373120 |
| Reinforcement (T) | 6 | 61936 | 371616 |
| Shuttering ($m^2$) | 105 | 410 | 43050 |
| **Pile Cap** | | | |
| Concrete ($m^3$) | 95 | 6400 | 608000 |
| Reinforcement (T) | 10 | 61936 | 619360 |
| Shuttering ($m^2$) | 70 | 410 | 28700 |
| **Pile (Nos)** | 20 | 625000 | 12500000 |
| **Dismantling of concrete pavement**($m^3$) | 81 | 1200 | 97200 |
| **Drum sheet walling with Salballah Piling** | 120 | 5000 | 600000 |
| **RE Wall** ($m^2$) | 1080 | 7000 | 7560000 |
| **Excavation**($m^3$) | 5400 | 200 | 1080000 |
| **Road (m)** | 350 | 40000 | 14000000 |
| **Sand filling** ($m^3$) | 2700 | 2000 | 5400000 |
| **earth filling** ($m^3$) | 4000 | 765 | 3060000 |
| **Cement block pitching**($m^3$) | 30 | 1918 | 57540 |
| **Geotextile filler** ($m^2$) | 100 | 126 | 12600 |

The present estimated cost is based on West Bengal PWD Schedule of 2015-16 financial year. Hence there will be an expected cost escalation on the estimated cost. If one considers 35% cost escalation the total cost of materials as calculated will be Rs. 11.0 Cr (Approx).

Additional cost includes pile load test, pile integrity test, Manpower Mobilization, Shifting of Existing Bamboo Bridge and dismantling of the existing structures.

**With an estimated 10% wastage and the additional cost involved the total project cost will be as per our estimate Rs. 17.0 Cr. (approx.) only**

GENERAL NOTES

| REVISION/ISSUE | DATE |
|---|---|
| | 21.10.2023 |

Proposed bridge at Swarupnagar(Chainage 48.7km) over Ichamati River of National Waterway No : 44 (Letter no-IWAI/PR/NW-44/2021-22, Dated-03/07/2023)

NAME OF THE CLIENT

INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA,P-78 GARDEN REACH ROAD,KOLKATA-700034

NAME OF THE SURVEYING AUTHORITY

CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT,JADAVPUR UNIVERSITY

TOPOGRAPHY & PROPOSED BRIDGE LAYOUT PLAN

| SCALE | A1/1:2 |
|---|---|
| SHEET NO : | |

| | CHECKED BY | LEGEND/SYMBOL |
|---|---|---|
| | | |

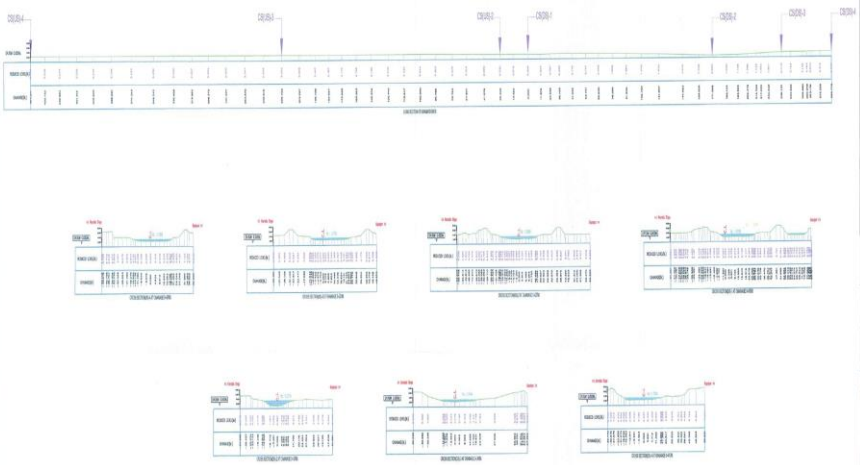

GENERAL NOTES

| | REVISION/ISSUE | DATE |
|---|---|---|
| | | 21.10.2023 |

NAME OF THE WORK

Proposed bridge at Swarupnagar(Chainage 48.7km) over Ichamati River of National Waterway No : 44 (Letter no-IWAI/PR/NW-44/2021-22, Dated-03/07/2023)

NAME OF THE CLIENT

INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA,P-78 GARDEN REACH ROAD,KOLKATA-700034

NAME OF THE SURVEYING AUTHORITY

CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT,JADAVPUR UNIVERSITY KOLKATA - 700032

DRAWING TITLE

TOPOGRAPHY & PROPOSED BRIDGE LAYOUT PLAN

| SCALE | A1/1.2 |
|---|---|
| SHEET NO : | |

| | CHECKED BY | LEGEND/SYMBOL |
|---|---|---|
| | | |

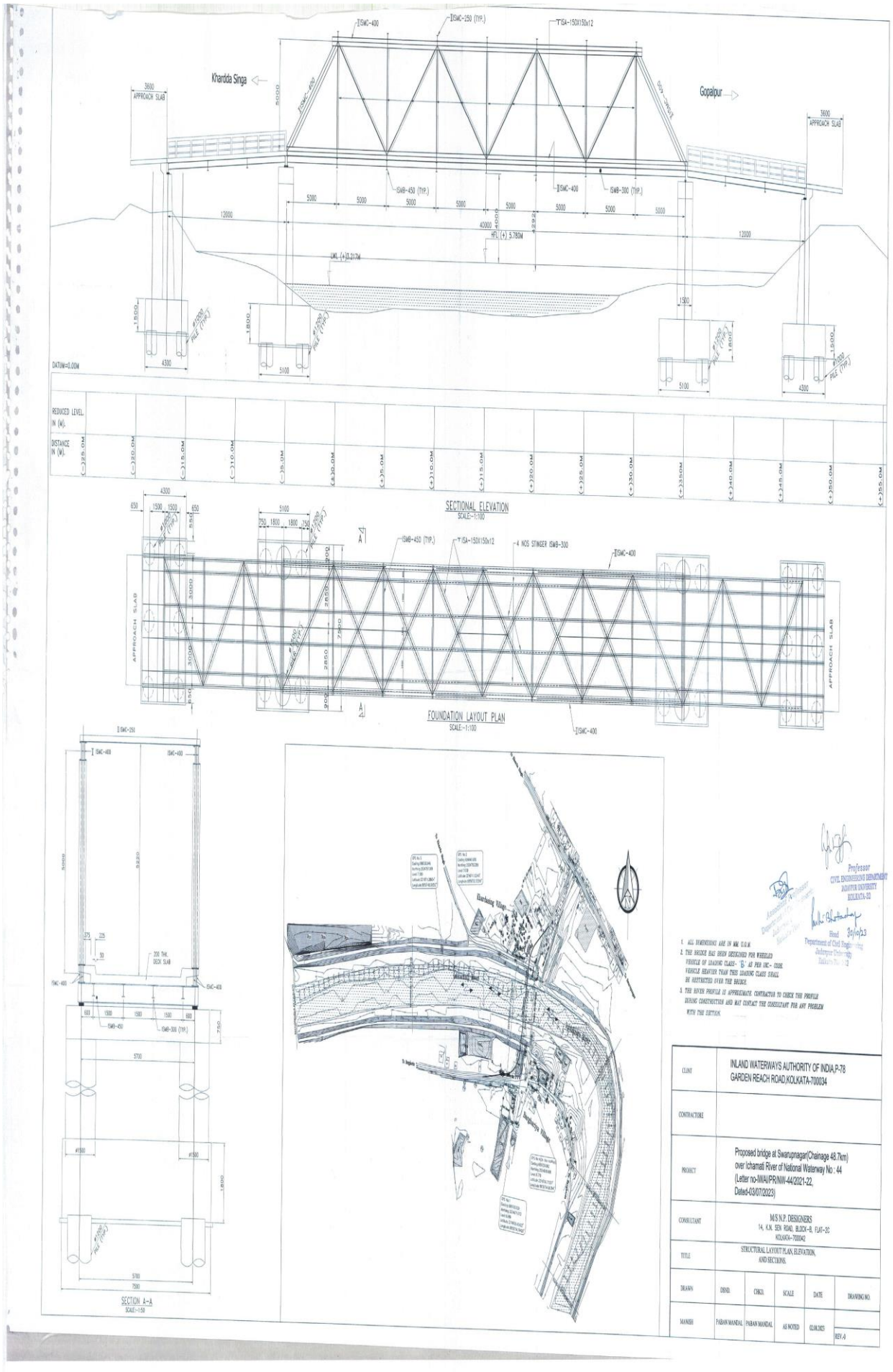
Kharidda Singa
Gopalpur
SECTIONAL ELEVATION
SCALE:-1:100
FOUNDATION LAYOUT PLAN
SCALE:-1:100
SECTION A-A
SCALE:-1:50
INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA,P-78
GARDEN REACH ROAD,KOLKATA-700034
Proposed bridge at Swarupnagar(Chainage 48.7km)
over Ichamati River of National Waterway No : 44
(Letter no-IWAI/PR/NW-44/2021-22,
Dated-03/07/2023)
M/S N.P. DESIGNERS
14, K.N. SEN ROAD, BLOCK-B, FLAT-2C
KOLKATA-700042
STRUCTURAL LAYOUT PLAN, ELEVATION,
AND SECTIONS.